



डिजिथल अपनाओ
मजबूत भारत बनाओ



(An ISO 9001: 2015 &
14001:2015 Certified Company)



150
YEARS OF
CELEBRATING
THE MAHATMA



एक कदम स्वच्छता की ओर

56th वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2018-19



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम- "मिनी रत्न" कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking- "Mini Ratna" Company)

निदेशक मण्डल Board of Directors



श्री विनोद कुमार गौड़
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Shri Vinod Kumar Gaur
Chairman-cum-Managing Director



सुश्री शुभा ठाकुर
निदेशक (सरकारी नामांकित)
Ms. Shubha Thakur
Director (Govt. Nominee)



सुश्री गुरप्रीत गढोक
निदेशक (सरकारी नामांकित)
Ms. Gurpreet Gadhok
Director (Govt. Nominee)



श्री वि. मोहन
निदेशक (वित्त)
Shri V. Mohan
Director (Finance)



श्री एम. एल. अरोड़ा
निदेशक (वाणिज्यिक)
Shri M.L. Arora
Director (Commercial)



सुश्री प्रतिभा सुमन
स्वतंत्र निदेशक
Ms. Partibha Suman
Independent Director



डॉ. बी. बी. मोहन्ती
स्वतंत्र निदेशक
Dr. B.B. Mohanty
Independent Director



श्री श्याम वीर सैनी
स्वतंत्र निदेशक
Shri Shyam Vir Saini
Independent Director

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

श्री विनोद कुमार गौड़, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Sh. Vinod Kumar Gaur, Chairman cum Managing Director
सुश्री शुभा ठाकुर, सरकारी निदेशक
Ms. Shubha Thakur, Govt. Director
सुश्री गुरप्रीत गढोक, सरकारी निदेशक
Ms. Gurpreet Gadhok, Govt. Director
श्री वि. मोहन, निदेशक (वित्त)
Sh. V. Mohan, Director (Finance)
श्री एम. एल. अरोड़ा, निदेशक (वाणिज्यिक)
Sh. M.L. Arora, Director (Commercial)
सुश्री प्रतिभा सुमन, स्वतंत्र निदेशक
Ms. Partibha Suman, Independent Director
डॉ. बी.बी. मोहन्ती, स्वतंत्र निदेशक
Dr. B.B. Mohanty, Independent Director
श्री श्यामवीर सैनी, स्वतंत्र निदेशक
Sh. Shyamvir Saini, Independent Director

कंपनी सचिव
COMPANY SECRETARY
कार्यापालक
EXECUTIVES

श्री मो. राकिम, महा प्रबंधक (निगमित मामले) एवं कंपनी सचिव
Sh. Md. Raquim, G.M. (Corporate Affairs) & Company Secretary
श्री कुलदीप सिंह, वरिष्ठ महा प्रबंधक (उत्पादन एवं विधि)
Sh. Kuldeep Singh, Sr. General Manager (Production & Legal)
श्री बी.बी. साव, वरिष्ठ महा प्रबंधक (मानव संसाधन)
Sh. B.B. Saw, Sr. General Manager (Human Resource)
श्री कौशिक रक्षित, वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
Sh. Kaushik Rakshit, Sr. General Manager (Finance & Accounts)
श्री ए.के. घिल्डियाल, महा प्रबंधक (सामग्री प्रबंधन)
Sh. A. K. Ghildiyal, General Manager (MM)
श्री दीपक रस्तोगी, महा प्रबंधक (विपणन)
Sh. Deepak Rastogi, General Manager (Marketing)
श्री संजय कुमार मेहता, अपर महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)—कल्याण
Sh. Sanjay Kumar Mehta, Addl. G.M (Fin. & Accts) - Welfare
श्री के.सी. शर्मा, अपर महा प्रबंधक (विपणन)
Sh. K. C. Sharma, Addl. G.M (Marketing)
श्री बी.पी सिंह, अपर महा प्रबंधक (उत्पादन)
Sh. B. P. Singh, Addl. G.M (Production)
श्री नीरज, अपर महा प्रबंधक (अभियांत्रिकी)
Sh. Neeraj, Addl. General Manager (Engineering)
श्री शीलेंद्र कुमार, अपर महा प्रबंधक (सतर्कता)
Sh. Sheelendra Kumar, Addl. General Manager (Vig.)

बैंकर्स
BANKERS
सांविधिक लेखा परीक्षक
STATUTORY AUDITORS

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
सर्वश्री कपूर टंडन एण्ड कंपनी
M/s Kapoor Tandan & Co.

शाखा लेखा परीक्षक
BRANCH AUDITORS

1. सर्वश्री रंजीत जैन एण्ड कंपनी, कोलकाता
 1. M/s Ranjit Jain & Co., Kolkata
 2. सर्वश्री राव एण्ड रवी, सनदी लेखाकार, हैदराबाद
 2. M/s Rao & Ravi, CA , Hyderabad
 3. सर्वश्री इनानी एण्ड इनानी, सनदी लेखाकार, अहमदाबाद (गुजरात)
 3. M/s INANI & INANI, CA, Ahmedabad (Gujarat)
 4. सर्वश्री एस.सी. बिछावत एण्ड कंपनी, चैन्नई (तमिलनाडु)
 4. M/s S.C. Bichhawat & Co., Chennai (Tamilnadu)
 5. सर्वश्री वीरेन्द्र राजीव एण्ड एसोसिएट, हनुमानगढ़ (राजस्थान)
 5. M/s Virendra Rajiv & Associates, Hanumangarh (Rajasthan)
 6. सर्वश्री एस.पी. गोयल एण्ड कंपनी, हिसार (हरियाणा)
 6. M/s S. P. Goyal & Co., Hisar (Haryana)
 7. सर्वश्री जी. कृष्णा एण्ड कंपनी, पटना (बिहार)
 7. M/s G. Krishana & Co., Patna (Bihar)
 8. सर्वश्री शेखर पटेल एण्ड कंपनी, रायचूर (कर्नाटक)
 8. M/s Shekhar Patel & Co., Raichur (Karnataka)
 9. सर्वश्री प्रकाश भट्ट एण्ड एसोसिएट्स, बेंगलुरु (कर्नाटक)
 9. M/s Prakash Bhatt & Associates, Bengaluru (Karnataka)
- बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012
Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi-110012

पंजीकृत कार्यालय
REGISTERED OFFICE

क्षेत्रीय प्रबन्धकों के पतों की सूची
ADDRESS OF REGIONAL MANAGERS

1. श्री ए. ब्रिटो
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर
हेबबल, बेंगलुरु-560024 (कर्नाटक)
Sh. A. Britto
National Seeds Corporation Ltd.
University of Agril. Sciences Campus
Hebbal, BENGALURU - 560024 (KARNATAKA)
दूरभाष / Ph.: 080 - 23415816, 23416824, 23410159
2. श्री गुलबीर सिंह पंवार
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
48-49, सेक्टर-बी, इंडस्ट्रियल एरिया
गोविन्द पुरा, भोपाल-462023 (मध्य प्रदेश)
Sh. Gulbir Singh Panwar
National Seeds Corporation Ltd.
48 - 49, Sector - B, Industrial Area, Govind Pura
BHOPAL - 462023 (MADHYA PRADESH)
दूरभाष / Ph.: 0755 - 2787122, 2580271
3. श्री मुकेश कुमार जाट
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
प्लॉट नं. 24, इंडस्ट्रियल एरिया फेज- IX,
मोहाली (पंजाब)-160062
Sh. Mukesh Kumar Jat
National Seeds Corporation Ltd
Plot No. 24, Industrial Are Phase - IX,
MOHALI (PUNJAB) - 160062
दूरभाष / Ph.: 0172 - 2214388, 2215388
4. श्रीमती आयशा पी.पी.
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
22-सी, सीडको (उत्तर), औद्योगिक क्षेत्र,
नजदीक टेलीफोन एक्सचेंज, अम्बाटूर
चेन्नई-600098 (तमिलनाडु)
Smt. Ayisha P.P.
National Seeds Corporation Ltd.
22 - C, SIDCO (N), Industrial Estate,
Near Telephone Exchange Ambattur,
CHENNAI - 600098 (TAMILNADU)
दूरभाष / Ph.: 044 - 26242363, 26256192
5. श्री अवधेश कृष्णा
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
चोमु हाउस (तबेला)
सी-स्कीम, सरदार पटेल मार्ग,
जयपुर-302001 (राजस्थान)
Sh. Awdhesh Krishna
National Seeds Corporation Ltd.
Chomu House (Tabela)
C-Scheme, Sardar Patel Marg,
JAIPUR - 302001 (RAJASTHAN)
दूरभाष / Ph.: 0141 - 2376760, 2365947
6. श्री पी.के. पटनायक
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
सेक्टर- 5, ब्लॉक-ए.क्यू., प्लॉट नं.12,
साल्टलेक सिटी, कोलकाता-700091 (पश्चिम बंगाल)
7. श्री असीम गंगवार
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
569/153, बारीगवान, पीकाडली होटल के नजदीक,
कानपुर मार्ग, लखनऊ-226012 (उत्तर प्रदेश)
Shri Aseem Gangwar
National Seeds Corporation Ltd.
569/153, Barigawan, Near Piccadilly Hotel,
Kanpur Road, LUCKNOW - 226012 (UP)
दूरभाष / Ph.: 0522-2424825, 2421826 Fax 2421832
8. श्री ओंकार सिंह
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
शेखपुरा, राजा बाजार,
पटना-800014 (बिहार)
Sh. Onkar Singh
National Seeds Corporation Ltd.
Sheikhpura, Raja Bazar
PATNA - 800014 (BIHAR)
दूरभाष / Ph.: 0612 - 2287744, 2280200, 2297726
9. डॉ. विजय कराहणे
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
681-690, गुलटेकडी मार्केट यार्ड,
पुणे-411037 (महाराष्ट्र)
Dr. Vijay Karahne
National Seeds Corporation Ltd.
681-690, Market Yard Gultekdi,
PUNE - 411037 (MAHARASHTRA)
दूरभाष / Ph.: 020 - 24267059, 24264587, 24266584
10. श्री एम.वी. सुधाकर
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
17-11, तुकाराम गेट, नॉर्थ लालागुडा
सिकंदराबाद-500017 (तेलंगाणा)
Sh. M.V. Sudhakar
National Seeds Corporation Ltd.
17-11, Tukaram Gate, North Lalaguda
SECUNDERABAD - 500017 (TELANGANA)
दूरभाष / Ph.: 040 - 27731152, 27730635
11. श्री नानू राम यादव
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
बी 116-118, स्वागत रेनफोरेस्ट-II,
स्वामी नारायण धाम, कोबा हाइवे, कुदासन
गांधीनगर-382421 (गुजरात)
Shri Nanu Ram Yadav
National Seeds Corporation Ltd.
B 116-118, Swagat Rainforest-II,
Opp. Swamy Narayan Dham, Koba Highway, Kudasan
GANDHINAGAR- 382421 (GUJARAT)
दूरभाष / Ph.: 079-23600302, 8249360616

फार्मों के प्रभारी निदेशकों के पतों की सूची
ADDRESS OF DIRECTORS INCHARGE OF FARMS

1. श्री प्रवेश कुमार
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
केन्द्रीय राज्य फार्म, 10 कि.मी.
सिरसा रोड, हिसार-125001 (हरियाणा)
Sh. Prabesh Kumar
National Seeds Corporation Ltd.
Central State Farm, 10 K.M.,
Sirsa Road, HISAR - 125001 (HARYANA)
दूरभाष / Ph.: 01662 - 275581, 275797
2. श्री यश पाल सिंह
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला-श्रीगंगानगर-335804 (राजस्थान)
Sh. Yash Pal Singh
National Seeds Corporation Ltd.
Central State Farm, Suratgarh
Distt. Sri Ganganagar-335804 (RAJASTHAN)
दूरभाष / Ph.: 01509-220084, 220006, 220309
3. श्री आनन्द कृष्णा
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़
जिला: श्रीगंगानगर-335705 (राजस्थान)
Sh. Anand Krishna
National Seeds Corporation Ltd.
Central State Farm, Sardargarh
Distt. Sri Ganganagar-335705 (RAJASTHAN)
दूरभाष / Ph.: 01509-238296
4. डॉ. पंकज कुमार त्यागी
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर
जिला: श्रीगंगानगर-335702 (राजस्थान)
Dr. Pankaj Kumar Tyagi
National Seeds Corporation Ltd.
Central State Farm, Jetsar
Distt. Sri Ganganagar-335702 (RAJASTHAN)
दूरभाष / Ph.: 01498-261202, 261227
5. श्री शिव पाल सिंह
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
केन्द्रीय राज्य फार्म, जावलगेरा
रायचूर-584143 (कर्नाटक)
Sh. Shiva pal Singh
National Seeds Corporation Ltd.
Central State Farm, Jawalagera
RAICHUR - 584143 (KARNATAKA)
दूरभाष / Ph.: 08535-201246
6. श्री सिद्धार्थ चिकारा
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
केन्द्रीय राज्य फार्म, जेडएआरसी, नलहटी,
जिला: बीरभूम-731220 (पश्चिम बंगाल)
Shri Siddharth Chikara
National Seeds Corporation Ltd.
Central State Farm, ZARC, Nalhati
Distt. Beerbhum - 731220 (WEST BENGAL)
दूरभाष / Mob.: 08348206642
7. श्री आर.एन.एस. यादव
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
केन्द्रीय राज्य फार्म, बलियापुर
पोस्ट-बलियापुर-828201
जिला: धनबाद (झारखण्ड)
Sh. R.N.S. Yadav
National Seeds Corporation Ltd.
Central State Farm, BALIYAPUR
P.O Baliyapur-828201
Distt. Dhanbad (JHARKHAND)
दूरभाष / Mob.: 09534123907
8. श्री गुलाब सिंह ओला
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
केन्द्रीय राज्य फार्म, सुकिन्दा,
पोस्ट-दामोदरपुर वाया सुकिन्दा-755018
जिला: जाजपुर (ओडिशा)
Sh. Gulab Singh Ola
National Seeds Corporation Ltd.
Central State Farm, SUKINDA
P.O. Damodarpur Via Sukinda-755018
Distt.: Jajpur (ODISHA)
दूरभाष / Mob.: 09007106981

विषय सूची
CONTENTS

सूचना	
Notice.....	06
अध्यक्ष का अभिभाषण	
Chairman's Speech	24
निदेशकों की रिपोर्ट	
Directors' Report	32
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	
Comments of the Comptroller & Auditor General of India	132
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	
Independent Auditors' Report	146
निदेशकों की रिपोर्ट की संयोजनी	
Addendum to the Directors' Report	166
तुलन पत्र	
Balance Sheet	172
लाभ एवं हानि का विवरण	
Statement of Profit and Loss	174
नकदी प्रवाह का विवरण	
Statement of Cash Flow	176
इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	
Statement of changes in Equity.....	178
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	
Notes on Financial Statements.....	180
खण्ड रिपोर्टिंग	
Segment Reporting	286



जकीरुत छत फुखे फुयेवम

(भारत सरकार का उपक्रम—मिनीरत्न कंपनी)

कलु उ % U74899DL1963GOI003913)

आईएसओ 9001:2015 – 14001:2015 द्वारा प्रमाणित कंपनी

पंजीकृत कार्यालय:- बीज भवन, पूसा परिसर,

नई दिल्ली-110012 (भारत)

फोन: 011-25842383, 25846272, 25842692, 25843673

ई-मेल: nsc@indiaseeds.com/cs@indiaseeds.com/mraquim@rediffmail.com

वेबसाइट: www.indiaseeds.com

संख्या : एनएससी/56 वीं एजीएम/2019-कंस.

दिनांक : 06 सितम्बर, 2019

लपुक

, रन}कक ल फोर फेद; क त कक गसफेद राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सदस्यों की 56 वीं वार्षिक साधारण सभा 'कुओक] 28 फे रएज] 2019 दस ओक] 10-30 तस राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली में निम्नलिखित कार्य संपन्न करने के लिए होगी :-

लकेकु; दक] %

निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और यदि इसे सही समझा जाता है तो निम्नलिखित को संशोधन अथवा बिना संशोधन के साथ साधारण संकल्पों के रूप में पारित करना :-

1- फोयूक; फोज. कक वुओकु %

"ल अयि फेद; क फेद 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्त वर्ष का लेखा परीक्षित, लाभ-हानि खाता तथा इसी तारीख का तुलन पत्र तथा इन पर निदेशकों तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों को अनुमोदित एवं स्वीकार किया जाता है।"

2- यककक ध?कक क %

ल अयि फेद; क फेद वित्त वर्ष 2018-19 के लिए निगम के कर पश्चात लाभ (पीएटी) पर 30% की दर से लाभांश घोषित किया जाता है।"

3- यकक इकककक ध फु; क %

ल अयि फेद; क त कक गसफेद कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 142 एवं अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों, तथा कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 जिसमें किसी प्रकार का वैधानिक संशोधन/परिवर्तन भी शामिल है, के अनुपालन में और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक के पत्र संख्या सीएवी/सीओवाई/केन्द्रीय सरकार/एनसीड्स (10) 344 दिनांक 27.07.2018 के द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए रा.बी.नि के सांविधिक लेखा परीक्षक व शाखा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति पर इनकी सहमति तथा उक्त पत्र में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा इनके पारिश्रमिक निम्न प्रकार से अनुमोदित किया जाता है:-

(i)	सांविधिक लेखा परीक्षक – निगम के पूरे लेखों का समेकन तथा क्षेत्रीय कार्यालय – चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, भोपाल एवं मुख्यालय की लेखा परीक्षा, जिसमें आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भी शामिल है, को करना	रु. 4,40,000/-
(ii)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, सिकन्दराबाद के लिए	रु. 28,000/-
(iii)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलौर के लिए	रु. 28,000/-
(iv)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के लिए	रु. 28,000/-
(v)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के लिए	रु. 28,000/-
(vi)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, चैन्नई के लिए	रु. 28,000/-



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India undertaking, Miniratna Company)

(CIN: U74899DL1963GOI003913)

"An ISO 9001 & 14001 Certified Company

Regd. Office:- BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX,

NEW DELHI-110 012 (INDIA)

Phones: 011-25842383, 25846272, 25842692, 25843673

E-mail: nsc@indiaseeds.com/cs@indiaseeds.com/mraquim@rediffmail.com

Website : www.indiaseeds.com

No. NSC/56th AGM/2019-CS

Dated: the 6th Sept., 2019

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 56th Annual General Meeting of the Members of National Seeds Corporation Limited will be held on Saturday, the **28th September, 2019 at 10.30 AM** at Registered Office of National Seeds Corporation Limited,(NSC) at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi-110 012 to transact the following businesses:-

ORDINARY BUSINESS:

To consider and if thought fit to pass, with or without modifications the following Resolutions as Ordinary Resolutions:-

1. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS:

"RESOLVED THAT Audited Financial Statements for the Financial Year ended 31st March, 2019 together with the Reports of the Board of Directors and the Auditors thereon be and the same are hereby approved and adopted."

2. DECLARATION OF DIVIDEND:

"RESOLVED THAT dividend @ 30% on Profit After Tax (PAT) of the Corporation for the Financial Year 2018-19 be and the same is hereby declared."

3. APPOINTMENT OF AUDITORS:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 139 & 142 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 including any Statutory Modifications/amendment thereof, and with the consent of the Auditors concerned for appointment as Statutory Auditors and Branch Auditors respectively made by the Comptroller and Auditor General of India in respect of National Seeds Corporation Limited for the Financial Year 2018-19 as per their letter No. CA.V./COY/CENTRAL GOVERNMENT, NSEEDS (10)/344 dated 27.07.2018 containing terms and conditions and their remuneration as detailed below be and the same are hereby approved:-

i	Statutory Auditor- Consolidation of Accounts of the Corporation as a whole & Audit of ROs at Jaipur, Chandigarh, Lucknow, Bhopal & Head Office including Audit work relating to Internal Financial Control.	Rs. 4,40,000/-
ii	Branch Auditor Regional Office (RO), Secunderabad	Rs. 28,000/-
iii.	Branch Auditor Regional Office,(RO), Bengaluru	Rs. 28,000/-
iv.	Branch Auditor Regional Office (RO), Patna	Rs. 28,000/-
v.	Branch Auditor Regional Office (RO, Kolkata	Rs. 28,000/-
vi.	Branch Auditor Regional Office (RO), Chennai	Rs. 28,000/-

(vii)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे के लिए	रु. 28,000 /—
(viii)	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, सरदारगढ़ एवं जैतसर (राजस्थान) के लिए	रु. 75,000 /—
(ix)	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार (हरियाणा) के लिए	रु. 25,000 /—
(x)	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, रायचूर (कर्नाटक) के लिए	रु. 25,000 /—

निदेशक मंडल की ओर से
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

ह./—
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

विवरण

- 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अंकेक्षित लेखों की प्रति तथा उन पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट इस सूचना पत्र के साथ संलग्न है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंकेक्षित वार्षिक लेखे, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सीएजी) को अग्रप्रेषित किए गए हैं। यदि सीएजी की कोई टिप्पणी हुई तो उसे वार्षिक साधारण बैठक में शेयर धारकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- रा.बी.नि. की पांच सहयोगी कंपनियाँ हैं, जिनके वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) एवं उसके नियमों के अनुपालन में समेकित किए जाने चाहिए थे और एनएससी के वित्तीय विवरणों के साथ भी संलग्न किए जाने चाहिए थे, परंतु कई अनुस्मारक पत्र भेजने के बावजूद इन सहयोगी कंपनियों ने अपने वित्तीय विवरण इंड एस के तहत तैयार नहीं किए और उक्त अपेक्षित प्रावधान के अनुपालन के लिए रा.बी.नि. को अब तक नहीं भेजे गए।

आवश्यक देरी से बचने के लिए एनएससी ने केवल अपने ही वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर दिए हैं। इस मामले को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जो कि रा.बी.नि. का प्रशासनिक मंत्रालय है, के संज्ञान में भी लाया गया है।

- 56वीं वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के लिए सदस्य हकदार है अथवा उसे अपना ओर से प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार है।



vii.	Branch Auditor Regional Office (RO), Pune	Rs. 28,000/-
viii.	Branch Auditor CSF, Suratgarh, Sardargarh & Jetsar (Raj)	Rs. 75,000/-
ix.	Branch Auditor CSF, Hisar (Haryana)	Rs. 25,000/-
x.	Branch Auditor CSF, Raichur (Karnataka)	Rs. 25,000/-

By order of the Board of Directors of
National Seeds Corporation Limited

(Mohd. Raquim)
Company Secretary

Place: New Delhi

NOTES:-

1. A copy of Financial Statements for the year ended 31st March, 2019 alongwith Reports of Directors and Auditors thereon accompany this Notice.
2. The Financial Statements for the year 2018-19 have been forwarded to the Comptroller and Auditor General of India (CAG) U/s 143(6) of the Companies Act, 2013. The comments, if any, of the CAG will be placed before the Shareholders at the Annual General Meeting.
3. There are 5 Associate Companies of NSC, whose Financial Statements are required to be consolidated and also to be attached with the Financial Statement of NSC pursuant to the provisions of Section 129(3) of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder, but despite letters and reminders, these Associate Companies have not finalized in Ind-AS and sent the same till date to NSC for complying with the above legal requirements.

In order to avoid needless delay, Financial Statement of NSC alone is placed. Matter has already been brought to the Notice of MOA&FW who are the Administrative Ministry of the NSC.

4. A member entitled to attend and Vote at the 56th Annual General Meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and Vote in his/her behalf.



सेवा में,

1. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के सभी सदस्यगण :-
 - i. प्रतिनिधि सुश्री गुरप्रीत गढ़ोक, उप सचिव (बीज तथा एम एवं टी), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली के माध्यम से भारत के माननीय राष्ट्रपति।
 - ii. श्री वी.के. गौड़, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
 - iii. श्री एस.एस. वगुलाप्रनम, अवर सचिव (बीज), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. डॉ तरसेम चंद, संयुक्त सचिव (प्रशा.), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली एवं निदेशक रा.बी.नि.।
3. श्री वि. मोहन, निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
4. श्री मोहन लाल अरोड़ा, निदेशक (वाणिज्यिक), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
5. सुश्री प्रतिभा सुमन, निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
6. डॉ बी.बी मोंहती, निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
7. श्री श्यामवीर सैनी, निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
8. मैसर्स कपूर टंडन एंड कंपनी, एच-118, 11वां तल, हिमालय हाउस, 23 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001।
9. श्री कौशिक रक्षित, वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।

To,

1. All the Members, NSC Limited, New Delhi:-
 - i. Hon'ble President of India through Authorized Representative Ms. Gurpreet Gadhok, Dy. Secretary (Seeds & M&T), GOI, MOA &FW, Krishi Bhawan, New Delhi.
 - ii. Shri V. K. Gaur, Chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
 - iii. Shri S.S. Vagulaparnam, Under Secretary (Seeds), GOI, MOA &FW, Krishi Bhawan, New Delhi.
2. Dr. Tarsem Chand, JS(Admn.), GOI, MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi and Director, NSC.
3. Shri V. Mohan, Director (Finance), National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
4. Shri Mohan Lal Arora, Director (Commercial), NSC Limited, New Delhi.
5. Smt. Partibha Suman, Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
6. Dr. B.B. Mohanty, Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
7. Shri Shyamvir Saini, Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
8. M/s Kapoor Tandon & Co, H-118, 11th Floor, Himalaya House, 23 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001.
9. Shri Kaushik Rakshit, Senior General Manager (F&A), National Seeds Corporation Limited, New Delhi.



जकीरुत छत फुखे फुयेवम

(भारत सरकार का उपक्रम—मिनीरत्न कंपनी)

कलु % U74899DL1963GOI003913)

आईएसओ 9001:2015 – 14001:2015 द्वारा प्रमाणित कंपनी

पंजीकृत कार्यालय:- बीज भवन, पूसा परिसर,

नई दिल्ली-110012 (भारत)

फोन: 011-25842383, 25846272, 25842692, 25843673

ई-मेल: nsc@indiaseeds.com/cs@indiaseeds.com/mraquim@rediffmail.com

वेबसाइट: www.indiaseeds.com

संख्या : एनएससी/56वीं एजीएम/2019-कं.सं.

दिनांक : 04 अक्टूबर, 2019

लपुक

, रन}कक ल फोर फु; क त कक गस फु राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सदस्यों की 56वीं वार्षिक साधारण सभा जोकि शनिवार, 28 सितम्बर 2019 को पूर्वाह्न 10.30 बजे के लिए निर्धारित थी, जिसे अगली तारीख तक स्थगित कर दी गई थी, अब यह बैठक xq okj] 31 vDVwj 2019 dks iwZu 1100 cts राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली में निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित होगी :-

लकक; दक Z%

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि इसे सही समझा जाता है तो निम्नलिखित को संशोधन अथवा बिना संशोधन के साथ साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:-

1- फुयक; फुज.कक दक वुफकु %

"ल दयि फु; क फु 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्त वर्ष का लेखा परीक्षित, लाभ-हानि खाता तथा इसी तारीख का तुलन पत्र तथा इन पर निदेशकों तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों को अनुमोदित एवं स्वीकार किया जाता है।"

2- यककक दह ?कक कक %

ल दयि फु; क फु वित्त वर्ष 2018-19 के लिए निगम के कर पश्चात लाभ (पीएटी) पर 30% की दर से लाभांश घोषित किया जाता है।"

3- यकक इककक दह फु; कक %

ल दयि फु; क त कक गस फु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 142 एवं अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई, तथा कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 जिसमें किसी प्रकार का वैधानिक संशोधन/परिवर्तन भी शामिल है, के अनुपालन में और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक के पत्र संख्या सीएवी/सीओवाई/केन्द्रीय सरकार/एनसीड्स (10) 344 दिनांक 27.07.2018 के द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए रा.बी.नि के सांविधिक लेखा परीक्षक व शाखा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति पर इनकी सहमति तथा उक्त पत्र में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा इनके पारिश्रमिक को निम्न प्रकार से अनुमोदित किया जाता है:-

(i)	सांविधिक लेखा परीक्षक – निगम के पूरे लेखों का समेकन तथा क्षेत्रीय कार्यालय – चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, भोपाल एवं मुख्यालय की लेखा परीक्षा, जिसमें आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भी शामिल है, को करना	रु. 4,40,000 /-
(ii)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, सिकन्दराबाद के लिए	रु. 28,000 /-
(iii)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर के लिए	रु. 28,000 /-
(iv)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के लिए	रु. 28,000 /-
(v)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के लिए	रु. 28,000 /-
(vi)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, चैन्नई के लिए	रु. 28,000 /-



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India undertaking, Miniratna Company)

(CIN: U74899DL1963GOI003913)

“An ISO 9001 & 14001 Certified Company

Regd. Office:- BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX,
NEW DELHI-110 012 (INDIA)

Phones: 011-25842383, 25846272, 25842692, 25843673

E-mail-nsc@indiaseeds.com/cs@indiaseeds.com/mraquim@rediffmail.com

Website : www.indiaseeds.com

No. NSC/56th AGM/2019-CS

Dated: the 4th Oct., 2019

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 56th Annual General Meeting of the Members of National Seeds Corporation Limited which was scheduled for Saturday, the 28th September, 2019 at 10.30 AM and adjourned to be held at subsequent date, will now be held on **Thursday, the 31st October, 2019 at 11.00 AM** at the Registered Office of National Seeds Corporation Limited, (NSC) at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi-110 012 to transact the following business:-

ORDINARY BUSINESS:

To consider and if thought fit to pass, with or without modifications the following Resolutions as Ordinary Resolutions:-

1. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS:

“**RESOLVED THAT** Audited Financial Statements for the Financial Year ended 31st March, 2019 together with the Reports of the Board of Directors and the Auditors thereon be and the same are hereby approved and adopted.”

2. DECLARATION OF DIVIDEND:

“**RESOLVED THAT** dividend @ 30% on Profit After Tax (PAT) of the Corporation for the Financial Year 2018-19 be and the same is hereby declared.”

3. APPOINTMENT OF AUDITORS:

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 139 & 142 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 including any Statutory Modifications/ amendment thereof, and with the consent of the Auditors concerned for appointment as Statutory Auditors and Branch Auditors respectively made by the Comptroller and Auditor General of India in respect of National Seeds Corporation Limited for the Financial Year 2018-19 as per their letter No. CA.V./COY/CENTRAL GOVERNMENT, NSEEDS (10)/344 dated 27.07.2018 containing terms and conditions and their remuneration as detailed below be and the same are hereby approved:-

i	Statutory Auditor- Consolidation of Accounts of the Corporation as a whole & Audit of ROs at Jaipur, Chandigarh, Lucknow, Bhopal & Head Office including Audit work relating to Internal Financial Control.	Rs. 4,40,000/-
ii	Branch Auditor Regional Office (RO), Secunderabad	Rs. 28,000/-
iii.	Branch Auditor Regional Office,(RO), Bengaluru	Rs. 28,000/-
iv.	Branch Auditor Regional Office (RO), Patna	Rs. 28,000/-
v.	Branch Auditor Regional Office (RO, Kolkata	Rs. 28,000/-
vi.	Branch Auditor Regional Office (RO), Chennai	Rs. 28,000/-

(vii)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे के लिए	रु. 28,000 /—
(viii)	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, सरदारगढ़ एवं जैतसर (राजस्थान) के लिए	रु. 75,000 /—
(ix)	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार (हरियाणा) के लिए	रु. 25,000 /—
(x)	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, रायचूर (कर्नाटक) के लिए	रु. 25,000 /—

निदेशक मंडल की ओर से
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

ह./—
१०/११/२०१९
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

विवरण

- 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की प्रति तथा उन पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट आपको वार्षिक साधारण सभा की सूचना दिनांक 06.09.2019 द्वारा पहले ही भेजी जा चुकी है। कृपया इन्हें 31.10.2019 के लिए निर्धारित स्थागित वार्षिक साधारण सभा में लेने का कष्ट करें।
- जैसा कि आपको पहले ही अवगत कराया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सीएजी) को वर्ष 2018-19 के वित्तीय विवरण अग्रेषित किए गए थे। सीएजी द्वारा टिप्पणी समय पर जारी नहीं की गई, इसलिए 28.09.2019 को निर्धारित वार्षिक साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। वित्त विभाग ने सूचित किया है कि भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक से टिप्पणी 31.10.2019 से पूर्व प्राप्त हो सकती हैं जिन्हें 31.10.2019 के लिए निर्धारित स्थागित वार्षिक साधारण सभा में शेयर धारकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- एनएससी की पांच सहयोगी कंपनियों हैं, जिनके वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) एवं उसके नियमों के अनुपालन में समेकित किए जाने चाहिए थे और एनएससी के वित्तीय विवरणों के साथ भी संलग्न किए जाने चाहिए थे, परंतु कई अनुस्मारक पत्र भेजने के बावजूद इन सहयोगी कंपनियों ने अपने वित्तीय विवरण इंड एस के तहत तैयार नहीं किए और उक्त प्रावधान के अनुपालन के लिए एनएससी को अब तक नहीं भेजे।

आवश्यक देरी से बचने के लिए एनएससी ने केवल अपने ही वित्तीय विवरण परिचालित कर दिए हैं जिन्हें अस्थागित वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि आपको दिनांक 06.09.2019 की सूचना में पहले ही सूचित किया गया था। इस मामले को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जो कि एनएससी का प्रशासनिक मंत्रालय है, के संज्ञान में भी लाया गया है।

- 56वीं वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के लिए सदस्य हकदार है अथवा उसे अपना ओर से प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार है।



vii.	Branch Auditor Regional Office (RO), Pune	Rs. 28,000/-
viii.	Branch Auditor CSF, Suratgarh, Sardargarh & Jetsar (Raj)	Rs. 75,000/-
ix.	Branch Auditor CSF, Hisar (Haryana)	Rs. 25,000/-
x.	Branch Auditor CSF, Raichur (Karnataka)	Rs. 25,000/-

BY order of the Board of Directors of
National Seeds Corporation Limited

(Mohd. Raquim)
Company Secretary

Place: New Delhi

NOTES:-

1. A copy of Financial Statements for the year ended 31st March, 2019 alongwith Reports of Directors and Auditors thereon as already sent to you vide AGM Notice dated 06.09.2019 may kindly be brought by you at the adjourned AGM scheduled for 31.10.2019.
2. As already stated, the Financial Statements for the year 2018-19 were forwarded to the Comptroller and Auditor General of India (CAG) U/s 143(6) of the Companies Act, 2013. The comments of the CAG which could not be released earlier and therefore it were not placed before the AGM scheduled for 28.09.2019, are likely to be received from the CAG before 31.10.2019 as informed by the Finance Division and therefore the same will be placed before the Shareholders at the adjourned Annual General Meeting scheduled on 31.10.2019.
3. There are 5 Associate Companies of NSC, whose Financial Statements are required to be consolidated and also to be attached with the Financial Statement of NSC pursuant to the provisions of Section 129(3) of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder, but despite letters and reminders, these Associate Companies did not finalize in Ind-AS and send the same to NSC for complying with the above legal requirements.

In order to avoid needless delay, Financial Statement of NSC as already circulated, will alone be placed before the adjourned AGM. As informed earlier in the AGM Notice dated 06.09.2019, matter has already been brought to the Notice of MOA&FW who are the Administrative Ministry of the NSC.

4. A Member entitled to attend and Vote at this meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and Vote in his place.

सेवा में,

1. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के सभी सदस्यगण :-
 - i. प्रतिनिधि सुश्री गुरप्रीत गढ़ोक, उप सचिव (बीज तथा एम एवं टी), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली के माध्यम से भारत के माननीय राष्ट्रपति।
 - ii. श्री वी.के. गौड़, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
 - iii. श्री एस.एस. वगुलाप्रनम, अवर सचिव (बीज), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. डॉ तरसेम चंद, संयुक्त सचिव (प्रशा.), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली एवं निदेशक रा.बी.नि.।
3. श्री वि. मोहन, निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
4. श्री मोहन लाल अरोड़ा, निदेशक (वाणिज्यिक), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
5. सुश्री प्रतिभा सुमन, निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
6. डॉ बी.बी मोंहती, निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
7. श्री श्यामवीर सैनी, निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
8. मैसर्स कपूर टंडन एंड कंपनी, एच-118, 11 वां तल, हिमालय हाउस, 23 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001।
9. श्री कौशिक रक्षित, वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।

To,

1. All the Members, NSC Limited, New Delhi:-
 - i. Hon'ble President of India through Authorized Representative Ms. Gurpreet Gadhok, Dy. Secretary (Seeds & M&T), GOI, MOA &FW, Krishi Bhawan, New Delhi.
 - ii. Shri V. K. Gaur, Chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
 - iii. Shri S.S. Vagulaparnam, Under Secretary (Seeds), GOI, MOA &FW, Krishi Bhawan, New Delhi.
2. Dr. Tarsem Chand, JS(Admn.), GOI, MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi and Director, NSC.
3. Shri V. Mohan, Director (Finance), National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
4. Shri Mohan Lal Arora, Director (Commercial), NSC Limited, New Delhi.
5. Smt. Partibha Suman, Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
6. Dr. B.B. Mohanty, Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
7. Shri Shyamvir Saini, Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
8. M/s Kapoor Tandon & Co, H-118, 11th Floor, Himalaya House, 23 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001.
9. Shri Kaushik Rakshit, Senior General Manager (F&A), National Seeds Corporation Limited, New Delhi.



ज॒क॒व॒त॒ च॒त्त॒ फ॒ु॒खे॒ फ॒ये॒व॒म

(भारत सरकार का उपक्रम—मिनीरत्न कंपनी)

क॒ड॒ल॒ उ॒ % U74899DL1963GOI003913)

आईएसओ 9001:2015 – 14001:2015 द्वारा प्रमाणित कंपनी

पंजीकृत कार्यालय:— बीज भवन, पूसा परिसर,

नई दिल्ली—110012 (भारत)

फोन: 011-25842383, 25846272, 25842692, 25843673

ई-मेल: nsc@indiaseeds.com/cs@indiaseeds.com/mraquim@rediffmail.com

वेबसाइट: www.indiaseeds.com

संख्या : एनएससी/56 वीं स्थगित एजीएम/2019-क.सं.

दिनांक : 12 दिसम्बर, 2019

1 पृ॒क

, रन॒}॒क॒क॒ ल॒ फ॒र॒ फ॒द; क॒ त॒ क॒र॒क॒ ग॒स॒फ॒द राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सदस्यों की 56 वीं वार्षिक साधारण सभा जो मूलतः **fnukd** 28 fl rEj] 2019 dks iwZ 10-30 ct s के लिए निर्धारित थी, स्थगित कर दी गई और 31.10.2019 के लिए निर्धारित की गई थी, परंतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी प्राप्त न होने के कारण पुनः स्थगित कर दी गई थी, अब यह सभा दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 को पूर्वाह्न 10.30 बजे राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली में निम्नलिखित कार्य करने के लिए होगी:—

1 क॒क॒; द॒क॒ %

निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और यदि इसे सही समझा जाता है तो निम्नलिखित को संशोधन अथवा बिना संशोधन के साथ साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:—

1- foRrH; fooj. kack vuqknu%

1 adYi fd; k fd 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षित लाभ—हानि खाता तथा इसी तारीख का तुलन पत्र तथा इन पर निदेशकों तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों को अनुमोदित एवं स्वीकार किया जाता है।'

2- ykHak dh ?Hsk k%

1 adYi fd; k fd foUk वर्ष 2018—19 के लिए निगम के कर पश्चात लाभ (पीएटी) पर 30% की दर से लाभांश घोषित किया जाता है।'

3- yq k i jh(ckadh fu; qä%

1 adYi fd; k t k r k है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 142 एवं अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई, तथा कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 जिसमें किसी प्रकार का वैधानिक संशोधन/परिवर्तन भी शामिल है, के अनुपालन में और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक के पत्र संख्या सीएवी/सीओवाई/केन्द्रीय सरकार/एनसीड्स (10) 344 दिनांक 27.07.2018 के द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2018—19 के लिए रा.बी.नि के सांविधिक लेखा परीक्षक व शाखा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति पर इनकी सहमति तथा उक्त पत्र में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा इनके पारिश्रमिक को निम्न प्रकार से अनुमोदित किया जाता है:—

(i)	सांविधिक लेखा परीक्षक – निगम के पूरे लेखों का समेकन तथा क्षेत्रीय कार्यालय – चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, भोपाल एवं मुख्यालय की लेखा परीक्षा जिसमें आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भी सम्मिलित है को करना।	रु. 4,40,000 /—
(ii)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, सिकन्दराबाद के लिए	रु. 28,000 /—
(iii)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर के लिए	रु. 28,000 /—
(iv)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के लिए	रु. 28,000 /—
(v)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के लिए	रु. 28,000 /—
(vi)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, चैन्नई के लिए	रु. 28,000 /—



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India undertaking, Miniratna Company)
(CIN: U74899DL1963GOI003913)
“An ISO 9001 & 14001 Certified Company
Regd. Office:- BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX,
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Phones: 011-25842383, 25846272, 25842692, 25843673
E-mail-nsc@indiaseeds.com/cs@indiaseeds.com/mraquim@rediffmail.com
Website : www.indiaseeds.com

No. NSC/56th Adj.AGM/2019-CS

Dated: the 12th Dec., 2019

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 56th Annual General Meeting of the Members of National Seeds Corporation Limited, which was originally scheduled for **28th September, 2019 at 10.30 AM** was adjourned and held on 31st October, 2019 and again adjourned for want of CAG Comments, will now be held on Friday, the 20th December, 2019 at 10.30 AM at the Registered Office of National Seeds Corporation Limited, (NSC) at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi-110 012 to transact the following business:-

ORDINARY BUSINESS:

To consider and if thought fit to pass, with or without modifications the following Resolutions as Ordinary Resolutions:-

1. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS:

“**RESOLVED THAT** Audited Financial Statements for the Financial Year ended 31st March, 2019 together with the Reports of the Board of Directors and the Auditors thereon be and the same are hereby approved and adopted.”

2. DECLARATION OF DIVIDEND:

“**RESOLVED THAT** dividend @ 30% on Profit After Tax (PAT) of the Corporation for the Financial Year 2018-19 be and the same is hereby declared.”

3. APPOINTMENT OF AUDITORS:

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 139 & 142 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 including any Statutory Modifications/ amendment thereof, and with the consent of the Auditors concerned for appointment as Statutory Auditors and Branch Auditors respectively made by the Comptroller and Auditor General of India in respect of National Seeds Corporation Limited for the Financial Year 2018-19 as per their letter No. CA.V./COY/CENTRAL GOVERNMENT, NSEEDS (10)/344 dated 27.07.2018 containing terms and conditions and their remuneration as detailed below be and the same are hereby approved:-

i	Statutory Auditor- Consolidation of Accounts of the Corporation as a whole & Audit of ROs at Jaipur, Chandigarh, Lucknow, Bhopal & Head Office including Audit work relating to Internal Financial Control.	Rs. 4,40,000/-
ii	Branch Auditor Regional Office (RO), Secunderabad	Rs. 28,000/-
iii.	Branch Auditor Regional Office,(RO), Bengaluru	Rs. 28,000/-
iv.	Branch Auditor Regional Office (RO), Patna	Rs. 28,000/-
v.	Branch Auditor Regional Office (RO, Kolkata	Rs. 28,000/-
vi.	Branch Auditor Regional Office (RO), Chennai	Rs. 28,000/-

(vii)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे के लिए	रु. 28,000 /—
(viii)	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, सरदारगढ़ एवं जैतसर (राजस्थान) के लिए	रु. 75,000 /—
(ix)	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार (हरियाणा) के लिए	रु. 25,000 /—
(x)	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, रायचूर (कर्नाटक) के लिए	रु. 25,000 /—

निदेशक मंडल की ओर से
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

ह./—
सचिव
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

fVli . kh %

- 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की एक प्रति तथा उन पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट आपको वार्षिक साधारण सभा की सूचना दिनांक 06.09.2019 द्वारा पहले ही भेजी जा चुकी है। यद्यपि आपके संदर्भ हेतु इसकी एक प्रति संलग्नों सहित प्रेषित की जा रही है जिन्हें कृपया वार्षिक आम सभा में लाने का कष्ट करें।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सीएजी) को वर्ष 2018-19 के वित्तीय विवरण पहले ही अग्रेषित किए जा चुके हैं। सीएजी की टिप्पणी, यदि कोई, जोकि पूर्व में प्राप्त नहीं की जा सकी और इसलिए मूल एवं स्थागित वार्षिक साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जा सके। भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणी शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है जिन्हें प्रबंधन के उत्तर सहित निर्धारित स्थागित वार्षिक साधारण सभा में शेरधारकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- जैसा कि पूर्व में सूचित किया गया है कि एनएससी की पांच सहयोगी कंपनियाँ हैं, जिनके वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) एवं उसके नियमों के अनुपालन में समेकित किए जाने चाहिए थे और एनएससी के वित्तीय विवरणों के साथ भी संलग्न किए जाने चाहिए थे, परंतु कई अनुस्मारक पत्र भेजने के बावजूद इन सहयोगी कंपनियों ने अपने वित्तीय विवरण इंड एस के तहत तैयार नहीं किए और उक्त प्रावधान के अनुपालन के लिए एनएससी को अब तक नहीं भेजे।

आवश्यक देरी से बचने के लिए एनएससी ने केवल अपने ही वित्तीय विवरण परिचालित कर दिए और जो पुनः इसके साथ संलग्न हैं। इन्हें अकेले ही दूसरी अस्थागित वार्षिक साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

- इस बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के लिए सदस्य हकदार हैं अथवा अपनी ओर से प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के अंतर्गत यह दूसरी अस्थागित वार्षिक साधारण सभा अल्प सूचना पर जैसे कि 21 दिन पूर्व निर्धारित करने के लिए शेरधारकों/सदस्यों की सहमति प्राप्त कर ली गई है।

vii.	Branch Auditor Regional Office (RO), Pune	Rs. 28,000/-
viii.	Branch Auditor CSF, Suratgarh, Sardargarh & Jetsar (Raj)	Rs. 75,000/-
ix.	Branch Auditor CSF, Hisar (Haryana)	Rs. 25,000/-
x.	Branch Auditor CSF, Raichur (Karnataka)	Rs. 25,000/-

BY order of the Board of Directors of
National Seeds Corporation Limited

(Mohd. Raquim)
Company Secretary

Place: New Delhi

NOTES:-

1. A copy of Financial Statements for the year ended 31st March, 2019 alongwith Reports of Directors and Auditors thereon has already been sent to you vide AGM Notice dated 06.09.2019. However, for your ready reference a copy of the same along with attachments are again attached which may kindly be brought at the AGM.
2. The Financial Statements for the year 2018-19 have already been forwarded to the Comptroller & Auditor General of India (CAG) u/s 143(6) of the Companies Act, 2013. The comments of the CAG, if any, which could not be released earlier and therefore these were not placed before the original AGM and earlier adjourned AGM. As the CAG comments are likely to be received shortly, these will be tabled at the meeting along with Management's reply thereon, if required.
3. As informed earlier, there are 5 Associate Companies of NSC, whose Financial Statements are required to be consolidated and also to be attached with the Financial Statement of NSC pursuant to the provisions of Section 129(3) of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder, but despite letters and reminders, these Associate Companies did not finalize their Financial Statements in Ind-AS and sent the same to NSC for complying with the above legal requirements.

In order to avoid needless delay, Financial Statement of NSC as already circulated and again attached herewith, will alone be placed before the 2nd adjourned AGM.
4. A Member entitled to attend and Vote at this meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and Vote in his/her place.
5. The consent of Shareholders/Members has been obtained u/s 101(1) of the Companies Act, 2013 to hold this 2nd Adjourned AGM at a Shorter Notice that prescribed for 21 days.



सेवा में,

1. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के सभी सदस्य।
 - i. प्रतिनिधि श्रीमती गुरप्रीत गढ़ोक, उप सचिव (बीज तथा एम एंड टी), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली के माध्यम से भारत के माननीय राष्ट्रपति एवं निदेशक, एनएससी।
 - ii. श्री वी.के.गौड़, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
 - iii. श्री एस.एस. वगुलाप्रनम, अवर सचिव (बीज), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. सुश्री शुभा ठाकुर, संयुक्त सचिव (फसल एवं तिलहन), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली एवं निदेशक एनएससी।
3. श्री वि. मोहन, निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
4. श्री मोहन लाल अरोड़ा, निदेशक (वाणिज्यिक), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
5. श्रीमती प्रतिभा सुमन, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति की अध्यक्षता एवं निदेशक।
6. डॉ बी.बी मोंहती, निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
7. श्री श्यामवीर सैनी, निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
8. मैसर्स कपूर टंडन एंड कंपनी, एच-118, 11 वां तल, हिमालय हाउस, 23 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001.
9. श्री कौशिक रक्षित, वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।

To,

1. All the Members, NSC Limited, New Delhi:-
 - i. Hon'ble President of India through Authorized Representative Ms. Gurpreet Gadhok, Dy. Secretary (Seeds & M&T), GOI, MOA &FW, Krishi Bhawan, New Delhi and Director, NSC.
 - ii. Shri V. K. Gaur, Chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
 - iii. Shri S.S. Vagulaparnam, Under Secretary (Seeds), GOI, MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.
2. Ms. Shubha Thakur, JS (Crops & Oilseeds), GOI, MOA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi and Director, NSC.
3. Shri V. Mohan, Director (Finance), National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
4. Shri Mohan Lal Arora, Director (Commercial), NSC Limited, New Delhi.
5. Ms. Partibha Suman, Director & Chairperson, Audit Committee of the Board of Directors of National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
6. Dr. B.B. Mohanty, Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
7. Shri Shyamvir Saini, Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
8. M/s Kapoor Tandon & Co, H-118, 11th Floor, Himalaya House, 23 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001.
9. Shri Kaushik Rakshit, Senior General Manager (F&A), National Seeds Corporation Limited, New Delhi.

व/; {k , oaççak funs'kd dk vffHk'k k nwjh Lfkr 56ohaok'kZl l k/kj. k cBd

fç; 'ks j/kj dkk

मैं, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से निगम की स्थगित 56 वीं वार्षिक साधारण बैठक में हमारे आदरणीय शेयरधारकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सीएजी की टिप्पणियाँ प्राप्त न होने के कारण, पहले नियत हुई बैठक आयोजित नहीं हो सकी और अब सीएजी की टिप्पणियाँ प्राप्त होने पर मैं आपके समक्ष वार्षिक रिपोर्ट 2018-19, इंड एस के प्रावधानों के साथ विधिवत समेकित 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लेखापरिक्षित वित्तीय विवरणों सहित इस पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ और सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँ। आपकी अनुमति से, मैं इसे पढ़ा हुआ मान लेता हूँ। मोटे तौर पर, विस्तृत कार्य निष्पादन विशिष्टताएं निम्नानुसार हैं:-

1- dk Zfu"i knu fof' k'Vrk &&

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वित्त, वर्ष 2018-19 के दौरान आपके निगम ने परिचालनों से पहली बार राजस्व का 04 अंकों का आंकड़ा पार किया है, जो रु. 1158.50 करोड़ तथा कुल आय रु. 1180.72 करोड़ रही। कर पूर्व लाभ (पीबीटी) रु. 47.80 करोड़ तथा कर पश्चात लाभ (पीएटी) रु. 41.32 करोड़ रहा। वर्ष के दौरान, आपके निगम की लेखा नीति के अनुसार, सरकारी देनदारों के खिलाफ रु. 52.00 करोड़ की सीमा तक संदिग्ध ऋणों का प्रावधान किया गया है अन्य था कर पूर्व लाभ रु. 99.80 करोड़ होता। यद्यपि प्रावधान किया गया है, निकट भविष्य में वसूली अपेक्षित है। यह प्रदर्शन विभिन्न उत्पादन व विपणन पहलों सहित अनुकूल जलवायु परिस्थितियों का परिणाम है।

मशीनीकरण और सिंचाई तथा अन्य ढांचागत विकास की सतत प्रक्रिया के कारण वर्ष के दौरान फार्मों के प्रदर्शन में भी सुधार हुआ है जिसके अंतर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान रु.12.96 करोड़ खर्च किए गए थे। वर्ष 2018-19 के दौरान फार्मों का संयुक्त कर पूर्व लाभ पिछले वर्ष के रु. 18.53 करोड़ से 112.52% की बढ़ोत्तरी के साथ वर्ष 2018-19 के दौरान रु. 40.23 करोड़ हो गया है।

विगत वर्ष की तुलना में लाभ में वृद्धि के कारण, प्रति इक्विटी शेयर कमाई (रु. 1000/- प्रत्येक का अंकित मूल्य) वर्ष 2017-18 के दौरान 435.71 से वर्ष 2018-19 के दौरान 720.85 हो गई है।

- इक्विटी शेयरों के संबंध में, पूरी तरह चुकता रु. 1000/- प्रत्येक के, 573199 इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित हैं, इसलिए आपकी कंपनी का कुल इक्विटी आधार पिछले वर्ष की भांति रु. 573.99 लाख रु. पर स्थिर रहा।
- निगम की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बीजों और एलसी सीमा सहित सीसी सीमा रु. 75.90 करोड़ रही। वर्ष के दौरान, निगम ने पिछले वर्ष में रु.445.50 लाख की तुलना में रु. 581.45 लाख का ब्याज और अन्य उधार लागतों का भुगतान किया है। इस वृद्धि का कारण, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की ओर से भुगतान जारी करने में हो रही देरी की वजह से लंबे समय तक कैश क्रेडिट तथा अल्पावधि ऋण का उपयोग करना है। हालांकि, कम ब्याज दरों पर अल्पावधि ऋण लेने पर फोकस करके ब्याज को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए।
- आपको ज्ञात ही है कि आपके निगम ने एनएसपी के तहत विभिन्न राज्य बीज निगमों के इक्विटी और वरियता शेयरों में निवेश किया है और यह 31.03.2019 तक बुक्स के अनुसार 3684.65 लाख था। वृद्धि, इंड एस प्रावधानों के अनुसार फेयर वेल्यू 3 कान्सेप्टन के तहत पांच गैर सहयोगी कंपनियों के शेयरों के मूल्यांकन के कारण हुई है। इसमें से रु. 106.38 लाख के बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के शेयरों की कीमत में कमी के लिए, प्रावधान वर्ष 2013-14 के दौरान कर लिए गए थे। ऐसी कुछ कंपनियों से वर्ष 2018-19 के दौरान रु. 33.65 लाख का कुल लाभांश प्राप्त किया गया।

2- dáuh ds l fkr foUkr ifj. ke bl çdkj g&&

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने ब्याज, मूल्यहास और कर पूर्व सकल मार्जिन में रु. 5334.86 लाख के स्थान पर रु. 7203.25 की बढ़ोत्तरी के साथ 35.02% की वृद्धि हासिल की है। अन्य 5 व्यापक आय को छोड़कर कर पश्चात लाभ भी वर्ष 2017-18 के दौरान रु. 2497.50 लाख से बढ़कर वर्ष 2018-19 के दौरान रु. 4131.93 लाख रहा जो 65.44% की वृद्धि है तथा कुल व्यापक आय वर्ष 2018-19 के दौरान 2624.19 लाख से बढ़कर 2018-19 में 4345.74 लाख रही जिसमें 65.60% की बढ़ोत्तरी हुई।

आपके निगम का निवल मूल्य 31.3.2018 को रु. 60045.57 लाख की तुलना में 31.03.2019 को रु. 63361.70 लाख था।



FROM THE DESK OF CMD, NSC

2nd ADJOURNED 56th ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Shareholders,

On behalf of Board of Directors of National Seeds Corporation Limited, I warmly welcome all the esteemed Shareholders at this Adjourned 56th Annual General Meeting of your Corporation.

For want of CAG Comments, the Meeting scheduled earlier could not be materialised and now after receipt of CAG Comments, I am placing herewith the Annual Report 2018-19, the Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2019 duly complied with the provisions of Ind-AS along with Reports of Directors and Auditors thereon and Comments of Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the Financial Statements and Statutory Auditors Report. With your permission I assume the same as read. Nonetheless I submit herewith the highlights of the Financial Statements as under:-

1. PERFORMANCE HIGHLIGHTS:-

To begin with I am glad to inform that during the Financial Year 2018-19, your Corporation has first time crossed the 4 digit figure of Revenue from operations, which stood at Rs. 1158.50 Crores and the total income of Rs. 1180.72 Crores. The Profit Before Tax (PBT) ended up at Rs. 47.80 Crores and Profit After Tax (PAT) at Rs. 41.32 Crores. During the year, a provision for doubtful debts to the extent of Rs. 52.00 Crores against Government Debtors has been made in the Accounts, as per the Accounting Policy of your Corporation. Otherwise the PBT would be Rs. 99.80 Crores. Though provision is made, the realizations are expected in near future. The favourable agro-climatic conditions along with various Production & Marketing initiatives during the year have resulted in such performance.

The performance of the Farms has also improved during the year due to continuous on-going process of mechanization and irrigational and other infrastructural developments under which capitalization worth Rs. 12.96 Crores was spent during 2018-19. Profit before tax for the Farms combined during the year 2018-19 has increased by 112.52% from Rs. 18.93 Crores during the previous year to Rs. 40.23 Crores during the year 2018-19.

Due to the increase in profit compared with previous year, the Earning per Equity Share (of face value of Rs.1000/- each) has been increased from Rs. 435.71 during the year 2017-18 to Rs. 720.85 during the year 2018-19.

- Regarding Equity Shares, 573199 Equity Shares of Rs. 1000/- each fully paid up remained held by the President of India. Thus the total Equity Base of your Corporation continued to be at Rs. 5731.99 Lakhs as in previous year.
- Your Corporation is having sanctioned Cash Credit (CC) Limit of Rs. 75.00 Crores from the State Bank of India including BG and LC limits. During the year, the Corporation has paid an interest and other borrowing costs of Rs. 581.45 Lakhs in comparison to Rs. 445.50 Lakhs in the previous year. The increase is due to utilization of cash credit and short term loans for longer duration as payments realisation from GOI and State Governments are delaying. However, all efforts were made to minimize the interest by focusing on short term loan with less interest rate.
- You are aware that your corporation has also made investments in Equity and Preference shares in various State Seeds Corporations under NSP and as on 31.03.2019, it was Rs. 3684.65 Lakhs as per books. However the actual amount invested was Rs. 901.88 Lakhs. The increase is due to valuation of five Non-Associate Companies Shares under Fair Value Concept as per Ind-AS provisions. Out of which provision for diminution in value of shares of Rs. 106.38 Lakhs of Bihar Rajya Beej Nigam Limited has been made during the year 2013-14. A total dividend of Rs. 33.65 lakhs was received during the year 2018-19 from few of such Companies.

2. THE FINANCIAL RESULTS OF THE COMPANY IN BRIEF ARE AS FOLLOWS:

During the year, your Corporation has achieved an increase of 35.02 % in gross margin before interest, depreciation and tax from Rs. 5334.86 Lakhs to Rs. 7203.25 Lakhs. The Profit after tax excluding other comprehensive income has also increased from Rs. 2497.50 Lakhs during 2017-18 to Rs. 4131.93 Lakhs during 2018-19 which is 65.44% increase and total Comprehensive profit from Rs. 2624.19 Lakhs in 2017-18 to Rs. 4345.74 Lakhs in 2018-19 which is 65.60% increase.

The Net worth of your Corporation as on 31.03.2019 was Rs.63361.70 Lakhs as compared to Rs. 60045.57 Lakhs as on 31.03.2018.

वर्ष के दौरान निगम ने प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों की बिक्री के परिणामस्वरूप रु. 100824 लाख का टर्नओवर हासिल किया है जो पिछले वित्तीय वर्ष से 42.42% अधिक है। यह वृद्धि, अनाज में 64.76%, तिलहन में 53.93%, दलहन में 45.82%, चारा में 91.75%, रेशा में 7.59% तथा सब्जी बीजों में 8.40% की बिक्री (मूल्यवार) में वृद्धि के परिणामस्वरूप हुई है।

वर्ष के दौरान, टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में चौनलवार बीज की बिक्री, सरकारी ऐजेंसियों के साथ 54.17% तथा गैर सरकारी ऐजेंसियों के साथ 45.83% थी, जोकि पिछले वर्ष की बिक्री की तुलना में क्रमशः 56.55% तथा 43.45% थी। हम गैर सरकारी बिक्री बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

आपकी कंपनी द्वारा एनएमओओपी के तहत तिलहन तथा एनएफएसएम के तहत दलहन के मिनिक्टों की आपूर्ति को वर्ष 2017-18 की तुलना में 2018-19 में बढ़ावा दिया गया है।

आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष में 23 की तुलना में 2018-19 के दौरान भारत सरकार की ओर से 36 नई निजी बीज कंपनियों/डीलरों को अन्य देशों से आयात/निर्यात के लिए आयात पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए हैं।

अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपके निगम ने नए प्रयास किए हैं जिनमें गतिविधियों का विविधीकरण शामिल है। वर्ष के दौरान निगम ने 519.80 विव. चारा ब्लॉक तथा 34.20 लाख (संख्या में) मछली के बीज बेचे थे।

निगम सभी प्रकार के बीजों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की कोशिश कर रहा है, ताकि किसानों को उचित मूल्य पर बीज उपलब्ध करवाया जा सके। किसानों के उत्पादन की लागत को कम करने के लिए इस दिशा में सभी प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों की जागरूकता के लिए किसानों के खेतों पर प्रदर्शन, डीलरों का विकास तथा विभिन्न अभियान भी आयोजित किए जा रहे हैं।

3- यल्लल%

वर्ष 2018-19 के लिए, निदेशक मंडल ने लाभांश के रूप में कर पश्चात् लाभ के 30% के भुगतान की सिफारिश की है। इस संबंध में, हमने प्रशासनिक मंत्रालय से कर पश्चात् लाभ का 30% या निवल मूल्य का 5% जो भी अधिक हो, के भुगतान के लिए लागू दिशानिर्देशों पर डीआईपीएएम से आपकी कंपनी हेतु छूट की मांग के लिए अनुरोध किया है।

4- Je 'kã <lpk et cw cukus vls deplj; kãk eukcy c<kus rFlk mudh rdudrh dlsky fLFkr dsmlü; u l akh mi k %

वर्ष 2018-19 के दौरान, निगम के पास अधिकृत स्टॉफ संख्या 2026 से घटाकर 1224 है। बीज उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, तकनीकी गैर तकनीकी स्टॉफ का अनुपात 73:27 से बढ़कर 84:16 हो गया है। आगे, निगम के सुचारु और कुशल संचालन के लिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पेशेवर प्रबंधन प्रशिक्षु/व.प्रशिक्षु/प्रशिक्षुओं की भर्ती की गई है। निजी बिक्री बढ़ाने के लिए अलग विपणन केंद्र भी विकसित किया गया है।

• çf' k/k l&

निगम की रचनात्मकता तथा उत्पादकता को बढ़ाने हेतु संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों के व्यवसायिक कौशल को बढ़ाने के लिए उनके प्रशिक्षण हेतु एक केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाया गया। इसके अंतर्गत इस वर्ष के दौरान बाहरी व आंतरिक दोनों स्रोतों से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विवरण निदेशकों की रिपोर्ट से देखे जा सकते हैं।

• jkt Hk'lk dk lzb; u%

आपका निगम निर्धारित समयानुसार प्रशिक्षण, कार्यक्रम, कार्यशालाएं, बैठकें आदि आयोजित करके राजभाषा हिन्दी को भी यथोचित बढ़ावा दे रहा है। निगम में 14.9.2018 से 28.09.2018 तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया वर्ष में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय व संसदीय राजभाषा समिति ने केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ, सरदारगढ तथा जैतसर व मुख्यालय का राजभाषा निरीक्षण किया तथा निगम में राजभाषा कार्यान्वयन के अनुपालन से संतुष्ट हुए।

5- vuq akku , oafockl xfrfof/k l&

कृषि क्षेत्र के लिए अनुसंधान एवं विकास का मुख्य मंडट राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के साथ है, हालांकि, किसानों के लाभ के लिए उपयुक्त फसलों और किस्मों के बीजों का चयन और वृद्धि करने के लिए नियमित रूप से प्रमुखता दी जा रही है। बीज शृंखला में जैविक और अजैविक तनाव सहिष्णु किस्मों को शामिल करने पर भी जोर दिया जा रहा है। पोषक तत्वों की विभिन्न किस्मों को शामिल करने के अलावा पोषण सुरक्षा के लिए जैव गढ़वाली किस्मों को भी बीज शृंखला में शामिल किया जा रहा है।

6- u&fed l lekft d mljnk; Rb xfrfof/k l&

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनिवार्य प्रावधानों के अनुपालन हेतु रा.बी.निगम ने विभिन्न सीएसआर गतिविधियों को शुरू किया है, जो निदेशकों की रिपोर्ट में देखा जा सकता है।

During the year your Corporation has achieved the turnover on account of sale of certified/ quality seeds of Rs. 100824 Lakhs which is an increase of 42.42% from the previous financial year. This increase is due to increase in sales (in terms of value) of Cereals by 64.76%, oilseeds by 53.93%, pulses by 45.82%, fodder by 91.75%, fibre by 7.59% and vegetable by 8.40%.

During the year, Channel wise Seed sale as percentage of turnover was 54.17% to the Government Agencies and 45.83% to the non-Government Agencies as compared to sale in previous year which was 56.55% and 43.45% respectively. Working towards increasing the non-Government Sale.

The supply of Minikits of Oil Seeds under NMOOP and Pulses under NFSM was increased by your Corporation during the year 2018-19 in comparison to 2017-18.

Your Corporation has issued import registration certificates on behalf of Government of India during year 2018-19 to 36 new private seed companies/ dealers for import/ export of seeds from other countries as compared to 23 in the previous year.

In order to achieve its targets your Corporation has taken new endeavours which comprises of diversification of activities. During the year Corporation had sold 519.80 qtls. of fodder blocks and 34.20 lakh (in numbers) fish seeds.

The Corporation is trying to make its presence in all kinds of seeds, so that the seeds are made available to the farmers at reasonable price. All efforts are being made towards this direction to reduce cost of production of farmers. Arranging demonstration in farmers field, dealers development, various campaign for farmers awareness are also being organized.

3. DIVIDEND:

For the year 2018-19, the Board recommended payment of 30% of PAT as Dividend. For this request has been made before administrative Ministry to seek exemption for your Corporation from the DIPAM on the guidelines for payment of Dividend @ 30% of PAT or 5% of Networth whichever is higher.

4. STEPS FOR STRENGTHENING THE MANPOWER SET-UP AND EMPLOYEES RELATED MEASURES FOR BOOSTING THEIR MORALE AND UPGRADING THEIR TECHNICAL SKILL STATUS:

During the year 2018-19, your Corporation has sanctioned staff strength of 1224 which has been reduced from 2026. Further to ensure quality of seed production, the ratio of Technical: Non-Technical manpower is increased to 84:16 from 73:27. Further number of professional Management Trainees/ Senior Trainees/ Trainees have been recruited during the year under review for smooth and efficient running of Corporation. Separate Marketing Cadre also developed to increase Private Sales.

• Training:-

A focused approach was adopted to train the Officers/ Employees/ Trainees of the Organization for improving their professional skills to enhance creativity and productivity of the organization. Under this several training programmes both in house and from external sources were organized during the year. Details may be seen from Directors' Report.

• Impetus to Hindi:-

Your Corporation is continuing giving due recognitions for Rajbhasha Hindi by conducting all the prescribed periodical trainings, programmes, Workshops, Meetings etc. The 'Hindi Pakhwara' organized from 14.09.2018 to 28.09.2018 in your Corporation. During the year a MOA&FW and Parliamentary Committee on official language had also inspected CSF, NSC Suratgarh, Sardargarh and Jetsar Farms and Head office and were satisfied with compliance of official language implementation in Corporation.

5. R&D ACTIVITIES:-

As main mandate of R&D for agriculture sector is with National Agriculture Research System, however, regular emphasis is being given to select and multiply the seed of suitable crops & varieties for the benefit of farmers. Emphasis is also being given to include biotic & abiotic stress tolerant varieties in the seed chain. To ensure nutritional security bio fortified varieties are also being included in seed chain in addition to inclusion of various varieties of nutri cereals.

6. CSR ACTIVITIES:-

To comply with mandatory provisions of Companies Act, 2013, your Corporation has taken up various CSR activities as may be seen from Directors' Report.

7- 1 e>lk k Kk u eW; kdu%

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए समझौता ज्ञापन मूल्यांकन अभी तक प्रतिक्षित है, जो "उत्कृष्ट" होने की उम्मीद है। यद्यपि वर्ष 2017-18 के लिए आपके निगम का प्रदर्शन लोक उद्यम विभाग द्वारा "अच्छा" घोषित किया गया है।

8- QkeZdh mRi kndrk c<kuse al gk d xfrfof/k l%

- निगम के फार्मों पर बीजों में बहुलीकरण हेतु बीज की अनुवांशिक शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए आधारीय बीजों का सतत उत्पादन किया जाता है।
- फार्मों पर नर्सरियों में फल फसलों की पौधों-सिटरस, अमरुद, अनार, आम आंवला आदि के फूलों और वानिकी का उत्पादन किया जा रहा है।
- निगम अपने आउटलेट्स पर अंडरसाईज अनबिके बीजों आदि से तैयार गेहूँ का आटा, बासमती चावल, सरसों तेल, काबुली चना आदि सहित मूल्य वर्धित उत्पादों की बिक्री कर रहा है।
- व्यावसायिक विविधता की ओर एक कदम के रूप में आपके निगम ने संवर्धित चारा ब्लॉक तथा मछली के बीजों का विपणन किया है।
- कृषि कार्यों को ओर अधिक सुगमता से संपन्न करने के लिए आपके निगम ने अपने संसाधनों से इलैक्ट्रॉनिक पीटलेस टाईप लॉरी वेहब्रिज और पुरानी मशीनों को प्रतिस्थापित किया है।
- प्रत्येक फार्म पर मोबाईल/प्री-क्लीनर्स की मदद से उपज की शुष्क और प्रारंभिक सफाई की जा रही हैं।
- नहरों के पानी के पूरक के रूप में सूरतगढ, सरदारगढ और जैतसर फार्मों पर नहरों के किनारे 14 गहरे नलकूप स्थापित किए गए हैं।
- जल भंडारण टैंकों का निर्माण किया गया और कुल 1962 हैक्टेयर क्षेत्रफल में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई है।
- निगम ने अपनी मशीनों का इस्तेमाल करके अकृष्य भूमि को कृष्य बनाने हेतु एक गहन कार्यक्रम शुरू किया है और इसके अंतर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान 250 हैक्टेयर क्षेत्र को साफ और विकसित किया गया।
- उपज के साथ-साथ लागत बचत के लिए पोषक तत्वों की कोटिंग हेतु आपकी कंपनी में कुछ फार्मों सहित विभिन्न। इकाईयों पर 19 बीज कोटिंग मशीनें स्थापित की गई हैं।

9- {k-lr dk l% ; k c{ks- dk l% ; k, oaQkeZdh dk Z. klyl%

वर्तमान में आपके निगम के पास उपयुक्त स्थानों पर उत्पादन और विपणन केंद्रों के अलावा 08 फार्म, हाल ही में शुरू किए गए गांधीनगर कार्यालय सहित 11 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 65 प्रक्षेत्र कार्यालय हैं। क्षेत्रीय और प्रक्षेत्र कार्यालय उत्पादकों के माध्यम से बीज उत्पादन, बीजों की खरीद और अंत में इसे प्रमाणित या टी/एल बीजों के रूप में पैक करने का कार्य कर रहे हैं। उच्च उत्पादकता और फसलों की अन्ध वांछनीय विशेषताओं को सुनिश्चित करने के लिए नई किस्मों के उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गुणवत्ताब के साथ-साथ समय पर प्रसंस्करण और प्रमाणन सुनिश्चित करके बीजों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है।

आपके निगम ने वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न फसलों की 26 नई किस्मों को भी बढ़ाया है। एनएससी की 04 गुणवत्ता व नियंत्रण प्रयोगशालाएं हैं और क्षेत्र स्तर पर बीजों की गुणवत्ता संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए उचित तंत्र है।

10- Hksh -f"Vdks k

- (i) राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी हुई वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए, रा.बी.नि के पास अपने कारोबार के लिए राष्ट्रीय परिदृश्य में भावी विकास संभावनाएं हैं इसलिए मैं आने वाले वर्षों में रा.बी.नि के संदर्भ में निरंतर विकास दर की उम्मीद करता हूँ।
- (ii) आपका निगम उत्पाद मिश्रण में बदलाव कर रहा है और किसानों को उचित मूल्य पर सब्जी बीजों की आपूर्ति के लिए सब्जी बीज व्यवसाय को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- (iii) सरकार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपका निगम कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए तैयारी कर रहा है।
- (iv) आपका निगम तिलहन और दलहन के उत्पादन में वृद्धि हेतु दलहन व तिलहन के बीजोत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि आयात पर निर्भरता कम हो सके।
- (v) आपका निगम कम लागत पर उच्च पैदावार प्राप्त करने हेतु मौसम पुर्वानुमान और फसल संरक्षण के क्षेत्र में उच्च तकनीकी युक्त होने के लिए योजना बना रहा है।
- (vi) पानी की कमी को देखते हुए आपका निगम बड़े क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में सुधार और विस्तार के लिए प्रयास कर रहा है।

7. MOU RATING:

The MOU rating for Financial Year 2018-19 is still awaited which is expected to be 'Excellent', however the MOU performance of your Corporation for 2017-18 has been adjudged as "Good" by DPE.

8. SUPPORTING ACTIVITIES TO INCREASE THE PRODUCTIVITY OF THE FARMS.

- At the Farms of the Corporation sustainable production of Foundation seed is undertaken to ensure genetic purity of seed for further multiplication.
- Sapling of Fruit Crops- Citrus, Guava, Pomegranate, Mango, Aonla etc., Flowers and Forestry are being produced in Nurseries at the Farms.
- Value added products including wheat flour, basmati rice, mustard oil, kabuli chana etc. produced from undersized, unsold seeds etc are being sold from outlets of your Corporation.
- As a step toward business diversity, your Corporation has marketed enriched fodder block and fish seeds.
- In order to facilitate agriculture operations more affectively, your Corporation has provided electronic pitless type lorry weighbridges & replaces old machinery out of its own resources.
- Drying & Preliminary cleaning of produce is being done with the help of mobile/ pre- cleaners at each Farm.
- To supplement with canal water, 14 deep tube wells have been installed along the bank of canals at Suratgarh, Sardargarh and Jetsar Farms.
- Water storage tanks were constructed and micro irrigation systems have been installed in total area of 1962 Ha.
- Corporation has taken an intensive programme to bring the uncultivable land into use at Farms with own machineries and in this way an area of 250 Ha was cleared and developed in 2018-19 for cultivation.
- 19 Nos. Seed Coating Machines have been installed in various Units of your Corporation including few Farms for coating nutrients for cost saving as well as to increase yield.

9. WORKING OF THE REGIONAL OFFICES, AREA OFFICES & FARMS:-

Presently your Corporation is having 8 Farms, 11 Regional Offices including Gandhinagar started recently and 65 Area Offices in addition to Production and Marketing Centres at suitable places. Regional and Area Offices are performing the function of production of seeds through growers, procuring of seeds and finally packing it as certified or T/L seeds. The focus is to produce high quality seed of new varieties for ensuring higher productivity and other desirable crops attributes. Alongwith quality, timely availability of seed is also being ensured by ensuring timely processing & certification.

Your Corporation has also added 26 new varieties of different crops during the year 2018-19. NSC has 4 Quality Control Laboratories and has proper mechanism to redress the quality complaints of seeds at field level.

10. FUTURE OUTLOOK

- (i) In view of the National level increased growth rate, NSC would have future growth prospects in the National context for its business. Therefore I expect a continued growth rate in the context of NSC in the years to come.
- (ii) Your Corporation is also changing product mix and is concentrating to increase vegetable seed business to supply different vegetable seeds to the Farmers at reasonable price.
- (iii) In order to fulfil the Government's objective, your Corporation is also preparing for skill development in agriculture and related areas.
- (iv) Your Corporation is focusing on production of seed of Pulses & Oil seeds to increase the production of oil seeds & Pulses so that dependency on import is reduced.
- (v) Your Corporation is also planning to go high-tech towards weather forecast and crop protection to have high yield at low cost.
- (vi) While looking to the shortage of water your Corporation is making endeavors to improve and extend Micro Irrigation System in large area.

- (vii) एनटीपीसी के सहयोग से केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर में 160 मेगावट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु परियोजना बनाई गई है। इस परियोजना को मंत्रालय स्तर पर अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- (viii) आपके निगम ने वर्ष 2019-20 के दौरान 430 हैक्टेयर अनुपयोगी बंजर भूमि को खेती योग्य भूमि में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा है।
- (ix) आपके निगम द्वारा एनएससी भुवनेश्वर पर 10 लाख पौधों से अधिक की क्षमता बढ़ाकर ऊतक संवर्धन उत्पादन का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रकार कुल क्षमता 20 लाख पौधे (प्लांटलेट्स) हो जाएंगी।
- (x) निगम की संपूर्ण प्रक्रिया को कवर करने के लिए, आपका निगम ईआरपी कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है तथा इसे 2020-21 तक लागू करने का अनुमान है। पारदर्शिता व वास्तविक टाईम डाटा की उपलब्धता से पूर्ण कार्यप्रणाली बदलना अपेक्षित है।

11- वुक्कु igy%

- i. वर्ष 2018-19 के दौरान आपका निगम लोक उद्यम विभाग के कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देश 2010 के अनुपालन में बोर्ड में एक महिला निदेशक सहित पेशेवर रूप से योग्य और प्रख्यात कार्यकारी/गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों के उपयुक्त समिश्रण द्वारा प्रबंधित किया गया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर अन्य दिशानिर्देशों का भी विधिवत अनुपालन किया जा रहा है। आपके निगम को नैगमिक शासन के मामलों में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा 'उत्कृष्ट' श्रेणी प्रदान की गई है।
- ii. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और अनुसंधान व विकास के लिए निगम, बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। चूंकि अनुसंधान एवं विकास राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली का जनादेश है, इसलिए एनएससी इस प्रणाली द्वारा जारी अच्छी किस्मों की जांच कर रहा है और किसानों को उपलब्ध करवाने के लिए इनकी वृद्धि कर रहा है। हालांकि अनियंत्रित कारणों से कुछ गतिविधियों में देरी हुई है। सीएसआर की शेष राशि को अगले वर्ष खर्च किया जाएगा। सीएसआर बजट का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर जनता के लाभ हेतु विभिन्न अनुमोदित उद्देश्यों के लिए भी किया गया है। एनएससी, एमएसएमई अधिनियम और अन्य लागू कानूनों का भी अनुपालन करता है। इसके अतिरिक्त, निगम में अन्य समितियाँ जैसे संचालन समिति, शिकायत समिति आदि हैं। बोर्ड द्वारा गठित जोखिम प्रबंधन समिति में उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए जोखिम के क्षेत्रों की समीक्षा शुरू कर दी गई है। निष्कर्षतः निगम अपने ऊपर लागू सभी दिशानिर्देशों, लागू कानूनों आदि का पूर्ण अनुपालन कर रहा है।

12- vkkj%

मैं इस अवसर पर आदरणीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, आदरणीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव, अपर सचिव, सयुक्त सचिव एवं अन्य अधिकारियों और उनके मातहत कार्यालयों/निदेशालयों का उनके महत्वपूर्ण मार्गदर्शन व सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं, सचिव, डीएआरई/डीजी, आईसीएआर तथा आईसीएआर के अंतर्गत सभी संस्थानों और सभी राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को भी पैतृक सामग्री उपलब्ध करवाने में सहायता प्रदान करने हेतु कृतज्ञ हूँ। मैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सांविधिक एवं शाखा लेखा परीक्षकों के समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए उनका भी धन्यवाद करता हूँ।

मैं श्रेयधारकों तथा प्रबंधन की ओर से बैंकरों, उपभोक्ताओं, हितधारकों को भी निगम के प्रति उनके निरंतर समर्थन, विश्वास और सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं निदेशक मंडल के माननीय सदस्यों और दोनों ही निगम के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, जिन्होंने ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रबंधन को हर संभव मार्गदर्शन एवं समर्थन प्रदान किया है, के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ एवं दिल से प्रशंसा करना चाहता हूँ। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ऐसे समर्पित और मेहनती कार्मिकों के साथ किसानों व अन्य माननीय हितधारकों के बहुमूल्य समर्थन से आपका निगम आने वाले वर्षों में और अधिक ऊचाईयों पर पहुंचेगा और मील का पत्थर साबित होगा।

श्री कृष्ण चंद्र खन्ना

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 20 दिसम्बर, 2019

*यह आस्थगित 56 वीं वार्षिक साधारण सभा की कार्यवाही का हिस्सा नहीं है।

- (vii) The project for establishment of 160 MW Solar Power plant at CSF Jetsar in association with NTPC. The project is under finalization stage at Ministerial level.
- (viii) Your Corporation has targeted to achieve conversion of 430 Ha uncultivable waste land to cultivable land during the year 2019-20.
- (ix) Your Corporation is proposed to extend Tissue Culture production at NSC, Bhubaneswar by adding more 10 Lakhs plantlets capacity. Thus the total capacity will be 20 Lakhs plantlets.
- (x) Your Corporation is in the process of implementing ERP to cover entire process of the Corporation and is estimated for implementation from 2020-21. The entire working system is expected to be changed due to transparency and real time data availability.

11. COMPLIANCE ASPECTS:

- (i) During the year 2018-19 your Corporation was managed by appropriate mix of professionally qualified and eminent Executive and non- executive/ Independent Directors, including one Woman Director on the Board in compliance with the Corporate Governance Guidelines, 2010 of DPE. Other Guidelines on Corporate Governance are also being duly complied with. Your Corporation is graded as “Excellent” by the Government in the matter of compliance of Corporate Governance during Financial Year 2018-19.
- (ii) Regarding Corporate Social Responsibilities (CSR), Corporation is performing well by attending the achievement of targets as fixed by the Board. However, due to some reasons beyond our control, few activities are being got delayed. The unspent amount of CSR will be spent in next year. CSR Budget was utilized for various permissive purposes for the cause of benefit of the public at large. NSC is also complying with MSME Act and other applicable laws. In addition there are other Committees like Steering Committee, Grievance Committee etc. in the Corporation. The Risk Management Committee constituted by the Board is reviewing the risk areas for taking remedial actions. To conclude, the Corporation is fully complying with all the applicable Laws, DPE Guidelines including Corporate Governance Guidelines which were applicable to it.

12. ACKNOWLEDGMENT:

I would like to take this opportunity to place my sincere thanks to the Hon'ble Minister for Agriculture and Farmers Welfare, the Hon'ble Minister of State for Agriculture, the Secretary, the Addl. Secretary, the Joint Secretary and other Officers in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and its subordinate Offices/Directorates. I am also thankful to the Secretary, DARE/DG, ICAR and all Institutes under ICAR and all State Agricultural Universities for their support in providing the parental material. I am also grateful to the Comptroller and Auditor General of India, the Statutory and the Branch Auditors of the Corporation for their support and guidance.

On behalf of the Shareholders and Management, I also convey my sincere thanks to the Bankers, Customers and other Stakeholders, for their continued support, confidence and trust bestowed upon your Corporation. I would also like to extend my gratitude and high appreciation towards my esteemed colleagues on the Board and to all the Officers and staff of the Corporation who have provided every possible guidance, support and assistance to the Management in achieving the targets. I have a strong belief that with such dedicated and hardworking workforce coupled with valuable support of our Farmers and other esteemed stakeholders in & enlarged, Corporation will establish further high ups and milestones in the years to come.

(Vinod Kumar Gaur)

Chairman-cum-Managing Director

Place: New Delhi

Dated: 20 December 2019

* This does not purport to be a part of the proceedings of Adjourned 56th Annual General Meeting.

संशुद्धि रिपोर्ट

संशुद्धि रिपोर्ट

आपके निदेशक 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए आपके निगम के व्यवसाय तथा कार्यकलापों पर निगम के इंड एएस के तहत तैयार किए गए लेखा परिक्षित वित्तीय विवरणों सहित अपनी 56 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लेखे वैधानिक आवश्यकतानुसार इंड एएस के तहत तैयार किए गए हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के कार्य-परिणाम पिछले वर्ष के आंकड़ों के साथ नीचे दिए गए हैं:-

1. संशुद्धि रिपोर्ट

एनएससी को वर्ष 1963 में, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) द्वारा विकसित की जा रही नई किस्मों के बीजों को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। एनएससी में एस.एफ.सी.आई के सम्मेलन के बाद जैसे कि 01.04.2014 से, इसने अपने को बीज उत्पादन कंपनी से एक कंपनी के रूप में स्थानांतरित कर दिया है, जो अपने फार्मों पर गुणवत्ता बीज उत्पादन की सभी गतिविधियों के साथ-साथ फसल उत्पादन की नई तकनीक का भी निष्पादन कर रही है।

2. संशुद्धि रिपोर्ट; वित्तीय विवरण, आंकड़े

निगम का वित्तीय वर्ष 2018-19 के कार्यशील परिणाम पिछले वर्ष के आंकड़ों के साथ नीचे दिए जा रहे हैं:-

(i) संशुद्धि रिपोर्ट

(राशि रु. लाख में)

विवरण	2018&19	2017&18
परिचालन से राजस्व	115850.42	81584.04
अन्य आय	2221.23	2570.94
योग	118071-65	84154-98
[व्यय]		
उपभोग की सामग्रियों की लागत	3073.80	2661.92
व्यापारगत माल की खरीद	70255.96	72172.36
तैयार माल, प्रक्रियाधीन माल तथा व्यापारगत माल की अनुसूची में परिवर्तन	8862.90	(18356.55)
कार्मिकों के लाभ के लिए किए गए खर्च	13461.38	14077.07
वित्तीय लागत	581.45	445.50
अन्य खर्च	15530.04	9801.52
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	1841.90	1852.35
योग	113607-43	82654-17
असाधारण मदें	4464-22	1500-81
असाधारण मदें	315.68	1536.20
योग	4779-90	3037-01
वर्ष के लिए लाभ		
वर्ष के लिए लाभ	2050.00	400.00
पिछले वर्ष के लिए चालू कर (निविल)	145.48	-
आस्थगित कर	(1547.51)	139.51
योग	647-97	539-51
अन्य व्यापक आय	4131-93	2497-50
अन्य व्यापक आय	213.81	126.69
वर्ष के लिए लाभ	4345-74	2624-19

DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

Your Directors have the pleasure in presenting the Fifty Sixth (56th) Annual Report on the performance and business operations of your Corporation together with the audited Financial Statements of the Corporation for the Financial Year ended March 31st, 2019.

1. CORPORATE OVERVIEW:

NSC was incorporated in the year 1963 with a mandate to multiply the seeds of the new varieties being bred by National Agriculture Research System (NARS). After merger of SFCI with NSC w.e.f. 01.04.2014, it has transferred itself from being Seed Producing Company to a Company showcasing all the activities of quality seed production in its Farms as well as demonstrating new technology of crop production.

2. FINANCIAL HIGHLIGHTS AND SUMMARY:

The working results of your Corporation for the Financial Year 2018-19 are given as below along with the figures for the previous year:

a) Working results

(Amount Rs. in Lakhs)

Particulars	2018-19	2017-18
INCOME:		
Revenue from Operations	115850.42	81584.04
Other Income	2221.23	2570.94
Total	118071.65	84154.98
EXPENSES :		
Cost of materials consumed	3073.80	2661.92
Purchases of Stock-in-Trade	70255.96	72172.36
Changes in biological assets and inventories of finished goods, stock-in-trade and work in progress.	8862.90	(18356.55)
Employee Benefits Expense	13461.38	14077.07
Finance costs	581.45	445.50
Other Expenses	15530.04	9801.52
Depreciation and amortization expenses	1841.90	1852.35
Total	113607.43	82654.17
Profit Before exceptional items and tax	4464.22	1500.81
Exceptional items	315.68	1536.20
Profit Before Tax	4779.90	3037.01
Tax expense:		
Current Tax For the year	2050.00	400.00
Current Tax for earlier years (net)	145.48	---
Deferred Tax	(1547.51)	139.51
Total Tax Expense	647.97	539.51
Profit for the year	4131.93	2497.50
Other Comprehensive Income	213.81	126.69
Total comprehensive Income for the period (Comprehensive Profit and other comprehensive income for the period)	4345.74	2624.19

वित्तीय वर्ष 2018-19, कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल था, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018-19 में परिचालन से रुपये 115850.42 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि वर्ष 2017-18 में रुपये 81584.04 लाख था। इस प्रकार इस वर्ष राजस्व में 42% की वृद्धि हुई। इस वर्ष कर पूर्व लाभ रुपये 4779.90 है, जबकि पिछले वर्ष रुपये 3037.01 लाख था। इस प्रकार वर्ष के दौरान लाभ में 57.39% की वृद्धि हुई।

1/4) वर्ष 2018-19 के दौरान, निगम ने कुल आय रु. 118071.65 लाख अर्जित की जबकि पिछले वर्ष निगम की कुल आय रु. 84154.98 लाख थी। इस प्रकार आय में 40.30% की वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2018-19 के दौरान ब्याज, मूल्यहास एवं कर से पूर्व सकल मार्जिन रु. 7203.25 लाख रहा, जबकि वर्ष 2017-18 में रु 5334.86 लाख था। इस प्रकार इसमें 35.02% की वृद्धि दर्ज की।

1/2) i w lkr l jpu k%

31 मार्च, 2019 तक, निगम की चुकता शेयर पूंजी 5731.99 लाख रुपये थी, जिसमें 1000 रुपये के 573199 इक्विटी शेयर शामिल थे और निगम के 100% शेयर भारत के राष्ट्रपति के पास हैं।

अन्य इक्विटी रु. 56589.36 लाख से बढ़कर रु. 60047.89 लाख हो गई हैं। वर्ष के दौरान संयंत्र एवं मशीनरी खरीदने के लिए तथा बीज भंडारगृह एवं भवन निर्माण करने के लिए पूंजीगत अनुदान रु. 730.49 लाख पूंजीकृत किया गया तथा पूंजीगत अनुदान से अर्जित की गई परिसंपत्तियों पर रु. 929.83 लाख का मुल्याह्रास समायोजित किया गया। उल्लिखित समायोजन के पश्चात 31.03.2019 को पूंजीगत अनुदान आरक्षित निधि का शेष रु. 8196.70 लाख बचा, जबकि 31.03.2018 को यह रु. 8396.04 लाख था। 31.03.2019 को खर्च न की गई पूंजीगत अनुदान, प्रक्रियाधीन कार्यों के कारण रु. 1388.77 लाख शेष रहा जबकि 31.03.2018 को रु. 2468.56 लाख था।

1/2) 'k s j k d h o k i l k%

वर्ष के दौरान निगम द्वारा शेयरों की वापसी नहीं की गई। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम 68 के अनुसार सूचना शून्य मानी जाए।

1/2) i fr bfDoVh 'k s j m i k t Z 1/4- 1000@& i k d k v d r e w; k%

	2018&19	2017&18
असाधारण मदों से पूर्व मूल एवं अवमिश्रित	720.85	435.71
असाधारण मदों के पश्चात मूल एवं अवमिश्रित	720.85	435.71

1/2) y k h k k

इंड-एस के प्रावधानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए लाभांश की घोषणा वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, आगामी वार्षिक साधारण सभा में की जाएगी।

1/2) . k%

निगम ने भारतीय स्टेट बैंक से रु. 75.00 करोड़ की सीमा तक नकदी ऋण (सीसी) लेने की सुविधा ली हुई है जिसमें बीजी एवं एलसी लिमिट भी शामिल है। वर्ष के दौरान, निगम ने रु. 581.45 लाख का ब्याज एवं अन्य उधार लागत का भुगतान किया, जबकि पिछले वर्ष रु. 445.50 लाख का ब्याज चुकाया गया। यह वृद्धि लंबी अवधि के लिए नकदी ऋण एवं अल्पकालीन ऋण के उपयोग के कारण रही, क्योंकि भारत सरकार एवं राज्य सरकारों से भुगतान प्राप्ति में देरी हुई। बहुत से कर्मचारी सेवानिवृत्ति हो रहे हैं और सेवानिवृत्ति लाभ पर आउट-प्लो भी तुलनात्मक रूप से अधिक है, इसमें उधार राशि भी जोड़ी जाती है

1/2) fuos k%

निगम का 31 मार्च, 2019 तक विभिन्न राज्य बीज निगमों के इक्विटी एवं अधिमान्य शेयरों में रु. 3684.65 लाख का निवेश था। इसमें से वर्ष 2013-14 के दौरान बिहार राज्य बीज निगम के रु.106.38 लाख के शेयरों की लागत में कमी का प्रावधान किया गया। गैर एसोसिएट्स कंपनियों के शेयर उचित मूल्य पर निर्धारित किए गए हैं।

1/2) Q k e k s d s d k; k%

मशीनीकरण और सिंचाई और सतत अवसंरचनात्मक विकास की सतत प्रक्रिया के कारण वर्ष के दौरान फार्मों का प्रदर्शन बेहतर हुआ है, जिसके तहत वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2017-18 के दौरान क्रमशः रु. 12.96 करोड़ एवं रु. 17.95 करोड़ का पूंजीकरण किया गया। वर्ष के दौरान, संयुक्त फार्मों का कर पूर्व लाभ में रु. 112.52% की वृद्धि हुई। इस प्रकार वर्ष 2018-19 में सभी फार्मों पर कुल रु. 40.23 करोड़ का लाभ हुआ जबकि वर्ष 2017-18 में रुपये 18.93 थी।

The Financial Year 2018-19 was favourable from agro-climatic conditions which resulted in Revenue from Operations of Rs. 115850.42 Lakhs compared with Rs. 81584.04 Lakhs in 2017-18 with an increase by 42% & Profit Before Tax to Rs. 4779.90 Lakhs from Rs. 3037.01 Lakhs with an increase by 57.39% during the year.

- (b) During the year 2018-19, the Corporation has achieved total Income of Rs.118071.65 Lakhs as against Rs. 84154.98 Lakhs with an increase of 40.30%. The gross margin before interest, depreciation and tax during 2018-19 is Rs. 7203.25 Lakhs as compared to Rs. 5334.86 Lakhs of 2017-18 showing an increase by 35.02%.

(c) Capital Structure :

As on March 31, 2019, the paid-up share capital of the Corporation was Rs. 5731.99 Lakhs consisting of 573199 equity shares of Rs. 1000 each and the 100% shares of the Corporation are held by President of India.

Other Equity increased to Rs. 60047.89 Lakhs from Rs. 56589.36 Lakhs. During the year capital grant for purchase of Plant & Machinery and construction of Seed Stores & Buildings was capitalized for Rs. 730.49 Lakhs and depreciation charged on assets acquired against capital grant amount to Rs. 929.83 Lakhs was adjusted. After carrying out above adjustments, balance in utilized Capital Grant as on 31.03.2019 remained at Rs. 8196.70 Lakhs as against Rs. 8396.04 Lakhs as on 31.03.2018. The unspent Capital grant, due to work in progress, remained at Rs. 1388.77 Lakhs as on 31.03.2019 as against Rs. 2468.56 Lakhs as on 31.03.2018.

(d) Buy Back of Share :

There was no buy-back of Shares by the Corporation during the year. Therefore, the information pursuant to Section 68 of the Companies Act, 2013 be treated as NIL.

(e) Earnings per equity share (Face value of Rs.1000/- each.)

	2018-19	2017-18
Basic & Diluted before extraordinary items	720.85	435.71
Basic & Diluted after extraordinary items	720.85	435.71

(f) Dividend:

As per the provisions of Ind-AS, Dividend for the Financial Year 2018-19 will be declared at the forthcoming Annual General Meeting to be held during the Financial Year 2019-20.

(g) Loans:

The Corporation is having sanctioned Cash Credit (CC) Limit of Rs. 75.00 Crores from the State Bank of India including BG and LC limits. During the year, the Corporation has paid an interest and other borrowing costs of Rs. 581.45 Lakhs in comparison to Rs. 445.50 Lakhs in the previous year. The increase is due to utilization of cash credit and short term loan for longer duration as payments realisation from GOI and State Governments were delayed. Since lot of employees are superannuating, the out-flow on retirement benefit also are comparatively high, it is also adding the borrowing amount.

(h) Investment:

Investment of the Corporation in various State Seeds Corporations (SSCs) in equity and preference shares as on 31st March, 2019 was Rs. 3684.65 Lakhs. Out of which provision for diminution in value of shares of Rs. 106.38 Lakhs of Bihar Rajya Beej Nigam Limited has been made during the year 2013-14. Non-Associate Companies Shares valued at Fair value.

(i) Working of the Farms:

The performance of the Farms has improved during the year due to the continuous ongoing process of mechanization and irrigational and other infrastructural development under which capitalization worth Rs. 12.96 Crores and Rs. 17.95 Crores were done during 2018-19 & 2017-18 respectively. Profit before tax for the Farms combined during the year has increased by 112.52% from 18.93 Crores during the previous year to Rs. 40.23 Crores during the year 2018-19.

3- चत मरि कनु फठ; कदुकि %

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के आंबटन के अनुसार, एनएससी अपने फार्मों पर राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के अंतर्गत वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं द्वारा विकसित नई किस्मों का परीक्षण स्टॉक एवं प्रजनक बीज का उत्पादन कर रहा है ताकि समय पर प्रजनक बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और विभिन्न प्रकार की भूमि परिस्थितियों के तहत किस्मों के निष्पादन की जांच हो सके। इसके अलावा संबंधित फसल अनुसंधान संस्थान/आईसीएआर निदेशालय के आंबटन के अनुसार, कुछ किस्मों का प्रजनक बीज भी फार्मों पर उत्पादित किया जा रहा है।

इसी प्रकार, इन फार्मों पर अनुवांशिकी शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए आधारीय बीजों का सतत उत्पादन किया जा रहा है तथा 627 से अधिक किस्मों/संकर, जिसमें लगभग 80 फसलों की पैतृक किस्में जैसे अनाज, मोटा अनाज, तिलहन, दलहन, चारा, रेशा, हरी खाद का उत्पादन किया जा रहा है तथा पंजीकृत बीज उत्पादकों के माध्यम से गुणवत्ता प्रमाणित बीजों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें सब्जी फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला भी शामिल है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का अवसर भी प्रदान किया जाता है। प्रमाणित बीज का उत्पादन कार्यक्रम एनएससी के फार्मों पर भी लागू किया गया है।

अधिक पैदावार सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन विभाग का ध्यान नई किस्मों के बीज उत्पादन पर तथा रोग एवं कीट प्रतिरोधक फसलों पर रहता है ताकि किसान कम इनपुट लागत से अपनी आय में वृद्धि कर सके। तदनुसार वर्ष 2018-19 में विभिन्न फसलों की 26 नई किस्मों को जोड़ा गया है। इस प्रकार वैराइटल प्रतिस्थापन दर में मदद मिल रही है, जोकि विभिन्न शासकीय योजनाओं में बीज घटक का महत्वपूर्ण मिशन है। वर्तमान में किसानों को आपूर्ति के लिए विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं/मांग के अनुसार लगभग 60 प्रतिशत नई किस्मों का बीज उत्पादन किया जा रहा है। किसानों को आपूर्ति के लिए विभिन्न फसलों की अजैविक दवाब सहिष्णु किस्म तथा जैव पोषक तत्व युक्त किस्मों का भी उत्पादन किया जा रहा है।

निगम विशेष रूप से निम्नलिखित बीज घटक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू योजनाओं तथा महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों की वार्षिक कार्य योजना को सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रहा है जोकि निम्न प्रकार से हैं:-

1. एनएफएसएम के अंतर्गत तिलहनों की नई किस्मों का बीज उत्पादन-तिलहन।
2. एनएफएसएम के अंतर्गत दलहनों की नई किस्मों का बीज उत्पादन-दलहन।
3. एनएफएसएम वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत पटसन बीज की नई किस्मों का उत्पादन।
4. एनएफएसएम के अंतर्गत पोषक अनाजों की नई किस्मों का बीज उत्पादन, पोषक अनाज।
5. एमआईडीएच के अंतर्गत सब्जी बीज एवं कदमूल फसलों का उत्पादन, किसानों को प्रशिक्षण, सब्जी बीज प्रसंस्करण एवं बुनियादी संरचना का निर्माण।

निगम ने वर्ष के दौरान एनएफएसएम - तिलहन के अंतर्गत लगभग रु. 49.95 करोड़, एनएफएसएम-दलहन के तहत रु. 86.14 करोड़, एनएफएसएम-पटसन के तहत रु. 8.27 करोड़, एनएफएसएम- पोषक अनाजों के तहत रु. 2.88 करोड़ और एमआईडीएच के तहत रु. 7.02 करोड़ के लिए एएपी का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया है।

एनएससी के पास 08 फार्म हैं यानि केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़, सरदारगढ़, जैतसर (राजस्थान), हिसार(हरियाण), रायचूर (कर्नाटक), नलहट्टी (पश्चिम बंगाल), बलियापुर (झारखंड) व सुकिंदा (उड़ीसा) में कुल 22,182 हैक्टेयर क्षेत्रफल में फार्म स्थापित है। वर्ष के दौरान 21,398 हैक्टेयर क्षेत्र में बुवाई की गई एवं रबी एवं खरीफ मौसम में कुल 2,82,578 क्व. कच्चे बीज का उत्पादन किया गया। अधिकांश फार्म नहर के अंतिम छोर पर स्थित हैं, जिसके कारण उत्पादन के लिए अधिकतर पानी की समस्या बनी रहती है।

फली फसलों की पौध:- फार्मों के नर्सरी में किसानों को आपूर्ति करने के लिए अमरूद, अनार, किन्नु, आम, आंवला इत्यादि, फूल एवं वानिकी पौधों का उत्पादन भी किया जा रहा है। सूरतगढ़, सरदारगढ़, जैतसर एवं हिसार फार्म के 220 है. क्षेत्र में फलीय फसल के बगीचे भी स्थापित किए गए हैं।

4 xqk fu; æ. k

क. एनएससी की प्राथमिकता कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए फसल किस्मों एवं संकर किस्मों की व्यापक श्रेणी के उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन एवं वितरण करना है। भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक, 2013 के अनुसार खेत स्तर के साथ-साथ बीज स्तर पर कठोर गुण नियंत्रण के उपायों का पालन किया जा रहा है तथा किसानों के लिए गुणवत्ता वाले बीज सुनिश्चित करने हेतु भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक, 2013 के अनुरूप ही बीज लॉट का प्रापण किया जा रहा है।

3. SEED PRODUCTION ACTIVITIES:

The Corporation is producing Test Stock seed of newly identified varieties developed by Scientists & Researchers under the National Agricultural Research System at the Farms of NSC as per mandate given by ICAR, to ensure timely availability of Breeder Seed and also to check the performance of variety under field conditions. Besides, the Breeder Seed of some of varieties is also being produced at the Farms as per the allocation made by concerned Crop Research Institute/Directorate of ICAR.

Similarly sustainable production of Foundation Seed is undertaken at the Farms to ensure genetic purity of seed for further multiplication. Quality certified seed production of 627 varieties/hybrids including parental lines of about 80 crops comprising of Cereals, Oilseeds, Pulses, Millets, Fodder, Fibres, Green Manure and a wide range of Vegetable crops through registered seed growers thus creating public private partnership opportunity in the Agriculture Sector. Certified Seed production is implemented on NSC Farms too.

The focus on Production is to produce high quality seed of new varieties for ensuring higher productivity and other desirable crops attributes such as resistance to diseases so that farmers income can increase with lower input costs. Accordingly, 26 new varieties of different crops are added in 2018-19. Thus aiding the Varietal Replacement Rate (VRR) which is important mission of the seed component in various Government schemes, Presently, seed production of around 60% of newer varieties being carried out in accordance with requirement/indent of various States or supply to farmers. The seed production of Abiotic stress tolerance & Bio-fortified varieties of various crops has also been done for supply to the farmers.

The Corporation is also actively implementing the Annual Action Plan of important Government programmes/Schemes implemented by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare more particularly for the seed component as below:-

1. Seed Production of new varieties of Oilseeds under NFSM-Oilseeds.
2. Seed Production of new varieties of Pulse under NFSM-Pulse.
3. Seed production of new varieties of Jute Seed under NFSM-Commercial crops.
4. Seed production of new varieties of Nutri-Cereals crops under NFSM -Nutri-Cereals.
5. Seed Production of Vegetable and Tuber crops, Training of farmers and creation of vegetable seed processing infrastructure under MIDH.

The Corporation ensured implementation of AAP for about Rs. 49.95 Crores under NFSM-OS, Rs. 86.14 Crores under NFSM-Pulse, Rs. 8.27 Crores under NFSM-Jute, Rs. 2.88 Crores under NFSM-Nutri-Cereals and for about Rs. 7.02 Crores under MIDH during the year.

NSC is having 8 Nos. Farms i.e. Central State Farm Suratgarh, Sardargarh, Jetsar (Rajasthan), Hisar (Haryana), Raichur (Karnataka), Nalhati (W.B.), Baliyapur (Jharkhand) and Sukinda (Orissa) with total area under possession of 22,182 ha. During the year, 21,398 ha. area was sown and 2,82,578 Qtls. raw seed was produced in both Kharif & Rabi season. Most of the Farms are situated on the tail end of Canal, therefore the water seareity is major constraint in production.

Saplings of Fruit crops – Citrus, Guava, Pomegranate, Mango, Aonla etc., Flowers and Forestry trees are being produced in Nurseries at the farms, for supply to the farmers. Fruit Crops Orchards are also established in an area of 220 ha. at four farms i.e. Suratgarh, Sardargarh, Jetsar and Hisar.

4. QUALITY CONTROL:

- A. NSC's priority is to produce and market high quality seeds of a wide range of crop varieties and hybrids so as to increase the agricultural productivity. Strict quality control measures are being followed as per Indian Minimum Seed Certification standards (IMSCS-2013) at field level as well as seed storage and the seed lots confirming to standard of IMSCS-2013 are only procured to ensure quality seeds to the farmers.

भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक, 2013 के अनुसार एनएससी के पास 04 प्रयोगशालाएं हैं जैसे नई दिल्ली, भोपाल, सूरतगढ़ एवं सिकन्दराबाद, जहाँ पर प्रतिवर्ष लगभग 25000 नमूनों का परीक्षण करने की क्षमता है। इसके अलावा, संकर बीजों की अनुवांशिकी शुद्धता के परीक्षण के लिए नई दिल्ली में एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रयोगशाला भी है। आधारीय एवं संकर बीजों की अनुवांशिकी शुद्धता का पता लगाने के लिए केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़, सरदारगढ़, जैतसर (राजस्थान), हिसार (हरियाण), रायचूर (कर्नाटक), नलहट्टी (पश्चिम बंगाल) और सुकिदा (उड़ीसा) में बीज परीक्षण सुविधा (ग्री आउट टेस्ट) भी स्थापित की गई है।

प्रवीणता परीक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एनएससी अंतराष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ (आईएसटीए) का सदस्य है एवं अंतराष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ से मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

एनएससी के पास खेत स्तर पर बीजों की गुणवत्ता शिकायतों को निपटाने हेतु उचित तंत्र है जब भी गुणवत्ता शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनका शीघ्र निपटान किया जाता है। यहां पर बीज स्टॉक की पहचान के लिए एक नियमित प्रणाली भी है, जो स्टॉक प्राकृतिक प्रक्रिया में गैर मानक बन जाते हैं, गुणवत्ता नियंत्रण उपायों में से एक रूप में, उस स्टॉक का गैर बीज के रूप में निपटान किया जाता है।

[k iŁohdj.k&vkbZ,l -vks 9001 %2015 , oabZe,l 14001 %2015

एनएससी गुणवत्ता प्रबंधन सिस्टम और पर्यावरण प्रबंधन सिस्टम के लिए क्रमशः 19.03.2007 और 21.03.2009 से प्रमाणित है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैनुअलों में निहित प्रावधानों और विशिष्ट प्रक्रियाओं का एनएससी पालन कर रही है, आंतरिक तथा बाहरी लेखा परीक्षकों से वार्षिक लेखा परीक्षा करवाई जाती है। इस लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप, एनएससी को क्यूएमएस, आईएसओ 9001:2015 एवं ईएमएस, आईएसओ 14001:2015 के लिए पुनः प्रमाणित किया गया है।

5- foi .lu fØ; kdyki %

fo' k'k'k, %

क. वर्ष 2018-19 के दौरान प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों का कुल कारोबार निम्न प्रकार से है:-

1/6V; #- yk[k e2/2

2018&19	2017&18	i fr'kr of)
100824	70791	42.42

➤ वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान मूल्यवार अनाजों के बीजों की बिक्री में 64.76%, तिलहन 53.93%, दलहन 45.82%, चारा 91.75%, रेशा 7.59% तथा सब्जियों के बीजों की बिक्री में 8.40% की वृद्धि हुई।

ख. चैनलवार बीज बिक्री:

(कारोबार का %)

2018&19		2017&18	
सरकारी ऐजेंसी	गैर सरकारी ऐजेंसी	सरकारी ऐजेंसी	गैर सरकारी ऐजेंसी
54.17	45.83	56.55	43.45

ग. नई किस्मों/योजनाओं के अंतर्गत बिक्री:

निगम ने एनएमओओपी एवं एनएफएसएम के अंतर्गत क्रमशः तिलहन एवं दलहन के मिनिक्विट की आपूर्ति की। इस प्रकार किसानों को किस्म प्रतिस्थापन दर में सुधार के लिए मिशन के रूप में नई किस्मों को अपनाने की सुविधा प्राप्त हुई।

1/4- yk[k e2/2

; kt uk	2018&19	2017&18
एनएफएसएम (ओएस एवं ओपी)*	5233	2762
एनएफएसएम	5597	4290

*पूर्व में एनएमओओपी

घ. निगम ने किसान एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू की गई महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों के माध्यम से विभिन्न राज्य सरकारों को बीज की आपूर्ति की है जिनमें शामिल हैं:-

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन एवं तेल पॉम) – तिलहन
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) – चावल, गेहूं, दलहन, पोषक अनाज एवं वाणिज्यिक फसलें (जूट)

NSC has 4 Quality Control laboratories for ascertaining the quality parameters as per IMSCS- 2013. Laboratories established at New Delhi, Secunderabad, Bhopal and Suratgarh which has capacity to test around 25000 samples per annum. In addition of that a DNA finger printing lab also established at New Delhi for testing of Genetic purity of Hybrid seeds. 6 GOT farms also established at different locations i.e. CSF- Jetsar, Sardargarh, Suratgarh (Rajasthan), CSF-Hisar (Haryana), CSF-Raichur (Karnataka) and CSF-Sukinda (Odisha) for Grow Out Test for ascertaining the Genetic Purity of Hybrids & Foundations Seeds.

NSC is a member of ISTA for participating in proficiency test and accreditation from ISTA is under process.

NSC has proper mechanism to redress the quality complaints of seed at field level. The complaints are immediately redressed as and when received. There is also a regular system of identifying the seed stocks which have become sub-standard in the natural process and action is being taken for its disposal as non seed as one of the quality control measures.

B. RECOGNITIONS: ISO 9001:2015 and EMS 14001:2015 :

NSC is certified for Quality Management System and Environment Management System since 19.03.2007 and 21.03.2009 respectively. In order to ensure that NSC is following the provisions contained in the manuals and following the specified process, internal and external audit is conducted annually. As a result of this audit, NSC has been recertified for QMS, ISO 9001:2015 and EMS ISO 14001:2015.

5. MARKETING ACTIVITIES:-

HIGHLIGHTS-

- a. The turnover on account of sale of certified / quality seed during the year 2018-19 is as under.

(Value in Rs. lakhs)

2018-19	2017-18	% increase
100824	70791	42.42

- Value wise there is an increase in sales of seeds of Cereals by 64.76%, Oilseeds by 53.93%, Pulses by 45.82%, Fodder by 91.75%, Fibre by 7.59% and Vegetable by 8.40% during 2018-19 compared to 2017-18.

- b. Channel wise Seed Sale

(% age of turnover)

2018-19		2017-18	
Govt. Agencies	Non. Govt. Agencies	Govt. Agencies	Non. Govt Agencies
54.17	45.83	56.55	43.45

- c. Sales under New Varieties / Schemes:-

The Corporation has supplied minikits of Oilseeds under NMOOP and Pulses under NFSM. Thus facilitating adoption of newer varieties by farmers as a mission for improving Varietal Replacement Rate (VRR).

(Value in Rs. Lakhs)

Scheme	2018-19	2017-18
NFSM (OS&OP)*	5233	2762
NFSM	5597	4290

*Earlier known as NMOOP

- d. The Corporation has supplied seeds to various State Govts. under important Schemes implemented by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India through State Govts. These includes:-

- i) National Food Security Mission (Oil Seeds & Oil Palm)- Oilseeds.
- ii) National Food Security Mission (NFSM)- Rice, Wheat, Pulses, Nutri cereals and Commercial Crops (Jute).

- iii) बागवानी का एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच) – सब्जियां कंदमूल फसल सहित
iv) चावल परती लक्षित क्षेत्र (टीआरएफए)
v) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)
- ड. निगम ने कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित घटकों के लिए बीज एवं रोपण सामग्री के उप-मिशन में भाग लिया:-
- i. **jkVt ctt vkf{kr%**बाढ़, सूखा एवं कृषि – जलवायु के प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अकस्मात आपूर्ति के लिए बीज को आरक्षित में रखा जाता है।

(मूल्य रु. लाख में)

2018&19	2017&18
493.37	542.64

- ii. **ifjogu l fQ Mh** दूरदराज के पहाड़ी एवं पूर्वोत्तर राज्यों जैसे सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व पश्चिम बंगाल का पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों को सस्ती दरों पर प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु।

(मूल्य रु. लाख में)

2018&19	2017&18
287.73	231.39

vU xfrfof/k ka

(i) **vk kr i t h d j . k i x k k i = t k j h d j u k**

एनएससी ने भारत सरकार की ओर से अन्य देशों से/में बीजों के आयात/निर्यात के लिए निजी बीज कंपनियों/डिलरों को आयात लाइसेंस जारी किए हैं।

o"Z	u; k	uohdj . k	dy
2018-19	36	55	91
2017-18	23	47	70

(ii) **M y j u v o d Z d k l q < h d j . k %**

किसानों को समय से उचित मूल्यों पर बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डीलर नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। तहसील स्तर पर वितरकों की नियुक्ति पर अधिक बल दिया जा रहा है।

(नये वितरकों की नियुक्ति संख्या)

2018&19	2017&18	31 ekpZ 2019 rd dy forjd
436	198	2270

- (iii) निगम ने वर्ष के दौरान, बीज भवन, कृषि भवन तथा फार्मों से छोटे दानों के बीज तथा बिक्री में शेष बचे बीजों से उत्पादित मूल्यवर्धित उत्पाद जैसे गेहूं का आटा, बासमती चावल एवं काबुली चना इत्यादि पर रु. 24.48 लाख की बिक्री की।
- (iv) एक व्यवसायिक विविधीकरण गतिविधि के रूप में समृद्ध चारा ब्लॉक एवं मछली बीज का विपणन कार्य किया। वर्ष के दौरान रु. 5.18 लाख में 519.80 कु चारा ब्लॉक तथा रु. 9.61 लाख में 34.20 लाख मतस्य बीजों की बिक्री की।
- (v) **ipkj , oai t kj dk Z**

- क) किसानों को शिक्षित करने के लिए एनएससी ने नए बीजों, उत्पादों के बारे में तहसील, जिला व राज्य स्तर पर डीलरों की बैठकें आयोजित की।
- ख) बुवाई की शुरुआत से पूर्व एनएससी ने अपने उत्पादों में जागरूकता लाने के लिए जीप अभियान चलाया और इस दौरान प्रचार सामग्री भी वितरित की गई।

- iii) Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) – Vegetable including Tuber crops.
 - iv) Targeting Rice Fallow Area (TRFA).
 - v) Rashtriya Krishi Vikash Yojna (RKVY).
- e. The Corporation has participated in the Sub-Mission on Seeds and Planting Material (SMSP) under National Mission on Agricultural Extension & Technology (NMAET) for the components of:-
- i. **National Seed Reserve:** Seeds are kept in reserve for meeting the contingency on account of flood, drought and other agro climatic aberrations.

(Value in Rs. lakhs)

2018-19	2017-18
493.37	542.64

- ii. **Transport subsidy:** To ensure availability of certified/quality seeds to the farmers of identified States namely North eastern States including Sikkim, J&K, Himachal Pradesh, Uttrakhand and hilly areas of West Bengal at affordable price.

(Value in Rs. Lakhs)

2018-19	2017-18
287.73	231.39

Other activities:

i) Issue of Import Registration Certificate:

NSC has issued import registration certificate on behalf of Govt. of India to the Private Seed Companies/Dealers for import/export of seeds from other countries.,

Year	New	Renewal	Total
2018-19	36	55	91
2017-18	23	47	70

ii) Strengthening of Dealers network:-

To ensure timely availability of seeds at right price to the farmers, dealer network is being strengthened. More emphasis is given to appoint Dealers at Tehsil level.


(No. of new dealers appointed)

2018-19	2017-18	Total Dealers as on 31 st March, 2019
436	198	2270

- iii) During the year the Corporation has sold Rs 24.48 lakhs worth of value added products namely Wheat Flour, Basmati Rice, Mustard Oil and Kabuli Chana, etc. produced from undersized, unsold seeds, etc. from our outlets at Beej Bhawan, Krishi Bhawan and Farms.
- iv) As a business diversification activity, the Corporation has marketed enriched fodder block and fish seed. During the year, 519.80 qtls. of fodder block amounting to Rs 5.18 Lakhs and 34.20 lakh numbers of fish seed worth of Rs.9.61 Lakhs were sold.
- v) **Promotional & Publicity work:-**
 - a) Dealers meetings at Tehsil, District and State levels to makethem aware about the new products/seeds of NSC for educating farmers.
 - b) Jeep Campaigns in villages before commencement of sowing season to make awareness about NSC product. Distributed Leaflet & Pamphlet about NSC seeds.

- ग) प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया।
घ) नई किस्मों को लोकप्रिय बनाने तथा फार्मों के द्वारा विकसित गुणवत्ता बीजों की उपयोगिता के बारे में किसानों के बीच उनके ही खेतों में प्रदर्शनी लगाई गई।
ङ.) बीज उद्योग की मांग के अनुसार आकर्षक और सुविधाजनक बीज पैकिंग शुरू की गई।
च) एनएससी के बीजों को लोकप्रिय बनाने के लिए पूरे भारत में प्रदर्शनियों, मेलों एवं सम्मेलनों में भाग लिया।
छ) कर्मचारियों के लिए प्रेरणा के रूप में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाले प्रक्षेत्र कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों को आर्वार्ड प्रदान किए गए।

6- वृक्ष, कृषि, दूध, दूध



उपरोक्त गतिविधियों को समय पर सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए निगम, मशीनरी एवं उपकरणों के एक बड़े बेड़े का रख-रखाव कर रहा है। सभी की मरम्मत स्वयं की कार्यशालाओं में किया जाता है। कृषि कार्यों को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए निगम ने वर्ष के दौरान स्वयं के संसाधनों से इलेक्ट्रॉनिक पिटलेस टाईप लॉरी वीब्रिज तथा पुरानी मशीनरी का प्रतिस्थापन निम्न प्रकार से किया है।

1. ट्रैक्टर	32 नग	रु. 216.09 लाख
2. कम्बाईन हारवेस्टर्स	03 नग	रु. 56.04 लाख
3. मशीनरी	43 नग	रु. 117.94 लाख
दूध	78 ux	#- 390-07 yk[k

- 2- **चि. इ. डी. क. ला. ए.** % फसल कटाई के पश्चात कच्चे बीज को गहाई केन्द्रों तक लाया जाता है। प्रत्येक फार्म पर मोबाईल/प्री-क्लीनर्स की सहायता से उत्पाद को सुखाया जाता है व प्रारंभिक सफाई की जाती है। प्रारंभिक सफाई के पश्चात बीजों को बीज विधायन संयंत्रों में स्थानांतरित करके बीज एवं गैर-बीज को अलग किया जाता है।

पिछले 05 वर्षों में बीज प्रसंस्करण संयंत्र का प्रतिस्थापन:-

foYk; o"Z	2014&15	2015&16	2016&17	2017&18	2018&19
क्षमता (टीपीएच में)	8	—	4	8	8


- 3- **है. फो. डी. क.** % निगम को विभिन्न कृषि फार्मों पर, भूमि सुधार, ठोस भूमि का समतलीकरण, भूमि को आकार देने के लिए सिंचाई चैनल से गाद निकालने, बाढ़ सुरक्षा बांधों को सुदृढ़ करने हेतु बुलडोजर्स, बेकहो लोडर्स, मोटर ग्रेडर्स, एवं लेजर लेवलर्स इत्यादि उपलब्ध कराए हैं।

पिछले 05 वर्षों में स्वयं की मशीनरी द्वारा भूमि:-

foYk; o"Z	2014&15	2015&16	2016&17	2017&18	2018&19
क्षेत्र (हैक्टर में)	1000	378	197	205	200

- c) Publicity through Print and Electronic Media.
- d) Field demonstrations and field days at farmer's field to popularize newly released varieties and educate farmers about benefits of use of quality seeds over farm saved seed.
- e) As demanded by seed industry, attractive and convenient seed packing sizes introduced.
- f) Participated in Exhibitions, Melas and Conferences all over India to popularize NSC seeds.
- g) As a motivation to staff, best performed Area Offices and Regional Offices were awarded.

6. ENGINEERING AT A GLANCE :-



To complete above activities successfully in time, Corporation is maintaining large fleet of Machinery & Implements. Repair & maintenance of all is undertaken in own workshops.

In order to facilitate agriculture operations more effectively, **the Corporation has provided Electronic Pitless Type Lorry Weigh bridges & replaces old machinery** during the year out of its own resources as per the details given below:-

1. Tractors	32 nos.	Rs. 216.09 Lakhs
2. Combine Harvesters	03 nos.	Rs. 56.04 Lakhs
3. Machineries	43 nos.	Rs. 117.94 Lakhs
Total	78 nos.	Rs. 390.07 Lakhs

- 2. **Seed Processing Plant:** After harvesting of the crop, raw seed is brought to the threshing floors. Drying & preliminary cleaning of produce is being done with the help of **Mobile /Pre-cleaners** at each farm. After pre-cleaning, the produce is shifted to Seed Processing Plants to segregate Seed and Non-seed.

REPLACEMENT OF PROCESSING PLANT IN LAST 5 YEARS:-

F.Y	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Capacity (in TPH)	8	-	4	8	8

- 3. **Land Development:** Corporation is having bulldozers, motor graders, Backhoe Loader and laser levelers etc. to carry out the land reclamation, rough & fine land leveling, land shaping, desilting of irrigation channel, strengthening of flood protection bunds etc. at various farms of the Corporation.

LAND DEVELOPED BY OWN MACHINERY IN LAST FIVE YEARS:-

F.Y	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Area (in Ha)	1000	378	197	205	200

4- **सूखे से निपटारे के लिए** सभी फार्मों पर नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में स्थित सूरतगढ़ व सरदारगढ़ फार्म तथा हरियाणा में हिसार फार्म की सिंचाई भाखड़ा नहर के पानी से की जाती है व राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में स्थित जैतसर फार्म इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से पानी प्राप्त करता है। रायचूर फार्म तुंगभद्रा के पश्चिमी किनारे की नहर से पानी प्राप्त करता है। सभी फार्म नहर के अंतिम छोर पर स्थित हैं तथा अधिकृत जल प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। फार्म पर जमीन का पानी खारा है और सिंचाई के लिए अनुपयुक्त है। नहर के पानी को ध्यान में रखते हुए सूरतगढ़/सरदारगढ़ और जैतसर फार्मों के नहर किनारे 14 उथले/गहरे नलकूप स्थापित किए गए हैं।

सिंचाई के पानी की सीमित मात्रा को देखते हुए जल संग्रहण टैंकों का निर्माण किया गया है तथा 1962 हे० क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई है। सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए हैं।

- | | | |
|----------------------|------------|-----------------|
| 1. जल संग्रहण टैंक | 03 नग. | रु. 221.42 लाख |
| 2. नालियों का पलस्तर | 8.41 कि.मी | रु.. 172.89 लाख |
| 3. गहरे नलकूप | 17 नग. | रु. 41.61 लाख |

द्वारा

#- 435-92 यक/क

5- **कृषि एवं सहकारिता विभाग से प्राप्त अनुदान एवं स्वयं के खर्च से निम्नलिखित कार्य किए गए:-**

कार्य	लक्षित क्षेत्र	अनुदान (रु.)	विवरण
बीज भंडारण गोदाम	05 नग/5500 एमटी	364.70	बीजों के सुरक्षित भंडारण के लिए।
बीज प्रसंस्करण संयंत्र	02 नग/8000 एमटी	130.98	बीज गुणवत्ता का रख-रखाव।
बीज कोटिंग मशीन	19 नग	210.00	गुणवत्ता एवं जीवन सुधार
अकृष्य भूमि का विकास	250 हैक्टेयर	78.45	कृषि योग्य क्षेत्र में वृद्धि एवं स्वयं की मशीनों से करना
पहाड़ी क्षेत्रों में कंपोजिट पिट का निर्माण	101 नग.	5.15	जैविक खेती के लिए

6- **सूखे से निपटारे के लिए**

- पानी की कमी को देखते हुए, विकसित सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का विस्तार अधिक क्षेत्र में किया जाएगा।
- केराफा, जैतसर में एनटीपीसी के साथ मिलकर 160 मेगावॉट के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी।
- वर्ष 2019-20 के दौरान 430 हैक्टेयर अनुपयोगी बंजर भूमि को खेती योग्य बनाया जाएगा।
- एनएससी, भुवनेश्वर में 10 लाख रु. से अधिक क्षमता का टिशू कल्चर उत्पादन का विस्तार किया जाएगा।

7- **सूखे से निपटारे के लिए**

सूखे से निपटारे के लिए

एनएससी ने वर्ष 2018-19 के दौरान आधुनिक तकनीक से 55,000 क्विंटल क्षमता के बीज भंडारण गोदाम एवं बीज प्रसंस्करण संयंत्र का निर्माण किया। उचित हवादार बनाए रखने के लिए तथा पक्षियों के आश्रय से बचने के लिए गोदामों की छत का निर्माण टर्बो वेंटिलेटर के साथ कम गैल्वैल्यूम शीट के साथ किया गया। एनएससी के पास 31 मार्च, 2019 तक बीज भंडारण की क्षमता 14.07 लाख क्विंटल एवं 13,500 क्विंटल के लिए वातानुकूलित बीज भंडार की क्षमता उपलब्ध है।

सूखे से निपटारे के लिए

पुराने बीज प्रसंस्करण संयंत्र, जिनका उपयोगी जीवन पूर्ण हो गया था उन्हें अनुपयोगी किया गया तथा उनके स्थान पर उपयोग के लिए, धूल मुक्त रखने तथा बीज की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आधुनिक तकनीक के नए प्रसंस्करण संयंत्र प्रतिस्थापित किए गए हैं। प्रसंस्करण संयंत्रों को पीएलसी आधारित नियंत्रण कक्ष के साथ निर्मित किया गया है। एनएससी के पास 31.03.2019 तक वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता 22.36 लाख क्विंटल हो गई है।

4. **Irrigation and Drainage:** All the farms are irrigated through canal. Suratgarh and Sardargarh farms located in Sriganganagar Distt. of Rajasthan and Hisar in Haryana receive water through Bhakra canal system and Jetsar farm located in Sriganganagar Distt. of Rajasthan receive water through Indira Gandhi Nahar Pariyojna. Raichur Farm receives water through Tungabhadra Left Bank Canal. Farms are located at the tail end of the canal system and not getting authorized discharge. The ground water is brackish and unfit for irrigation at Farms. To supplement with canal water, 14 Nos Deep tube wells have been installed along the bank of canals at Suratgarh, Sardargarh and Jetsar farms.

Considering the limitation of irrigation water, Water Storage Tanks were constructed and Micro Irrigation Systems have been installed in total area of 1962 Ha. to increase the irrigation potential, following works were taken up during the year.

1. Water Storage tank	03 nos.	Rs. 221.42 Lakhs
2. Lining of water courses	8.41 Km	Rs. 172.89 Lakhs
3. Deep tube wells	17 nos.	Rs. 41.61 Lakhs
Total		Rs. 435.92 Lakhs

5. **Farm Structures:** The following works were carried out during the reporting period with the grant received from DAC & with own expenditure :-

Description	No./Capacity	Amount (Rs. in lakhs)	Remarks
Seed Storage Godowns	05Nos/5500 MT	364.70	For safe storage of seeds.
Seed Processing Plants	02Nos/8000 MT	130.98	To maintain seed quality
Seed Coating Machine	19 nos.	210.00	To improve quality & life
Development of un-cultivable land	250 ha	78.45	Increase cultivable area & done by own machine.
Construction of composite pit in hilly area	101 nos.	5.15	For organic farming

6. **Innovative Projects :-**

- Looking to the shortage of water, **improved Micro Irrigation System** will be extended in large area.
- Solar Power plant of capacity 160 MW shall be established at CSF Jetsar in association with NTPC.
- Conversion of 430 Ha uncultivable waste land to cultivable during 2019-20.
- Extension of Tissue culture production at NSC, Bhubaneshwar to add more 10 lakh capacity.

7. **STRENGTHENING OF INFRASTRUCTURE**

(a) Construction of Seed Storage Godowns & Seed Processing Plant building :

NSC added Seed storage capacity of 55,000 Qtls. during the year 2018-19 by constructing with modern technique. To maintain the proper ventilation and to avoid the sheltering of birds, the roof of the Storage Godowns were constructed with support less galvalume sheet with turbo ventilators.

The total storage capacity as on 31.03.2019 is 14.07 lakh Qtls. and additional Air conditioned seed storage capacity of 13,500 Qtls. .

(b) Creation of seed processing capacity :

The processing plants which were outdated and completed their economical useful life were condemned and replaced by new processing plant of the latest technology to maintain dust free environment and improving the quality of seed. The processing plants were erected on the raised platform with PLC based control panel.As on 31.03.2019 annual processing capacity is 22.36 lakh Qtls

1/2 Q pkbZl fo/kvka dk fuelZl%

यद्यपि फार्मों का भूमिगत जल खारा है जोकि सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है। नहर के पानी की कमी को देखते हुए एनएससी, नहर के किनारे नलकूप स्थापित कर रहा है जिससे पानी के स्रोत में बढ़ोत्तरी हो रही है। इसके अलावा, वर्ष 2018-19 के दौरान निगम ने फार्मों में 14 नलकूपों का निर्माण किया गया। इस प्रकार एनएससी के पास 31.03.2019 तक कुल 168 नलकूप हो गए हैं।

1/2 vif'KV Hfe dk -f'k ; k; Hfe ea: ikrj.l%

निगम ने अपनी स्वयं की मशीनरी से अकृष्य भूमि को कृषि योग्य बनाने में एक गहन कार्यक्रम शुरु किया है। वर्ष 2018-19 के दौरान, 250 हैक्टेयर क्षेत्र को समतल एवं विकसित किया गया।

1/2 fut h {k-kaecht mRi knu c<kus dsfy, l gk rl%

एनएससी, भारत सरकार के निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय योजनाओं को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। इस योजना के तहत पूरे देश में 651 लाभार्थियों ने एनएससी के माध्यम से सब्सिडी प्राप्त की। इस योजना के माध्यम से 31.03.2019 तक निजी क्षेत्र द्वारा लगभग 160.52 लाख कु. प्रसंस्करण क्षमता तथा 60.05 लाख कु. बीज भंडारण क्षमता का निर्माण किया।

1/2 ijke'Zl ol%

निगम अपने कार्यों के अलावा परामर्शी सेवाएं, बीज प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए तकनीकी सेवा तथा बीज भंडारण की सुविधाएं प्रदान कर रहा है। निगम के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा पंजाब, बिहार एवं गुजरात के राज्य बीज निगमों में बीज प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना की परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है।

1/2 l puk i k; kxdl%

एनएससी ने वर्ष 2017-18 तक बीज प्रबंधन एप्लीकेशन का रख-रखाव किया जिसके द्वारा क्षेत्रीय/प्रक्षेत्र कार्यालयों के उत्पादन/विपणन/स्टॉक कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा था। इन सभी गतिविधियों के साथ वित्त को भी आपस में जोड़ा गया।

पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एवं विभिन्न विभागों को परस्पर जोड़ने के लिए जिनका प्रक्षेत्र/क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ फार्मों पर नियंत्रण है, को वास्तविक समय डाटा (फसल निगरानी सहित) एक मोबाईल एप ईआरपी साफ्टवेयर विकसित करने के लिए एक नई पहल की गई थी। वित्त और बजट के साथ उत्पादन/विपणन/स्टॉक गुणवत्ता/परियोजना तथा अभियांत्रिकी/मानव संसाधन/कंपनी सचिवालय की हर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नियंत्रण अधिकारियों का डेशबोर्ड तैयार किया गया। इसके अलावा, एनएससी, बीज ट्रेसबिलिटी के लिए उपभोक्ता हेतु प्रत्येक बैग पर क्यूआर कोड लागू करने जा रहा है।

एनएससी ऑनलाईन ई-खरीद प्रणाली को लागू कर रहा है और उक्त पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं के लिए भी जैम का अनुसरण कर रहा है।

8- l lekxh i zaku xfrfof/k; k%

- खरीद, भंडारण एवं रसद की गतिविधियों के प्रबंधन के लिए इस विभाग को उन्नयन किया गया है।
- ऑनलाईन निविदा के माध्यम से खरीद की जा रही है।
- एनएससी के द्वारा खरीद की जाने वाली सामग्री जैम पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन्हें जैम पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जा रहा है।
- संभावित आपूर्तिकर्ताओं से अनुरोध किया जा रहा है कि वह जैम पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं।
- एमएसएमई आदेश 2012 के अनुसार, एमएसएमई फर्मों को निविदाओं में वरीयता दी जा रही है।
- थैलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए पैकिंग सामग्रियों की तकनीकी विशेषताओं को संशोधित किया गया है।
- विपणन में सुधार के लिए फसल विशिष्ट बीओपीपी बैंगों और नए डिजाईन वाले लेमिनेटेड फोटो पॉली पाउच में प्रस्तुत किए गए हैं।
- प्रतिस्पर्धी कीमतों पर गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अधिकांश खरीद को केंद्रीकृत किया जा रहा है।
- खरीद की गई सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नामित प्रयोगशालाओं से परीक्षण किए जाते हैं।
- एनएससी द्वारा खरीदी गई सामग्री का मासिक खरीद डाटा निरंतर [^], e, l , ebZl xà i lWZy** पर अपलोड किया जा रहा है।

(c) Creation of irrigation facilities :

Although the underground water of the farms is brackish which is not suitable for irrigation as a direct use but due to acute shortage of canal water, NSC is installing tube-wells alongside the banks of the canal to supplement the water in watercourses for increasing the discharge and further output. During the year 2018-19 Corporation has added 14 Nos of tube-wells in the Farms and the total Nos of tube-wells are 168 Nos as on 31.03.2019.

(d) Conversion of Waste Land into cultivable Land:

Corporation has taken an intensive programme to bring the uncultivable land into use at Farms with own machineries and in this way an area of 250 hectares was cleared and developed for the cultivation during 2018-19.

(e) Assistance for Boosting Seed Production in Private Sector :

NSC is the Nodal Agency for implementing the Central Sector Scheme on Assistance for Boosting Seed Production in Private Sector of the Government of India. Throughout the country, 651 beneficiaries have taken the subsidy through NSC under this scheme. About 160.52 lakh Qtls of Processing capacity and 60.05 lakh Qtls of Seed storage capacity were generated by the Private Sector through this scheme upto 31.03.2019.

(f) Consultancy Services :

Apart from our own works, NSC is providing Consultancy services, technical support for Establishment of Seed Processing Plants, Seed storage facilities. The Project of Seed Processing Plant Establishment at State Seed Corporations of Punjab, Bihar and Gujarat were completed successfully by expertise technical team of NSC.

(g) Information Technology :

Up till 2017-18 NSC was maintaining Beej Prabandhan software which was focusing on activities of Regional /Area Offices for the Production/ Marketing / Inventory programme. The finance was interlinked with all these activities.

To maintain the transparency and interlinking, different Divisions having control over Regional /Area Offices as well as Farms, a new initiative was taken to develop a software ERP having Mobile App to capture all the field details in real time data (including crop monitoring) to the dashboard of the Controlling Officers to monitor each and every activities of Production, Marketing, Inventory, Quality, Projects & Engineering, HR, CS & legal along with financial implication and budgeting. In addition, NSC is going to implement QR code on each and every bag for seed traceability from source to the consumer.

NSC is implementing online e-procurement system and also following GeM for the items which are available on the said Portal.

8. Material Management Activities :

- The dedicated department has been upgraded for managing the activities of procurement, storage and logistics.
- Procurements are being made through online tendering process.
- GeM portal is being requested to upload the goods being procured by NSC which are not currently available on the portal.
- The potential suppliers are being requested to register themselves at the GeM portal.
- MSME firms are being given preference in the tenders as per MSE order 2012.
- The technical specifications of packing material have been revised to improve the quality of bags.
- The Crop specific BOPP bags and Laminated Photo Poly pouches with new designs have been introduced for improving the Marketing potential.
- Most of the procurement is being made centralized for maintaining the quality at competitive prices.
- The procured materials are tested from designated laboratories to ensure its quality.
- The monthly data of procurement by NSC are being uploaded on “**MSME SAMBANDH PORTAL**” regularly.

➤ एमएसएमई आदेश 2012 का अनुपालन निम्न प्रकार से है:-

1/4- yk[k e2

Ø- l a	fooj . k	o"K 2017&18	o"K 2018&19	i Lrkfor y{; o"K2019&20
1.	कुल वार्षिक खरीद (मूल्य में)	1083.00	2721.51	3000.00
2.	एमएसईएस से खरीदे गए माल एवं सेवा की कुल लागत (अनु.जा./अनु.ज.जा. उद्यम भी शामिल हैं)	506.00	1851.51	750 से अधिक
3.	अनु.जा./अनु.ज.जा. उद्यम द्वारा सिर्फ एमएसईएस से खरीदे गए माल एवं सेवा की कुल लागत	शून्य	शून्य	150 से अधिक
4.	एमएसईएस से खरीद का : (कुल खरीद के अलावा अनु.जा./अनु.ज.जा. उद्यम द्वारा स्वयं एमएसईएस भी शामिल है)	46.72%	68.03%	25% से अधिक
5.	अनु.जा./अनु.ज.जा. उद्यम द्वारा कुल खरीद के अलावा सिर्फ एमएसईएस से खरीद का %	---	---	5% से अधिक
6	एमएसईएस के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम की कुल संख्या (वीडीपी)	---	---	2
7	क्या एमएसईएस से खरीद के लिए वार्षिक प्रापण योजना को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है	हां	हां	हां
8	क्या लक्ष्यों को वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है	हां	हां	हां

9- ekuo l à k/lu foHkx

एनएससी के सुचारु रूप से एवं कुशल संचालन के लिए मानव संसाधन विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ष 2018-19 के दौरान मानव संसाधन विभाग ने अपने भर्ती नियमों को संशोधित करके निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से पेशेवर एवं तकनीकी जनशक्ति की भर्ती की है। इसके अलावा वर्ष 2018-19 के दौरान मानव संसाधन विभाग ने एनएससी की जनशक्ति (कार्मिकों की संख्या) को संशोधित किया है तथा निगम की स्वीकृत जनशक्ति संख्या 2026 से घटाकर 1224 कर दी है। बीज उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी जनशक्ति बनाम गैर तकनीकी जनशक्ति के बीच का अनुपात 73:27 से बढ़कर 84:16 हो गया है। इसके अलावा एनएससी ने वर्ष 2018-19 के दौरान सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के स्थान पर 171 प्रशिक्षुओं/वरिष्ठ प्रशिक्षुओं/प्रबंधन प्रशिक्षुओं को प्रतिस्थापित किया है। 31.03.2019 को सभी वर्गों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या 1441 थी, जबकि 31.03.2018 को यह संख्या 1466 थी। 31.03.2019 को समूह क, ख, ग और घ के कार्मिक की संख्या निम्न प्रकार से है:

l eg	dkEdk dh dy l à ; k
क	158
ख	133
ग	573
घ	577
कुल	1441

वर्ष 2018-19 के दौरान पदोन्नति/सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पद एवं अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित उम्मीदवारों की संख्या के संबंध में विवरण निम्न प्रकार है:-

d- inkUkr:

l eg	Hjs x, ink dh l à ; k	v-t k@v-t kt k l s l a) m fclnojk dh l à ; k	
		v-t k	v-t k
क	14	1	0
ख	0	0	0
ग	41	7	1
घ	26	6	2
कुल	81	14	3

➤ The compliance report of MSE order 2012 is given below:

(Figures in Lakhs)

S. No.	Particulars	Year 2017-18	Year 2018-19	Proposed target for the year 2019-20
1	Total Annual Procurement (In Values)	1083.00	2721.51	3000.00
2	Total value of goods and services procured from MSEs (including MSEs owned by SC/ST entrepreneurs)	506.00	1851.51	More than 750
3	Total value of goods and services procured from MSEs owned by SC/ST entrepreneurs	NIL	NIL	More than 150
4	Percentage of procurement from MSEs (including MSEs owned by SC/ST entrepreneurs out of total procurement)	46.72%	68.03%	More than 25%
5	Percentage of procurement from only MSEs owned by SC/ST entrepreneur out of total procurement	-	-	More than 5 %
6	Total No. of Vendor Development Programmes for MSEs (VDP)	-	-	2
7	Whether Annual Procurement plan for purchases from MSEs uploaded on the official Website	YES	YES	YES
8	Whether targets reported in Annual Report	YES	YES	YES

9. HUMAN RESOURCE DEPARTMENT :

Human Resource Department of NSC plays a very important role for smooth and efficient running of NSC. During the year 2018-19, HR Department has recruited professionally and technically sound manpower by revising its Recruitment Rules and conducting recruitment activities in a fair and transparent manner. Further, during the year 2018-19, HR Department has modified the staff strength of NSC and sanctioned strength of NSC has reduced to 1224 from 2026. To ensure quality of seed production, the ratio between technical manpower vs. Non technical manpower increased to 84:16 from 73:27. Further, NSC also inducted 171 Trainees/Senior Trainees/ Management Trainees against superannuation of employees during the year 2018-19.

The total number of employees of all categories as on 31.03.2019 was 1441 against 1466 as on 31.03.2018. The staff strength in Group A,B,C & D as on 31.03.2019 was as under:-

Group	Total No. of Employees
A	158
B	133
C	573
D	577
Total	1441

The information with regard to the posts filled-up by promotion/direct recruitment and number of candidates belonging to SC/ST promoted/appointed during the year 2018-19 is as under:-

A. Promotion:

Group	No. of Posts filled	No. of candidates belonging to SC/ST	
		SC	ST
A	14	1	0
B	0	0	0
C	41	7	1
D	26	6	2
TOTAL	81	14	3

[क ल ह/ख ह/ग/घ]

ल एग	Hjsx, inkdh l d; k	v-t k@v-t-t k@v-fi-{ks@fnQ kx l sl a) r mElnokjkdh l d; k			
		v-t k	v-t-t k	v-fi-{ks	fnQ kx
क	23 (प्रबंधन प्रशिक्षु)	04	03	07	01
ख	---	---	---	---	---
ग	148 (प्रशिक्षु/डीटी)	21	20	36	5
घ	30*	03	01	08	---
dy	201	28	24	51	6

*श्रेणी घ में सीधी भर्ती नहीं की गई, यद्यपि निगम की नीति के अनुसार दैनिक वेतन भोगी कामगारों को नियमित किया गया।

x- 31-03-2019 dks, u, l l h dsfofHUK l eg eavud for t kfr@vud for t ut kfr dsl nL; kdk i frfuf/ko fuFu izlkj g%&

ल एग	dkEdhkdh dy l d; k	v-t k@v-t-t k l sl a) mElnokjkdh l d; k	
		v-t k	v-t-t k
क	158	19	06
ख	133	20	08
ग	573	90	34
घ	577	143	20
dy	1441	272	68

?k Hwi wZl Sudkdk fu; kt u

31.03.2019 को निम्नलिखित प्रत्येक भूतपूर्व सैनिकों के लिए चिन्हित पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की संख्या निम्न प्रकार है:-

Jskh	l d; k
समूह-क	&
समूह-ख	&
समूह-ग	&
समूह-घ	1
dy	1

निगम 'पदों पर आधारित' आरक्षण रोस्टर रखने के संबंध में लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली से समय-समय पर प्राप्त मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करता है।

3. fnQ kxt uldsfy, vlg{k k vf/ku; e] 2016

राष्ट्रीय बीज निगम, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक वाणिज्यिक संगठन है जोकि लोक उद्यम विभाग की नीतियों द्वारा शासित है तथा दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण अधिनियम 2016 के अनुसरण में समय-समय पर डीओपीटी/ भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करता है। एनएससी ने हमेशा निगम में बैंच मार्क दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण प्रदान करने का अधिकतम प्रयास किया है। एनएससी का प्रबंधन दिव्यांगजनों को समान अवसर प्रदान करने के लिए दृढ़-संकल्प है। एनएससी द्वारा दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण अधिनियम, 2016 की प्रत्येक धारा को लागू करने के लिए उठाए गए कदम निम्न प्रकार से हैं:-

B. Direct Recruitment:

Group	No. of posts filled	No. of candidates belonging to SC/ST/OBC/PH			
		SC	ST	OBC	PH
A	23 (MT)	04	03	07	01
B	---	---	---	---	---
C	148 (Trainees/DT)	21	20	36	5
D	30*	03	01	08	---
Total	201	28	24	51	6

*No direct recruitment made in Group-D post. However, DPWs/DWWs have been regularized as per Policy of the Corporation.

C. Representation of SC/ST in various groups of employees as on 31.03.2019 was as under:

Group	Total No. of Employees	No. of Employees belonging to SC/ST	
		SC	ST
A	158	19	06
B	133	20	08
C	573	90	34
D	577	143	20
Total	1441	272	68

D. Employment of Ex. Servicemen

The Strength of Ex-servicemen as on 31.03.2019 was as under:

Category	Strength
Group-A	-
Group-B	-
Group-C	-
Group-D	1
Total	1

The Corporation is following guidelines received from Department of Public Enterprises, Govt. of India, New Delhi from time to time in regard to maintaining "Post Based" reservation roster.

E. Reservation to Persons with Disabilities Act, 2016

NSC is a commercial organization under Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, governed by the policies of DPE, follows the laid down norms as prescribed by DoPT/Govt. of India from time to time. In pursuance of RPwD Act 2016, NSC has always made maximum possible efforts to ensure reservation to persons with benchmark disabilities in the Corporation. The Management of NSC is determinant on the subject of providing equal opportunities to Employees of PwD categories. Following are the major steps taken by NSC in order to implement each and every section of RPwD Act, 2016:-

(i) **दिव्यांगजनों के आरक्षण अधिनियम 2017 को अपलोड किया है।**

- सामान अवसर के लिए तथा निगम के कार्मिकों/हितधारकों/आम जनता में दिव्यांगजनों के अधिकारों को अपनी वेबसाइट पर दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण अधिनियम 2017 को अपलोड किया है।
- एनएससी अपने परिसर के अंदर दिव्यांगजनों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर रहा है जैसे वाकिंग रैंप, अलग शौचालय तथा विश्राम कक्ष की सुविधा, ताकि वे अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें।
- दिव्यांगजनों के आरक्षण के लिए अलग से रजिस्टर बनाया गया है।

(ii) **वर्ष 2018 से सीधी भर्ती में 4 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया है।**

- वर्ष 2018 से सीधी भर्ती में 4 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया है।
- निगम की आवश्यकतानुसार दिव्यांगजनों को उनके गृह राज्य के नजदीक में तैनाती के अधिकतम प्रयास किए गए।
- सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए दिव्यांग उम्मीदवारों के पात्रता मानदंड को हमेशा सामान्य/ओबीसी/एससी/एसटी से नीचे रखा गया है।
- परीक्षा में दिव्यांगजनों (बैंच मार्क दिव्यांगता) को लिखने की सुविधा, बैठने की व्यवस्था तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की गई।

(iii) **निदेशक (वित्त) जोकि पीईएसबी के द्वारा नियुक्त हैं, एनएससी के शिकायत निवारण अधिकारी है जिनके अधीन एक अलग शिकायत रजिस्टर रखा गया है और उनके प्रत्यक्ष देख रेख में समय पर कार्रवाई की जा रही है।**

- निदेशक (वित्त) जोकि पीईएसबी के द्वारा नियुक्त हैं, एनएससी के शिकायत निवारण अधिकारी है जिनके अधीन एक अलग शिकायत रजिस्टर रखा गया है और उनके प्रत्यक्ष देख रेख में समय पर कार्रवाई की जा रही है।
- श्रेणी-क स्तर के अधिकारी को दिव्यांगजनों के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

(iv) **दिव्यांगता के कारण दिव्यांग**

(31.03.2019 तक के आंकड़े)

दिव्यांगता के कारण	अंक
अंधत्व के कारण दिव्यांग	06
बहरेपन के कारण दिव्यांग	02
सेरेबल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीडित एवं अपविकास सहित लोकोमोटर विकलांगता	09
आत्मकेंद्रित बौद्धिक दिव्यांगता एवं मानसिक बीमारियां, प्रत्येक विकलांगता के लिए चिन्हित पदों में बधिर-अंधापन सहित उक्त श्रेणी "क" से "घ" तक शामिल व्यक्तियों में कई विकलांगताएं	0

10- नव नियुक्त प्रबंधन प्रशिक्षुओं, वरिष्ठ प्रशिक्षुओं, प्रशिक्षुओं, प्रशिक्षु मेट आदि के लिए निगम की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए मुख्यालय में 02 दिन का इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रबंधन ने प्रशिक्षण अवधि के दौरान सभी नव नियुक्त प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने पर ध्यान रखा है। अवधि के दौरान हर छह महीने की अवधि में दो बार मूल्यांकन किया जाता है। इसके अलावा, निगम ने विपणन कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मांगे) हैदराबाद में कृषि इनपुट विपणन में 05 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। आईसीएआर-आईएआरआई, पूसा, नई दिल्ली में उत्पादन कार्मिकों के लिए भी 05 दिवसीय 02 प्रशिक्षण कार्यक्रम बीज उत्पादन, प्रसंस्करण और सब्जी फसलों पर आयोजित किए गए। इसके अलावा, एनएससी ने नव नियुक्त प्रबंधन प्रशिक्षु को संबंधित गतिविधियों की परियोजनाओं के बारे में बताया। सभी प्रबंधन प्रशिक्षु को प्रशिक्षण अवधि के दौरान अपने कार्य स्थल पर अपने नियमित कार्य के अलावा सौंपे गए प्रोजेक्ट वर्क को भी तैयार करना होता है। प्रशिक्षण अवधि और परियोजना के दौरान उनके निष्पादन के आधार पर उनके नियमितकरण पर विचार किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 के दौरान निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

(i) Equality/facilities to Employees of the Corporation

- For equal opportunity and to bring the rights of PwD in the notice of employees of the Corporation/ Stakeholders / General Public, NSC has uploaded RPwD Act, 2017 on its website.
- NSC is providing necessary facility and amenity within the premises such as walking ramp, separate toilet and rest room facility to enable them to discharge their duties effectively.
- Separate register for reservation of PwDs is maintained.

(ii) Equal Employment Opportunity in the Corporation

- Ensured 4% reservation in direct recruitment from the year 2018.
- Maximum efforts were made to provide nearby/home state as place of posting of PwD candidates as per need of the Corporation.
- The eligibility criteria to PwD candidates for direct recruitment and promotion have always been kept below UR/OBC/SC/ST.
- Facilities of Scribe, sitting arrangement & other to PwD (Benchmark disability) were provided in the examination.

(iii) Grievance Redressal

- Director (Finance) a PESB appointee is the Grievance Redressal Officer of NSC under whom a separate complaint register has been maintained and timely actions are being taken under direct supervision of him.
- Group “A” level Officer has been appointed as Liaison Officer for PwD.

(iv) Statistics of Human Resources of PWD Category

(Statistics as on 31.03.2019)

Category of Disability	Number of Existing Employees
Cat-“A”- blindness and low vision	06
Cat-“B”- deaf and hard of hearing	02
Cat-“C”- locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy	09
Cat-“D”- autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (e) multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf-blindness in the posts identified for each disabilities	0

10. TRAINING ACTIVITIES IN NSC:

For the newly appointed Management Trainees, Sr. Trainees, Trainee Mates etc. 2 days Induction Training programme were conducted at Head Office to brief about various activities of the Corporation. Management has also taken care to educate all newly appointed Trainees during their training period. Evaluations are done twice during their training period at every six-month period. Further, the Corporation has conducted 5 days training programme for Marketing Staff on “Agri Input Marketing” at National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE), Hyderabad. For Production Staff also 2 training programmes of 5 days each were conducted on “Seed Production, Processing & Vegetable crops” at ICAR-IARI, Pusa, New Delhi. Further, NSC had also introduced the system for providing related activities projects to the newly appointed MTs. All MTs have to prepare their Project Work assigned in addition to his/her routine work at their working place during the training period. Based on his/her performance during training period and project work his/her regularization is being considered. The following training programmes were organized during the year 2018-19.

o"KZ2018&19 ds nsk ku , ul l h ea vk ft r i f k k k dk Øe dk C ksk

Ø- l a	dk Øe dk uk	Hkx ysisoky k dk uk , oai nuke	rkh k	Hkx ysis oky k dh l d ; k	LFku@vk kt d
1	प्रथम अपील प्राधिकारी / केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी/सहायक केंद्रीय लोकसूचना अधिकारी (श्री एम.एस कासना, मास्टर ट्रेनर द्वारा)	राधे श्याम, उप महा प्रबंधक, एम.वेकेंटा गौडा, प्रबंधक, एस.पी. पांडेय, सहायक महा प्रबंधक, एके धिल्डियाल, सीवीओ, केसी शर्मा, क्षे.प्र. शीलेन्द्र कुमार, उप महा प्रबंधक, डॉ एसके यादव, अपर महा प्रबंधक, मो. राकिम, कं.स. प्रशांत कुमार पटिल, क. अभियता, प्रमोद कुमार, प्रबंधक, अवधेश मिश्रा, प्रबंधक, राज कुमार, प्रबंधक, बी.पी. सिंह, उप महा प्रबंधक, आनंद स्वरूप, सहायक महा प्रबंधक, राजेश नौटियाल, सहायक प्रबंधक, वैश्रव, सहायक प्रबंधक कौशिक रक्षित, व. महा प्रबंधक, प्रेम चंद, अपर महा प्रबंधक, डीके कोल, प्रबंधक, वी.स भानू, सहायक महा प्रबंधक, राम किशन, सहायक प्रबंधक, आनंद कु. लेखा अधि. एसके अरोडा, सहायक प्रबंधक, रणधीर सिंह, सहा. प्रबंधक, एसएन सिंह, सहायक महा प्रबंधक, मीना रैना, सहायक, वीरेन्द्र सिंह, सहायक अधि, राजेश कुमार, निजी सचिव, बलजिन्दर सिंह, सहायक, मनु मलिक, सहायक प्रबंधक, डॉ मौसमी कुड्डू, सहा-प्रबंधक, हेमा राठौर, सहायक प्रबंधक, वायके उज्जवल, सहा-प्रबंधक, आईपी सिंह, मा.स. अधिकारी, अहमद रजा, सहायक महा प्रबंधक, जैस्सी जैकब, उप महा प्रबंधक, एसएल वाजपेयी, क्षे.प्र. वी. मोहन, निदेशक (वित्त)	25.04.18	38	एनएससी, निगमित कार्यालय
2	कृषि विपणन प्रबंधन (प्रो. संजीव कपूर, लखनऊ)	अशोक कुमार, सहा. महा प्रबंधक (उत्पादन), एसएस चौधरी, प्रबंधक, लखन सिंह, प्रबंधक, जय प्रकाश, सहायक प्रबंधक, चंचल साह, प्रबंधक, मनोज कुमार, सहायक, साउद प्रवेज, व. प्रशिक्षु, वंश गुप्ता, व. प्रशिक्षु, विनोद कुमार, सहायक, कु. मोना, व.प्रशिक्षु. सौम्या केंपी, व. प्रशिक्षु, चेतन कुमार, सहायक, कौशर अहमद, उत्पादन अधि., अनिल कुमार, उत्पादन अधि., महेन्द्र कुमार, सहा. प्रबंधक, मोहन स्वरूप गंगवार, सहा. अधि, दीन दायाल, व.प्रशिक्षु, इंदल सिंह, सहायक, अभिषेक सिंह, व. प्रशिक्षु, नीरज कुमार, व. प्रशिक्षु, रईस अब्बास, उत्पादन अधि, ओम प्रकाश अरिया, उत्पादन अधिकारी, सरमन सिंह उत्पादन अधिकारी, अवधेश कृष्ण, प्रबंधक, शीश राम दयाल, व. सहायक, प्रवेश कुमार, प्रबंधक, गोपाल लाल धारवा, व.सहायक, तेजमल सैनी, उत्पादन अधिकारी, राजू लाल मीना, उत्पादन अधिकारी, धन फूल मीना, सहा. प्रबंधक, बाबू लाल टकर, सहा. प्रबंधक, सगल मल सुतलिया, उत्पादन अधिकारी, चंद्र प्रकाश, उत्पादन अधिकारी संजीव कुमार, उत्पादन अधिकारी, मुकेश कुमार, सहा. प्रबंधक, मितलेश कुमार, सहा. प्रबंधक, केसी शर्मा, क्षे.प्र., एमसी रूहेला, सहा. प्रबंधक, आरपी सिंह, सहा. प्रबंधक, वीके शर्मा, सहा.महा प्रबंधक, बीके शर्मा, सहायक प्रबंधक, पीके पटनायक, क्षे.प्र., डॉ एम. सरकार, सहा. प्रबंधक, एम. अहमद रजा, सहा. महा प्रबंधक, अमनदीप चौधरी, सहा. प्रबंधक, राजेन्द्र प्रसाद, सहा. प्रबंधक, अशीष कु. श्रीवास्तव, उत्पादन अधिकारी, डॉ आरएस चंदेल, प्रबंधक, एसएल वाजपेयी, क्षे.प्र. एमएस रावत, सहा.प्रबंधक ओंकार सिंह, क्षे.प्र., डॉ पंकज त्यागी, क्षे.प्र., अभिनव पांडेय, सहायक, डीके कोल, प्रबंधक, अमित सिंह, व. सहायक, दीप शर्मा, पर्यवेक्षक, कलिका प्रताप, उत्पादन अधिकारी	08.05.2018 से 09.05.2018 तक	57	एनएससी निगमित कार्यालय

STATUS OF TRAINING PROGRAMME IN NSC FOR THE YEAR 2018-19

S.No.	Name of Programme	Name & Designation of the Participant S/Shri	Date	No. of Participants	Place/ Organiser
1	RTI for FAA/ CPIO/APIO (By ShriMS Kasana, Master Trainer)	Radhey Shyam, DGM, M.Venkate Gowda, Mgr., SP Pandey, AGM, AK Ghiliyal, CVO, KC Sharma, RM, Sheelendra Kumar, DGM, Dr.SK Yadav, Ad.GM, Md.Raquim, CS, Prasant Kumar Patil, JE, Pramod Kumarr, Mgr, Awadesh Mishra, Mgr, Raj Kumar, Mgr, BP Singh, DGM, Anand Swaroop, AGM, Rajesh Nautiyal, AM, SL Vaishnav, AM, Kaushik Rakshit, SGM, Prem Chand, Ad.GM, DK Kaul, Mgr, VS Banu, AGM, Ram Kishan, AM, Anand Kumar, AO, SK Arora, AM, Randhir Singh, AM, SN Singh, AGM, Meena Raina, Asstt., Virendar Singh, AO, Rajesh Kumar, PS, Baljinder Singh, Asstt., Manu Malik, AM, Dr. Maushumi Sarkar, AM, Hema Rathore, AM, YK Ujjwal, AM, IP Singh, HR Officer, MAhmed Raza, AGM, Jessy Jacob, DGM, SL Bajpai, RM, V. Mohan, D(F)	25.04.18	38	NSC Corporate Office
2	Agril. Marketing Management (Prof. Sanjeev Kapoor, Lucknow)	Ashok Kumar, AGM(P), SS Chaudhary, Mgr. Lakhan Singh, Mgr. Jai Prakash, AM, Chanchal Sah, Mgr. Manoj Kr, Asst. Saud Parvez, Sr. Tr. Vansh Gupta, Sr. Tr., Vinod Kr, Asstt., Kr Mona, Sr.Tr., Somaiah KP, Sr. Tr., Chetan Kr.Asstt., Kausar Ahmad, PO, Anil Kr, PO, Mahendra Kr, AM, Mohan Swaroop Gangwar, AO, Deen Dayal, Sr.Tr., Indal Singh, Asstt., Abhishek Singh, Sr.Tr., Neeraj Kr., Sr.Tr., Rais Abbas, PO, Om Prakash Ariya, PO, Sarman Singh, PO, Awadesh Krishan, Mgr., Shish Ram Dhayal, Sr.Asstt., Prabesh Kumar, Mgr., Gopal Lal Dadarwa, Sr.Astt., Tejmal Saini, PO, Raju Lal Meena, PO, Dhan Phool Meena, AM, Babu Lal Takar, AM, Sagal Mal Sutaliya, PO, Chandra Prakash, PO, Sanjeev Kumar, PO, Mukesh Kumar, AM, Mithilesh Kumar, AM, KC Sharma, RM, MC Rohilla, AM, RP Singh, AM, VK Sharma, AGM, BK Sharma, AM. PK Patnaik, RM, Dr. M.Sarkar, AM, M.Ahmad Raza, AGM, Amandeep Chaudhary, AM, Rajendra Prasad, AM, Ashish Kr Srivastav, PO, Dr. R S Chandel, Mgr., SL Bajpai, RM, MS Rawat, AM, Onkar Singh, RM, Dr.Pankaj Tyagi, RM, Abhinav Pandey, Asstt, D K Kaul, Mgr., Ameet Singh, Sr. Asstt., Deep Sharma, Supr., Kalika Pratap, PO	08.05.2018 To 09.05.2018	57	NSC Corporate Office

क्र.सं.	कार्यक्रम का विवरण	आयोजक/अधीक्षक (सूत)	प्रारंभ तिथि	समाप्ति तिथि	स्थान
3	एडब्ल्यूएस कालउड डे	राजेश चौहान, अधिकारी (सू.त)	15.05.2018	01	एडब्ल्यूएस, नई दिल्ली
4	पीएसयू आईटी फोरम	श्री नीरज, उप महाप्रबंधक (अभि) एवं उमेश कुमार शर्मा, अधिकारी (सू.त)	16.05.2018	02	आईटी फोरम
5	बीज उत्पादन, प्रसंस्करण, परीक्षण, भंडारण तथा सब्जियों के बीजों पर प्रशिक्षण	इंदर सिंह, सहायक, हरिलाल, सहायक, अनुज कुमार, सहायक, शीशपाल तोमर, पर्यवेक्षक, वीरेन्द्र सिंह, पर्यवेक्षक, सीत राम बैरवा, सहायक, विनोद कुमार, सहायक, सतेन्द्र सिंह, सहायक, मनोज कुमार, सहायक, अमन प्रीत सिंह, सहायक, अजय कुमार शर्मा, सहायक, सचिन बडोले, व. सहायक, राजीव कुमार, पर्यवेक्षक, अजय पांडेय, व. सहायक, विनोद कुमार, सहायक, गरिमा गौड़, प्रशिक्षु, राकेश चौधरी, सहायक, मुकेश कुमार, सहायक, पवन कुमार, सहायक, विनय सलीमठ, व. सहायक, अभिनव पांडेय, व. सहायक, डी. श्यामप्रसाद, सहायक एवं सी. मल्लिकार्जुन, सहायक	21.05.2018 से 25.05.2018 तक	25	डीएसएसटी, आईसीएआर, आईएआरआई, पूसा, नई दिल्ली एनएससी, निगमित कार्यालय
6	जीएसटी पर राष्ट्रीय सम्मेलन	श्री वी. मोहन, निदेशक (वित्त)	01.06.2018 से 02.06.2018 तक	01	आईसीएआई, नई दिल्ली
7	बीजों का विपणन	नई भर्तियां (वरिष्ठ प्रशिक्षु विपणन)	22.06.2018	38	एनएससी, नई दिल्ली
8	इंडक्शन प्रशिक्षण	नई भर्तियां (प्रशिक्षु/व. प्रशिक्षु)	23.06.2018 से 25. 06.2018	76	एनएससी, नई दिल्ली
9	इंडक्शन प्रशिक्षण	नई भर्तियां (प्रशिक्षु/डीटी/व. प्रशिक्षु)	12.07.2018 से 14.07.2018	76	एनएससी, नई दिल्ली
10	कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण	श्रीमती जैस्सी जैकब, उप महा प्रबं/क जवित्त)	20.07.2018	01	आईआईसीए, नई दिल्ली
11	इंडक्शन प्रशिक्षण	नई भर्तियां (प्रशिक्षु/डीटी/व.प्रशिक्षु/प्रबंधन प्रशिक्षु)	24.07.2018 से 26.07.2018 तक	43	एनएससी, नई दिल्ली
12	जीएसटी-मुद्दे एवं चिंताएं	श्री संतोष कुमार रावट, लेखा अधिकारी (वित्त), हैदराबाद	27.07.2018	01	आईसीएआई, हैदराबाद
13	बीज प्रबंधन एवं निविदाएं	केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, सरदारगढ़, जैतसर एवं हिसार के अधिकारी व कर्मचारी	01.08.2018	31	एनएससी, के.रा.फा. सूरतगढ़ जराजस्थान)
14	निविदाओं, खरीद एवं अनुबंध पर सुरक्षा	श्री शीलेन्द्र कुमार, उप महा प्रबंधक (सा.प्र), एवं श्री चंद्र शेखर, प्रबंधक (अभि)	06.09.2018	02	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद नई दिल्ली
15	नोडेल अधिकारियों के लिए केएमएस प्रशिक्षण	श्री चंद्र शेखर, प्रबंधक (अभि)	11.10.2018	01	डीपीई, भारत सरकार, नई दिल्ली
16	पीसीए-स्थायी न्यायिक मध्यस्थता	डॉ एसके यादव, अपर महा प्रबंधक (विधि), श्री चिन्मय राँय, प्रबंधन प्रशिक्षु (विधि), एवं श्री वीरेन्द्र सिंह, सहायक अधिकारी (विधि)	27.10.2018 से 28.10.2018 तक	03	डीपीई, भारत सरकार, नई दिल्ली
17	निवारक सतर्कता पर ओटीपी	श्री राज कुमार, प्रबंधक (सतर्कता)	02.11.2018	01	आईएसटीएम, नई दिल्ली

S.No.	Name of Programme	Name & Designation of the Participant S/Shri	Date	No. of Participants	Place/ Organiser
3	AWS Claude Day	Rajesh Chauhan. Officer(IT)	15.05.2018	01	AWS, New Delhi
4	PSU IT FORUM	Shri Neeraj, DGM (E) & Umesh Kr.Sharma, Officer(IT)	16.05.2018	02	IT FORUM
5	Seed Production, Processing, Testing and storage in Field and Vegetable crops	Indal Singh, Asstt., Harilal, Asstt, Anuj Kumar, Asstt, Shishpal Tomer, Supr., Virendra Singh, Supr., Sita Ram Bairwa, Asstt, Vinod Singh, Asstt, Satendra Singh, Asstt, Manoj Kr., Asstt, Aman Preet Singh, Asstt, Ajay Kr Sharma, Asstt, Sachin Badole, Sr. Asstt, Rajeev Kr. Supr.,Ajay Pandey, Sr. Asstt, Vinod Kr, Asstt, Garima Gaur, Trainee, Rakesh Chaudhary, Asstt, Mukesh Kr, Asstt, Pawan Kr, Asstt, Vinay Salimath, Sr. Asstt, Abhinav Pandey, Sr. Asstt., D. Shyam Prasad, Asstt, & C.Mallikarjun, Asstt.	21.05.2018 To 25.05.2018	25	DSST, ICAR-IARI, Pusa, New Delhi NSC Corporate Office
6	National Conclave on GST	Shri V.Mohan, Director (Fin.)	01.06.2018 To 02.06.2018	01	ICAI, New Delhi
7	Marketing of Seeds	New Recruits (Sr. Trainee Marketing)	22.06.2018	38	NSC, New Delhi
8	Induction Training	New Recruits(Trainees/Sr. Trainees)	23.06.2018 To 25.06.2018	76	NSC, New Delhi
9	Induction Training	New Recruits(Trainee/DT/Sr. Trainees)	12.07.2018 To 14.07.2018	76	NSC, New Delhi
10	Internal Financial Controls under Companies Act, 2013	Smt. Jessy Jacob, DGM (Fin)	20.07.2018	01	IICA, New Delhi
11	Induction Training	New Recruits (Trainee/DT/Sr. Trainees/ MTs)	24.07.2018 To 26.07.2018	43	NSC, New Delhi
12	GST-Issues & concerns	Shri Santosh Kumar Rout, AO (F), Hyd	27.07.2018	01	ICAI, Hyderabad
13	Beej Prabandhan & Tendering	Officers & Staff of CSF, Suratgarh, Sardargarh, Jetsar & Hisar	01.08.2018	31	NSC, CSF, Suratgarh (Raj)
14	Safeguard on tendering, procurement and contracting	Shri Sheelender Kumar, DGM(MM) & Shri Chandra Sekhar, Manager (Engg)	06.09.2018	02	National Productivity Council, New Delhi
15	KMS Training for Nodal Officer	Shri Chandra Sekhar., Mngr.(Engg)	11.10.2018	01	DPE,GOI, New Delhi
16	PCA-Permanent CourtArbitration	Dr. SK Yadav, Adl. GM (L), Shri Chinmoy Roy, MT(L) & Shri Virender Singh, AO(L)	27.10.2018 To 28.10.2018	03	DPE, New Delhi
17	OTP On Preventive Vigilance	Shri Raj Kumar, Mngr. (Vig)	02.11.2018	01	ISTM, New Delhi

क्र.सं.	विषय	प्रशिक्षक/सहायक	प्रारंभ/समाप्ति	दिनांक	स्थान
18	बीज उत्पादन, प्रसंस्करण एवं प्रमाणीकरण पर किसानों की आय दुगुनी करने के लिए आगे बढ़ने का मार्ग	सुश्री अवस्थी ज्योतसना ओआर, प्रबंधन प्रशिक्षु (उत्पादन) बागवानी और सुश्री पेरावली श्रीगौरी, प्रशिक्षु (कृषि)	13.11.2018 से 20.11.2018 तक	02	यूएस, रायचूर (कर्नाटक)
19	अरंडी, सूरजमुखी, कुसुम और तिल के फसलों में बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी	डॉ योगेन्द्र यादव, सहायक प्रबंधक (उत्पादन), श्री अभिषेक सिंह, सहायक प्रबंधक (उत्पादन), श्री रईस अब्बास, सहायक प्रबंधक (उत्पादन) एवं सुश्री ऊषा बीआर, व. प्रशिक्षु (कृषि)	07.01.2019 से 11.01.2019 तक	04	आईआईओर, हैदराबाद
20	बीज स्वास्थ्य प्रबंधन	श्री मुकेश कुमार वर्मा, सहायक प्रबंधक (उत्पादन)	07.01.2019 से 11.01.2019 तक	01	जेएनकेवीवी, जबलपुर (मध्य प्रदेश)
21	कृषि इनपुट विपणन	वरिष्ठ प्रशिक्षुओं (विपणन)	14.01.2019 से 18.01.2019 तक	40	मांगे, हैदराबाद / एनएससी नई दिल्ली
22	गुणवत्ता बीज उत्पादन के लिए बीज गुणवत्ता संवर्धन में नवाचार	श्री अजय पांडेय, व. सहायक (उत्पादन), श्री केबीएस रेड्डी, व. प्रशिक्षु (कृषि) एवं श्री डीएस नवीन कुमार, सहायक (उत्पादन)	28.01.2019 से 01.02.2019 तक	03	डीएसएसटी, कृषि कॉलेज, रायचूर (कर्नाटक)
23	प्रसंस्करण संयंत्रों एवं सिंचाई पद्धति का परिचालन व रख-रखाव	20 प्रतिभागी	12.02.2019 से 14.02.2019 तक	20	एनएससी, केराफा, सूरतगढ़ (राजस्थान) / एनएससी निगमित कार्यालय
24	उत्पादन में वृद्धि एवं पोषकतत्वों की सुरक्षा के लिए सब्जी फसलों के संकर बीजों का उत्पादन	सुश्री अवस्थी, प्रबंधन प्रशिक्षु (बागवानी), श्री आनंद कु. सिंह, व. प्रशिक्षु एवं श्री दुर्गा प्रसाद, प्रशिक्षु (कृषि)	12.02.2019 से 19.02.2019 तक	03	सब्जी विज्ञान विभाग, आईसीएआर, पूसा, नई दिल्ली
25	नई पंचाट व्यवस्था	सुश्री आयुषी, प्रबंधन प्रशिक्षु (एसीएस) एवं श्री वीरेन्द्र सिंह, सहायक अधिकारी (विधि)	09.03.2019	02	एएसएसओसीएचएएम, आईसीएडीआई होटल ले-मेरीडियन, नई दिल्ली
26	ट्रैक्टर एवं नए आधुनिक मशीनरी	30 प्रतिभागी	11.03.2019 से 12.03.2019 तक	30	एनएससी, केराफा, सूरतगढ़ (राजस्थान) / एनएससी निगमित कार्यालय
27	बीज उत्पादन, प्रसंस्करण, परीक्षण तथा सब्जियों के बीजों पर प्रशिक्षण (रबी)	25 प्रबंधन प्रशिक्षु (उत्पादन), व. प्रशिक्षु (उत्पादन), प्रशिक्षु (कृषि) एवं मेट (कृषि)	12.03.2019 से 16.03.2019	26	आईएआरआई-आईसीएआर, डीएसएसटी, नई दिल्ली / एनएससी निगमित कार्यालय
28	मोटे अनाजों पर एआईसीआरपी में वार्षिक साधारण बैठक	श्री प्रवेश कुमार, प्रबंधक	15.03.2019 से 17.03.2019 तक	01	आईसीएआर, पूसा, नई दिल्ली

S.No.	Name of Programme	Name & Designation of the Participant S/Shri	Date	No. of Participants	Place/ Organiser
18	Advances in Seed Pron. Proc. and Certification. A way forward for doubling the Farmers Income	Ms. Aswathi Jyothsana OR, MT (P)-Hort. and Ms. Peravali Sri Gowri, Trainee(Ag)	13.11.2018 To 20.11.2018	02	UAS, Raichur (Karnataka)
19	Seed Production Technology in Castor, Sunflower, Safflower & Sesame crops	Dr. Yogendra Yadav,AM(P), Shri Abhishek Singh, AM(P), Shri Rais Abbash, AM(P) & Ms. Usha BR, Sr. Trainee (Ag)	07.01.2019 To 11.01.2019	04	IIOR, Hyderabad
20	Seed Health Management	Shri Mukesh Kumar Verma,AM(P)	07.01.2019 To 11.01.2019	01	JNKVV, Jabalpur (MP)
21	Agri-Input Marketing	Sr. Trainees (Marketing)	14.01.2019 To 18.01.2019	40	MANAGE, Hyderabad /NSC, New Delhi
22	Recent Innovation in Seed Quality Enhancement for Quality Seed Production	Shri Ajay Pandey, Sr. Asstt (P), ShriKBS Reddy, Sr. Trainee (Agri) & Shri D S Naveen Kumar, Asstt (P)	28.01.2019 To 01.02.2019	03	DSST, College of Agri, Raichur (KA)
23	Operation, maintenance of Processing Plant & Method of Irrigation.	20 participants	12.02.2019 To 14.02.2019	20	NSC, CSF, Suratgarh (Raj)/ NSC, Corporate Office
24	Hyb. Seed Prod. of Veg. Crops for enhancing prodn & Nutrition Security	Ms. Aswathi, MT(Hort), Shri Anand Kr Singh,Sr.T (Hort) & Shri Durga Prasad, Tr.(Ag)	12.02.2019 To 19.02.2019	03	Divn. of Veg. Science ICAR, Pusa, New Delhi
25	New Arbitration Regime	Ms. Aayushi, MT (ACS) & Shri Virendar Singh,AO(L)	09.03.2019	02	ASSOCHAM ICADI Hotel Le-meridian, ND
26	Tractor & New Advancement in Machinery	30 Participants	11.03.2019 To 12.03.2019	30	NSC, CSF, Suratgarh (Raj) /NSC corporate Office
27	Seed Prod. Processing, Testing in Field & Veg. Crops (Rabi)	25 MT(P), Sr.T (P), Tr(Ag) & Mate(Ag)	12.03.2019To 16.03.2019	26	IARI-ICAR, DSST, ND/ NSC Corporate Office
28	AGM ofAICRP On Pearl Millet	Shri Prabesh Kumar, Manager	15.03.2019 To 17.03.2019	01	ICAR, Pusa, N/D

Ø- l a	dk Øe dk uk	Hkx ysis oky l dk uk , oai nuke	rj h k	Hkx ysis oky l dk I d; k	LFku@vk kt d
29	वैज्ञानिक बीज फिल्म कोटिंग	सर्व/श्री एमएस वशिष्ठ, उत्पादन अधिकारी (गु.नि.), वी. के. बदया, कनिष्ठ अभियंता, विशाल उप्रेती, प्रबंधन प्रशिक्षु (अभि), योगेश कुमार, सहायक (कृषि), अजय कुमार शर्मा, सहायक (कृषि), आदित्य कु. प्रसाद, डीटी (अभि) राहुल कु. गुप्ता डीटी (अभि), मोतीलाल खाटूमरैया, व.सहायक (गु.नि), अनुज कु. क.अभियंता, रोहित कु. प्रशिक्षु (कृषि), के संतोष, प्रशिक्षु (कृषि), डी.ललिताबाबू, तकनीशियन, अवतार सिंह मीना, डीटी, सदाशिवा एच, उत्पादन अधिकारी (गु.नि) प्रियांशु कुमार, डीटी, प्रवीण कुमार, डीटी, अरविंद कुमार, प्रबंधक (उत्पादन), देव कुमार, डीटी एवं चंदन एमएन, प्रबंधन प्रशिक्षु (उत्पादन) 19 प्रतिभागी	29.03.2019 से 30.03.2019 तक	19	मैसर्स इनफोटेक इंडिया प्रा.लि, अहमदाबाद

11- jkt Hk'lk dk dk k; u%

सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने की दृष्टि से 14 सितम्बर, 2018 से 28 सितम्बर, 2018 तक "हिन्दी पखवाड़ा" मनाया गया। इस अवधि के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और सफल प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों/फार्मों में भी दिनांक 28 सितम्बर, 2018 को हिन्दी पखवाड़ा समापन समारोह का आयोजन किया गया।

एनएससी की वेबसाइट को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया जाता है और इसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। वर्ष के दौरान 04 हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गईं, इन कार्यशालाओं में निगम के कार्मिकों ने भाग लिया। सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग पर चर्चा करने के लिए मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से 04 बैठकें आयोजित की गईं और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही रिपोर्ट नियमित रूप से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय/गृह मंत्रालय को समीक्षा के लिए भेजी गईं।

वर्ष 2018-19 के दौरान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा मुख्यालय, नई दिल्ली तथा केंद्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ, सरदारगढ व जैतसर पर राजभाषा नीति का निरीक्षण किया गया। दिनांक 10.09.2018 को संसदीय राजभाषा समिति द्वारा मुख्यालय, नई दिल्ली का राजभाषा निरीक्षण किया गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं संसदीय समिति ने राजभाषा अनुपालन को संतोषजनक पाया।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, निगम नियमित रूप से अपनी गतिविधियों के बारे में तथा कार्मिकों द्वारा साझा किए गए लेखों के प्रचार प्रसार करने के लिए एक छमाही हिंदी पत्रिका "बीज पत्रिका" का प्रकाशन भी कर रहा है। यह पत्रिका, निगम की सभी इकाईयों, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा अन्य सरकारी विभागों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भेजी जाती है।

राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम 2018-19 के लक्ष्यों तथा प्रावधानों के अनुपालन हेतु निरंतर प्रयास किए गए हैं।

12. l rdZk xrfof/k k%

d½ l rdZk fuoj d

सतर्कता प्रभाग की पहल पर निम्नलिखित कार्य किए गए:

- बीज की गुणवत्ता बनाए रखने एवं बीजों के प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में मिश्रण से बचने के लिए, एनएससी के गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग ने एक विस्तृत प्रक्रिया तैयार की है।
- क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा निजी पार्टियों के विरुद्ध बकाया राशि की समीक्षा की गई और लगभग रु. 24 लाख की वसूली के आदेश जारी किए गए हैं।

निवारण उपाय के रूप में जैसे निरीक्षण/आकस्मिक जांच/ठेकों की जांच भी की गई। लंबित अनुशासनात्मक शिकायतों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। समय-समय पर प्रबंधन के साथ मुख्य सतर्कता आयुक्त/डीओपीटी/डीपीई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुशासनात्मक एवं सतर्कता मामलों पर उपर्युक्त सलाह प्रदान करने के लिए निरंतर बातचीत की जाती है।

S.No.	Name of Programme	Name & Designation of the Participant S/Shri	Date	No. of Participants	Place/ Organiser
29	Scientific seed film coating	S/Shri MS Vashistha,PO(QC), VK Badaya, JE, Vishal Upreti, MT(Engg), Yogesh Kumar,Asstt(Ag),Ajay Kumar Sharma,Asstt(Ag),Aditya Kr. Prasad, DT(E), Rahul Kr. Gupta(DT(E), MotilalKhatumarya, Sr.Asstt(QC),Anuj Kr, JE, Rohit Kr., Trainee(Ag), K.Santhosh, Trainee(Ag), D.LalithaBabu, Tech,Avtar Singh Meena, DT, Sadashiva H,PO(QC), PriyanshuKr.,DT, Praveen Kr, DT,Arvind Kr, M(P), Dev Kr. DT &Chandan MN,MT(P) 19 participants	29.03.2019 To 30.03.2019	19	M/s. Incotech India Pvt Ltd. Ahmedabad

11. OFFICAL LANGUAGE IMPLEMENTATION:

With a view to promote the use of Hindi in Official work, “Hindi Pakhwara” was organized from 14 September, 2018 to 28 September, 2018. During this period various competitions were organized and successful participants were given cash prizes. Hindi Pakhwara closing ceremony was celebrated on 28th September, 2018 at HQ as well as in ROs/Farms.

The website of NSC is available in bilingual form i.e. in English and Hindi both the languages and it is being updated from time to time.

During the year, Four Hindi Workshops were organized and various Officers/employees participated in these workshops. Four Meetings of Official language implementation Committee at Head Office were conducted regularly in each quarter to review the progressive use of Official Language in Official Work and the quarterly reports on progressive use of Hindi were regularly sent to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare/Home Ministry.

During the Year 2018-19, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare (MOA&FW) inspected Official Language Policy at HQ, New Delhi and CSF, NSC Suratgarh, Sardargarh and Jetsar Farms. Parliamentary Committee on Official Language inspected Corporate Office, New Delhi on dated 10.09.2018. The MOA&FW and Parliamentary Committee were satisfied with the compliance of Official Language.

In addition to above, Corporation is regularly publishing a Half yearly Hindi Magazine “Beej Patrika” to disseminate the information about the working on the activities of the Corporation and Articles of usefulness to a common person and employees of the Corporation. This Magazine is sent to all the important persons within the NSC and its Units, MOA&FW and other Government Departments.

Constant efforts were made to comply with the provisions and target of the “Annual Programme” of 2018-19.

12. VIGILANCE ACTIVITIES:

a) Preventive Vigilance

On Vigilance Division’s initiatives, following actions have been taken:

- In order to maintain the quality of seed & to avoid ad-mixture at various stages of processing of seeds, QC Division of NSC has framed detailed procedure in this regard.
- Review of outstanding dues against private parties by Regional Office, Lucknow was carried out and recovery order of about Rs. 24 Lakhs have been issued.

Preventive measures like inspections/surprise checks/scrutiny of contracts were also conducted. Regular monitoring of pending disciplinary cases and complaints is being done. Regular interaction with management is maintained for rendering suitable advice on disciplinary/vigilance matters as per guidelines issued by CVC/DoPT/DPE from time to time.

[क] र्दक त क: द्रक l र्क 2018

सीवीसी दिशानिर्देशानुसार, एनएससी में 29 अक्टूबर से 03 नवंबर, 2018 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2018 मनाया गया। दिनांक 29.10.2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मुख्यालय, नई दिल्ली के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय, एनएससी तथा अधीनस्थ इकाइयों पर इकाई प्रमुखों द्वारा सत्यनिष्ठा, प्रतीज्ञा ग्रहण करवाई गई। एनएससी, मुख्यालय, नई दिल्ली के मुख्य स्थानों पर उत्कृष्ट भाषा में बैनर व पोस्टर प्रदर्शित किए गए थे। सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2018 के दौरान निगम के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक "निबंध प्रतियोगिता" तथा दिनांक 30.10.2018 को मुख्यालय के कर्मचारियों के लिए एक "प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता" आयोजित की गई। एनएससी ने नागरिकों में सतर्कता लाने के लिए निगम से बाहर निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया:

- राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, पूसा, नई दिल्ली।
- अध्यापकों व स्टाफ के साथ-साथ सभी विद्यार्थियों को सत्यानिष्ठा प्रतिज्ञा दिलवाई गई तथा 31-10-2018 को एक संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विद्यालय में दिनांक 29.10.2018 को एक "निबंध प्रतियोगिता" तथा दिनांक 31.10.2018 को "प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता" का आयोजन किया गया और 31.10.2018 को विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए।
- दिनांक 01-11-2018 को 'ग्राम पंचायत स्तर पर नागरिकों के संवेदीकरण के लिए गांव लंथारी, जिला-हिसार, हरियाणा में एक 'जागरूक ग्राम सभा' का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में ग्रामीणों द्वारा बड़ी संख्या में भाग लिया। भागीदारों के लिए एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया तथा हरी धरती (ग्रीन अर्थ) अवधारणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विजेताओं को पुरस्कार के रूप में पौधे बांटे गए।

x½ l र्दक दक Zkyk

विभिन्न सतर्कता विषयों पर दिनांक 01.08.2018 को केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ तथा दिनांक 28.09.2018 को क्षेत्रीय कार्यालय, एनएससी, भोपाल पर सतर्कता कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

13- fuxfer 'kl u%

निगम, कारपोरेट संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है, जिससे इसके समग्र व्यवसायिक लेन-देन में नैतिक व्यवहार, व्यक्तिगत, जिम्मेदारी और पारदर्शी प्रकटीकरण के उच्च मानकों ने अपनी पकड़ मजबूत की है और इसके निदेशक मंडल, प्रबंधन एवं कार्मिकों के द्वारा सांझा की गई है।

निगम ने अपनी समग्र जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए अपने निदेशक मंडल की जानकारी हेतु आधुनिक प्रणालियों एवं पद्धतियों को स्थापित किया है और लंबी अवधिक शेरधारक मूल्य निर्धारण हेतु प्रबंधन के लिए एक राजनीतिक दिशा प्रदान की है।

निगमित शासन पर एक रिपोर्ट **vuqak&A** पर दिया गया है।

यह बड़ें हर्ष की बात है कि निगमित शासन के अंतर्गत निगम को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भी लोक उद्यम विभाग द्वारा "mR-"V" श्रेणी का दर्जा दिया गया है जैसे कि यह दर्जा पिछले कुछ वर्षों से निरन्तर दिया जा रहा है।

14- okkd fjVZi dk m) j. k

अधिनियम की धारा 92 के अंतर्गत, आवश्यक फार्म एमजीटी-9 में वार्षिक रिटर्न की उद्धरण का विवरण **vuqXud&AA** के रूप में संलग्न है, जो इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

15. funskd%

आपके निगम के निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 और सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन दिशा निर्देश 2010 के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा नामित और नियुक्त किया जाता है।

राष्ट्रपति के आदेश संख्या 2-1/2017-बीज-। दिनांक 06.04.2018 के द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने श्री विनोद कुमार गौर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यकाल दिनांक 12.06.2018 से 30.09.2021 तक अर्थात् उनकी सेवानिवृत्त की तिथि तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया है।

राष्ट्रपति के आदेश संख्या 4-4/2017-बीज-। दिनांक 07.08.2018 के द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय ने श्री श्यामवीर सैनी को एनएससी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

राष्ट्रपति के आदेश संख्या 5-7/2018-बीज-। (पीटी) एफटीस संख्या 60388 दिनांक 08.08.2018 के द्वारा श्री रोहित माथुर, निदेशक (बीज) को सरकारी निदेशक के रूप में एनएससी के निदेशक मंडल में नामांकित किया।

b) Vigilance Awareness Week – 2018

As per directions of the CVC, NSC observed Vigilance Awareness Week – 2018 from 29th October to 3rd November 2018. Integrity Pledge was administered on 29.10.2018 at 11.00AM by Chairman-Cum-Managing Director, NSC to all the officers and staff of the Corporation at HQ Office, New Delhi and by the Unit heads at all the Units. Banners and posters were prominently displayed at prime locations of the office building at NSC HQ, New Delhi. An “Essay competition” was organized for all the employees of the Corporation and a “Quiz Competition” was organized for Head office employees on 30-10-2018 during Vigilance Awareness Week – 2018. NSC also conducted the following outreach activities for bringing awareness among the citizens:

- i) Govt. Girls Sr. Secondary School, Pusa New Delhi
- ii) Integrity Pledge was administered to all school children as well as teachers and staff and a sensitization program was organized on 31-10-2018. An "Essay Competition" was organized on 29.10.2018 & 'Quiz Competition' was organized on 31.10.2018 in the school and prizes were also distributed to the winners on 31-10-2018.
- iii) An 'Awareness Gram Sabha' was organized at village Landhari, Distt.-Hisar, Haryana for sensitization of citizens at gram panchayat level on 01-11-2018. Large number of villagers participated in the awareness gram sabha. A quiz competition was also organized for the participants and prizes in the form of plants were distributed to the winners in order to strengthen the green earth concept.

c) Vigilance Workshop

Vigilance workshops on different vigilance related subjects have been organised at Central State Farm, Suratgarh on 01.08.2018 and Regional office, NSC, Bhopal on 28.09.2018.

13. CORPORATE GOVERNANCE :

The Corporation strives to foster a corporate culture in which high standards of ethical behaviour, individual accountability and transparent disclosure are ingrained in all its business dealings and shared by its Board of Directors, Management and Employees.

The Corporation has established systems & procedures to ensure that its Board of Directors is well-informed and well equipped to fulfil its overall responsibilities and to provide the management a strategic direction to create long-term shareholders value.

A Report on Corporate Governance is given at **Annexure-I**.

It is a matter of pleasure that for the Financial Year 2018-19 also the Corporation has been graded as “Excellent” under Corporate Governance by the DPE as is being graded in past so many years.

14. EXTRACT OF ANNUAL RETURN :

The details forming part of the extract of the Annual Return in Form MGT-9, as required under Section 92 of the Companies Act, 2013 are attached as **Annexure-II** which forms an integral part of this Report.

15. DIRECTORS :

The Directors of your Corporation are nominated and appointed by the Government of India in accordance with the provisions of Companies Act, 2013 and Corporate Governance Guidelines, 2010 issued by Department of Public Enterprises.

Vide Presidential Order No. 2-1/2017-SD-I dated 06.04.2018, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare extended the tenure of Shri V.K. Gaur, CMD for the period w.e.f. 12.06.2018 to 30.09.2021 i.e. till the date of his superannuation or until further order, whichever is earlier.

Vide Presidential order No. 4-4/2017-SD-I dated 7th August, 2018, Administrative Ministry appointed Shri Shyamvir Saini, Independent Director on the Board of NSC.

Vide Presidential order No. 5-7/2018-SD-I(pt) FTS No. 60388 dated 08.08.2018, Shri Rohit Mathur, Director(Seeds), Government Director nominated on the Board of NSC.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, श्री दिनेश अरोड़ा, सरकारी नामित निदेशक को सरकारी आदेश संख्या 5-7/2018-बीज-। के द्वारा 04.01.2019 से कार्यमुक्त कर दिया गया और डॉ तरसेम चंद, संयुक्त सचिव (प्रशासन), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को एनएससी के निदेशक मंडल में सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया है

राष्ट्रपति के आदेश संख्या 5-7/2018-बीज-। दिनांक 05.04.2019 के द्वारा एनएससी के निदेशक मंडल श्री रोहित माथुर के बदले और श्रीमती गुरप्रीत गढ़ोक, उप सचिव (बीज) को निदेशक मंडल में सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

16. /kjk 149 dk mi fu; e 6 ds varxZ Lora funskdla } kjk fu. % yusij odrQ %

कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा की है कि वे अधिनियम 2013 की धारा 1149 (6) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों ने भी पुष्टि की है कि उन्होंने निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 में डीपीई द्वारा निर्धारित व्यावसायिक आचरण एवं आचार संहिता का अनुपालन किया है।

17. funskdla dh ft fenljh dk foj. %

हमारे ज्ञान एवं विश्वास तथा प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आपके निदेशक अधिनियम की धारा 134 (3)(सी) के संदर्भ में निम्नलिखित विवरण देते हैं:

- (क) यह कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वार्षिक लेखों को तैयार करने में सामग्री से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है।
- (ख) निदेशक मंडल ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है एवं उनका सतत रूप से प्रयोग किया है जो 31.03.2019 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि की सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करने के लिए ऐसे निर्णय एवं अनुमान किए हैं जो उचित एवं विवेकसम्मत हैं।
- (ग) निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, लेखा बहियों का उचित रखरखाव किया है, जिसमें निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा धोखाधड़ी एवं अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए उचित एवं पर्याप्त देखभाल की है।
- (घ) निदेशक मंडल ने लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए गए हैं; और
- (ङ) निदेशकों ने, सूचीबद्ध कंपनी के मामले में, कंपनी द्वारा अनुसरण किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का पालन किया है तथा ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।
— लागू नहीं

कंपनी सूचीबद्ध नहीं है, हालांकि, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का पालन किया गया है जोकि पर्याप्त है तथा 31.03.2019 को प्रभावी रूप से कार्यरत थे जिन्हें सांविधिक लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार जांचा एवं प्रमाणित किया है।

स्पष्टीकरण:- इस खंड के प्रयोजन हेतु शब्द आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से अभिप्राय, कंपनी के कारोबार को सुव्यवस्थित करने एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई नीतियों एवं प्रक्रियाओं से है। जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, अपनी परिसंपत्तियों की रक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों की रोकथाम एवं इनका पता लगाना, लेखों-अभिलेखों की सटीकता एवं संपूर्णता तथा समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारी तैयार करना भी शामिल है; और

- (छ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था तैयार की है और इस तरह की व्यवस्थाएं पर्याप्त थी एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थी।

18. funskd eMy dh cBdla dh l d; %

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या का विवरण निगमित शासन रिपोर्ट का भाग है। इन्हें यहां संक्षिप्तता के लिए इंगित नहीं किया गया है।

19. funskd eMy dh l fefr; %

निदेशक मंडल ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया है:-

1. लेखा परीक्षा समिति
2. नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति तथा
3. प्रथम टियर नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व तथा स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) समिति।

During the year under review Shri Dinesh Arora Government Nominee Director was relieved from the office on 04.01.2019 by virtue of Government Order No. 5-7/2018-SD-I and Dr. Tarsem Chand, J.S. (Admn), MOA&FW, has been nominated on the Board of NSC as Government Director.

The office of Shri Rohit Mathur was ceased vide Presidential Order No. 5-7/2018-SD-I dated 05.04.2019 and Smt. Gurpreet Gadhok, Dy. Secretary (Seeds) has been appointed as Government Nominee Director on the Board vide the above mentioned Order.

16. A STATEMENT ON DECLARATION GIVEN BY INDEPENDENT DIRECTOR UNDER SUB-SECTION (6) OF SECTION 149 :

All Independent Directors of the Company have given declarations that they meet the criteria of independence as laid down under Section 149(6) of the Companies Act, 2013. Further, all the Directors including Independent Directors have also confirmed that they have complied with the Code of Business Conduct & Ethics as prescribed by DPE in its Corporate Governance Guidelines, 2010.

17. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT :

To the best of our knowledge and belief and according to the information and explanation obtained, your Directors make the following statement in terms of Section 134 (3) (c) of the Companies Act, 2013:

- (a) That in the preparation of the Annual Accounts for the year ended 31st March, 2019, the applicable Accounting Standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- (b) The Directors had selected such Accounting Policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the State of Affairs of the Company as at March 31, 2019 and of the profit and loss of the company for that period;
- (c) The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate Accounting Records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting frauds and other irregularities;
- (d) The Annual Accounts have been prepared on a going concern basis; and
- (e) That the Directors, in the case of a listed company, had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively: N.A.

The Company is not a listed Company. However, the internal financial controls to be followed which are adequate and are operating effectively as at March 31st, 2019 were checked and certified by the Statutory Auditors in their report, as per the provisions of the Companies Act, 2013.

Explanation:- For the purposes of this clause, the term "internal financial controls" means the policies and procedures adopted by the company for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the Accounting Records, and the timely preparation of reliable financial information; and

- (f) That the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

18. NUMBER OF MEETINGS OF THE BOARD :

The details of the number of meetings of the Board held during the Financial Year 2018-19 forms part of the Corporate Governance Report. These are not inserted here for the sake of brevity.

19. COMMITTEES OF THE BOARD :

The Board of Directors have constituted the following Committees:-

1. Audit Committee;
2. Nomination and Remuneration Committee; &
3. 1st Tier Corporate Social Responsibility and Sustainability Committee.

20. 'k'izakdh; vf/kdjh

कंपनी के शीर्ष प्रबंधकीय अधिकारी निम्नलिखित हैं :-

1. श्री विनोद कुमार गौड, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री वि. मोहन, निदेशक (वित्त)
3. श्री कौशिक रक्षित, वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त)/सीएफओ और
4. श्री मो.राकिम, कंपनी सचिव

21. ukekda , oai qeW; kda ulfr

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(1) के अनुसरण में, उक्त प्रावधान के अंतर्गत शामिल कंपनी, निदेशकों की स्वतंत्रता, सकारात्मकता विशेषताओं, निर्धारित अर्हताओं के लिए मापदंडों और धारा 178 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त अन्य मामलों सहित निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति तैयार करेगी। हालांकि, एक सरकारी कंपनी होने के नाते यह एनएससी पर लागू नहीं है। निदेशकों की नियुक्ति भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के माध्यम से की जाती है, जोकि प्रशासनिक मंत्रालय है, कार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक को भी निर्धारित करता है।

22. dā uh } kj k _ . k xkj Vh vFkok fuos k dk fooj . k%

रु. 98.69 लाख का ऋण लिया, जबकि राज्य बीज निगमों एवं अन्य में निवेश रु. 3684.65 लाख है।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों के तहत शामिल ऋण, गारंटी और निवेश का ब्यौरा, वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दिया गया है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है।

23. fuxjkuh ra@fQl y Gylsj ulfr%

- i) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसर, पीआईडीपीआई के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के तरीके को एनएससी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
- ii) लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के विवरण एवं प्रारूप को एनएससी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
- iii) रिकार्ड नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए रिकार्ड खुले हैं।
- iv) सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत, भारत का नागरिक कोई भी सूचना मांग सकता है।

24. l Ec) i k'izys&nsu%

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, किसी भी निदेशक ने अधिनियम की धारा 188 की उप धारा (1) के तहत संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का कोई उल्लेख या विवरण नहीं दिया है। इसके अलावा एनएससी और उसकी सहयोगी कंपनियों के बीच लेन-देन होते हैं वो सभी सरकारी कंपनियां हैं, इसलिए अधिनियम की धारा 188(1) का चौथा प्रावधान तथा सरकारी अधिसूचना दिनांक 05.06.2015 के अनुसार छूट दी गई है।

25. fu; kedla; k U; k ky; } kj k gLrk{kj r egBoi wZ, oamYsq kul; vks'k%

शून्य

26. l kof/kd ysq k ijh{k d%

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मैसर्स कपूर टंडन एवं कंपनी, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में तथा अन्य सनदी लेखाकारों की फर्मों को शाखा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त/पुनः नियुक्त किया है।

27. ysq k ijh{k vgz'k%

निगम का हमेशा यह प्रयास रहता है कि शर्त रहित वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए जाएं। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंध का जवाब निदेशकों की रिपोर्ट की संयोजनी में दिया गया है।

28. /k'k'k'k' dh fj i k'z

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान धोखाधड़ी का कोई उदाहरण नहीं था, जिसमें अधिनियम की धारा 143(12) तथा इसके नियमों के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा समिति और/या निदेशक मंडल को रिपोर्ट करना अपेक्षित था।

20. KEY MANAGERIAL PERSONNEL:

The following are the Key Managerial Personnel of the Company:-

1. Shri Vinod Kumar Gaur, Chairman cum Managing Director,
2. Shri V. Mohan, Director(Finance),
3. Shri Kaushik Rakshit, Senior General Manager Finance (CFO); &
4. Shri Mohd. Raquim, Company Secretary.

21. NOMINATION AND REMUNERATION POLICY:

In accordance with Section 178(1) of the Companies Act, 2013, a company covered under said provision shall frame a company's policy on Directors' appointment and remuneration including criteria for determining qualifications, positive attributes, independence of a director and other matters provided under sub-section (3) of section 178. However the same is not applicable on NSC being a Government Company. The Directors are appointed by the Hon'ble President of India through MOA & FW, which is Administrative Ministry who also prescribes the remuneration of functional Directors.

22. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS MADE BY THE COMPANY:

Loans taken is Rs. 98.69 Lakhs whereas investment in SSCs & others is Rs. 3684.65 Lakhs.

Further, the details of Loans, Guarantees and Investments covered under the provisions of Section 186 of the Companies Act, 2013 are given in the notes to Financial Statements forming a part of this Annual Report.

23. VIGIL MECHANISM/ WHISTLE BLOWER POLICY:

- i. Procedure for filing complaint under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) as per Central Vigilance Commission (CVC) guidelines has been uploaded on NSC website.
- ii. The details and format of Lokayukt Act, 2013 has been uploaded on NSC website.
- iii. Records open to CAG;
- iv. Citizens of India may ask any information in accordance with RTI Act, 2005.

24. RELATED PARTY TRANSACTION:

During the period under review none of the Directors has reported any such details or particulars of contracts or arrangements with related parties as referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013. Further the dealings between NSC and its Associates Companies, all of which are Government Companies are on arms length basis hence exempt pursuant to 4th proviso of Section 188 (1) of the Act and Govt. Notification dated 05.06.2015.

25. SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS:

NIL

26. STATUTORY AUDITORS :

The Comptroller and Auditor General of India appointed M/s Kapoor Tandon & Co., Chartered Accountants Firm, New Delhi as the Statutory Auditors and other C.A. Firms were reappointed/appointed as Branch Auditors for the financial year 2018-19.

27. AUDIT QUALIFICATIONS:

It is always the Corporation's endeavour to present an unqualified Financial Statement. Management's reply to the Statutory Auditors' observations on the Accounts of the Corporation for the year ended 31st March, 2019, if any, is forming part of Annual Report.

28. REPORTING OF FRAUDS:

There was no instance of fraud during the year under review, which required the Statutory Auditors to report to the Audit Committee and / or Board under Section 143(12) of Act and Rules framed thereunder.

29. **लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में, वार्षिक रिपोर्ट का भाग**

- लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में, वार्षिक रिपोर्ट का भाग
- अभ्यासगत कंपनी सचिव द्वारा अपनी सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में: – लागू नहीं
- भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2018–19 के वित्तीय विवरणों पर वार्षिक रिपोर्ट का भाग।

30. **जोखिम प्रबंधन रिटर्न**

आपकी कंपनी का मानना है कि जोखिम का प्रबंधन रिटर्न को अधिकतम करने में मदद करता है। व्यवसायिक जोखिमों को दूर करने के लिए कंपनी का दृष्टिकोण व्यापक है और इसमें ऐसे जोखिमों की आवधिक समीक्षा भी शामिल है; और

इस तरह के जोखिमों के परिणामों को कम करने, नियंत्रण करने, रिपोर्टिंग करने और उनसे बचने के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति बनाई गई है।

जोखिम प्रबंधन ढांचे की समीक्षा समय-समय पर विभागाध्यक्षों की समिति द्वारा की जाती है जिनके कार्यवृत्त निदेशक मंडल और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखे जाते हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की कुल 06 बैठकें आयोजित की गईं।

31. **निदेशक मंडल ने संशोधित अधिनियम के प्रावधानों और अनुसूची VII के अधिनियम के अनुपालन में एक व्यापक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति (सीएसआर) को मंजूरी दी है जिसके अनुसार, कंपनी ने पर्यावरण स्थिरता, निवारक स्वास्थ्य देखभाल, भूख उन्नमूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू की हैं।**

निदेशक मंडल ने संशोधित अधिनियम के प्रावधानों और अनुसूची VII के अधिनियम के अनुपालन में एक व्यापक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति (सीएसआर) को मंजूरी दी है जिसके अनुसार, कंपनी ने पर्यावरण स्थिरता, निवारक स्वास्थ्य देखभाल, भूख उन्नमूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू की हैं।

कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के तहत आवश्यक सीएसआर नीति के साथ सीएसआर गतिविधियों पर रिपोर्ट

के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न भाग है।

32. **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिए कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न एवं यौन संबंधी शिकायतों की रोकथाम, निषेध और निवारण पर एक एंटी यौन उत्पीड़न नीति तैयार की गई है और इसे लागू किया है। सभी महिला कर्मचारी स्थायी, अस्थाई, प्रशिक्षुओं या संविदा के तहत उपरोक्त नीति के तहत आते हैं। उक्त अधिनियम के अनुपालन में आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना की गई है।**

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिए कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न एवं यौन संबंधी शिकायतों की रोकथाम, निषेध और निवारण पर एक एंटी यौन उत्पीड़न नीति तैयार की गई है और इसे लागू किया है। सभी महिला कर्मचारी स्थायी, अस्थाई, प्रशिक्षुओं या संविदा के तहत उपरोक्त नीति के तहत आते हैं। उक्त अधिनियम के अनुपालन में आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना की गई है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी की महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत नहीं मिली है।

33. **एनएससी के पास वेब आधारित 'बीज प्रबंधन' एप्लीकेशन है जिसमें उत्पादन, विपणन स्टॉक एवं वित्त के मॉड्यूल सम्मिलित हैं। लेखा खातों को एक समर्पित सर्वर सी-डैक, नोएडा (आईएसओ 27001:2013 मानक) पर इलैक्ट्रॉनिक मोड पर रखा जाता है। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/फार्मों की पुष्टि के पश्चात मुख्यालय में डाटा को बंद किया जाता है। सर्वर का विवरण निम्न प्रकार है:-**

एनएससी के पास वेब आधारित 'बीज प्रबंधन' एप्लीकेशन है जिसमें उत्पादन, विपणन स्टॉक एवं वित्त के मॉड्यूल सम्मिलित हैं। लेखा खातों को एक समर्पित सर्वर सी-डैक, नोएडा (आईएसओ 27001:2013 मानक) पर इलैक्ट्रॉनिक मोड पर रखा जाता है। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/फार्मों की पुष्टि के पश्चात मुख्यालय में डाटा को बंद किया जाता है। सर्वर का विवरण निम्न प्रकार है:-

Ø-l a	fooj . k	l nHZ
क	सेवा प्रदाता का नाम	सी-डैक, नोएडा (आईएसओ 27001:2013 स्टैनडर्ड)
ख	सेवा प्रदाता का आईपी प्रोटोकॉल पता	http://220.156.188.25:7783
ग	सेवा प्रदाता का स्थान	सी-56/1, अनुसंधान भवन, इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र, सैक्टर-62, नोएडा-201307 उ.प्र. (भारत)
घ	लेखा खातों, अन्य खातों एवं कागजातों को क्लाउड पर रखा जाता है, सर्वर का पता।	एप्लीकेशन को समर्पित सर्वर पर रखा जाता है। एप्लीकेशन का डोमेन है www.nsc.in (http://220.156.188.25:7783) अन्य वित्तीय सूचनाओं को indiasseeds.com (सी-डैक) पर रखा गया है।

29. EXPLANATION OR COMMENTS BY THE BOARD ON EVERY QUALIFICATION, RESERVATION OR ADVERSE REMARK OR DISCLAIMER MADE:

- (i) By the Auditor in his Report forms part of Annual Report.
- (ii) By the Company Secretary in Practice in his Secretarial Audit Report; N.A.
- (iii) By the CAG on the Financial Statements 2018-19-forming part of Annual Report.

30. RISK MANAGEMENT:

Your Company believes that managing risks help in maximizing returns. The Company’s approach to addressing business risks is comprehensive and includes periodic review of such risks and a Risk Management Policy has been framed for mitigating, control, reporting and avoiding consequences of such risks.

The Risk Management framework is reviewed periodically by the Committee of the Head of Divisions whose Minutes are placed before Board and the Audit Committee for review. During the year under review, total 06 Meetings of Risk Management Committee were held.

31. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

The Board has approved a comprehensive Corporate Social Responsibility Policy (CSR) in Compliance with the Provisions of the Act and Schedule VII of the Companies Act, 2013 as amended. According to which, the Company has undertaken projects in the areas of environment sustainability, preventive health care, eradication of hunger, education, health and hygiene.

The Report on CSR activities along with CSR Policy as required under the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 is annexed as **Annexure III** and forms an integral part of this Report.

32. DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL)ACT, 2013:

In order to comply with provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and Rules framed thereunder, the Company has formulated and implemented an Anti Sexual Harassment Policy on prevention, prohibition and redressal of complaints related to sexual harassment of women at the workplace. All women employees permanent, temporary, trainees or contractual are covered under the above policy. An Internal Complaint Committee (ICC) is existing in compliance with the said Act.

During the year under review, no complaints pertaining to sexual harassment of women employees were reported to the Company.

33. MANNER OF BOOKS OF ACCOUNTS TO BE KEPT IN ELECTRONIC MODE:-

The Company is having a web based application “Beej Prabandhan” consisting of Seed Production, Marketing, Inventory and Finance Module. The Books of Accounts are kept in electronic mode at a dedicated server reside at CDAC, Noida Data Centre (ISO 27001:2013 standards).The data is locked at Head Office after confirming from the concerned RO/Farm. The details of the servers are as under:

S.No.	Particulars	Response
A	Name of Service Provider	C-DAC, Noida (ISO 27001:2013 standards)
B	IP Protocol address of the Service provider	http://220.156.188.25:7783
C	Location of service provider	C-56/1, Anusandhan Bhawan, Institutional Area, Sector-62, Noida-201 307 U.P (India)
D	Where the Books of Accounts and other books and papers are maintained on cloud, address of the server	The application is hosted on a dedicated Server. Domain of the application is www.nscl.in (http://220.156.188.25:7783) Other Financial informations are kept at web site www.indiaseeds.com (Reside at CDAC, Noida)

34- आतः कृषि विकास निगम, क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रकृत कार्यालयों और मुख्यालय में ईधन और विद्युतीय ऊर्जा के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस संबंध में समय-समय पर अधिकारियों/कर्मचारियों को, जब वे अपनी सीट पर नहीं होते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में अप्रयुक्त लाईटों, पंखों और वातानुकूलितों और अन्य विद्युत उपकरणों को बंद करने हेतु परिपत्र जारी किए जा रहे हैं। फार्म अधिकारी ईधन की खपत को कम करने हेतु खेतों का दौरा करते समय वाहन साझा कर रहे हैं। ट्रैक्टरों एवं अन्य मशीनरी बेकार न चलें, इसलिए सेल्फ स्टार्टर लगाए गए हैं। प्रचालनात्मक क्षमता बढ़ाने और ईधन की खपत को कम करने के लिए पुरानी और अप्रचालित मशीनों को समय-समय पर बदला जा रहा है। निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी निगरानी और औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं।

(i) आतः कृषि विकास निगम, अपने फार्मों, क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रकृत कार्यालयों और मुख्यालय में ईधन और विद्युतीय ऊर्जा के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस संबंध में समय-समय पर अधिकारियों/कर्मचारियों को, जब वे अपनी सीट पर नहीं होते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में अप्रयुक्त लाईटों, पंखों और वातानुकूलितों और अन्य विद्युत उपकरणों को बंद करने हेतु परिपत्र जारी किए जा रहे हैं। फार्म अधिकारी ईधन की खपत को कम करने हेतु खेतों का दौरा करते समय वाहन साझा कर रहे हैं। ट्रैक्टरों एवं अन्य मशीनरी बेकार न चलें, इसलिए सेल्फ स्टार्टर लगाए गए हैं। प्रचालनात्मक क्षमता बढ़ाने और ईधन की खपत को कम करने के लिए पुरानी और अप्रचालित मशीनों को समय-समय पर बदला जा रहा है। निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी निगरानी और औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं।

(ii) रदुधन वी बीज उत्पादन को बढ़ाने के लिए निगम, नवीनतम तकनीकों और प्रौद्योगिकी को अपनाया जा रहा है। उपलब्ध पानी से ही सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करने हेतु नहर का प्लस्टर और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। फार्मों पर बुवाई और कटाई के लिए नवीनतम विकसित मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजों को कीटनाशकों या माइक्रोन्यूट्रिएंट से कोट करने हेतु सीड कोटिंग मशीनें लगाई गई हैं। ईआरपी प्रणाली लागू की जा रही है।

(iii) फंडिंग व्यय	₹
फंडिंग ;	
विदेश भ्रमण	₹. 3.26 लाख
सदस्यता शुल्क	₹. 1.17 लाख
फंडिंग व्यय ;	#- 4-43 yk/k

35- 1 पृष्ठक व/कृषि व/कृषि; ए 2005

वित्त वर्ष 2018-19, सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निगम ने 168 आवेदन और 40 प्रथम अपील प्राप्त की तथा इनका विधिवत निपटान किया गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को त्रैमासिक एवं वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत की गई तथा मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष कोई भी आरटीआई मामला सूचीबद्ध नहीं किया गया।

36- दृष्टिगत सूचना, सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निगम ने 168 आवेदन और 40 प्रथम अपील प्राप्त की तथा इनका विधिवत निपटान किया गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को त्रैमासिक एवं वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत की गई तथा मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष कोई भी आरटीआई मामला सूचीबद्ध नहीं किया गया।

शून्य

37- 1 ई बी बी बी बी ; ए

वार्षिक साधारण बैठक के लिए सूचना, निगम के परिचालन एवं वित्तीय निष्पादन को निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर अपलोड किया जाता है। स्टैकहोल्डर्स, निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक (वित्त)/कम्पनी सचिव को पंजीकृत कार्यालय बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली 110012 पर संपर्क कर सकते हैं।

ई-मेल: cs@indiaseeds.com / फोन नं. 011-25843673

34. THE CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO.

- (i) **Conservation of Energy:** The Corporation is taking every step to conserve the fuel and electrical energy at the Farms, R.Os, AOs and H.O. Time to time circulars are being issued to switch off the lights, fans and ACs, and other electric equipments which are not being used in their absence, whenever the Officer/staff is not available on their seat. Farm Officers are sharing the vehicle for visiting the fields to minimize the fuel consumption. The tractors and other machinery are fitted with self starter to reduce the idle running. Old and outdated machineries are being replaced periodically to reduce the consumption of fuel and to increase the operational efficiency. Effective monitoring and surprise checks are being done for ensuring the compliance of instructions.
- (ii) **Technology absorption:** For increasing the seed Production, the Corporation is adopting latest techniques and technology. The Lining of Canal & Micro Irrigation Systems are being used for increasing more area under irrigation with the available water. Newly developed machines are being used for sowing and harvesting of crops at Farms. Seed Coating Machines have been installed to coat the seed with pesticides or micronutrient. ERP System is under implementation.

(iii) **Foreign exchange earning – NIL**

Foreign exchange outgo

Foreign Travel	Rs. 3.26 Lakhs
Membership Fees	Rs. 1.17 Lakhs
TOTAL EXPENDITURE IN FOREIGN EXCHANGE IS	Rs. 4.43 Lakhs

35. RTI Act, 2005:

During the Financial Year 2018-19, Corporation received 168 Nos. applications & 40 First Appeals under the RTI Act and these were duly disposed off. Quarterly and Annual Returns were also submitted with Ministry of Agriculture & Farmers Welfare and no RTI Case was listed before C.I.C.

36. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY WHICH HAVE OCCURRED BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR OF THE COMPANY TO WHICH THE FINANCIAL STATEMENTS RELATE AND THE DATE OF THE REPORT:

NIL

37. MEANS OF COMMUNICATIONS:

Notice for AGM, operational and financial performance of the Corporation have been uploaded on Corporation's website www.indiaseeds.com. Stakeholders can address their Communications to CMD/D(F)/C.S. of the Corporation at the Registered Office at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi 110012.

e-mail-cs@indiaseeds.com /Phone No. 011-25843673



वर्ष 2019-20 %

मैं इस अवसर पर आदरणीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, आदरणीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, सचिव (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण), संयुक्त सचिव (बीज) एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अन्य अधिकारियों का मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पद्धति के सभी वैज्ञानिकों को पैतृक बीज उपलब्ध कराने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं शाखा लेखा परीक्षकों को भी उनके समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करता हूँ।

मैं निदेशक मंडल में अपने माननीय सहयोगियों और निगम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की भी सराहना एवं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रबंधन को हरसम्भव मार्गदर्शन, सहयोग व सहायता दी तथा उनके कठिन परिश्रम के बिना कंपनी की उपलब्धियों को प्राप्त करना संभव नहीं था। मैं शेयर धारकों एवं प्रबंधन की तरफ से केन्द्रीय मंत्रीमंडल, बैंकों, ग्राहकों, डीलरों, एजेंटों, आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य हितधारकों का भी उनके द्वारा निगम को दिए गए सतत सहयोग, विश्वास एवं भरोसे के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि अपने आदरणीय हितधारकों के अनमोल समर्थन के साथ जुड़े समर्पित एवं मेहनती कार्यबल के साथ निगम आने वाले वर्षों में उच्च शिखर पर पहुँचेगा और मील का पत्थर साबित होगा।

धन्यवाद

एन एस सी दिल्ली
दिनांक 05.09.2019

हो/-
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



ACKNOWLEDGMENTS :

I take this opportunity on behalf of the Board to place my sincere thanks and regards to Hon'ble Minister for Agriculture and Farmers Welfare, the Hon'ble Ministers of State for Agriculture, the Secretary, Agril., Coop. & Farmers Welfare, the Joint Secretary (Seeds) and other Officers in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. I also acknowledge the contribution of ICAR and all the Scientists of National Agriculture Research System for making parental line available. I am also grateful to Comptroller and Auditor General of India, the Statutory and Branch Auditors of the Corporation for their support and guidance.

I would also like to place on record my sincere thanks and high appreciation for the contribution made by my esteemed colleagues on Board and to all the Officers and staff of the Corporation at all levels who have provided every possible guidance, support and assistance to the Management and without whose hard work your Company's achievements would not have been possible. On behalf of the Shareholders and Management, I also convey my sincere thanks to the Union Cabinet, Bankers, Customers, dealers, agents, suppliers and other Stake Holders, for their continued support and faith reposed in the Company.

I am confident that with such dedicated and hard working workforce coupled with valuable support of our esteemed stakeholders and enlarged treasure of resources, Corporation will touch further heights and milestones in the forthcoming years.

By Order of the Board of Directors

Sd/-

(Vinod Kumar Gaur)

Chairman-cum-Managing Director

Place: New Delhi

Dated: 05.09.2019

फुक्खर 'कडु इज फुक्खर

1- फुक्खर 'कडु इज फुक्खर

निगम ने अपना, यथासंभव लोक उद्यम विभाग के निगमित शासन दिशा-निर्देश, 2010 का अनुपालन किया है और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पहल करते हुए बड़े-बड़े कार्य किए हैं, जिनका सामान्य जनजीवन और निगमित क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

यह निगम ईमानदारी पर विश्वास करता है और चिरस्थायी सफलता के लिए इसे आवश्यक शर्त मानता है। पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेयता और उत्तरदायित्व कंपनी के व्यापारिक कार्यकलापों के स्तम्भ हैं। निगम की इस पहलात्मक कार्रवाई से सर्वोत्तम निगमित शासन आचरण अपनाने की निगम की वचनबद्धता को प्रबलता मिलती है।

निगम का दृष्टिकोण गुणवत्ता बीजों की आपूर्ति और अन्य कृषि आदानों/सेवाओं के माध्यम से किसानों की समृद्धि में योगदान करना तथा कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है।

निगम का मिशन विभिन्न फसल किस्मों एवं संकर के गुणवत्ता बीजों के उत्पादन तथा विपणन द्वारा भारतीय बीज उद्योग का नेतृत्व करना तथा किसानों की संतुष्टि हेतु अन्य कृषि संबंधी आदानों और सेवाओं के माध्यम से मूल्य वर्धन करना है।

2- फुक्खर e.My %

d½ फुक्खर e.My dk vkdkj%

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार एक सरकारी कम्पनी है, जिसकी कुल चुकता अंश पूंजी का शत प्रतिशत अंश भारत के राष्ट्रपति के पास है। कम्पनी के संस्थागत अंतर्नियम के अनुसार निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है।

निगम के संस्था अंतर्नियम की शर्तों के अनुसार इसके निदेशक मण्डल में दो से कम और पच्चीस से ज्यादा निदेशक नहीं होने चाहिए। ये निदेशक पूर्णकालिक, प्रकार्यात्मक निदेशक अथवा अंशकालिक निदेशक हो सकते हैं।

ख) xBu %

लोक उद्यम विभाग के निगमित शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, निदेशक मण्डल में कार्यपालक एवं गैर-कार्यपालक निदेशकों का एक अनुकूल संयोजन होना चाहिए। 31 मार्च, 2019 को निदेशक मण्डल में सात निदेशक थे, जिनमें से दो कार्यात्मक निदेशक अर्थात् अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त), 03 स्वतंत्र निदेशक तथा भारत सरकार द्वारा नियुक्त 02 निदेशक शामिल हैं।

x½ फुक्खर e.My dh cBda%

निदेशक मण्डल के अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद समुचित सूचना देकर निदेशक मण्डल की बैठकें आयोजित की जाती हैं। समीक्षा वर्ष के दौरान अल्पावधि सूचना पर कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। अपवाद या तत्कालिकता के मामले में, संचलन के माध्यम से भी निदेशक मंडल द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाते हैं।

निदेशक मंडल के सदस्यों को समग्र रहते विस्तृत कार्यसूची, प्रबंध रिपोर्ट एवं अन्य व्याख्यात्मक विवरण परिचालित किए जाते हैं ताकि बैठकों में अर्थपूर्ण, सूचनापरक तथा संकेन्द्रित निर्णय लेने में सुविधा हो। जिन मामलों में किसी दस्तावेजों को परिचालित करना व्यवहारिक न हो अथवा कार्यसूची गोपनीय प्रकृति की हो तो ऐसे दस्तावेजों को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त कर इन्हें बैठक के दौरान प्रस्तुत किया जाता है।

?k फुक्खर e.My dh cBda dh l d; k%

Ø-l a	फुक्खर eMy dh cBd l d; k	फुक्खर eMy dh cBd dh rkjh k
1	277 वीं	30.06.2018
2	278 वीं	16.08.2018
3	279 वीं	29.09.2018
4	280 वीं	29.10.2018
5	281 वीं	25.01.2019
6	282 वीं	25.03.2019

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. CORPORATE GOVERNANCE PHILOSOPHY:

Your Corporation has been complying with the Corporate Governance Guidelines, 2010 of the DPE and has undertaken major initiatives in several critical areas which impact the lives of the common man and Corporate Sector in a positive way.

Corporation believes in integrity as a necessary condition for enduring success. Transparency, fairness, accountability and responsibility which are the pillars of the Corporation's business activities. The initiative further reinforces the commitment of the Corporation to adopt best corporate governance practices.

The Vision of the Corporation is to contribute in the prosperity of Farmers through supply of quality seeds and other agro inputs / services and to enhance agricultural productivity.

The Mission of the Corporation is to lead the Indian Seed Industry by producing and marketing quality seeds of a wide range of crop varieties and hybrids, and adding value through other agro related inputs and services to the satisfaction of farmers.

2. BOARD OF DIRECTORS:

a) Size of Board

National Seeds Corporation Limited is a Government Company within the meaning of section 2(45) of the Companies Act, 2013 as the President of India holds 100% of the total paid-up share capital. As per Articles of Association, the power to appoint Directors vests with the President of India.

In terms of the Articles of Association of the Corporation, the strength of NSC Board shall not be less than two Directors and not more than twenty five Directors. These Directors may be Whole-Time Functional Directors, part-time Directors, Independent Directors and Government Directors.

b) Composition

As per Corporate Governance Guidelines of DPE, the Board of Directors should have an optimum combination of executive and non-executive Directors. As on 31st March, 2019 the Board comprised Seven Directors out of which 2 are Functional Directors viz. Chairman cum Managing Director and Director (Finance), Three Independent Directors and two Directors are nominated by Government of India.

c) Board Meetings

The Meetings are convened by giving appropriate advance Notice after obtaining approval of the Chairman of the Board. Further no Meetings were called at Shorter Notice during the year under review. In case of exigencies or urgency, resolutions are also got passed from the Board through circulation.

Detailed Agendas, Management Reports and other Explanatory Statements are circulated in advance along with the defined agenda format amongst the Members for enabling them to have a meaningful, informed and focussed decisions at the meetings. Where it is not practicable to circulate any document or the agenda as being of confidential or emergent nature, the same is tabled at the meeting with the approval of Board.

d) Number of meetings of the Board

S. No.	Number of Board Meeting	Date of Board Meeting
1.	277 th	30.06.2018
2.	278 th	16.08.2018
3.	279 th	29.09.2018
4.	280 th	29.10.2018
5.	281 st	25.01.2019
6.	282 nd	25.03.2019

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतया कम्पनी के नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान निदेशक मंडल की 06 बैठकें आयोजित की गईं। प्रत्येक निदेशक द्वारा बैठक में शामिल होने की उपस्थिति के साथ-साथ उनका अन्य कंपनियों में निदेशक पद का विवरण नीचे दिया जा रहा है:-

Ø- l a	funs'kd	funs'kd eMy dh cBd		vU, fdruh l 1.Fkvl eafuns'kd gS
		vk, kt r dh xbZ	'Wfey gq	
1.	श्री वी.के. गौड़# अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	6	6	6
2.	श्री दिनेश अरोड़ा*, सरकारी निदेशक	4	3	शून्य
3.	श्री वी. मोहन, निदेशक (वित्त)	6	6	4
4.	श्री रोहित माथुर** l j dkljh funs'kd	4	2	शून्य
5.	डॉ. तरसेम चंद*** l j dkljh funs'kd	2	0	शून्य
6.	श्रीमती प्रतिभा सुमन, स्वतंत्र निदेशक	6	6	शून्य
7.	डॉ. बी.बी. मोहंती, स्वतंत्र निदेशक	6	4	शून्य
8.	श्री श्यामवीर सैनी**** स्वतंत्र निदेशक	3	3	शून्य

*दिनांक 04.01.2019 को कार्य मुक्त

**दिनांक 05.09.2018 को कार्य ग्रहण तथा 05.04.2019 को कार्यमुक्त

***दिनांक 17.01.2019 को कार्यभार ग्रहण

****दिनांक 09.10.2018 को कार्यभार ग्रहण

श्री वी.के.गौड़, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यकाल अवधि को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति के आदेश संख्या 2-1/2017-बीज-1 दिनांक 06.04.2018 के द्वारा दिनांक 12.06.2018 से 30.09.2021 तक अर्थात् उनकी सेवानिवृत्ति या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, बढ़ाया गया है।

3. funs'kd dk i kfj Fed %

i) dk Fed funs'kd

(रु. लाख में)

Ø- l a	ule , oai nule	l dy oru
1	श्री वी.के. गौड़, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	41.02
2	श्री वी. मोहन, निदेशक (वित्त)	32.53

ii) valdkfyd l j dkljh funs'kd @ l j dkljh funs'kd %

निगम द्वारा अंशकालिक सरकारी निदेशकों या सरकारी निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया।

iii) valdkfyd xS l j dkljh funs'kd %

अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों/स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क एवं यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता को छोड़कर अन्य कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया है।

3- funs'kd eMy dh ys[k i j hkk l fevr %

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, लेखा परीक्षा समिति में श्रीमती प्रतिभा सुमन, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष, डॉ. बी.बी. मोहंती, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य एवं श्री रोहित माथुर, सरकारी निदेशक, सदस्य के रूप में शामिल थे।

The meetings of the Board of Directors are normally held at the Corporation's Registered Office at New Delhi. 06 Board Meetings were held during the Financial Year 2018-19. Details of Board meetings attended by each of the Directors along with further details of their directorships in other companies are given below:-

S.No	Directors	Board meetings		No. of other Directorships
		Held during the period	Attended	
1.	Shri V.K. Gaur# Chairman-cum-Managing Director	6	6	6
2.	Shri Dinesh Arora*, Government Director	4	3	NIL
3.	Shri V. Mohan, Director (Finance)	6	6	4
4.	Shri Rohit Mathur**, Government Director	4	2	NIL
5.	Dr. Tarsem Chand***, Government Director	2	0	NIL
6.	Smt. Partibha Suman, Independent Director	6	6	NIL
7.	Dr. B.B. Mohanty, Independent Director	6	4	NIL
8.	Shri Shyamvir Saini****, Independent Director	3	3	NIL

* Ceased to function on 04.01.2019.

** Joined on 05.09.2018 and ceased to function on 05.04.2019.

***Joined on 17.01.2019.

**** Joined on 09.10.2018.

Vide Presidential Order No. 2-1/2017-SD-I dated 06.04.2018, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare extended the tenure of Shri V.K. Gaur, CMD for the period w.e.f. 12.06.2018 to 30.09.2021 i.e. till the date of his superannuation or until further order, whichever is earlier.

e) **Remuneration of the Directors**

i) **Functional Directors**

(Rs. in Lakhs)

S. No.	Name & Designation	Gross Emoluments
1.	Shri V.K. Gaur, Chairman-cum-Managing Director	41.02
2.	Shri V. Mohan, Director (Finance)	32.53

ii) **Part-time Official Director/ Government Director**

No remuneration is paid to the Part-time Government Official Directors by the Corporation.

iii) **Part time Non-official Director**

No remuneration other than sitting fee and T.A./D.A. is paid to Part-time Non-official /Independent Directors.

3. **AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD OF DIRECTORS:**

During the Financial Year 2018-19, the Audit Committee comprises of three Members viz., Smt. Partibha Suman, Independent Director, Chairperson and Dr. B.B. Mohanty, Independent Director, Member and Shri Rohit Mathur, Govt. Director, Member.

यद्यपि, कुछ महीनों के बाद राष्ट्रपति आदेश के तहत श्री रोहित माथुर का कार्यकाल समाप्त होने पर निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 11.06.2019 से आयोजित अपनी 288 वीं बैठक में लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया जिसमें श्रीमती गुरप्रीत गढ़ोक, सरकारी निदेशक को लेखा परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति ने दिनांक 30.06.2018, 16.08.2018, 29.09.2018, 25.01.2019 तथा 25.03.2019 को अपनी बैठकें आयोजित की।

4- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की नामांकन व पारिश्रमिक समिति में श्रीमती प्रतिभा सुमन, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष श्री रोहित माथुर, सरकारी निदेशक, सदस्य शामिल थे। श्री रोहित माथुर, सरकारी निदेशक के कार्यकाल के समापन पर, नामांकन व पारिश्रमिक समिति के कार्य से भी कार्यमुक्त हो गए। तदनुसार, श्रीमती गुरप्रीत गढ़ोक, सरकारी निदेशक को निदेशक मंडल द्वारा समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

यद्यपि, आवश्यकता न होने के कारण वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान नामांकन व पारिश्रमिक समिति की बैठक का आयोजन नहीं किया गया।

5- केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के लिए निगमित शासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश के अनुच्छेद 7.3 के अनुसरण में, निदेशक मंडल ने निगम की जोखिम प्रबंधन नीति का अनुपालन है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (4) की अपेक्षाओं को भी पूरा करती है। जोखिम प्रबंधन समिति की समय-समय पर हुई बैठकों के कार्यवृत्त, लेखा परीक्षा समिति एवं निदेशक मंडल को प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार एनएससी अपनी परिसम्पत्तियों को किसी प्रकार की चोट, नुकसान या क्षति से रक्षा के लिए अपनी रणनीति के तहत जोखिम प्रबंधन के लिए वचनबद्ध है, जिससे कि किसानों, कार्मिकों एवं जन साधारण के अन्य सदस्यों के प्रति अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने की क्षमता पर असर पड़ेगा। जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया में, जोखिम का मूल्यांकन, जोखिम के शमन हेतु वर्गीकरण करना और जोखिम के लिए जोखिम उपचार योजना शामिल हैं। निगम की सारी स्थायी परिसम्पत्तियों का बीमा पॉलिसी के तहत बीमा करवाया गया और धोखाधड़ी पर नियंत्रण रखने के लिए निगम में एक समुचित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली है। त्रैमासिक आंतरिक लेखा परीक्षा शुरू करने के लिए एवं वर्ष के अंत में संपत्तियों के सत्यापन हेतु मुख्यालय के साथ-साथ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वतंत्र सनदी लेखाकारों की नियुक्ति हेतु एक पारदर्शी प्रणाली है। यदि किसी धोखाधड़ी का पता चलता है तो अन्वेषण एवं जांच करने के बाद अनुमोदित कार्य प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

निगम और भारत सरकार के बीच प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में एक वार्षिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिसमें वित्तीय तथा गैर वित्तीय कार्यक्षेत्रों के लक्ष्य, भारत सरकार के परामर्श से नियत किए जाते हैं। वर्ष के अन्त में इन लक्ष्यों की तुलना में निगम के कार्य निष्पादन की समीक्षा की जाती है। समझौता ज्ञापन के अनुसार कार्य निष्पादन की समीक्षा निगम के निदेशक मंडल द्वारा तिमाही आधार पर नियमित रूप से की जाती है। इसमें किसी भी प्रकार की कमियों की पहचान करके आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

6- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में समझौता ज्ञापन की उपलब्धियों की रिपोर्ट कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भेजी जाती है और लोक उद्यम विभाग की आंतरिक मंत्रालयी समिति द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार उपलब्धियों के आधार पर निगम के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है तथा ग्रेडिंग प्रदान की जाती है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में समझौता ज्ञापन की उपलब्धियों की रिपोर्ट कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भेजी जाती है और लोक उद्यम विभाग की आंतरिक मंत्रालयी समिति द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार उपलब्धियों के आधार पर निगम के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है तथा ग्रेडिंग प्रदान की जाती है।

7- पिछली तीन वार्षिक बैठकों की तिथि, समय तथा स्थान के बारे में विवरण इस प्रकार है:-

पिछली तीन वार्षिक बैठकों की तिथि, समय तथा स्थान के बारे में विवरण इस प्रकार है:-

पिछली तीन वार्षिक बैठकों की तिथि, समय तथा स्थान के बारे में विवरण इस प्रकार है:-

However, after few months upon cessation of office of Shri Rohit Mathur vide Presidential order, the Audit Committee was reconstituted by the Board vide its 283rd Meeting dated 11.06.2019 when Smt. Gurpreet Gadhok, Government Director was appointed as a Member of Audit Committee. During the year under review, the Audit Committee held its various meetings on 30.06.2018, 16.08.2018, 29.09.2018, 25.01.2019 and 25.03.2019.

4. CONSTITUTION AND FUNCTIONING OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE OF THE BOARD OF DIRECTORS:

During the year under review the Nomination and Remuneration Committee of the Board comprised the following Members viz., Smt. Partibha Suman, Independent Director, Chairperson, Shri Rohit Mathur, Government Director, Member and Shri Shyamvir Saini, Independent Director, Member. Consequent upon cessation of the office of Shri Rohit Mathur, Govt. Director, he ceased to function in Nomination & Remuneration Committee. Accordingly, Smt. Gurpreet Gadhok, Govt. Director has appointed as Member of the said Committee by the Board.

However, during the Financial Year 2018-19 no Meeting of the Nomination & Remuneration Committee was held since the need does not arise.

5. RISK MANAGEMENT:

In pursuance of Clause 7.3 of DPE Guidelines on Corporate Governance for CPSEs, there is in existence a Risk Management Policy of the Corporation which also fulfils the requirement of Section 177(4) (vii) of the Companies Act, 2013. Risk Management Committee holds its Meetings from time to time whose minutes are placed before Audit Committee and Board. As such, NSC is committed for risk management as an element of its strategy to safeguard the Corporation's assets from any injury, loss or damage that could materially affect its ability to discharge its responsibility towards farmers, employees and other members of the public. Risk management process includes risk identification, risk assessment, risk valuation, categorization and risk treatment plan for mitigation of the risks. All the assets of the Corporation are insured through insurance policies and there is a proper internal control system to check the frauds. There is a clear laid-down practice for appointing the independent Chartered Accountants for all the Regional Offices, Farms as well as Head Office for undertaking quarterly internal audit and verification of the assets at the end of the year. Once a fraud is detected, disciplinary action is taken by following the set of approved procedures after conducting investigation and inquiry.

6. ACCOUNTABILITY OF DIRECTORS:

Memorandum of Understanding (MoU) is entered into annually by the Corporation with Government of India (GOI) in the beginning of each year setting the targets in financial and non financial parameters with weightages decided in consultation with GOI. The performance of the Corporation is measured at the end of the year vis-à-vis these targets. The performance with regard to MoU is reported and reviewed regularly by the Board of Directors of the Corporation on quarterly basis. Slippages, if any, are identified and necessary remedial actions are taken.

At the end of each quarter of the financial year, the MoU achievements Report is furnished to Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and performance of the Corporation is evaluated by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and annually by Department of Public Enterprises Inter Ministerial Committee (IMC) on the basis of actual achievements as per signed MoU and grading is awarded accordingly.

7. GENERAL BODY MEETINGS:

Annual General Meetings

Date, time and location where the last three Annual General meetings were held are as under:-

fnukd	30.09.2016 / 21.10.2016 (स्थगित वा.सा.बै.)	29.09.2017	29.09.2018 / 29.10.2018 / 22.11.2018 (स्थगित वा.सा.बै.)
l e;	पूर्वाहन 11.00 बजे/पूर्वाहन 11.00 बजे	पूर्वाहन 10.30 बजे	पूर्वाहन 11.00 बजे, पूर्वाहन 11.00 बजे एवं पूर्वाहन 11.00 बजे
LFku	बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय	बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय	बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय
fo' kkk l dVi	शून्य	शून्य	शून्य
mi fLFkr	1. श्री वी.के. गौड़	1. श्री वी.के. गौड़	1. श्री वी.के. गौड़
	2. श्री ए.के. झा, भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि	2. श्री ए.के. झा, भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि	2. श्री रोहित माथुर, भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि
	3. श्री ए.के. झा, अवर सचिव (बीज)	3. श्री ए.के. झा, अवर सचिव (बीज)	3. श्री ए.के. झा, अवर सचिव (बीज)
	4. श्री दिनेश अरोड़ा	4. श्री दिनेश अरोड़ा	4. श्री दिनेश अरोड़ा
	5. श्री वी. मोहन	5. श्री वी. मोहन	5. श्री वी. मोहन
	6. श्री संजय खताल	6. श्री संजय खताल	6. श्रीमती प्रतिभा सुमन
	7. श्री आर.के. मिश्रा	7. श्रीमती प्रतिभा सुमन	7. डॉ. बी.बी. मोहंती
			8. श्री श्यामवीर सैनी

8- izlVu %

d½ l Ec) i kVIZl kks %

निगम के निदेशकों द्वारा सम्बद्ध पार्टी सौदे के प्रकटीकरण के लिए कोई सूचना नहीं दी गई है।

टिप्पणी : एन.एस.सी. और इसकी सहयोगी कम्पनियों, जोकि सभी सरकारी कम्पनियाँ हैं, के बीच सुरक्षित व सुविधाजनक लेन-देन है इसलिए धारा 188(1) का प्रावधान-IV R/W सरकारी अधिसूचना दिनांक 05.06.2016 के तहत प्रकटीकरण के लिए के अनुपालन से छूट प्राप्त है।

[k½ yq k k Q oLFkk %

वित्तीय विवरण नए कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं उसके अधीन लागू नियमों के अंतर्गत आवश्यक रूप से लागू लेखा मानकों और सम्बद्ध प्रदर्शन संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

9. l Ei k k dk ek'; e %

वार्षिक साधारण बैठक की सूचना तथा निगम के परिचालन एवं वित्तीय निष्पादन को निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर अपलोड किया जाता है। स्टेकहोल्डर्स अपने सम्प्रेषण को निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक (वित्त)/कम्पनी सचिव को निगम के पंजीकृत कार्यालय बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली 110012 को भेज सकते हैं।

ई-मेल: cs@indiaseeds.com / फोन नं. 25843673

10. yq k k ij h k vgrZ

निगम का हमेशा यह प्रयास रहता है कि शर्त रहित वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाए। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबन्धन का जवाब निदेशकों की रिपोर्ट की संयोजनी में दिया गया है।

11. dá uh ds v k Wj; k dk i S u Z %

निगम के शत प्रतिशत अंश भारत के राष्ट्रपति के नाम हैं।

Date	30.09.2016/ 21.10.2016 (Adjourned AGM)	29.09.2017	29.09.2018/ 29.10.2018/ 22.11.2018 (Adjourned AGM)
Time	11.00AM & 11.00AM Respectively	10.30 AM	11:00 A.M., 11:00 A.M. & 11:00 A.M. respectively
Venue	Registered Office at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi	Registered Office at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi	Registered Office at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi
Special Resolution	NIL	NIL	NIL
Attendance	1. Shri V.K. Gaur	1. Shri V.K. Gaur	1. Shri V.K. Gaur
	2. Shri A.K. Jha, Representative of President of India	2. Shri A.K. Jha, Representative of President of India.	2. Shri Rohit Mathur, Representative of President of India.
	3. Shri A.K. Jha, US (Seeds)	3. Shri A.K. Jha, US(Seeds)	3. Shri A.K. Jha, US(Seeds)
	4. Shri Dinesh Arora	4. Shri Dinesh Arora	4. Shri Dinesh Arora
	5. Shri V.Mohan	5. Shri V. Mohan	5. Shri V. Mohan
	6. Shri Sanjay Khatal	6. Shri Sanjay Khatal	6. Smt. Partibha Suman
	7. Shri R.K. Mishra	7. Smt. Partibha Suman	7. Dr. B.B. Mohanty
			8. Shri Shyamvir Saini

8. DISCLOSURES:

a) Related Party Transactions

No notice for disclosure of Related Party Transactions have been given by the Board Members.

NOTE: The dealings between NSC and its Associate Companies, all of which are Government Companies, are on arms' length basis hence exempt from disclosure pursuant to Proviso IV of Section 188 (1) of the Act r/w Govt. Notification dated 05.06.2016.

b) Accounting Treatment:

The Financial Statements are prepared with applicable mandatory Indian Accounting Standards and relevant presentational requirements as per the Companies Act, 2013 and applicable Rules thereunder.

9. MEANS OF COMMUNICATIONS

Notice for AGM, operational and financial performance of the Corporation are uploaded on Corporation's website www.indiaseeds.com. Stakeholders can address their Communications to CMD/D(F)/C.S. of the Corporation at the Registered Office at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi 110012.

e-mail: cs@indiaseeds.com /Phone No.011- 25843673.

10. AUDIT QUALIFICATIONS:

It is always the Corporation's endeavour to present an unqualified Financial Statement. Management's reply to the Statutory Auditors' and CAG's observations on the Accounts of the Corporation for the year ended 31st March, 2019 are forming part of Annual Report.

11. SHAREHOLDING PATTERN OF THE CORPORATION:

100% shares of the Corporation are held by President of India.

12. f0gl y Gylwjl ulfr %

- i. केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देश के अनुसार सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और सूचना दाताओं का संरक्षण (पीआईडीपीआई) के तहत शिकायत दर्ज करने के तरीकों को एनएससी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
- ii. लोक आयुक्त अधिनियम, 2013 के प्रपत्र एवं विवरण को एनएससी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
- iii. सीएजी के लिए रिकार्ड खुला है।
- iv. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 लागू है।

13- fuxe eal lekt d mljnkf; Ro , oal rr fodkl %

नए कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा कम्पनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अनुसार, कम्पनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्वों से सम्बन्धित प्रावधानों का अनुपालन किया है। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की गतिविधियों पर व्यय हेतु निदेशक मंडल ने सीएसआर बजट का अनुमोदन किया है। निदेशक रिपोर्ट में कारणों का खुलासा करने के पश्चात खर्च न की गई राशि को अगले वर्ष की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों पर व्यय किया जाता है। सीएसआर के तहत किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर इस प्रकार की योजना बनाई गई है कि क्रियान्वित किए गए कार्यक्रमों का असर समाज के चयनित हिस्से पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत है।

12. WHISTLE BLOWER POLICY:

- i. Procedure for filing complaint under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) as per Central Vigilance Commission (CVC) guidelines has been uploaded on NSC website.
- ii. The details and format of Lokayukt Act 2013 has been uploaded on NSC website.
- iii. Records open to CAG.
- iv. RTI Act, 2005 is applicable

13. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY & SUSTAINABLE DEVELOPMENT:

As per Companies Act, 2013 and Companies (CSR Policy) Rules, 2014, the Corporation complies with the provisions concerning Corporate Social Responsibility. A CSR Budget is approved by the Board every year for expending on CSR activities. Unspent amount is carried over for utilization in next year after disclosure of reasons in Directors' Report. CSR activities are planned in a manner that the impact of implementation programmes becomes visible on the selected segments of society.

The details of different works done under CSR during the year are placed in the Annual Report.

कृषि विज्ञान केंद्र, दिल्ली, भारत

31-03-2019 को जारी की गई सूची, 2019

कंपनी अधिनियम, 2013 का अनुच्छेद 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियम 2014 का नियम 12(1) के अनुपालन में :

i. निम्नलिखित सूची

1	पंजीकरण की तिथि	; 19-03-2019
2	पंजीकरण की तारीख	19-03-2019
3	कंपनी का नाम	एन एस सी सीड्स प्रा. लि.
4	कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी	प्रा. लि.
5	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण	एन एस सी सीड्स प्रा. लि., दूरभाष संख्या : 25843673, ई-मेल : cs@indiaseeds.com वेबसाइट : www.indiaseeds.com
6	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	हां
7	रजिस्ट्रार एवं हस्तांतरण एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क विवरण, यदि कोई हो।	एन एस सी सीड्स प्रा. लि.

ii. निम्नलिखित सूची

(कंपनी के कुल कारोबार का 10 प्रतिशत या उससे अधिक का योगदान सभी व्यवसायिक क्रियाकलापों में निर्दिष्ट होगा)

क्र.सं.	व्यवसायिक क्रियाकलाप	योगदान (₹ लाख)	कुल योगदान (₹ लाख)
1	अनाज	0001	35.68
2	दलहन	0010	30.89
3	तिलहन	3340	17.95
4	चारा	0080	5.64
5	रेशा	0031	1.02
6	हरी खाद	0080 व 0032	3.82
7	सब्जियाँ जिसमें आलू एवं रोपण सामग्री भी शामिल हैं।	0063 व 0061	5.00
	कुल		100

वर्ष 2018-19 के दौरान प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों की बिक्री रु. 100441 लाख थी।

EXTRACT OF ANNUAL RETURN- FORM NO. MGT-9

For the Financial Year ended on 31.03.2019

Pursuant to Section 92(3) of the Companies Act, 2013 and Rule 12(1) of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

1.	CIN	U74899DL1963GOI003913
2.	Registration Date	19.03.1963
3.	Name of the Company	National Seeds Corporation Limited (A Government of India Undertaking)
4.	Category/Sub-Category of the Company	Agriculture
5.	Address of the Registered Office and contact details	Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi-110012. Phone No. 25843673 e-mail: cs@indiaseeds.com Website: www.indiaseeds.com
6.	Whether listed Company	No
7.	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	N.A.

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY-

(All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated)

S. No.	Name & Description of main products /services	NIC Code of the Product/ service	%age of the total turnover of the Company
1	Cereals	0001	35.68
2	Pulses	0010	30.89
3	Oilseeds	3340	17.95
4	Fodders	0080	5.64
5	Fibers	0031	1.02
6	Green Manure	0080 & 0032	3.82
7	Vegetable including potato & Planting material	0063 & 0061	5.00
		Total	100

The Turnover on account of Sale of Certified/Quality Seeds during the year 2018-19 was Rs.100441 Lakhs.

iii- /kfj r] l gk d v l j , l k l , V d á fu; k d k f o o j . k %

Ø- l a	d á u h d k u l e , o a i r k	f l u @ t h y , u	/kfj r @ l g; k s h @ , l k l , V	' k s j d k % ½	y k x w f u ; e
1	हरियाणा राज्य बीज विकास निगम, बायस सं.-3-6, सैक्टर-2, पंचकुला-134112	यू01122एचआर1974एसजीसी007442	एसोसिएट	23.31%	कंपनी अधिनियम, 2013 का 2(6)
2	उत्तराखंड बीज एवं तराई विकास निगम लि., पंत नगर, डाक-हल्दी-263146, जिला-उद्यमसिंह नगर (उत्तराखण्ड)	यू01122यूआर1969एसजीसी0003228	एसोसिएट	23.44%	कंपनी अधिनियम, 2013 का 2(6)
3	महाराष्ट्र राज्य बीज निगम लि., महाबीज भवन, कृषि नगर, अकोला-444004 (महाराष्ट्र)	यू01200एमएच 1976 एसजीसी018990	एसोसिएट	35.45%	कंपनी अधिनियम, 2013 का 2(6)
4	आंध्र प्रदेश राज्य बीज, विकास निगम लि., 4 / 150, इलुरु रोड, प्रसादमपट्ट, रामवारापट्ट, (डाक) विजयवाड़ा-521008 (आंध्र प्रदेश)	यू01112एपी1976एसजीसी107938	एसोसिएट	32.64%	कंपनी अधिनियम, 2013 का 2(6)
5	बिहार राज्य बीज निगम लि., छटा तल, पंत भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना-800001 (बिहार)	यू01111बीआर1977एसजीसी001294	एसोसिएट	20.91%	कंपनी अधिनियम, 2013 का 2(6)

fVli . k h – एनएससी के पास कोई सहायक अथवा संयुक्त उद्यम नहीं हैं। हालांकि, उपरोक्त कंपनियों में एन.एस.पी निधि का एनएससी के माध्यम से निवेश किया गया है। इन एसोसिएट कंपनियों को अपने लेखा परीक्षित विवरणों को भेजने के लिए कई बार कहा गया परंतु लेखा परीक्षित विवरण अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। ये कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुपालन में समय पर अपने लेखे तैयार नहीं कर रहे हैं। इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 129(3) के अनुसार सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरण इसके साथ समेकित नहीं किए जा सके। प्रशासनिक मंत्रालय ने इन कंपनियों द्वारा खरीद वापसी के माध्यम से, एनएससी की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत से कम करने की सिद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। हालांकि कोई प्रगति नहीं हो सकी, जबकि संयुक्त सचिव (बीज) द्वारा इनके प्रबंध निदेशकों के साथ बैठकें आयोजित करने के बावजूद अपेक्षा के अनुरूप ये कंपनियाँ कार्य नहीं कर रही हैं।

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES-

S. No.	NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY	CIN/GLN	HOLDING/ SUBSIDIARY/ ASSOCIATE	% OF SHARES HELD	APPLICABLE SECTION
1.	Haryana Seeds Development Corporation Limited, Bays No 3-6, Sector-2 Panchkula-134112 (Haryana)	U01122HR1974SGC007442	Associate	23.31%	2(6) of the Companies Act, 2013
2.	Uttarakhand Seeds & TARA Development Corporation Limited, Pantnagar P O Haldi Distt. Udham Singh Nagar-263146 (Uttarakhand)	U01122UR1969SGC003228	Associate	23.44%	2(6) of the Companies Act, 2013
3.	Maharashtra State Seeds Corporation Limited, Mahabeej Bhavan Krishi Nagar Akola- 444104 (Maharashtra)	U01200MH1976SGC018990	Associate	35.45%	2(6) of the Companies Act, 2013
4.	Andhra Pradesh State Seeds Development Corporation Ltd., 4/150, Eluru Road, Prasadampadu, Ramavarapadu (Post), Vijayawada-521008 (Andhra Pradesh)	U01112AP1976SGC107938	Associate	32.64%	2(6) of the Companies Act, 2013
5.	Bihar Rajya Beej Nigam Limited, 6 th Floor, Pant Bhawan, Jawaharlal Nehru Marg, Patna-800001 (Bihar).	U01111BR1977SGC001294	Associate	20.91%	2(6) of the Companies Act, 2013

NOTE: There is no subsidiary or Joint Venture Company of NSC. However, in the above Associate Companies the NSP funds have been invested by GOI through NSC. These Companies have been advised continuously to send the copy of their Audited Financial Statements. These Associate Companies are not finalizing their accounts in time to comply with the provisions of the Companies Act, 2013. Therefore, the consolidated Financial Statement along with the Associate Companies Financial Statement could not be prepared and laid as per Section 129(3) of the Companies Act, 2013. Administrative Ministry has already conveyed its in principle approval for reduction of NSC's stake in such Associates to bring it below 20%, through buy-back route by the Associate Companies. However, no progress could be achieved, as the Companies are not acting fast as expected even after conducting Meetings of MDs by JS (Seeds).

iv. 'ksj /Hj.k iSvuz' dgy bfoVh ds i fr' kr ds : i eabfoVh 'ksj i wh cxi vi %

(i) Jskh vuq kj 'ksj /Hj.k

'ksj /Hj.k dh Jskh	o'kZ ds i k j E k ea/Hj r 'ks j k dh l d ; k 10-04-2018½				o'kZ ds va ea/Hj r 'ks j k dh l d ; k 31-03-2019½				o'kZ ds n s ku i f j o r z i fr' kr ea½
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
d- i e k l Z									
½½ H j r h									
(क) व्यक्तिगत / एचयूएफ									
(ख) केन्द्रीय सरकार	शून्य	573199	573199	100%	शून्य	573199	573199	100%	शून्य
(ग) राज्य सरकार									
(घ) स्वायत्त सरकार									
(ङ) बैंक / वित्तीय संस्थान									
(च) अन्य कोई									
mi t k m + d ½½ ½½	शून्य	573199	573199	100%	शून्य	573199	573199	100%	शून्य
½½ f o n s k h									
(क) गैर प्रवासी व्यक्ति									
(ख) अन्य व्यक्ति					शून्य				
(ग) बैंक / वित्तीय संस्थान									
(घ) स्वायत्त सरकार									
(ङ) अन्य कोई									
mi t k m + d ½½ ½½	शून्य			शून्य	शून्य		शून्य		शून्य
i e k l Z d k d y ' k s j / H j . k d ½½ d ½½ ½½ d ½½	शून्य	573199	573199	100%	शून्य	573199	573199	100%	शून्य
[k l k o z f u d ' k s j / H j d									
½½ f u n z k									
(क) म्यूचल निधि									
(ख) बैंक / वित्तीय संस्थान									
(ग) केन्द्रीय सरकार									
(घ) राज्य सरकार									
(ङ) उद्यम पूंजी निधि									
(च) बीमा कंपनियां									
(छ) वित्तीय संस्थान									
(ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि									
(झ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)									
mi t k m + d ½½ ½½					शून्य				

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

(i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year (As on 1 st April, 2018)				No. of Shares held at the end of the year (As on 31 st March, 2019)				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of total Shares	
A. Promoters									
(1) Indian									
(a) Individual/HUF									
(b) Central Govt.	Nil	573199	573199	100%	Nil	573199	573199	100%	Nil
(c) State Govt(s)									
(d) Bodies Corp.									
(e) Banks/FI									
(f) Any other....									
Sub-total(A) (1):-	Nil	573199	573199	100%	Nil	573199	573199	100%	Nil
(2) Foreign									
(a) NRIs- Individuals									
(b) Other- Individuals					NIL				
(c) Bodies Corp.									
(d) Banks/FI									
(e) Any Other.....									
Sub-total (A) (2):-	NIL			NIL	NIL		NIL		NIL
Total shareholding of promoter (A)=(A)(1)+(A) (2)	Nil	573199	573199	100%	Nil	573199	573199	100%	Nil
B. Public Shareholding									
1. Institutions									
(a) Mutual funds									
(b) Banks/FI									
(c) Central Govt									
(d) State Govt(s)									
(e) Venture Capital Funds									
(f) Insurance Companies									
(g) FII's									
(h) Foreign Venture Capital Funds									
(i) Other (specify)									
Sub-Total (B)(1):-					NIL				

'ls j /kjd dh Jskh	o"lZds i k E k ea /kjr 'ls j k dh l d ; k 10-04-2018½				o"lZds va ea /kjr 'ls j k dh l d ; k 1-03-2019½				o"lZds n s ku i f j o r z i fr'kr ea½
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
1/2½ x S l d Fku									
(क) निकास									
(i) भारतीय									
(ii) विदेशी									
(ख) व्यक्तिगत									
(i) रु. 1.00 लाख तक शेयर पूंजी धारित व्यक्तिगत शेयरधारक									
(ii) 1.00 लाख से अधिक शेयर पूंजी धारित व्यक्तिगत शेयरधारक									
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)									
mi t k M- ¼ k ½ ½									
dy l k o Z f u d 'ls j /k j . k ¼ k ¼ ¼ k ¼ ¼ k ¼ ¼ k ¼ ¼ k ¼ ¼									
x- t h M v k j , l v l s , M v k j , l d s i k /k j r 'ls j			शून्य	शून्य					
dy t k M- ¼ k ½ ½	शून्य	573199	573199	100%	शून्य	573199	573199	100%	शून्य

1/2½ i k e k l Z d k 'ls j /k j . k

Ø- l a	'ls j /k j d d k u l e	o"lZds i k E k ea 'ls j /k j . k 10-04-2018 d k ½			o"lZds va ea 'ls j /k j . k 1-03-2019 r d ½			o"lZds n s ku /k j r 'ls j k d s i f r 'kr ea i f j o r z i
		'ls j k dh l d ; k	d a u h d s d y 'ls j k d k çfr'kr	dy 'ls j k d s fy, c a k d H k j x Z r 'ls j k d k i fr'kr	'ls j k dh l d ; k	d a u h d s d y 'ls j k d k çfr'kr	dy 'ls j k d s fy, c a k d H k j x Z r 'ls j k d k i fr'kr	
1	भारत के राष्ट्रपति	573199	100%	शून्य	573199	100%	शून्य	शून्य
2								
3								
	dy	573199	100%	'k k i	573199	100%	'k k i	'k k i

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year (As on 1 st April, 2018)				No. of Shares held at the end of the year (As on 31 st March, 2019)				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of total Shares	
2. Non- Institutions									
(a) Bodies Corp.									
(i) Indian									
(ii) Overseas									
(b) Individual									
(i) Individual Shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh									
(ii) Individual Shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakh									
(c) Others (specify)									
Sub-Total (B)(2):-									
Total Public Shareholding (B)=(B) (1) + (B) (2)									
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs			Nil	Nil					
Grand Total (A+B+C)	Nil	573199	573199	100%	Nil	573199	573199	100%	Nil

(ii) Shareholding of Promoters

S. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year (As on 01 st April, 2018)			Share holding at the end of the year (As on 31 st March, 2019)			% change in share holding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the Company	% of Shares Pledged/ encumber red to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the Company	% of Shares Pledged/ encumber red to total shares	
1.	President of India	573199	100%	Nil	573199	100%	Nil	Nil
2.								
3.								
	Total	573199	100%	Nil	573199	100%	Nil	Nil

(iii) $\frac{1}{4}$ i k f o f u e n " V d j h ; f n d k z i f j o r z i u g h g %

Ø- l a		o"lZds i h j k e a / k f j r ' k s j k a d h l d ; k		o"lZds n k s k u l p ; h ' k s j	
		' k s j k a d h l d ; k	d a u h d s d y ' k s j k a d k c f r ' k r	' k s j k a d h l d ; k	d a u h d s d y ' k s j k a d k c f r ' k r
1	वर्ष के प्रारंभ में	573199	100%	573199	100%
2	वर्ष के दौरान प्रमोटर्स शेयरधारण में तिथिवार वृद्धि/कमी को कारण सहित इंगित करें (जैसे कि आबंटन/स्थानांतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि)	कोई बदलाव नहीं			
3	वर्ष के अंत में शेयरधारण	573199	100%	573199	100%

(iv) e d ; 10 ' k s j / k j d k a d k ' k s j / k j . k i s u z f u n s k d k i k e w l z , o a t h m v k j , o a , m v k j / k f j r d s v y l o k %

Ø- l a	i d , d l 10 i z d k ' k s j / k j d k a d s f y ,	o"lZds i h j k e a / k f j r ' k s j k a d h l d ; k		o"lZds n k s k u l p ; h ' k s j	
		' k s j k a d h l d ; k	d a u h d s d y ' k s j k a d k i f r ' k r	' k s j k a d h l d ; k	d a u h d s d y ' k s j k a d k i f r ' k r
1	वर्ष के प्रारंभ में	लागू नहीं			
2	वर्ष के दौरान शेयरों में वृद्धि/कमी को कारण सहित, तारीख सहित इंगित करें (जैसे कि आबंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)	लागू नहीं			
3	वर्ष के अंत में (अथवा अलग होने की तारीख, यदि वर्ष के दौरान अलग हुआ हो)	लागू नहीं			

(v) f u n s k d k , o a i z d k i z a d h ; d k e d k a d k ' k s j / k j . k

Ø- l a	i d , d l f u n s k d , o a i z d k i z a d h ; d k e d k a d s f y ,	o"lZds i h j k e a / k f j r ' k s j k a d h l d ; k		o"lZds n k s k u l p ; h ' k s j	
		' k s j k a d h l d ; k	d a u h d s d y ' k s j k a d k i f r ' k r	' k s j k a d h l d ; k	d a u h d s d y ' k s j k a d k i f r ' k r
1	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य		शून्य	
2	वर्ष के दौरान प्रमोटर्स शेयरधारण में तारीखवार वृद्धि/कमी को कारण सहित इंगित करें (जैसे कि आबंटन / स्थानांतरण / बोनस/उद्यम इक्विटी आदि)	शून्य		शून्य	
3	वर्ष के अंत में	शून्य		शून्य	

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the Company	No. of shares	% of total shares of the company
1.	At the beginning of the year	573199	100%	573199	100%
2.	Date wise Increase/ Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/ transfer/bonus/ sweat equity etc)	No Change			
3.	At the end of the year	573199	100%	573199	100%

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sl. No.	For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the Company	No. of Shares	% of total shares of the Company
1	At the beginning of the year	N.A.			
2	Date wise Increase/ Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/bonus/ sweat equity etc):	N.A.			
3	At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)	N.A.			

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sl. No.	For Each of the Directors and KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the Company	No. of shares	% of total shares of the Company
1	At the beginning of the year	NIL		NIL	
2	Date wise Increase/ Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/bonus/ sweat equity etc):	NIL		NIL	
3	At the End of the year	NIL		NIL	

v. **कर्मचारी**

द्वारा प्रस्तुत कर्मचारी वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, निम्नलिखित

1/4- यकिक

	तक निदेशक	विवरण	तक	द्वारा कर्मचारी
फोर्क ऑर्डर का	5094.41	71.28	260.58	4905.11
फोर्क ऑर्डर का				
• वृद्धि	823.70	6.95	600.00	230.65
• कमी	5000.00	0	58.24	4941.76
फायरिंग	(4176.30)	6.95	541.76	(4711.11)
फोर्क ऑर्डर का	918.11	78.23	802.34	194.00

vi. **व्यय, आय और अन्य**

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों एवं / अथवा प्रबंधकों को मानदेय:

क्र.सं.	विवरण	व्यय, आय और अन्य		कुल
		व्यय	आय	
1	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 का नियम 17(1) में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 का नियम 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों की लागत (ग) आयकर अधिनियम, 1961 का नियम 17(3) के अंतर्गत अनुलाभ का मूल्य परिलब्धियां:	40.75	32.21	72.96
2	स्टॉक का विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य
3	स्वीट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य
4	कमीशन - लाभ का प्रतिशत - अन्य ब्यौरा दें	शून्य	शून्य	शून्य
5	अन्य, कृपया ब्यौरा दें	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (क)	41.02	32.53	73.55
	अधिनियम के अनुसार सीमा	शून्य	शून्य	शून्य

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

(Rs. In Lakhs)

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year	5094.41	71.28	260.58	4905.11
Change in Indebtedness during the financial year				
• Addition	823.70	6.95	600.00	230.65
• Reduction	5000.00	0	58.24	4941.76
Net Change	(4176.30)	6.95	541.76	(4711.11)
Indebtedness at the end of the financial year	918.11	78.23	802.34	194.00

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL:

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

Sl. No	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/Manager (Amount Rs. in Lakh)		Total Amount Rs. in lakhs
		CMD	Director(F)	
1.	Gross Salary			
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961.	40.75	32.21	72.96
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	0.27	0.32	0.59
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	-	-	-
2.	Stock Option	NIL	NIL	NIL
3.	Sweat Equity	NIL	NIL	NIL
4.	Commission			
	- as % of profit	NIL	NIL	NIL
	- others, specify.....			
5.	Others, please specify	NIL	NIL	NIL
	Total (A)	41.02	32.53	73.55
	Ceiling as per the Act	NIL	NIL	NIL

[क वृत्त फुंक्शनल क्लेक सं %

Ø-1 a	ekunş dk fooj.k	funş kldk ul ¼k' k #- e½			dy
1	स्वतंत्र निदेशक	श्रीमती प्रतिभा सुमन	डॉ. बी.बी. मोहंती	श्री श्यामवीर सैनी	राशि रु. में
	• निदेशक मंडल, समिति की बैठक में शामिल होने का शुल्क	48,000	24,000	12,000	84,000
	• कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	• अन्य कृपया ब्यौरा दें।	12,900	1,68,958	19,804	2,01,662
	कुल (1)	60,900	1,92,958	31,804	2,85,662
2	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक				
	• निदेशक मंडल, समिति की बैठक में शामिल होने का शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	• कमीशन				
	• अन्य, कृपया ब्यौरा दें				
	कुल (2)				
	कुल (ख)=(1+2)	60,900	1,92,958	31,804	2,85,662
	कुल प्रबंधकीय मानदेय				
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा				

x- प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशकों / प्रबंधकों के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का मानदेय

¼k' k yk k e½

Ø-1 a	ekunş dk fooj.k	izqk izakht dkEd			
		eqlkv*-	efo-v-@ o e-iz ¼o½	dà uh l fpo	dy
1	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 का नियम 17(1) में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वेतन	लागू नहीं	21.58	28.03	49.61
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 का नियम 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों की लागत	लागू नहीं	0.10	0.52	0.62
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 का नियम 17(3) के अंतर्गत अनुलाभ का मूल्य परिलब्धियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	स्टॉक का विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	स्वीट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	कमीशन - लाभ का प्रतिशत - अन्य ब्यौरा दें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	अन्य कृपया ब्यौरा दें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल (क)	शून्य	21.68	28.55	50.23

*अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और इनका मानदेय पहले ही कॉलम VI-क में दिखाया गया है।

B. Remuneration to other directors:

S. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors (Amount in Rs.)			Total (Amt. in Rs.)
		Smt. Partibha Suman	Dr. B.B. Mohanty	Shri Shyamvir Saini	
1.	Independent Directors				
	• Sitting Fee for attending Board and Committee meetings	48,000	24,000	12,000	84,000
	• Commission	Nil	Nil	Nil	Nil
	• Others, please specify (TA/DA)	12,900	1,68,958	19,804	2,01,662
	Total (1)	60,900	1,92,958	31,804	2,85,662
2.	Other Non-Executive Directors				
	• Fee for attending board Committee Meetings				
	• Commission	NIL	NIL	NIL	NIL
	• Others, please specify				
	Total (2)				
	Total (B) = (1+2)	60,900	1,92,958	31,804	2,85,662
	Total Managerial Remuneration				
	Overall Ceiling as per the Act				

C. Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD

(Amount in lakhs)

S. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		CEO*	CFO/SGM (F&A)	C.S.	Total
1.	Gross salary				
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	N.A.	21.58	28.03	49.61
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	N.A.	0.10	0.52	0.62
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	NIL	NIL	NIL	NIL
2.	Stock Option	NIL	NIL	NIL	NIL
3.	Sweat Equity	NIL	NIL	NIL	NIL
4.	Commission	NIL	NIL	NIL	NIL
	- as % of profit				
	- others, specify.....				
5.	Others, please specify	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Total	NIL	21.68	28.55	50.23

*CMD is CEO and his remuneration already disclosed in VI-A.

VII. नमः तेषु विक्रयितृणां

वर्ष	दंड/दंड/दंड	लक्षित फी. क	नमः तेषु विक्रयितृणां यथा, 'दंड' फी. क	विक्रयितृणां , यथा, 'दंड' फी. क	विक्रयितृणां दंड/दंड/दंड फी. क
द- दंड					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
[क फंड]					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख- पक्ष/विक्रयितृणां					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड (कंपनी अधिनियम के अलावा)	एनएससी (सीडीए) नियमों के तहत प्रमुख दंडात्मक कार्रवाई के तहत पांच मामलों में दंड/ जुर्माना लगाया गया।	एनएससी (सीडीए) नियमों के तहत प्रमुख चूक/अनियमितताओं के लिए।	प्रमुख दंड	एनएससी (सीडीए) नियम, 2013 के अनुसार	
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

VII. PENALTIES/PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCES :

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fees imposed	Authority (RD/ NCLT/ COURT)	Appeal made, if any (give details)
A. COMPANY					
Penalty	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Punishment	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Compounding	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
B. DIRECTORS					
Penalty	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Punishment	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Compounding	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Penalty (Other than Companies Act)	Major penalty to 5 Officers in two cases was awarded under NSC (CDA) Rules.	For major lapses/ irregularities under NSC Employees (CDA) Rules.	Major penalties	As per NSC, CDA Rules 2013.	
Punishment	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Compounding	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

कम्पनी की सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा जिसमें प्रस्तावित परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों का अवलोकन और सीएसआर नीति एवं परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों का वेबसाइट संदर्भ भी शामिल है।

- 1- कम्पनी की सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा जिसमें प्रस्तावित परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों का अवलोकन और सीएसआर नीति एवं परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों का वेबसाइट संदर्भ भी शामिल है।

कम्पनी की सीएसआर नीति कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं नियमों के प्रावधानों के आधार पर है। कंपनी की सीएसआर पहल का उद्देश्य सामाजिक कल्याण गतिविधियों की एक श्रृंखला के माध्यम से समुदायों का समावेशी विकास करके उनकी आजीविका में सुधार करना है। हमारा सीएसआर दृष्टिकोण हमारी इकाईयों और कार्यालयों के आसपास के समुदायों के विकास पर केंद्रित है।

सीएसआर नीति, कम्पनी की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर अपलोड की गई है। इसकी एक प्रति इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

- 2- सीएसआर समिति के सदस्य

- श्री वी.के. गौड़, अप्रनि/अध्यक्ष
- श्री वी. मोहन, निदेशक (वित्त)/एवं सदस्य
- सुश्री प्रतिभा सुमन, सदस्य
- श्री श्यामवीर सैनी, सदस्य

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, समिति की 05 बैठकें आयोजित की गईं।

- 3- कम्पनी का पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसतन निवल लाभ।

i. 2015-16	रु. 7619.34
ii. 2016-17	रु. 7786.46
iii. 2017-18	रु. 3037.01
	रु. 18442.81
औसत -	रु. 6147.60 लाख

- 4- निर्धारित सीएसआर व्यय (उपर्युक्त मद सं. 3 पर इंगित राशि का दो प्रतिशत)।

उक्त 03 में इंगित राशि का 2%	-	रु. 122.95 लाख
+ पिछले वर्ष खर्च न की गई राशि	-	रु. 98.79 लाख

कुल व्यय रु. 221.74 लाख

- 5- वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सीएसआर पर किए गए खर्च का विवरण :

(क) प्रथम स्तरीय सीएसआर समिति की विभिन्न तारीखों पर हुई बैठकों की सिफारिशों के अनुसार, जिन्हें निदेशक मंडल ने अपने निम्नलिखित बैठकों में अनुमोदित किया। क्षेत्रीय कार्यालयों, केन्द्रीय राज्य फार्मों एवं मुख्यालय के प्रस्ताव को निम्न अनुसार अनुमोदित किया गया:-

**FORMAT FOR THE ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES TO BE INCLUDED IN THE BOARD'S REPORT
(Pursuant to Rule 8 of the Companies (CSR Policy) Rules, 2014)**

1. A brief outline of the Company's CSR policy, including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy and projects or programs.

CSR Policy of the Company is based on the provisions of Companies Act, 2013 and Rules thereunder. CSR initiatives of the Company aim towards inclusive development of communities through a range of social welfare activities to improve their livelihood. Our CSR approach focuses on development of communities around the vicinity of our Units and offices.

The CSR Policy is uploaded on the Company's website www.indiaseeds.com. A copy also forms part of this annual CSR report.

2. The Composition of the CSR Committee:-

The CSR committee of the Board is responsible for overseeing the execution of the Company's CSR policy. The composition of 1st Tier CSR Sustainability Committee as on the date of Director's Report is as follows:

- i. Shri V.K. Gaur, CMD/Chairman
- ii. Shri V. Mohan, Director (Finance) & Member
- iii. Smt. Partibha Suman, Independent Director & Member
- iv. Shri Shyamvir Saini, Independent Director & Member

During the Financial Year 2018-19, 05 Meetings of the Committee were held.

3. Average net profit of the company for last three financial years. (Rs. in Lakhs)

i.	2015-16	Rs. 7619.34
ii.	2016-17	Rs. 7786.46
iii.	2017-18	<u>Rs. 3037.01</u>
		<u>Rs. 18442.81</u>
	Average -	Rs. 6147.60 Lakhs

4. Prescribed CSR Expenditure (two per cent of the amount as in item 3 above):-

2% of the amount in 3 above	= Rs. 122.95 Lakhs
+ Unspent amount of previous years	= <u>Rs. 98.79 Lakhs</u>
GRAND TOTAL	= Rs. 221.74 Lakhs

5. Details of CSR spent during the financial year 2018-19:

(A) As per recommendations of 1st Tier CSR & Sustainability Committee at their meetings held on various dates which were approved by the Board at its below mentioned Meetings, the following proposal of Regional Offices(RO), Central State Farms (CSF) and Head Office (HQ) were approved:-

Ø- l a	funskd emy dh cBd dh l d ; k , oa rkjh k	bdkbZ	'kikZ	Loh-r jkf k
1	278 वीं बैठक 16.08.2018	आईआईएसआर-लखनऊ	बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में 03 नगर परियोजनाओं की स्थापना हेतु।	36,00,000
2	279 वीं बैठक 29.09.2018	मुख्यालय, नई दिल्ली	रक्षा मंत्रालय के लिए योगदान।	10,00,000
3	281 वीं बैठक 25.01.2019	मुख्यालय, नई दिल्ली	स्वच्छ गंगा कोष हेतु योगदान।	10,00,000
4	281 वीं बैठक 25.01.2019	क्षे.का., लखनऊ	सरकारी महाविद्यालय, बड़खेत, जिला पौड़ी गढ़वाल में पुस्तकालय कक्ष का निर्माण।	5,66,000
5	281 वीं बैठक 25.01.2019	केराफा, सूरतगढ़	02 आरओ सिस्टम की स्थापना।	4,92,400
6	281 वीं बैठक 25.01.2019	केराफा, सूरतगढ़	कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण	5,08,752
7	281 वीं बैठक 25.01.2019	केराफा, जैतसर	कम्प्यूटर लैब का निर्माण	4,22,752
8	281 वीं बैठक 25.01.2019	क्षे.का., लखनऊ	बीज किटों का वितरण	7,00,000
9	281 वीं बैठक 25.01.2019	क्षे.का., पटना/प्र.का-सीवान	बीज किटों का वितरण	60,000
10	281 वीं बैठक 25.01.2019	केराफा, जैतसर	गरीबों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन।	69,000
11	281 वीं बैठक 25.01.2019	क्षे.का., चैन्नई	गाजा चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में बीज किटों का वितरण।	4,98,750
12	281 वीं बैठक 25.01.2019	केराफा, रायचूर	चारा ब्लॉकों का वितरण।	5,00,000
13	281 वीं बैठक 25.01.2019	क्षे.का., पटना	चारा और सब्जी बीज किटों का वितरण	32,95,000
14	281 वीं बैठक 25.01.2019	केराफा, हिसार	सरकारी विद्यालयों में एस.के.वी सौर पैनल की स्थापना।	5,10,500
15	281 वीं बैठक 25.01.2019	क्षे.का., सिकन्दराबाद	12 सरकारी विद्यालयों में विभिन्न गतिविधियों का संचालन	4,96,720
16	282 वीं बैठक 25.03.2019	क्षे.का., जयपुर	02 ग्राम पंचायतों में 02 आरओ की स्थापना।	4,54,755
17	282 वीं बैठक 25.03.2019	क्षे.का., चंडीगढ़	सब्जी और बीज बीज किटों का वितरण	5,00,000
18	282 वीं बैठक 25.03.2019	क्षे.का., कोलकाता	02 सरकारी विद्यालयों में स्वच्छता सुविधाएं प्रदान/उन्नयन करना।	5,00,000
19	282 वीं बैठक 25.03.2019	क्षे.का., पुणे	03 सरकारी विद्यालयों में बेंच उपलब्ध करवाना।	5,00,000
20	282 वीं बैठक 25.03.2019	क्षे.का., भोपाल	सरकारी विद्यालयों में विभिन्न गतिविधियों का संचालन	5,00,000
			dy	1 61 74 629

S. No.	No. & date of Board Meeting	Unit	Head	Sanctioned Amount in Rs.
1	278 th Meeting held on 16.08.2018	IISR-Lucknow	For installation of 03 Jaggery Project in district East Champaran, Bihar.	36,00,000
2	279 th Meeting held on 29.09.2018	HQ, New Delhi	Contribution to Defence Ministry	10,00,000
3	281 st Meeting held on 25.01.2019	HQ, New Delhi	Contribution to Clean Ganga Fund	10,00,000
4	281 st Meeting held on 25.01.2019	RO, Lucknow	Construction of Library Room in Govt. College, Badkhet, Distt. Paudi Garwal.	5,66,000
5	281 st Meeting held on 25.01.2019	CSF, Suratgarh	Installation of 02 RO Systems	4,92,400
6	281 st Meeting held on 25.01.2019	CSF, Sardargarh	Construction of Computer Room	5,08,752
7	281 st Meeting held on 25.01.2019	CSF, Jetsar	Construction of Computer Lab Room	4,22,752
8	281 st Meeting held on 25.01.2019	RO, Lucknow	Distribution of Seed Kits.	7,00,000
9	281 st Meeting held on 25.01.2019	RO, Patna/AO, Siwan	Distribution of Seed Kits	60,000
10	281 st Meeting held on 25.01.2019	CSF, Jetsar	Organizing Health Camp for poors	69,000
11	281 st Meeting held on 25.01.2019	RO, Chennai	Distribution of Seed Kits in Gaja Cyclone affected area.	4,98,750
12	281 st Meeting held on 25.01.2019	CSF, Raichur	Distribution of Fodder Blocks	5,00,000
13	281 st Meeting held on 25.01.2019	RO, Patna	Distribution of Fodder & Vegetable Seed Kits.	32,95,000
14	281 st Meeting held on 25.01.2019	CSF, Hisar	Installation of 5 KV Solar Panel in Govt. School.	5,10,500
15	281 st Meeting held on 25.01.2019	RO, Secunderabad	Carrying out different activities in 12 Government Schools	4,96,720
16	282 nd Meeting held on 25.03.2019	RO, Jaipur	Installation of 2 ROs in two Gram Panchayat	4,54,755
17	282 nd Meeting held on 25.03.2019	RO, Chandigarh	Distribution of Vegetable and Fodder Seed kits.	5,00,000
18	282 nd Meeting held on 25.03.2019	RO, Kolkata	Providing/Upgrading Sanitary facilities in two Government Schools.	5,00,000
19	282 nd Meeting held on 25.03.2019	RO, Pune	Providing Benches in 03 Government Schools.	5,00,000
20	282 nd Meeting held on 25.03.2019	RO, Bhopal	Carrying out different activities in Government Schools.	5,00,000
			TOTAL	1,61,74,629

1/2 foVlt, o"lZdsnlSku fd, x, dk, k&vS [kpZdh xbZjk' k dk foj. k fuEkuq kj gS:&

1	2	3	4	5	6	7	8
Ø- 1-	fpflgr l h l vkj i fj; kt uk vFlok fØ; kdyki	i fj; kt uk ea' kfey {k=	i fj; kt uk vFlok dk; Øe 1/2LFkuk; {k= vFlok vU; 1/2foAfn"B dja jkt'; , oaft yk t glaij i fj; kt uk vFlok dk; Øe fd; k t kuk gS	jk' k 1/2t V1/2 i fj; kt uk vFlok dk; Øeokj	i fj; kt uk vFlok dk; Øe ij [kpZdh t kus okyhjk' k mi & 'k'k'Z% 1/2i fj; kt uk vFlok dk; Øe ij i & {k Q ; 1/2Aijh 'k'k'Z%	l ehk/khu vof/k rd l p; h Q ;	i & {k vFlok fØ; kbu , t d h ds ek; e l s [kpZ dh xbZjk' k*
1.	स्वच्छ गंगा कोष में योगदान	गंगा नदी के जीर्णोदार से संबंधित गतिविधि	मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा किया गया योगदान	10,00,000	10,00,000	10,00,000	राशि सीधे भेजी जाती है इसलिए, निगरानी की आवश्यकता नहीं है।
2.	सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान	सशस्त्र बलों के लाभ के लिए उपाय	मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा किया गया योगदान	10,00,000	10,00,000	10,00,000	राशि सीधे भेजी जाती है इसलिए, निगरानी की आवश्यकता नहीं है।
3.	भारतीय गंगा अनुसंधान लखनऊ	आजीविका वृद्धि परियोजना से संबंधित गतिविधि	जिला पूर्वी चंपारन (बिहार) के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय,पटना के स्थानीय क्षेत्र में गतिविधि की गई।	35,88,675	35,88,675	35,88,675	मुख्यालय की निगरानी में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ द्वारा कार्य किया गया।
4.	सरकारी कालेज पौड़ी गढवाल में पुस्तकालय कक्ष का निर्माण तथा गरीब किसानों को बीज किटों का विवरण	शिक्षा को बढ़ावा और भूख उन्मूलन से संबंधित गतिविधि	क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा अपने स्थानीय क्षेत्र में गतिविधियां की गईं	24,96,378	24,96,378	24,96,378	क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ की निगरानी में निविदा आमंत्रण के बाद निर्माण तथा बीज कीटों का वितरण किया गया।
5.	चारा ब्लॉकों का वितरण	पशु कल्याण से संबंधित गतिविधि	कर्नाटक के जिला रायचूर में केराफा, जवालगेरा द्वारा गतिविधि की गईं	4,99,709	4,99,709	4,99,709	केराफा जवालगेरा की निगरानी में वितरण किया गया
6	सरकारी विद्यालय में कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण	स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गतिविधि	केराफा, सरदारगढ द्वारा अपने स्थानीय क्षेत्र में गतिविधियां की गईं	4,99,481	4,99,481	4,99,481	निविदा आमंत्रण के बाद केराफा, सरदारगढ द्वारा कार्य किया गया।

(B) The manner and the amount spent during the financial year is detailed below:

(Amount in Rs.)

1	2	3	4	5	6	7	8
Sr. No.	CSR project or activity identified	Sector in which the Project is covered	Projects or Programmes (1) Local area or other (2) State and district where projects or programs was undertaken	Amount outlay (budget) project or programs wise	Amount spent on the projects or programs Sub-heads: (1) Direct expenditure on projects or programs + (2) Overheads:	Cumulative expenditure upto the reporting period	Amount spent: Direct or through implementing agency
1.	Contribution to Clean Ganga Fund	Activity relating to rejuvenation of River Ganga	Contribution made by NSC Hqrs. New Delhi	10,00,000	10,00,000	10,00,000	Amount remitted directly, hence, Monitoring not required.
2.	Contribution to Armed Forces Flag Day Fund	Measures for benefit of the Armed Forces	Contribution made by NSC Hqrs. New Delhi	10,00,000	10,00,000	10,00,000	Amount remitted directly, hence, Monitoring not required.
3.	Installation of 03 Jaggery Projects	Activity relating Livelihood enhancement project	Activity carried out in the local area of Regional Office, Patna under district East Champaran (Bihar).	35,88,675	35,88,675	35,88,675	Work done by Indian Institute of Sugarcane Research, Lucknow under the monitoring of Head Office.
4.	Construction of Library Room in Govt. college, Paudi Garwal & distribution of Seed Kits to Poor Farmers.	Activity relating to promote education and eradication of Hunger.	Activities carried out by Regional Office, Lucknow in its local area.	24,96,378	24,96,378	24,96,378	Construction was done after inviting Tender and distribution of seed kits done under the monitoring of Regional Office, Lucknow.
5.	Distribution of Fodder Blocks	Activity relating to animal welfare.	Activity carried out by CSF, Jawalgera in district Raichur, Karnataka.	4,99,709	4,99,709	4,99,709	Distribution done under the monitoring of CSF, Jawalgera.
6.	Construction of Computer Room in Govt. School	Activity to promote School Education	Activities carried out by CSF, Sardargarh in its local area.	4,99,481	4,99,481	4,99,481	Work managed by CSF, Sardargarh after inviting Tender.

1	2	3	4	5	6	7	8
Ø-1-	fpflgr l h l vlgj ifj; kt uk vFlok fØ; kdyki	ifj; kt uk ea' kfey {k-	ifj; kt uk vFlok dk; Øe ¼½LFkkut; {k- vFlok vU ½½foAifn"B dja jkt; , oaft yk t glaij ifj; kt uk vFlok dk; Øe fd; k t luk gS	jkf' k ½et V½ ifj; kt uk vFlok dk; Øeokj	ifj; kt uk vFlok dk; Øe ij [kpZdh t kus okyh jkf' k mi & 'k'kZ% ¼½ifj; kt uk vFlok dk; Øe ij i & {k Q; ½½Äijh 'k'kZ%	l eh{k/ku vof/k rd l p; h Q;	i & {k vFlok fØ; kbu , t d h ds ek; e l s [kpZ dh xbZjkf' k*
7.	12 सरकारी स्कूलों में विभिन्न गतिविधियों का संचालन	स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित गतिविधि	क्षे.का- सिकन्दराबाद द्वारा अपने स्थानीय क्षेत्र में गतिविधियां की गई	4,96,720	4,96,720	4,96,720	क्षेत्रीय कार्यालय, सिकन्दराबाद, की निगरानी में कार्य किया गया।
8.	सरकारी विद्यालयों में एस.के.वी सौर पैनल की स्थापना।	स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देने और पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करने संबंधित गतिविधि	केराफा, हिसार द्वारा आकांक्षात्मक जिले नूह, हरियाणा में गतिविधियां की गई।	4,34,749	4,34,749	4,34,749	केराफा, हिसार द्वारा, निविदा आमंत्रण के बाद कार्य किया गया।
9.	सरकारी स्कूलों में दो आरओ की स्थापना	सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु गतिविधि	जिला श्री गंगानगर (राजस्थान) के स्थानीय क्षेत्र में केराफा, सूरतगढ द्वारा गतिविधियां की गई।	4,89,000	4,89,000	4,89,000	निविदा आमंत्रण के बाद केराफा, सूरतगढ द्वारा कार्य किया गया।
10.	गाजा चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में बीज किटों का वितरण।	भूख और गरीबी उन्मूलन से संबंधित गतिविधि	चक्रवात प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, चैन्नई द्वारा गतिविधियां की गई।	4,98,750	4,98,750	4,98,750	क्षेत्रीय कार्यालय, चैन्नई की निगरानी में कार्य किया गया।
11.	दो ग्राम पंचायतों में दो आरओ की स्थापना	सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु गतिविधि	क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा अपने स्थानीय क्षेत्र में गतिविधियां की गई	6,66,266	6,66,266	6,66,266	निविदा आमंत्रण के बाद क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा कार्य किया गया।
12.	गरीब किसानों को चारा और सब्जी बीज किटों का वितरण	भूख उन्मूलन और पशुओं के कल्याण से संबंधित गतिविधि	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना द्वारा अपने स्थानीय क्षेत्र में गतिविधियां की गई।	26,94,146	26,94,146	26,94,146	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना की निगरानी में वितरण किया गया।

1	2	3	4	5	6	7	8
Sr. No.	CSR project or activity identified	Sector in which the Project is covered	Projects or Programmes (1) Local area or other (2) State and district where projects or programs was undertaken	Amount outlay (budget) project or programs wise	Amount spent on the projects or programs Sub-heads: (1) Direct expenditure on projects or programs + (2) Overheads:	Cumulative expenditure upto the reporting period	Amount spent: Direct or through implementing agency
7.	Carrying out different activities in 12 Govt. Schools.	Activity relating to promote School education.	Activities carried out by Regional Office, Secunderabad in its local area.	4,96,720	4,96,720	4,96,720	Work done under the monitoring of Regional Office, Secunderabad.
8.	Installation of 5 KV Solar Panel in Govt. School.	Activity relating to promote School education and ensure Environment Sustainability.	Activities carried out by CSF, Hissar in the Aspirational district Noohn (Mewat), Haryana.	4,34,749	4,34,749	4,34,749	Work done by CSF, Hissar after inviting Tender.
9.	Installation of 2 RO Systems in Govt. Schools.	Activity relating to provide safe drinking water.	Activities carried out by CSF, Suratgarh in its local area of district Sri Ganganagar (Raj.).	4,89,000	4,89,000	4,89,000	Work done by CSF, Suratgarh after inviting Tender.
10.	Distribution of Seed Kits in Gaja Cyclone affected area.	Activity relating to eradicate hunger and poverty.	Activities carried out by Regional Office, Chennai to provide relief to the Cyclone affected people.	4,98,750	4,98,750	4,98,750	Work done under the monitoring of Regional Office, Chennai.
11.	Installation of 2 RO in two Gram Panchayat.	Activity relating to make available safe drinking water	Activities carried out by Regional Office, Jaipur in its local area.	6,66,266	6,66,266	6,66,266	Work managed by Regional Office, Jaipur after inviting Tender.
12.	Distribution of Fodder and Vegetable Seed Kits to the poor Farmers.	Activity relating to eradicate hunger and for welfare of Animals.	Activities carried out by Regional Office, Patna in its local area.	26,94,146	26,94,146	26,94,146	Distribution done under the monitoring of Regional Office, Patna.

1	2	3	4	5	6	7	8
Ø-1-	fpflgr l h l vkj ifj; kt uk vFlok fØ; kdylki	ifj; kt uk ea' kfey {s=	ifj; kt uk vFlok dk; Øe ¼½LFkkuk; {s= vFlok vU ½½foAfn"B dja jkt; , oaft yk t glaij ifj; kt uk vFlok dk; Øe fd; k t luk gS	jk' k ½et V½ ifj; kt uk vFlok dk; Øeokj	ifj; kt uk vFlok dk; Øe ij [kpZdh t kus okyh jk' k mi & 'k'kZ% ¼½ifj; kt uk vFlok dk; Øe ij i & {k Q; ½½Äijh 'k'kZ%	l ehkkku vof/k rd l p; h Q;	i & {k vFlok fØ; kbu , t d h ds ek; e l s [kpZ dh xbZjk' k*
13.	गरीबों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन	स्वास्थ्य सह निर्यात को बढ़ावा देने से संबंधित गतिविधि	केराफा, जैतसर द्वारा गतिविधि की गई				स्थानीय अस्पताल के सहयोग से केराफा, जैतसर पर कार्य किया गया।
14.	सरकारी स्कूल में कम्प्यूटर लैब कक्ष का निर्माण	स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित गतिविधि	केराफा, जैतसर द्वारा गतिविधि की गई	4,88,371	4,88,371	4,88,371	निविदा आमंत्रण के बाद केराफा, जैतसर पर कार्य किया गया।

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 आर/डब्ल्यू सीएसआर नीति एवं नियमों की अनुसूची VII के अंतर्गत शामिल उपर्युक्त विभिन्न कार्यों पर रु. 1,48,52,245/- खर्च किए गए।

6 पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसतन निवल लाभ का 02 प्रतिशत खर्च न करने के कारण : -

- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, 04 इकाईयों, क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़, कोलकाता, पूणे और भोपाल के लिए पांच-पांच लाख रु. अनुमोदित किए गए थे, किन्तु लोकसभा चुनाव की घोषणा पर भारतीय चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू करने के कारण, सीएसआर गतिविधियों को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। हालांकि आदर्श आचार संहिता हटने के बाद, कार्य शुरू किए गए, जिनका कार्य प्रगति पर है।
- यद्यपि वित्तीय वर्ष 2018-19 समाप्त होने के पश्चात प्रक्रियाधीन कार्य पर किया गया व्यय, खर्च न की गई राशि का पता लगाया जाएगा तथा उस राशि को अन्य जारी परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा।

7. सीएसआर समिति का कार्यान्वयन एवं निगरानी, कम्पनी के सीएसआर उद्देश्यों एवं नीति के अनुपालन में है।

funskd emy ds vknk

LFku%नई दिल्ली
fnukl%05 सितम्बर, 2019

ह०/-
%oukn dqkj xkM½
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

1	2	3	4	5	6	7	8
Sr. No.	CSR project or activity identified	Sector in which the Project is covered	Projects or Programmes (1) Local area or other (2) State and district where projects or programs was undertaken	Amount outlay (budget) project or programs wise	Amount spent on the projects or programs Sub-heads: (1) Direct expenditure on projects or programs + (2) Overheads:	Cumulative expenditure upto the reporting period	Amount spent: Direct or through implementing agency
13.	Organizing health Camp for poors.	Activity relating to promote Health Care.	Activity carried out by CSF, Jetsar.				Work managed by CSF, Jetsar with the help of local Hospital.
14.	Construction of Computer Lab Room in Govt. School.	Activity relating to promote School Education.	Activity carried out by CSF, Jetsar	4,88,371	4,88,371	4,88,371	Work done by CSF, Jetsar after inviting Tender.

Note: Rs. 1,48,52,245/- have been spent as detailed above on various activities covered under Schedule VII of Companies Act, 2013 r/w CSR Policy and Rules.

6. Reasons for not spending in full the two per cent of the average net profit of the last three financial years:-
- During the year under Review, the proposals of 4 Units i.e. Regional Office, Chandigarh, Kolkata, Pune and Bhopal for Rs. 5.00 Lakhs each was sanctioned but due to enforcement of Model Code of Conduct (MCOC) by Election Commission of India upon announcement of Lok Sabha Election, the CSR activities could not be taken forward. However, after lifting of MCOC, works have been carried out and is under progress.
 - However, after the close of the Financial Year 2018-19, the amount incurred on the work in progress, unspent amount will be ascertained and utilized on other projects which are in hand.
7. The implementation and monitoring of CSR Policy, is in compliance with CSR objectives and Policy of the Company.

By Order of the Board of Directors

Sd/-

(Vinod Kumar Gaur)

Chairman-cum-Managing Director

Place: New Delhi

Dated: 05.09.2019

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-“मिनी रत्न” कंपनी)

(सिन: यू74899डीएल1963जीओआई003913)

“आईएसओ 9001 एवं आईएसओ 14001 प्रमाणित कंपनी”

वेबसाइट: www.indiaseeds.com



निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

पर नीति विवरण

कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2019 के प्रावधान में
अब तक संशोधित

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय

बीज भवन, पूसा परिसर

नई दिल्ली-110012

दूरभाष: 25842383, 25846272, 25842692, 25843673

ई-मेल: cs@indiaseeds.com, mraquim@rediffmail.com, cmd@indiaseeds.com

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking-Miniratna Company)

(CIN: U74899DL1963GOI003913)

“An ISO 9001& ISO 14001 Certified Company”

Website- www.indiaseeds.com



POLICY DOCUMENT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

As amended upto date in the light of the provisions of
Companies (Amendment) Act, 2019.

Regd. & Corporate Office

Beej Bhawan, Pusa Complex,

New Delhi-110012

Phones : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295, 25843673

E-mails- cs@indiaseeds.com, mraquim@rediffmail.com, cmd@indiaseeds.com

çLrkouk

नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता, कंपनी की हितधारकों के प्रति, आर्थिक, सामाजिक और परिवेश की दृष्टि से स्थायी तौर पर व्यापार का संचालन करने के लिए, एक पारदर्शी और नैतिक प्रतिबद्धता है। हितधारकों में बड़े पैमाने पर कर्मचारी, निदेशक, शेयरधारक, ग्राहक, व्यापार भागीदार, पक्षधर, नागरिक सरकारी और गैर-सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय, परिवेश और समाज शामिल है। यथा कंपनियों से हर समय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हित के लिए सामाजिक, आर्थिक और परिवेश की दृष्टि से जिम्मेदार तरीके से स्वयं को संचालित करने हेतु उम्मीद की जा रही है।

कंपनियों की सीएसआर एवं स्थिरता दायित्वों को विनियमित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत नियम विनिर्दिष्ट कंपनियों हेतु निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित अनिवार्य दायित्वों का अनुपालन हेतु प्रदत्त करता है। अधिनियम के अंतर्गत एक नीति तय करने की आवश्यकता है जो कंपनी की सीएसआर समिति द्वारा अनुशंसित और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। तदनुसार बोर्ड की सीएसआर समिति द्वारा विचार करने के पश्चात सुनिश्चित और अनुशंसित वर्तमान में तैयार नीति दस्तावेजों पर निदेशक मंडल ने अपनी दिनांक 31.07.2014 को आयोजित 255वीं बैठक में सीएसआर नीति दस्तावेजों के क्रियान्वयन हेतु मंजूरी दी है। अधिनियम की अनुसूची vii में कुछ परिवर्तनों के कारण वर्तमान सीएसआर नीति को संशोधित किया गया है।

g0@&
10hds xkM/2
v/; {k , oaççak funs'kd

PREFACE

Corporate Social Responsibility (CSR) and Sustainability is a Company's Commitment to its Stakeholders to conduct business in an economically, socially and environmentally sustainable manner that is transparent and ethical. Stakeholders include employees, investors, shareholders, customers, business partners, clients, Civilians, Government and Non-Government organizations, local communities, environment and Society at large. Thus the Companies are expected to conduct themselves in a socially, economically and environmentally responsible manner at all times for the cause of the National and International Interest.

In order to regulate the CSR and Sustainability obligations of Companies, the Companies Act, 2013 and Rules thereunder provide for Mandatory obligations to be complied by specified Companies. The Act requires framing of a Policy by the Company which should be recommended by its CSR Committee and approved by Board of Directors. Accordingly, after considering the present Policy document prepared, finalized and recommended by the CSR Committee of the Board, the Board of Directors of the Corporation have approved the CSR Policy Document at its 255th meeting held on 31.07.2014 for implementation. In view of certain mandatory changes brought out in Schedule VII of the Act, the present CSR Policy is being revised.

Sd/-
(V.K.GAUR)
CHAIRMAN-CUM-MANAGING DIRECTOR

fuXe dh l h, l vkj ulfr

1-1 mís ;

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत तैयार नियमों तथा समय-समय पर किए गए संशोधनों (बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत सीएसआर और स्थिरता के प्रावधानों का अनुपालन करना।
- (ii) निगम पर भारत सरकार द्वारा लागू समझौता ज्ञापन या अन्यथा सीएसआर और स्थिरता से संबंधित उत्तरदायित्वों को पूरा करना।

नोट: यह गतिविधियाँ, जो कंपनी के कर्मचारियों या उनके परिवारों के हित से सीधे या पूरी तरह से संबंधित नहीं हैं, उन्हें सीएसआर गतिविधियों के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

2-0 dk Z{k=@vol j

निगम की सीएसआर नीति के दायरे में सभी हितधारकों को कवर किया जाएगा जिनको निगम की इकाईयों के नजदीकी या आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले समुदाय के लिए सामाजिक आर्थिक, पर्यावरण संबंधी और सांस्कृतिक उत्थान की गतिविधियाँ शामिल होगी और समुदाय के लिए राहत/लाभ/कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कंपनी अधिनियम, 2013 साथ संलग्न अनुसूची vii में प्रदत्त एवं कार्पोरेट मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, नीति आयोग या अन्य सरकारी प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के तहत संशोधित है:-

- (i) भूख, गरीबी और कुपोषण को समाप्त करने, निवारक स्वास्थ्य देखभाल एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित स्वच्छ भारत कोष में साफ-सफाई को बढ़ावा देने के लिए योगदान एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्ध करवाना भी शामिल है।
- (ii) विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ावा देना और विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और शारीरिक रूप से विकलांगों के बीच व्यवसाय कौशल को बढ़ावा और जीविका वृद्धिधारियों को बढ़ावा।
- (iii) लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं और अनथ बच्चों के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम दिन देखभाल केंद्र और इस तरह की अन्य सुविधाओं की स्थापना और सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को दूर करने के उपाय।
- (iv) पर्यावरणीय स्थिरता, पर्यावरण संतुलन, वनस्पति और जीव संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, हवा व पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना सुनिश्चित करना एवं गंगा नदी का पुनरुद्धार के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा गठित नमामि गंगे कोष में योगदान देना भी शामिल है।
- (v) राष्ट्रीय धरोहर, इमारतों और ऐतिहासिक प्रभुता व कलाकृति स्थलों की मरम्मत सहित कला एवं संस्कृति का संरक्षण, सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारस्परिक कला और हस्तशिल्प का विकास और संवर्धन।
- (vi) सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के हितलाभ के लिए उपाय।
- (vii) ग्रामीण खेल कूद, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल पैरालम्पिक खेल और ओलम्पिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण।
- (viii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या सामाजिक आर्थिक विकास एवं राहत और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्यपिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा लागू किसी अन्य फंड के लिए अंशदान।
- (ix) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय राज्य सरकार की किसी एजेंसी या सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम द्वारा वित्त पोषित इनक्यूबेटरों को योगदान और सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और स्वायत्ति निकायों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तत्वाधान में स्थापित भारतीय चिकित्सा विज्ञान परिषद (आईसीएमआर), वैज्ञानिक और आद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अनुसंधान करने में लगे हुए संगठन जिनका विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा उद्देश्य से जिनका सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को बढ़ावा देने में हो-(कारपोरेट मामलों का मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रतिस्थापित।)

CSR POLICY OF CORPORATION

1.0 Objectives

- (i) To comply with the provisions of Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder on CSR and Sustainability, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act).
- (ii) To fulfil the obligations under MoU or otherwise as may be arising upon, by the Government of India on the Corporation concerning CSR and Sustainability.

NOTE:- Only activities which are not directly or wholly related for the benefit of employees of the Company or their family members shall be considered as CSR activity.

2.0 Scope

The scope of CSR Policy of the Corporation will cover all Stakeholders which will also include socio-economic, environmental and cultural up-liftment activities for the Society at large dwelling in the areas surrounding to or nearby the Units of the Corporation. The focus will be on Community relief/benefits/welfare. The CSR activities as are provided in the Schedule VII appended to the Companies Act, 2013 and amended by MCA and guidelines issued by DPE, NITI Ayog or other Government Authorities from time to time as under:-

- i. Eradicating hunger, poverty and malnutrition, promoting health care including preventive health care and sanitation including contribution to the Swach Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation and making available safe drinking water.
- ii. promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly and the differently abled and livelihood enhancement projects.
- iii. promoting gender equality, empowering women, setting up homes and hostels for women and orphans; setting up old age homes, day care centres and such other facilities for senior citizens and measures for reducing inequalities faced by socially and economically backward groups.
- iv. ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora and fauna, animal welfare, agroforestry, conservation of natural resources and maintaining quality of soil, air and water including contribution to the Clean Ganga Fund set-up by the Central Government for rejuvenation of river Ganga;
- v. protection of national heritage, art and culture including restoration of buildings and sites of historical importance and works of art; setting up public libraries; promotion and development of traditional art and handicrafts;
- vi. measures for the benefit of armed forces veterans, war widows and their dependents;
- vii. training to promote rural sports, nationally recognised sports, paralympic sports and olympic sports;
- viii. contribution to the Prime Minister's National Relief fund or any other fund set up by the central Govt. for socio economic development and relief and welfare of the schedule caste, tribes, other backward classes, minorities and women;
- ix. Contribution to incubators funded by Central Government or State Government or any agency or Public Sector Undertaking of Central Government or State Government, and contributions to public funded Universities, Indian Institute of Technology (IITs), National Laboratories and Autonomous Bodies (established under the auspices of Indian Council of Agricultural Research (ICAR), Indian Council of Medical Research (ICMR), Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), Department of Atomic Energy (DAE), Defence Research and Development Organisation (DRDO), Department of Science and Technology (DST), Ministry of Electronics and Information Technology) engaged in conducting research in science, technology, engineering and medicine aimed at promoting Sustainable Development Goals (SDGs); **(Substituted by Ministry of Corporate Affairs Notification dated 11th October, 2019)**

- (x) ग्रामीण विकास परियोजनाएं।
- (xi) स्लम क्षेत्रों का विकास।

टिप्पणी: इस मद के उद्देश्य के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित वह क्षेत्र जिसे 'स्लम क्षेत्र' घोषित किया हो।

- (xii) आपदा प्रबंधन समेत राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों।

*सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने कार्यालय ज्ञापन संख्या सीएसआर-08/0002/2018-निदेशक (सीएसआर) दिनांक 29.05.2019 के द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए सीपीएसई द्वारा सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने के लिए "स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण" पर कॉमन थीम को मंजूरी दे दी है।

3-0 igy%

3-01 l h l v k j ds rgr fu fu p g e d h i g y d h t k x l %

- i. **fuxe çorZl ds : i eadk Zdj l drk g%** प्रथम चरण पर, निगम समझौता ज्ञापन के दायित्वों, यदि कोई है, की पूर्ति हेतु सीएसआर और स्थिरता गतिविधियों को क्रियान्वित करेगा। इसके साथ ही निगम अन्यर अधिनियम के प्रावधानानुसार अन्य सीएसआर एवं सतत विकास गतिविधियों को अपने स्तर पर किन्तु निर्धारित बजट सीमा के भीतर क्रियान्वित करेगा।
- ii. **fuxe Hxlnj ds : i eadk Zdjxl%** निगम एक स्थायी आधार पर कार्पोरेट रणनीति के दायित्व परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए स्वैच्छिक निकायों, स्वायत्त निकायों, सांविधिक एजेंसियों, राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से साझेदारी बढ़ाएगा।
- iii. **fuxe l w/ky ds : i eadk Zdjxl%** निगम इकाईयों में और उनके आसपास और साथ ही भारत के किसी भी हिस्से में विभिन्न सामाजिक हितलाभ परियोजनाओं के लिए योगदान करेगा।
- iv. **fuxe , d l ylgdj ds : i eadk Zdjxl%** निगम तकनीकी विशेषज्ञता, प्रबंधकीय विशेषज्ञता आदि के मामले में निम्नलिखित कल्याण और विकास परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करेगा।

4-0 dā uh ¼ h l v k j ulfr ½ fu; e 2014 dk fo 'yšk k

27.02.2014 को अधिसूचित कंपनी अधिनियम, (सीएसआर नीति), 2014 के नियम 2(ग) के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर का आशय और सम्मिलित केंद्र अंतिम नहीं है: (i) अधिनियम की अनुसूची vii में निर्धारित गतिविधियों क्षेत्रों और विषयों हेतु संबंधित कार्यक्रम या परियोजनाएं अथवा (ii) कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा सीएसआर समिति के अनुसरण में कंपनी की घोषित सीएसआर नीति के अनुसार इस तरह की समय-समय पर संशोधित अधिनियम की अनुसूची vii की निर्धारित नीति में गतिविधियों, क्षेत्रों या विषयों को शामिल किया जाएगा।

l h l v k j ulfr%

कंपनी अधिनियम (सीएसआर नीति), 2014 के नियम 2(ड) के अनुसार सीएसआर नीति द्वारा शुरू की गई गतिविधियों जैसे कि अधिनियम की अनुसूची vii में निर्धारित हैं, और इन पर हुए व्यय, कंपनी के व्यवसायिक सामान्यन कोर्स के अनुसार शुरू की गई गतिविधियों को छोड़कर से संबंधित है। धारा 135 (1) के तहत गठित सीएसआर समिति कंपनी की सीएसआर नीति तैयार करेंगे जो कि निम्नलिखित को सम्मिलित करेंगे (क) अधिनियम की अनुसूची vii के संबंध में आने वाली परियोजना कार्यक्रम जो कंपनी के निष्पादन की एकरूपता/रूपरेखा और उनके कार्यान्वयन को निर्धारित कर रहे हैं और (ख) ऐसी परियोजना व कार्यक्रम की निगरानी।

यद्यपि सीएसआर गतिविधियों में कंपनी के व्यवसायिक सामान्य पाठ्यक्रम के अनुसरण में, की जाने वाली गतिविधियां शामिल नहीं हैं। इसके अलावा, निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी द्वारा सीएसआर नीति में शामिल गतिविधियों, क्षेत्रों या विषयों जैसा कि अनुसूची vii में निर्दिष्ट है जिसे वैधानिक प्रावधानों या सरकार के निदेशों या अधिनियम के द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

- x. rural development projects;
- xi. slum area development.

Explanation.- For the purposes of this item, the term `slum area' shall mean any area declared as such by the Central Government or any State Government or any other competent authority under any law for the time being in force.

- xii. disaster management, including relief, rehabilitation and reconstruction activities.

*Department of Public Enterprises (DPE) vide O.M. No. CSR-08/0002 /2018-Dir(CSR) dated 29.05.2019 has approved a common theme "SCHOOL EDUCATION, HEALTHCARE & NUTRITION" for undertaking CSR Activities by CPSEs for the year 2019-20.

3.0 Initiatives

3.01 CSR strategy will have fourfold initiatives as under:

- (i) **Corporation may act as Promoter:** In the first instance, the Corporation will take up CSR and Sustainability activities to fulfil MoU obligations, if any. Simultaneously, the Corporation will take up other CSR and Sustainability activities on its own but within over-all budgeted funds as per provisions of the Act.
- (ii) **Corporation may act as a Partner:** Corporation will be building up partnership with the Voluntary Bodies, Autonomous Bodies, Statutory Agencies, State and Central Government Agencies/PSUs, to take up Corporate Strategic Responsibility Projects on a sustainable basis.
- (iii) **Corporation may act as Facilitator:** Corporation may make contributions to various Socially Beneficial Projects in and around its Units as well as in any part of India.
- (iv) **Corporation may act as a Consultant:** Corporation may extend assistance in terms of technical expertise, managerial expertise, etc. to the Welfare and Developmental Projects.

4.0 Analysis of Companies (CSR Policy) Rules, 2014:

As per Rule 2(c) of Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rule, 2014 "Corporate Social Responsibility (CSR)" means and includes but is not limited to: (i) Projects or programs relating to activities, areas or subject specified in Schedule VII to the Act; or (ii) Projects or programs relating to activities undertaken by the Board of Directors of a Company (Board) in pursuance of recommendations of the CSR Committee of the Board as per declared CSR Policy of the company subject to the condition that such policy will include activities, areas or subjects specified in Schedule VII of the Act as amended from time to time.

CSR Policy:

Rule 2(e) of Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, states that "CSR Policy" relates to the activities to be undertaken by the company in areas or subjects specified in Schedule VII to the Act and the expenditure thereon, excluding activities undertaken in pursuance of normal course of business of a company. The CSR Committee constituted under section 135(1), shall prepare the CSR Policy of the company which shall include the following: (a) a list of CSR projects or programs which a company plans to undertake areas or subjects specified in Schedule VII of the Act, specifying modalities of execution of such project or programs and implementation schedules of the same; and (b) monitoring process of such projects or programs.

However, the CSR activities do not include the activities undertaken in pursuance of normal course of business of a company. Further, that the Board of Directors shall ensure that activities included by a company in its Corporate Social Responsibility Policy as amended from time to time are related to the activities, areas or subjects as specified in Schedule VII, as may be amended by Statutory provisions or Government directions, of the Act.

5-0 दाफु; लाफत उगल ह, ल व्जुलुफ्र फु; एकाक वुक्क्यु द्जुक व्लो'; द ग%

fu; e 3% कंपनी नियम (सीएसआर नीति) के नियम 3(1) के अनुसार प्रत्येक कंपनी की होल्डिंग कंपनी या सहायक कंपनी, अधिनियम की धारा 2(42) के तहत परिभाषित एक विदेशी कंपनी की शाखा या परियोजना कार्यालय भारत में है, जो अधिनियम की धारा 135 (1) में निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं, अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों और इन नियमों का अनुपालन करेंगी। तथापि अधिनियम की विदेशी कंपनी के निवल मूल्य, कारोबार व निवल लाभ की गणना अधिनियम की धारा 381(1)(क) एवं 198 की धारा के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए तुलनपत्र और लाभ-हानि खातों के अनुसार की जाएगी।

fu; e 312% आगे, नियम 3(2) के अनुसार, प्रत्येक कंपनी जो लगातार 03 वर्षों तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के तहत शामिल कंपनी नहीं है तो उसे (क) सीएसआर समिति गठन करने, (ख) उक्त धारा की उपधारा (2) से (5) तक के न्यूनतम प्रावधानों के अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि यह अधिनियम की धारा 135(1) में निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

fu; e 414% कंपनी को अपने सीएसआर नीति के अनुसार, जैसा कि परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों (या तो नया अथवा चालू) को व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अनुसरण में ली गई क्रियाकलापों को छोड़कर सीएसआर क्रियाकलाप में लेना होगा।

fu; e 412% कंपनी का निदेशक मंडल, सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित सीएसआर गतिविधियों को अधिनियम की धारा 8 के तहत किसी पंजीकृत न्यास अथवा पंजीकृत सोसायटी जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संसद या विधानसभा के तहत स्थापित सोसायटी के माध्यम से अपने सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने का निर्णय कर सकती है।

हालांकि यदि, कंपनी का निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत स्थापित कंपनी, पंजीकृत न्यास या पंजीकृत सोसायटी के अलावा उपनियम में निर्धारित ऐसी कंपनी या पंजीकृत न्यास या पंजीकृत सोसायटी का इस तरह के कार्यक्रमों या परियोजनाओं को शुरू करने में तीन साल का ट्रेक रिकॉर्ड होना चाहिए और इसे कंपनी के द्वारा कार्यक्रमों या परियोजनाओं को निर्दिष्ट हो, इस प्रकार की परियोजनाओं और कार्यक्रमों के फंड के उपयोग के तौर-तरीके, निगरानी व रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित हो।

6-0 ल ह, ल व्जुलुफ्र; क्दुकि ल्दसफु, ल द क्लुल्दह इ फुय%

fu; e 413% कंपनी इस तरीकों से अन्य कंपनियों के साथ भी इन परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों को संचालित कर सकती है, ताकि संबंधित कंपनी की सीएसआर समिति, नियमानुसार इस तरह की परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों की अलग से रिपोर्ट देने की स्थिति में हो सकें।

fu; e 414% अधिनियम की धारा 135(5) उपबंधों के अधीन रहते हुए सीएसआर परियोजना अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों को सिर्फ भारत में खर्च करने के लिए ही सीएसआर राशि होगी, भारतीय समाज को सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित किया जाना चाहिए।

fu; e 415% कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार, कंपनी के कार्मिकों और उनके परिवार के सदस्यों को सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से होने वाले लाभ को सीएसआर गतिविधियों के रूप में नहीं माना जाएगा।

fu; e 416% कंपनियां कम से कम 3 वित्तीय वर्ष स्थापित ट्रेक रिकार्ड के साथ संस्थानों के माध्यम से अपने कार्मिकों के साथ साथ कार्यान्वयन करने वाली एंजिसियों के साथ सीएसआर क्षमता का निर्धारण कर सकती हैं, परंतु प्रशासनिक ओवरहेड्स सहित इस तरह का व्यय एक वित्तीय वर्ष में कंपनी के कुल सीएसआर व्यय का 05% से अधिक नहीं होगा।

fu; e 417% अधिनियम की धारा 182 के तहत किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी भी राशि का अनुदान सीएसआर गतिविधियों के रूप में नहीं किया जाएगा।

fu; e 6% कंपनी (सीएसआर नीति) नियमावली के नियम 6 में सीएसआर नीति के साथ समझौता ज्ञापन 6(1) के अनुसार कंपनी के सीएसआर नीति में निम्नलिखित शामिल हैं:

क) कंपनी की योजनानुसार सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों की एक सूची में अधिनियम की अनुसूची vii में निर्धारित क्षेत्रों व विषयों इस तरह की परियोजना व कार्यक्रम के निष्पादन के तौर-तरीके एवं इसके क्रियान्वयन के तरीके शामिल किए हों।

5.0 Companies that are required to comply with CSR policy Rules:

Rule 3: Rule 3(1) of Companies (CSR Policy) Rules provides that every company including its holding or subsidiary, and a foreign company defined under section 2(42) of the Act having its branch office or project office in India, which fulfils the criteria specified in section 135(1) of the Act shall comply with the provisions of section 135 of the Act and these rules. However, net worth, turnover or net profit of a foreign company of the Act shall be computed in accordance with balance sheet and profit and loss account of such company prepared in accordance with the provisions of section 381(1) (a) and section 198 of the Act.

Rule 3(2): further, Rule 3(2) states that every company which ceases to be a company covered under section 135(1) of the Companies Act, 2013 for three consecutive financial years shall not be required to (a) constitute a CSR Committee and (b) comply with the provisions contained in sub-section (2) to (5) of the said section, till such time it meets the criteria specified in section 135(1) of the Act.

Rule 4(1): The CSR activities shall be undertaken by the company, as per its stated CSR Policy, as projects or programs or activities (either new or ongoing), excluding activities undertaken in pursuance of its normal course of business.

Rule 4(2): The Board of a Company may decide to undertake its CSR activities approved by the CSR Committee, through a company established under section 8 of the Act or a registered trust or a registered society, established by the company, either singly or alongwith any other company, or a company established under section 8 of the Act or a registered trust or a registered society, established by the Central Government or State Government or any entity established under an Act of Parliament or a State legislature.

However if, the Board of a company decides to undertake its CSR activities through a company established under section 8 of the Act or a registered trust or a registered society, other than those specified in this sub-rule, such company or trust or society shall have an established track record of three years in undertaking similar programs or projects; and the company has specified the projects or programs to be undertaken, the modalities of utilisation of funds of such projects and programs and the monitoring and reporting mechanism”.

6.0 Pooling of resources for CSR activities:

Rule 4(3): A company may also collaborate with other companies for undertaking projects or programs or CSR activities in such a manner that the CSR Committees of respective companies are in a position to report separately on such projects or programs in accordance with these rules.

Rule 4(4): Subject to provisions of section 135(5) of the Act, the CSR projects or programs or activities undertaken in India only shall amount to CSR Expenditure. It implies that the Indian Society must be benefited out of the CSR projects.

Rule 4(5): The CSR projects or programs or activities that benefit only the employees of the company and their families shall not be considered as CSR activities in accordance with section 135 of the Act.

Rule 4(6): Companies may build CSR capacities of their own personnel as well as those of their implementing agencies through Institutions with established track records of at least three financial years but such expenditure including expenditure on administrative overheads, shall not exceed five percent of total CSR expenditure of the company in one financial year.

Rule 4(7): Contribution of any amount directly or indirectly to any political party under section 182 of the Act, shall not be considered as CSR activity.

Rule 6: Rule 6 of Companies (CSR Policy) Rules deal with CSR Policy. According to Rule 6(1), the CSR Policy of the company shall, interalia, include the following, namely:-

- (a) A list of CSR projects or programs which a company plans to undertaken areas or subjects specified in Schedule VII of the Act, specifying modalities of execution of such project or programs and implementation schedules for the same; and

- ख) ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों की निगरानी प्रक्रिया। यद्यपि, सीएसआर गतिविधियों में कंपनी के सामान्य व्यापार की गतिविधियां शामिल नहीं हैं। इसके अलावा, निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी द्वारा अपनी सीएसआर नीति में शामिल की गई गतिविधियां अधिनियम की अनुसूची vii में निर्धारित क्षेत्रों या विषयों से संबंधित हैं।
- ग) सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष।

नियम 6(2) के अनुसार, कंपनी की सीएसआर नीति में विनिर्दिष्ट होगा कि सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष कंपनी के लाभ के रूप में नहीं होगा।

7-00 दा उह वफ/कु; ए] 2013 ध वुद ष वी दस वराः फु/कु; र 1 ह 1 वkj dk Zlyki क ds f0; kb; u dh dk Zç. क्यल%

7-01 मलेयु] ह/के]ह] ख]हच बर, कन%

बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूखमरी, आग, गृहयुद्ध, दंगा, मलेरिया एवं अन्य प्राकृतिक और अप्राकृतिक वातावरण की स्थिति में, जहां पर लोग अपनी आजीविका के लिए पैसा कमाने की स्थिति में नहीं है और आसपास के बाजारों में खाद्य वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती हैं, जिसके कारण व्यापक भूख, गरीबी, कुपोषण इत्यादि हो जाता है तो इस प्रकार सीएसआर की राशि को ऐसी जगहों पर खर्च किया जाता है, बशर्ते कि ऐसी स्थिति के लिए, स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार की घोषणा की गई हो ऐसी जगहों पर सीएसआर की राशि खर्च की जाती है। इसके अलावा निगम स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बीज उत्पादन एवं अन्य कृषि संबंधी गति विधियों को बढ़ावा देने के लिए तथा खाद्यान्न की कमी को कम करने के लिए निगम प्रयासरत रहता है। बजट में सीएसआर राशि उपलब्ध रहने पर, एनएससी केंद्रीय सरकार द्वारा गठित स्वच्छ भारत कोष में साफ-सफाई एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध, करवाने में योगदान दे सकता है।

7-02 फ' क/क व/कन dk 1 क/क% निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:-

- क) स्थानीय लोगों के बीच साक्षरता लाने में सरकार के मिशन में योगदान करना, जोकि कृषि विषय पर केंद्रित होगा।
- ख) सीएसआर बजट की राशि उपलब्ध होने पर, निगम के आसपास के क्षेत्रों में स्कूलों की स्थापना करना।
- ग) निगम की इकाईयों के नजदीकी गांवों/कालोनियों के निवासियों में साक्षरता को बढ़ावा देना और विशेषकर कृषि संबंधी कार्यों पर प्रशिक्षण प्रदान करना।
- घ) निगम की इकाईयों के नजदीकी क्षेत्रों के आदिवासीय क्षेत्रों में विशेष सहायता प्रदान करना जिसमें स्कूल के बस्ते, किताबें और अन्य पठन सामग्री का वितरण तथा छात्रवृत्ति इत्यादि के लिए अनुदान देना शामिल है।

7-03 य/खd 1 ए/कुर] ए/ग्य/क/क ds 1 'का चुकुक बर, कन%

- क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन, सामाजिक संस्थाओं, एन.जी.ओ. संस्थाओं इत्यादि के साथ बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, आश्रय प्रदान करने के लिए उपरोक्त, उद्देश्य को प्राप्त करने में निगम कंधे से कंधा मिला कर कार्य करेगा। उपरोक्त मामलों में निगम लैंगिकता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।
- ख) महिलाओं के लिए समान सुविधा प्रदान करना। यदि किसी भी कारण भेदभाव उत्पन्न होता है तो निगम उसका हल निकालने का प्रयास करेगा, यदि इस प्रकार की शिकायत पीड़ित व्यक्ति द्वारा की जाती है।
- ग) निगम सीएसआर की राशि को नियमानुसार, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की योजनाओं के अनुसार इन उद्देश्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए अन्यसाधनों में भी सीएसआर की राशि का खर्च उठायेगी बशर्ते जहां पर निगम की इकाईयों स्थापित हों।

7-04 i; क/ज. क f/क/क rk बर, कन 1 कु' प्र द/कुल%

निगम प्रत्यक्ष तौर पर अथवा सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ भागीदारी के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करेगा।

- क) पर्यावरण प्रबंधन इत्यादि पर संवेदनशील कार्यक्रमों का आयोजन।
- ख) पर्यावरण प्रबंधन में हितधारकों की चिंता को दूर करने के उपाय।

- (b) Monitoring process of such projects or programs. However, the CSR activities do not include the activities undertaken in pursuance of normal course of business of a company. Further, the Board of Directors shall ensure that activities included by a company in its CSR policy are related to the areas or subjects specified in Schedule VII of the Act.
- (c) Surplus arising out of CSR activities: According to Rule 6(2), the CSR Policy of the company shall specify that the surplus arising out of the CSR projects or programs or activities shall not form part of the business profit of a company.

7.0 Modus Operandi on the Implementation of CSR Activities prescribed under Schedule VII of Companies Act, 2013:

7.01 Eradicate hunger, poverty etc.:

In case of flood, drought, cyclones, earthquakes, fires, civil wars, riots, Malaria and other natural and un-natural calamities where the people are not in a position to earn money for their livelihood or edible items are not available in the local & nearby markets due to which pervasive hunger, poverty, malnutrition etc. are prevailing, the CSR funds towards such objects may be deployed provided that such a situation is announced by the local authorities, State Government or Central Government. Besides, Corporation will also make contribution to boost seed production and other agricultural activities for providing means of livelihood to the local employment of people and to curtail the shortage of food grains. Subject to availability of CSR funds in the Budget, NSC may contribute to Swachh Bharat Kosh set-up Central Government for sanitation and making available safe drinking water.

7.02 Promotion of Education etc.: Following targets are set:-

- (a) To contribute Government's Mission in bringing total literacy amongst local people, which will be centralized on agricultural subjects.
- (b) Subject to availability of CSR budgeted amount, to establish Schools preferably in the areas nearby the Units of the Corporation.
- (c) Promotion of literacy amongst residents of Colonies and villages nearby the Units of the Corporation, with specific attention to provide training and exposure on agricultural related works.
- (d) Specific support for tribal students in areas nearby the Units of the Corporation by distribution of school bags, book and other reading materials, grant of scholarships etc.

7.03 Promoting gender equality, empowering women etc.:

- (a) Corporation will join hands with Central Government, State Government, Local Authorities, Social Organizations, NGOs etc. in attaining the above objectives for the provisions of basic general facilities, education, shelters, dwelling Units etc. No discrimination will be made merely on the basis of gender in any of the above matters.
- (b) Equal facilities will be provided to the women class. In case of any causes concerning discrimination, the same will be resolved by corporation if these are reported by the aggrieved concerned.
- (c) NSC will also incur expenses of CSR towards other means for facilitating these objectives as per laws, Rules, Schemes of Government of India or the Government of State where Units of the Corporation are located.

7.04 Ensuring environmental sustainability etc.:

The Corporation will take up following programmes either directly or through partnerships with other PSUs.

- a) Organising sensitizing programmes on environment management, etc.
- b) Environment Management Measures to address the concerns of stake holders

- ग) सामाजिक उपयोगिता के लिए वृक्षारोपण/ग्रीनबेल्ट विकासध्वौध सामग्री अथवा फलों के बीजों/वानिकी/उपयोगिता/सब्जियों आदि के कार्य करना।
- घ) समग्र प्रदूषण नियंत्रण के उपाय।
- ङ) महत्वपूर्ण मानदंडों की सतत निगरानी।
- च) बजट में सीएसआर राशि उपलब्ध रहने पर, एनएससी केंद्रीय सरकार द्वारा गठित नमामि गंगे कोष में गंगा पुनरुद्धार के लिए योगदान दे सकता है।
- छ) सीएसआर समिति के निर्णय के अनुसार इस प्रकार के अन्य कार्यक्रम।

7-05 **jkVfr fojkl r] dyk vls l l-fr dk l j {k k ft l ea bej rka, oa, frgkl d egro ds LFky vls dyk ds dk ZHh 'kfev g\$ l koZ fud i rdky; dh LFki ul i kj Eij d dyk vls gLrf' ki dk l m/ka , oafodkl A**

- क) राष्ट्रीय विरासत के संरक्षण के संबंध में, भारत सरकार का पुरातत्व विभाग सभी ऐतिहासिक इमारतों और स्थलों का संरक्षक है।
- ख) निगम बीज के क्रियाकलापों को करता है, इसलिए उपरोक्त कार्यों को करना संभव नहीं है जैसा कि उल्लिखित कार्यों में अपने स्वयं का शाखा के या विभाग में उपलब्ध कार्यों को करना संभव नहीं है। अतः राशि की उपलब्धता एवं सीएसआर समिति की सिफारिशों की शर्तों पर निदेशक मंडल कुछ सरकारी विभागों/संस्थाओं के प्रस्तावों पर विचार कर सकता है, जो पहले से ही ऐसे कार्यों से जुड़े हुए हों।
- ग) सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना के संबंध में निगम ऐसे गाँवों एवं क्षेत्रों में पुस्तकालयों की स्थापना कर सकता है, जहाँ पर इसकी इकाईयों हों।
- घ) पारम्परिक कला और हस्तशिल्प का संवर्धन एवं विकास के संबंध में, निगम स्थानीय निवासियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने पर विचार कर सकता है बशर्ते लोक उद्यम विभाग द्वारा, संबंधित वित्त वर्ष के समझौता ज्ञापन में प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य दिया गया हो।

7-06 **l 'kl= cyk ; q fo/okvavls mudsvk Jrka ds fgr ds fy, mi k A**

निगम विशेष रूप से, युद्ध के दौरान ऐसे व्यक्तियों के लिए अधिकतम समर्थन/योगदान देने का प्रयास करेगा। निगम उनकी आजीविका का अवसर प्रदान करने का भी प्रयास करेगा।

7-07 **xzeh k [ky] jkVfr Lrj ij eku rk çkr [ky i\$kyEid [ky vls vly/Eid [ky ds fy, ç' k k ka**

निगम, बजट की उपलब्धता के अनुसार, अपनी इकाईयों के आसपास रहने वाले प्रतिभाशाली व्यक्तियों को वित्तीय मदद करा सकता है ताकि वे पैरालिम्पिक/ओलम्पिक खेलों में भाग ले सकें।

7-08 **ç/kuæ-hjkVfr jigr dkk eavanku vFlok dæ l j d kj vFlok jkt; l j d kj } kj k LFki r l kkt d] vFkZl fodkl vls jigr ds fy, vU; dkk eavanku rFk vud for t kr] vud for t ut kr] vU; fi NMk oxZrFk efgykvla ds dY; k k ds fy, ; k nku ds dk kZ ds djula**

निगम उपरोक्त उद्देश्यों के लिए भी अपनी सीएसआर बजट से राशि प्रदान करने पर विचार कर सकती है।

7-09 **dæ l j d kj ; k j kt; l j d kj ; k l koZ fud mi Øe@dæ ; k j kt; l j d kj vkn dh , t \$ l ; ka } kj k foUk i k'kr buD; vj/kaæ; k nku%**

निगम सीएसआर के तहत निधियों को वित्ता पोषित इनक्यूबेटरों में योगदान दे सकता है जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी एंजेसी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार का सार्वजनिक उपक्रम द्वारा और सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और स्वावयत निकायों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तत्वाधान में स्थापित भारतीय चिकित्सा विज्ञान परिषद (आईसीएमआर), वैज्ञानिक और आद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीईई), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अनुसंधान करने में लगे हुए संगठन जिनका विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा उद्देश्य से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को बढ़ावा देना हो।

- c) Green Belt Development /distribution/plantation of social utility trees/planting material or seeds of fruits/forest/utility/vegetable etc.
- d) Total Pollution Control Measures
- e) Continuous monitoring of Vital Parameters
- f) Subject to availability of CSR funds, NSC may contribute to the Clean Ganga fund set up by Central Government for rejuvenation of river Ganga.
- g) Such other programmes as may be decided by CSR Committee.

7.05 Protection of National Heritage, Art & Culture including restoration of Buildings and Sites of Historical Importance and Works of Art, Setting up public Libraries, Promotion and Development of Traditional Art and Handicrafts.

- (a) As regards protection of National Heritage etc. the Archaeological Department of Government of India is the custodian of all the Historical Buildings and Sites.
- (b) Moreover, the Corporation is engaged in Seed Activities, therefore, it is not possible for it to carry out the above works by making a set up at its own or a wing or a department to work on the targets as mentioned above. Therefore, subject to availability of funds and recommendations of CSR Committee, the Board of Directors may consider the proposal for contributing to some Government Department/ Organizations who are already engaged in taking up these activities.
- (c) Regarding establishment of a Public Library, Corporation may consider for establishing such Library in the Towns/area where its Units are located.
- (d) As regards Promotion and Development of Traditional Arts and Handicrafts, the Corporation may consider to provide Training to the local inhabitants if the stipulation for providing the Training is imposed by DPE in the MoU of the Financial Year concerned.

7.06 Measures for the benefits of Armed Forces veterans, war widows and their dependents.

The Corporation shall endeavour its best to make maximum support/contribution to such persons particularly during war period, if any, and thereafter. The Corporation will also make efforts to provide the opportunities of their livelihood.

7.07 Training to promote Rural Sports, nationally recognized sports, paralympic sports and Olympic sports.

Subject to availability of budget cushion, the Corporation may promote opportunities preferably to the people who are residing in the areas where the Units of the Corporation are located and in case of talented persons, may financially support them to participate in paralympic /Olympic sports.

7.08 Contribution to the Prime Minister's National Relief Fund or any other fund set up by the Central Government or the State Governments for socio-economic development and relief and welfare of the Schedule Castes, Tribes, other backward classes, minorities and women.

Corporation may also consider to contribute funds for the above purpose out of the CSR budget.

7.09 Contribution to the incubators funded by the Central Government, State Governments or PSUs/Agencies of Central or State Govt. etc.

The Corporation may contribute funds under CSR to the incubators funded by Central Government or State Government or any agency or Public Sector Undertaking of Central Government or State Government, and public funded Universities, Indian Institute of Technology (IITs), National Laboratories and Autonomous Bodies (established under the auspices of Indian Council of Agricultural Research (ICAR), Indian Council of Medical Research (ICMR), Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), Department of Atomic Energy (DAE), Defence Research and Development Organisation (DRDO), Department of Science and Technology (DST), Ministry of Electronics and Information Technology) engaged in conducting research in science, technology, engineering and medicine aimed at promoting Sustainable Development Goals (SDGs).

7-10 खेती के फंडों में निवेश

साधारणतया निगम के फार्म ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित है जोकि अत्याधिक विकसित नहीं है और फार्म न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार देता है बल्कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, पीने का पानी इत्यादि भी उपलब्ध करा रहे हैं। यद्यपि, निगम विशेषकर अपनी इकाईयों व आसपास के क्षेत्रों में परियोजनाओं के माध्यम से अन्य विविधकरण और नवीन गतिविधियों की योजना को लक्षित कर रहा है जिससे ग्रामीण विकास में संतोषजनक वृद्धि हो सकें और समग्र रूप से लाभान्वित हो सकें विशेषकर जहां पर निगम की इकाई अथवा उसके आसपास स्थापित हों।

7-11 निगम के निवेश

सीएसआर राशि उपलब्ध रहने पर, एनएससी केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित स्लम क्षेत्र विकास में राशि खर्च कर सकता है।

7-12 निगम के निवेशों के लिए निदेश

भारत के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के बारे में प्रमाणिक सूचना प्राप्त होने पर, सीएसआर समिति, प्रभावित लोगों के लिए राहत प्रदान करने हेतु सीएसआर फंड का विशेष भाग वहन करके प्रस्ताव को निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए सिफारिश कर सकती है। आपदा प्रभावित क्षेत्र/स्थान के आसपास निगम का क्षेत्रीय कार्यालय/फार्म हो, वहां राहत प्रदान करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य, राहत की विषयवस्तु पर व्यय की जाने वाली राशि का अनुमान के लिए प्रमुख भूमिका निभायेगा।

प्रथम टीयर सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर, निदेशक मंडल सीएसआर निधि की उपलब्धता के अधीन, आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत के प्रस्ताव को मंजूरी देगा।

8-0 निगम के निवेश

जब तक निगम को निवल संपत्ति रु. 500 करोड़ अथवा अधिक बनी रहती है अथवा कुल कारोबार रु. 1000/- करोड़ से कम नहीं है अथवा शुद्ध लाभ रु. 05 करोड़ से कम नहीं है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में निगम ने सीएसआर गतिविधियों पर आगामी 03 वित्तीय वर्षों के दौरान निवल लाभ का कम से कम 02% निर्धारित किया है। औसत शुद्ध लाभ की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के प्रावधान के अनुसार की जाएगी।

9-0 निगम के निवेशों के लिए निदेश

क. निगम सीएसआर बजट की राशि उस वर्ष खर्च करना सुनिश्चित करेगा।

बशर्ते कि यदि अप्रयुक्त राशि किसी चालू परियोजना से संबंधित नहीं है तो निगम इस प्रकार की अप्रयुक्त राशि को वित्त वर्ष की समाप्ति के 06 महीने के अंदर, अनुसूची vii में निर्धारित राशि में स्थानांतरित कर सकता है।

(क.1) यद्यपि अपनी सीएसआर नीति के अनुसार निगम द्वारा शुरू की गई किसी चालू परियोजना की राशि अप्रयुक्त शेष रह जाती है तो, निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद उस वित्त वर्ष के लिए किसी अनुसूचित बैंक में अप्रयुक्त राशि सीएसआर नाम से विशेष खाता खोलकर वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद 30 दिन की समयावधि के अंदर इस प्रकार की अप्रयुक्त राशि को उक्त खाते में हस्तांतरित किया जाएगा तथा कंपनी द्वारा यह राशि, इस राशि के हस्तांतरण की तारीख से 03 वित्तीय वर्षों की समयावधि के भीतर, निगम के प्रति अपने दायित्वों के पालन में किया जाएगा, जिसमें विफल होने पर, कंपनी इस राशि को, तीन वित्त वर्ष की समाप्ति की तारीख से 30 दिन के अंदर अनुसूची vii में निर्धारित फंड में स्थानांतरित करेगी।

(ख) इसके अलावा, उक्त राशि को खर्च ना किए जाने के कारणों का निगम की निदेशकों की रिपोर्ट में खुलासा किया जाएगा।

(ग) यह विवरण कि निगम ने एक सीएसआर नीति तैयार की है, को निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल करना होगा। इसके अलावा, सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत बढ़ी हुई राशि का निदेशकों की रिपोर्ट में उल्लेख करना होगा तथा इस संबंध में निगम द्वारा प्रस्तावित अन्य सभी पहलुओं को भी दर्शाया जाएगा।

7.10 Rural Development Projects.

Generally the Farms of the Corporation are located in Rural areas which are not very much developed and the Farms are not only providing the employment to the local people but also directly or indirectly providing education, medical facilities, availability of drinking water etc. However, the Corporation may target to plan other diversification and innovative activities through projects which may enhance the degree of Rural Development to a satisfactory level and local population may be benefited from the overall advantages which may accrue by establishing the Rural Projects particularly in the areas where Units of the Corporation are located or in their vicinities.

7.11 Slum Area Development.

Subject to availability of CSR funds, NSC will incur amounts on Slum Area Development as declared by Central or State Government or any other authority under any law.

7.12 Disaster Management, including relief, rehabilitation and reconstruction activities.

Upon receipt of authentic information about the natural disaster of any kind in any part of India, the CSR Committee may recommend to the Board of Directors for approval of the proposal to provide the relief to the people by incurring particular portion of CSR funds for the affected persons. The concerned Regional Office/Farm of NSC in the vicinity of which, the disaster has occurred will play prime responsibility to provide the documentary evidence, estimates of amount to be incurred on particular item of relief sought.

Based on the recommendations of the 1st Tier CSR Committee, Board of Directors shall subject to the availability of CSR funds, approve the proposal for relief in the disaster affected area.

8.0 Budget Allocation

So far the net worth of the Corporation remains Rs. 500.00 Crores or more or Turnover remains not less than Rs. 1000.00 Crores or a Net Profit remains not less than Rs. 5.00 Crores, the Corporation shall earmark at least 2% of the Average Net Profit of the Corporation made during the three immediately preceding Financial years towards CSR activities in compliance of the Provisions of the Companies Act, 2013. The average net profit shall be calculated as per the provisions of the Section 198 of the Companies Act, 2013.

9.0 Circumstances where the budgeted CSR amount of the Current year is not utilized in the same year.

- a. The Corporation will ensure to spend the CSR budgeted amount within the same year.
Provided that if the unspent amount is not related to any ongoing project Corporation shall transfer such unspent amount to a Fund specified in Schedule VII, within a period of six months of the expiry of the financial year.
- a.1 However if the amount remaining unspent is pursuant to any ongoing project undertaken by Corporation as per its CSR Policy, after fulfilling such conditions as may be prescribed, such unspent amount shall be transferred by the company within a period of thirty days from the end of the financial year to a special account to be opened by the company in that behalf for that financial year in any Scheduled bank to be called as the Unspent Corporate Social Responsibility Account, and such amount shall be spent by the company in pursuance of its obligation towards the Corporate Social Responsibility Policy within a period of three financial years from the date of such transfer, failing which, the company shall transfer the same to a Fund specified in Schedule VII, within a period of thirty days from the date of completion of the third financial year.
- b. Further what so ever reasons for not spending the amount shall also be disclosed by the Corporation in its Directors' Report.
- c. The statement that the Corporation has framed a CSR Policy will have to be inserted in the Directors' Report. Moreover, the amount incurred under CSR activities will have to be described in the Directors' Report and all further initiatives proposed by the Corporation in this regard will also be reflected.

10-0 'kã; kãdk çR; k; kã u%

निगम की सीएसआर नीति के शर्तों के अनुसार, सीएसआर समिति कंपनी की नीतियों को तैयार करेगी जिसमें निम्न शामिल होंगे:-

- भावी परियोजनाओं व कार्यक्रमों का उल्लेख,
- सीएसआर परियोजना/कार्यक्रमों की सूची तैयार करना जिसमें लागू वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा शुरू करने की योजना हो और चुने हुए क्षेत्रों में क्रियान्वयन एवं निष्पादन के तौर-तरीकों को निर्दिष्ट करना।
- कंपनी की सीएसआर परियोजना/कार्यक्रम, सामाजिक व पर्यावरण संबंधी प्राथमिकताओं के साथ व्यापार मंडल को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करना।
- कंपनी की सीएसआर नीति में, यह होना चाहिए कि सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष राशि कंपनी के लाभ का हिस्सा नहीं होगी।

11-0 l h l v k j Q ; %

सीएसआर के खर्चों में, सीएसआर गतिविधियों से संबंधित परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए कॉर्पस का अंशदान भी शामिल होगा। जिन्हें सीएसआर समिति की सिफारिशों पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया हो। परंतु मद के अनुरूप अथवा गतिविधियों से संबंधित खर्च शामिल नहीं है, जोकि अधिनियम की अनुसूची 7 में निर्धारित क्षेत्रों या विषयों के दायरे में आते हैं।

नियम 8(1) के तहत 01.04.2014 को अथवा इसके पश्चात् प्रारंभिक वित्त वर्ष से संबंधित इन नियमों के तहत शामिल कंपनी की निदेशक मंडल की रिपोर्ट में-सीएसआर नीति, नियम 2014 को अनुबंध के रूप में शामिल करना होगा। इसके अलावा, विदेशी कंपनियों के मामलों में, नियम 381 के उप नियम (1)(ख) के अंतर्गत दाखिल किए गए तुलनपत्र में सीएसआर से संबंधित रिपोर्ट नियम 8(2) के तहत अनुबंध के रूप में शामिल होगा।

सीएसआर गतिविधियों को अपने वेबसाइट पर डालना:

कंपनी का निदेशक मंडल, सीएसआर समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के लिए सीएसआर नीति का अनुमोदन तथा ऐसी नीतियों की विषयवस्तु का अपनी रिपोर्ट में प्रकटीकरण करेगा और सीएसआर नीति नियम, 2014 के अनुबंध में विनिर्दिष्ट ब्यौरे के अनुसार उसे कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड करेगा।

12-0 l e k t f g r e a d k i j k v g r q c g r j v o l j %

आर्थिक पर्यावरण के बदले माहौल में, कारपोरेट के पास समग्र रूप से समाज के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। गतिविधियों के संबंध में, अधिसूचना संख्या 1/15/2013-सीएल-V दिनांक 27.02.2014 की अधिसूचना के द्वारा अनुसूची 7 संशोधित की गई थी जिससे कंपनियों को अपने सीएसआर नीति में शामिल किया था। यह अधिसूचना 01.04.2014 से अस्तित्व में आई।

13-0 v g z k ç k r d a f u ; k } k j k v i u s f u n s k d e m y d h f j i k v Z e a ' k f e y f d , t k u s d s f y , l h l v k j i g y i j o k ' k z l f j i k v Z d k ç k i %

कंपनियों के लिए अनुबंध (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 निम्नलिखित निर्धारित रिपोर्टिंग प्रारूप:

- कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें शामिल किए जाने वाले परियोजना अथवा कार्यक्रम का अवलोकन सीएसआर नीति एवं परियोजना अथवा कार्यक्रम हेतु वेबलिंग का संदर्भ भी शामिल है।
- सीएसआर समिति की संरचना।
- कंपनी के पिछले 03 वित्तीय वर्षों का औसतन निवल लाभ।
- निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद संख्या 3) के अनुसार राशि का 2%
- वित्ति वर्ष के दौरान खर्च किए गए सीएसआर का विवरण:

10.0 Delegation of Powers:

In terms of the Corporation's CSR Policy, the CSR Committee shall prepare the Policy of the Company which shall include the following:-

- i) Specify the projects and programmes that are to be undertaken.
- ii) Prepare a list of CSR projects/programmes which a company plans to undertake during the implementation year, specifying modalities of execution in the areas/sectors chosen and implementation schedules for the same.
- iii) CSR projects/programmes of a company may also focus on integrating business models with social and environmental priorities and processes in order to create shared value.
- iv) CSR policy of the Company should provide that surplus arising out of the CSR activity will not be part of business profits of a Company.

11.0 CSR Expenditure:

Under Rule 7, CSR expenditure shall include all expenditure including contribution to corpus for projects or programs relating to CSR activities approved by the board on the recommendation of its CSR Committee, but does not include any expenditure on an item not in conformity or not in line with activities which fall within the areas or subjects, specified in schedule VII of the Act.

CSR Reporting in Board's Report: Rule 8(1) requires that the Board's Report of a company covered under these rules pertaining to a financial year commencing on or after the 1st day of April, 2014 shall include an annual report on CSR containing particulars specified in Annexure to the CSR Policy Rules, 2014. Further, in case of a foreign company, the balance sheet filed under sub-clause (b) of sub-section (1) of section 381 shall contain an Annexure regarding report on CSR Rule 8(2).

Rule 9 : Display of CSR activities on its website:

The Board of Directors of the Company shall, after taking into account the recommendations of CSR Committee, approve the CSR Policy for the company and disclose contents of such policy in its report and the same shall be displayed on the company's website, if any, as per the particulars specified in the Annexure of CSR Policy Rules, 2014.

12.0 Greater opportunities for Corporates to benefit Society:

In the changed economic environment, corporate have a greater responsibility to society as a whole. Schedule VII was amended by Notification F.No. 1/15/2013-CL. V, dated 27.2.2014 in respect of activities which may be included by companies in their CSR policies. This notification came into force with effect from 1.4.2014.

13.0 Format for the Annual Report on CSR initiatives to be included in the Board Report by the Qualifying Companies:

The Annexure to the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, prescribe the following reporting format:

- (i) A brief outline of the Company's CSR policy, including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy and projects or programs.
- (ii) The Composition of the CSR Committee
- (iii) Average net profit of the company for last three financial years.
- (iv) Prescribed CSR Expenditure (two per cent of the amount as in item 3 above)
- (v) Details of CSR spent during the financial year;

- क) वित्त वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि।
 ख) खर्च न की गई राशि, यदि कोई हो।
 ग) वित्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:—

क्र.सं	चिन्हित सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधियां	परियोजना क्षेत्र, जिसमें शामिल है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम 1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य) 2) विनिर्दिष्ट करें: राज्य/जिला, जहां यह कार्यक्रम/परियोजना शुरू की जानी है।	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार राशि की रूपरेखा (बजट)	परियोजना अथवा कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि: 1) प्रत्यक्ष व्यय अथवा कार्यक्रम 2) उपरी शीर्ष	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि: प्रत्यक्ष अथवा लागू करने वाली एजेंसी के माध्यम से*
1	2	3	4	5	6	7	8

*लागू करने वाली एजेंसी का ब्यौरा दें।

- (a) Total amount to be spent for the financial year;
- (b) Amount unspent, if any;
- (c) Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below:-

Sr. No.	CSR project or activity identified	Sector in which the project is covered	Projects or programmes (1) Local area or other (2) Specify the State and district where projects or programmes was undertaken	Amount outlay (budget) project or programmes wise	Amount spent on the projects or programmes Sub-heads: (1) Direct expenditure or programmes (2) Overheads:	Cumulative expenditure upto the reporting period	Amount spent: Direct or through implementing agency*
1	2	3	4	5	6	7	8

* Give details of implementing agency:

fuXfer 'kl u dk iek ki =

सेवा में सदस्यगण,

jK'Vt; cIt fuxe fyfeVM

बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012

हमने राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, (निगम) की 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की, जैसा कि भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी ज्ञापन संख्या 18(8)/2005.जी एम दिनांक 14 मई, 2010 में परिकल्पित है।

निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की होती है। हमारी जाँच निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा स्वीकार की गई प्रक्रियाओं तथा इनके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह न ही वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा है और न ही उन पर विचारों की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और निगम द्वारा रखे गए रिकार्ड व दस्तावेजों के अनुसार हम सत्यापित करते हैं कि निगम ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईएस) के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है, सिवाय ~~30-06-2018~~ *30-06-2018* *dlk gPZcBd rlu elg l s vf/kl varjky ds chn vk kft r dIA* यद्यपि हमें यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि निदेशकों, विशेषकर स्वतंत्र निदेशकों/सरकारी निदेशकों के पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण निदेशक मंडल की बैठक निगमित शासन के दिशानिर्देश में निर्धारित समय सीमा के भीतर आयोजित नहीं की जा सकी, फिर भी यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 नियम 173 के प्रावधान के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर आयोजित की गई। इस प्रकार निगम ने निगमित शासन के अंतर्गत उपर्युक्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है।

Ñrsjfo , l - 'kelZ, oa, l kl , VI
dā uh l fpox. k



ह0 / -

jfo , l - 'kelZ
(प्रोपराईटर)

LFku %ubZfnYyh
fnukd %29-07-2019

CERTIFICATE OF CORPORATE GOVERNANCE

To the Members of
National Seeds Corporation Limited
Beej Bhawan, Pusa Complex New Delhi-110012

We have examined the compliance of the conditions of Corporate Governance by **National Seeds Corporation Limited**, ["the Corporation"] for the year ended on 31st March 2019, as envisaged in the Office Memorandum No.18(8)/2005-GM dated 14th May, 2010 issued by the Ministry of Heavy industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises, Government of India.

The compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Corporation for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Corporation.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, and according to the records and documents maintained by the Corporation, we certify that the Corporation has complied with the conditions of Corporate Governance, as stipulated in the guidelines on corporate governance issued by the Department of Public Enterprises for Central Public Sector Enterprises (CPSEs) except **(i) First Board meeting dated 30.06.2018 of the corporation was held after the gap of more than three months.** 'However, it was explained to us that due to pre-occupations of the Directors particularly Independent/ Government Directors, the Board Meeting could not be scheduled within the time limit prescribed under the Corporate Governance Guidelines nonetheless the meeting was within the time limit as per the provision of Section 173 of the Companies Act, 2013". Therefore, with the above remarks Corporation has complied with the said Guidelines on Corporate Governance.

For Ravi S Sharma & Associates
Company Secretaries



Sd/-

Ravi S Sharma
(Proprietor)

Place : New Delhi
Date : 29.07.2019



दक्षिण; इत्तु फुन्क्द ओ.क.टि.ड यत्क इज्क
, ओ इन्सु लन; यत्क इज्क च्क, उबZ फनYyh
**Office of the Principal Director of Commercial
Audit & Ex-officio Member Audit Board-IV, New Delhi**



l 840&ihMh, @ok.k@, e, ch&iv@ok'kZl ysk@ok'kZl ysk@19&20@196
fnukd%27-09-2019

सेवा में,

वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ज्कVt, ch fuxe fyfeVM

बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012

fo"k, %o"Z2018-19 dsok'kZl yskadh ysk ijhkk dsl cak ea

egkn;]

उपर्युक्त विषय से संबंधित आपके पत्र संख्या लेखा/केन्द्रीय/2(7)/2018-19 दिनांक 26.09.2019 का संदर्भ लें। इस संदर्भ में यह अवगत कराया जाता है कि जन शक्ति की कमी के कारण वर्ष 2018-19 के लिए आपकी कंपनी के लेखों की लेखा परीक्षा अगले माह में की जाएगी।

उप निदेशक (लेखा परीक्षा) के अनुमोदन से जारी।

Honr k

1 ehuk plskjh dsk/2

ofj "B ysk ijhkk vf/kdkjh 1/2 ul/2



दक्षिण; इत्तु फुन्क्द ओ.क.टि.द यत्क इज्क
, ओ इन्सु लन; यत्क इज्क कम्पे, उब्ज फनयह
**Office of the Principal Director of Commercial
Audit & Ex-officio Member Audit Board-IV, New Delhi**



No. 840-PDCA/Com/MAB-IV/Annual A/cs/NSC/2019-20/196

Dated: 27.09.2019

To
SGM (F&A),
National Seeds Corporation,
Beej Bhawan, Pusa Complex,
NewDelhi-110012

Subject: Audit of Annual Accounts for the year 2018-19

Sir,

I am to invite a reference to your office letter no. Accts./Central/2(7)/2018-19 date 26.09.2019 regarding the above cited subject. In this connection, it is stated that accounts audit of your company for the year 2018-19 will be conducted next month due to the shortage of manpower.

This issues with the approval of Deputy Director (Audit)

Your's Faithfully

(Jasmeena Chowdhary Kaul)

Sr. Audit Officer (Companies)

8th & 9th Floor, CAG Annex Building, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Phone: 23239413, 23239415, 23239419, 23239420, Fax: +91-11-23239416

E-mail: mabnewdelhi4@cag.gov.in



दक्षिण; इसका फुल्ल ओ.के.टी.द यशक इजक
 , ओ इनु लन; यशक इजक चकव, उबु फनयह
**Office of the Principal Director of Commercial
 Audit & Ex-officio Member Audit Board-IV, New Delhi**



1 840&hMh @ok.k@, e, ch&iv@ok"kd ysk@ok"kd ysk@19&20@240
 fnukd %30-10-2019

सेवा में,
 सहायक महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
 जकव, चि फुखे फुवेव
 पूसा रोड, नई दिल्ली-110012

fo"k %jkVt, ch fuxe fyfeVM dso"KZ2018&19 dsfoUt, foj.kadh ysk ijhkk ds l ak ea

egkn;]

उपर्युक्त विषय से संबंधित आपके पत्र संख्या लेखा/केन्द्रीय/2(7)/2018-19 दिनांक 30.10.2019 का संदर्भ लें। इस संदर्भ में यह अवगत कराया जाता है कि वर्ष 2018-19 के लेखों की लेखा परीक्षा का कार्य प्रक्रियाधीन है तथा ऑडिट टीम द्वारा कुछ बिन्दुओं पर जांच की जानी है। इस प्रकार वर्ष 2018-19 के वित्तीय विवरणों पर 31.10.2019 तक लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र जारी करना संभव नहीं है!

Honr k

1 ehuk plsjh dky 1/2
 ofj"b ysk ijhkk vf/kdjh 1/2 ult 1/2



दक; izku funskd ok.kT;d ysk ijhk
, oa insu lnL; ysk ijhk cM&IV, ubZ fnYyh
**Office of the Principal Director of Commercial
Audit & Ex-officio Member Audit Board-IV, New Delhi**



No. 840-PDCA/Com/MAB-IV/Annual A/cs/NSC/2019-20/240

Dated: 30.10.2019

To
The AGM (F&A),
NSC Limited, Pusa Road,
NewDelhi-110012

Subject: Accounts Audit of financial statements of NSC for the year 2018-19

Sir,

Kindly refer to your letter no. Acctts./Central/2(7)/2018-19 dated 30.10.2019 on the subject captioned above. In this regards, it is stated that accounts audit for the year 2018-19 is still in progress and some issues are yet to be examined by the Audit Team. As such, it is not possible to issue the Audit certificate on the financial statements for the year 2018-19 by 31.10.2019.

Yours faithfully

(Jasmeena Chowdhary Kaul)

Sr. Audit Officer (Companies)

8th & 9th Floor, CAG Annex Building, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Phone: 23239413, 23239415, 23239419, 23239420, Fax: +91-11-23239416

E-mail: mabnewdelhi4@cag.gov.in



दक क्य; izku funskd ok.kT; d ysk ijhk
 , oa insu l nL; ysk ijhk ckM&iv, ubZ fnYyh
**Office of the Principal Director of Commercial
 Audit & Ex-officio Member Audit Board-IV, New Delhi**



xki uh

l 0%840&iMh @dâ uh@, e, ch&iv@, @l h l @, u, l l h@2019&20@6231

fnukd%18-12-2019

सेवा में,
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
jkVt; ch fuxe fyfeVM
 बीज भवन, पूसा परिसर,
 नई दिल्ली-110012

fo"k % Hgr dsfu; a-d , oaegkys [ki jhk d } jk dEi uh vf/kfu; e] 2013 ds vuPNn 143(6)(बी) के अंतर्गत राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां प्रमाणपत्र भेजा जा रहा है।

egkn;]

इस पत्र के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(6)(बी) के अंतर्गत राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां प्रमाणपत्र भेजा जा रहा है।

कृपया पत्र की पावती भेजें।

l yXu%mi jkDr

Honr; k

1/2 dkt e fjk

izku funskd ok.kT; d ysk ijhk
 , oa insu l nL;] ysk ijhk ckM&iv



Office of the Principal Director of Commercial
Audit & Ex-officio Member Audit Board-IV, New Delhi



खसि उह

l 840&ihMh @dâuh@, e, ch&iv@A@CS@NSC@2019-20@6231

Dated: 18.12.2019

सेवा में,

The Chairman-cum-Managing Director,
National Seeds Corporation Limited,
Beej Bhawan, Pusa Complex,
New Delhi-110012

fo"k % Hjr ds fu; a-d , oa egys [ki jhk] } jk dEi uh vf/kfu; e] 2013 ds vuPNn 143(6)(b) ds vaxZ National
Seeds Corporation Limited ds 31 ek 2019 ds l ek r o"Z ds fo"U, [k r i j fVif.k k

egkn;]

इस पत्र के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुद्वेद 143(6)(b) के अंतर्गत **National Seeds Corporation Limited** के 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय खातों पर Comments प्रमाणपत्र भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

l yXu%; Fkhi fj

Honk;]



1/2 dkt e fjuk 1/2

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-IV



कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत निहित वित्तीय सूचना की रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय बीज निगम के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षण मानकों के अनुसरण में, स्वतंत्र रूप से की गई लेखापरीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 06.09.2019 के अनुसार यह बताया गया है कि उन्होंने ऐसा कर लिया है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा करवा ली है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों के कागजातों को बिना देखें, स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कम्पनी के कर्मचारियों से की गई पूछताछ और कम्पनी के कुछ लेखा रिकार्डों की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित रही है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6) (बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मानकों पर प्रकाश डालना चाहूँगा, जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरे मतानुसार वित्तीय आंकड़ों और संबंधित लेखा परीक्षण रिपोर्ट का बेहतर तरीके से समझने के लिए आवश्यक हैं।

d- foYk; fLFkr ij fVli.k orZku l áfYk

1- vU; foYk; l áfYk fVli.k 16½

vU; iMr; k% #- 913-60 yk[k

उक्त में मैसर्स पार्क इंडिकॉम प्राइवेट लिमिटेड से रुपये 62.71 लाख की प्राप्ति शामिल है (लाइसेंस शुल्क रु. 43.40 लाख और पानी और बिजली बिल के लिए रु. 19.31 लाख), जो मैसर्स पार्क इंडिकॉम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मार्च, 2016 तक की अवधि के लिए परिसर को किराए पर लेने से संबंधित है। पार्टी द्वारा गैर भुगतान और चल रहे कानूनी मामले के कारण प्राप्ति की वसूली संदेहास्पद है। हालांकि, विवाद के कारण दावे की वसूली परोक्ष होने के तथ्य के बावजूद कंपनी ने दावे पर वसूली मद के रूप में विचार किया है और लेखा खातों में खराब और संदिग्ध प्राप्ति के रूप में कोई प्रावधान नहीं किया है। इसलिए, खराब और संदेहास्पद प्राप्तियों के गैर प्रावधान से लाभ एवं अन्य प्राप्तियों में रु. 62.71 लाख की कमी आई है।

2- vU; orZku l áfYk fVli.k 18½

nkol% #- 80-50 yk[k

उक्त में रु. 80.50 की राशि शामिल हैं, जो एक निजी पार्टी से प्राप्त राशि है, जिसकी वसूली संदेहास्पद है। निजी पार्टी द्वारा प्रस्तुत चेक बाउंस हो गए और मामला मुकद्दमेबाजी के तहत है। निजी पार्टी द्वारा गैर भुगतान और चल रहे कानूनी मामले के परिप्रेक्ष्य में, कंपनी द्वारा खराब और संदिग्ध दावे के लिए प्रावधान करना चाहिए था। इसलिए, खराब और संदेहास्पद दावे के गैर-प्रावधान के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए लाभ और प्रायः दावे में रु. 80.50 लाख का ओवर स्टेटमेंट किया गया है।

[k Loræ yk; k; jhkd dh fj iWZij fVli.k

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट निम्नलिखित सीमा तक गलत है:

- कंपनी के पास बीज बैंक योजना की स्थापना और रखरखाव (नोट 24 अन्य गैर-चालू देनदारियाँ) के लिए परिक्रामी फंड में संतुलन रु. 5,43,17,752 (रु. 3,79,54,900 + रु. 1,63,62,852) शेष है। हालांकि, स्वतंत्र लेखापरीक्षक ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध-ख में इस राशि को रु. 5,47,17,752 बताया है।

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2019

The preparation of financial statements of **National Seeds Corporation Limited** for the year ended 31 March 2019 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 6 September 2019.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of **National Seeds Corporation Limited** for the year ended 31 March 2019 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

A. Comment on Financial Position

Current Assets

1. Other Financial Assets (Note- 16)

Other Receivables: ₹ 913.60 lakh

The above includes ₹ 62.71 lakh receivable from M/s. Park Indicom Private Ltd (license fee ₹ 43.40 lakh and ₹ 19.31 lakh towards water and electricity charges) which pertain to the period upto March 2016 for the premises taken on rent by M/s Park Indicom Private Ltd. The receivable is doubtful of recovery in view of non payment by the party and ongoing legal case. However despite the fact that recovery of the claim is remote due to dispute. Company has considered claim recoverable as good and no provision for bad and doubtful receivable has been made in the books of accounts. Thus, non provision of bad and doubtful receivables has resulted in overstatement of profit and other receivables by ₹ 62.71 lakh.

2. Other Current Assets (Note 18)

Chaim: ₹ 80.50 lakh

The above includes an amount of ₹ 80.50 lakh being the amount receivables from a private party which is doubtful of recovery. The cheques furnished by the private party were got bounced and the matter is under litigation. In view of non payment by the private party and ongoing legal case, a provision for bad and doubtful claim should have been made by the company. Thus, non provision of bad and doubtful claim has resulted in over statement of profit for the year and claim recoverable by ₹ 80.50 lakh.

B. Comment on independent Auditors' Report

The Independent Auditors' Report is incorrect to the following extent:

- (i) Balance in revolving fund for establishment and maintenance of seed bank scheme (Note 24 other non-current liabilities) remained with the company is ₹ 5,43,17,752 (₹ 3,79,54,900 + ₹ 1,63,62,852). However, Independent Auditor has stated this amount as ₹ 5,47,17,752 in Annexure-B of his audit report.



- (ii) कंपनी के पास सूखा प्रभावित क्षेत्र के तहत बीज उत्पादन के लिए परिक्रामी निधि में संतुलन (नोट 24 अन्य गैर-चालू देनदारियां) रु. 300 लाख (रु. 150 लाख + रु. 150 लाख) शेष है। हालांकि, स्वतंत्र लेखापरीक्षकों ने इस राशि को अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध-ख में रु. 30,00,000 (रु. 30 लाख) बताया है।

x- वलु fVli.kh

कंपनी के पास, भारत सरकार से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, इस शर्त पर कि अनुदान उसी उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाए, जिस उद्देश्य हेतु जारी हुआ है, रु. 1303.16 लाख (नोट 21) के पूंजीगत अनुदान की अव्ययित राशि है। कंपनी ने अव्ययित अनुदान को कैश क्रेडिट खातों में रखा है और इसका इस्तेमाल अपनी कार्यशील पूंजीगत जरूरतों के लिए किया है जोकि सरकारी अनुदान के प्रयोजित उद्देश्य के विरुद्ध है।

हजि र dsfu; æd , oaegkys{k i jh{k d dh vj l s

ह0/-

½dkbt e fjuk½

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-IV

LFku%ubZfnYyh

fnukd%18-12-2019

(ii) Balance in revolving fund for seed production under drought prone area (Note 24- other non-current liability) remained with the company is ₹ 300 lakh (₹ 150 lakh + ₹ 150 lakh). However, Independent Auditor has stated this amount as ₹ 30,00,000 (₹ 30 lakh) in Annexure-B of his audit report.

C. Other Comment

The Company has an unspent amount of capital grant of ₹ 1303.16 lakh (Note 21) received from Government of India for implementation of various schemes with condition that grant shall be utilised only for the purpose it has been released. The Company has kept unspent grants in cash credit account and used it to meet its working capital requirements which is against the intended objective of the government grants.

For and behalf of the Comptroller & Auditor General of India



ह०/—

१/०७/१९

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-IV

Place: New Delhi

Dated: 18.12.2019

संवैधानिक लेखापरीक्षा

2019-20 के दौरान निजी पार्टियों के मामले में प्रावधान किया जाता है यदि यह तीन वर्ष से अधिक समय तक देय है। यह मामला वर्ष 2017-18 से संबंधित है, जोकि 31.3.2019 को तीन वर्ष से कम है और परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। तदनुसार वर्ष के दौरान कोई प्रावधान नहीं किया गया।

Ø-l a	Hkj r dsfu; a-d vls egkyd k i j k l d h f v l i f. k la	i zaku dk t okc
d-	<p>foVlt; fLFkr ij fVli.kh</p> <p>orZku l á fYk</p> <p>1- vU; foVlt; l á fYk %VIIk k&16½vU; i k r; k%#- 913-60 yk[k</p> <p>उक्त में मैसर्स पार्क इंडिकॉम प्राइवेट लिमिटेड से 62.71 लाख रुपये की प्राप्ति शामिल है (लाइसेंस शुल्क रु. 43.40 लाख और पानी और बिजली बिल के लिए रु. 19.31 लाख), जो मैसर्स पार्क इंडिकॉम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मार्च, 2016 तक की अवधि के लिए परिसर को किराए पर लेने से संबंधित है। पार्टी द्वारा गैर भुगतान और चल रहे कानूनी मामले के कारण प्राप्ति की वसूली संदेहास्पद है। हालांकि, विवाद के कारण दावे की वसूली परोक्ष होने के तथ्य के बावजूद कंपनी ने दावे पर वसूली मद के रूप में विचार किया है और खातों में खराब और संदिग्ध प्राप्ति के रूप में कोई प्रावधान नहीं किया है। इसलिए खराब और संदेहास्पद प्राप्तियों के गैर प्रावधान से लाभ एवं अन्य प्राप्तियों में रु. 62.71 लाख की कमी आई है।</p> <p>2- vU; orZku l á fYk %VIIk k&18½</p> <p>nokk%#- 80-50 yk[k</p> <p>उक्त में रु. 80.50 की राशि शामिल हैं, जो एक निजी पार्टी से प्राप्त राशि है, जिसकी वसूली संदेहास्पद है। निजी पार्टी द्वारा प्रस्तुत चेक बाउंस हो गए और मामला मुकद्दमेबाजी के तहत है। निजी पार्टी द्वारा गैर भुगतान और चल रहे कानूनी मामले के परिप्रेक्ष्य में, कंपनी द्वारा खराब और संदिग्ध दावे के लिए प्रावधान करना चाहिए था। इसलिए, खराब और संदेहास्पद दावे के गैर-प्रावधान के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए लाभ और प्राप्य दावे में रु. 80.50 लाख का ओवर स्टेटमेंट किया गया है।</p>	<p>सीएजी की टिप्पणी वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान अनुपालन हेतु नोट कर ली गई है। हालांकि, रु. 62.72 लाख की वसूली का खुलासा 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय आंकड़ों के नोट संख्या 53.2 के तहत किया गया है।</p> <p>लेखापरीक्षा नीति के अनुसरण में, निजी पार्टियों के मामले में प्रावधान किया जाता है यदि यह तीन वर्ष से अधिक समय तक देय है। यह मामला वर्ष 2017-18 से संबंधित है, जोकि 31.3.2019 को तीन वर्ष से कम है और परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। तदनुसार वर्ष के दौरान कोई प्रावधान नहीं किया गया।</p>
[k	<p>Lora- yd k i j k l d h f v l i f. k la</p> <p>स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट निम्नलिखित सीमा तक गलत है:</p> <p>(i) कंपनी के पास बीज बैंक योजना की स्थापना और रखरखाव (नोट 24 अन्य गैर-चालू देनदारियां) के लिए परिक्रामी फंड में संतुलन रु. 5,43,17,752 (रु. 3,79,54,900 + रु.1,63,62,852) शेष है। हालांकि, स्वतंत्र लेखापरीक्षक ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध-ख में इस राशि को रु. 5,47,17,752 बताया है।</p> <p>(ii) कंपनी के पास सूखा प्रभावित क्षेत्र के तहत बीज उत्पादन के लिए परिक्रामी निधि में संतुलन (नोट 24 अन्य गैर-चालू देनदारियां) रु. 300 लाख (रु 150 लाख + रु 150 लाख) शेष है। हालांकि स्वतंत्र लेखापरीक्षकों ने इस राशि को अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध-ख में रु. 30,00,000 (रु. 30 लाख) बताया है।</p>	<p>जैसा कि संवैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा जवाब दिया जा चुका है कि यह एक टंकण त्रुटि है।</p> <p>जैसा कि संवैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा जवाब दिया जा चुका है कि यह एक टंकण त्रुटि है।</p>

ADDENDUM TO THE DIRECTORS REPORT -II

Management's Reply to the Comments of the Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of National Seeds Corporation Limited for the year ended March, 2019

S.No.	Comments of the Comptroller & Auditor General of India	Management Reply
A.	<p><u>Comment on Financial Position</u></p> <p>Current Assets</p> <p>1. Other Financial Assets (Note-16)</p> <p>Other Receivables: ₹ 913.60 lakh</p> <p>The above includes ₹ 62.71 lakh receivable from M/s.Park Indicom Private Ltd. (License fee ₹ 43.40 lakh and ₹ 19.31 lakh towards water and electricity charges) which pertain to the period upto March, 2016 for the premises taken on rent by M/s.Park Indicom Private Ltd. The receivable is doubtful of recovery in view of non-payment by the party and ongoing legal case. However, despite the fact that recovery of the claim is remote due to dispute, company has considered claim recoverable as good and no provision for bad and doubtful receivable has been made in the books of accounts. Thus, non provision of bad and doubtful receivables has resulted in overstatement of profit and other receivables by ₹ 62.71 lakh.</p> <p>2. Other Current Assets (Note 18)</p> <p>Claim : ₹ 80.50 lakh</p> <p>The above includes an amount of ₹ 80.50 lakh being the amount receivables from a private party which is doubtful of recovery. The cheques furnished by the private party were got bounced and the matter is under litigation. In view of non-payment by the private party and ongoing legal case, a provision for bad and doubtful claim should have been made by the Company. Thus, non-provision of bad and doubtful claim has resulted in over statement of profit for the year and claim recoverable by ₹ 80.50 lakh.</p>	<p>The comment of CAG noted for compliance during the financial year 2019-20. However the recovery of ₹ 62.72 Lakhs is disclosed under note number 53.2 of the Financial Statement for the year ended 31st March 2019.</p> <p>As per the accounting policy, provision in case of private parties is made if it is due for more than three years. This case pertains to the year 2017-18, which is less than three years as on 31.3.2019 and case filed under the Negotiable Instruments Act. Accordingly no provision was made during the year.</p>
B.	<p><u>Comment on Independent Auditors' Report</u></p> <p>The Independent Auditor's Report is incorrect to the following extent:</p> <p>(i) Balance in revolving fund for establishment and maintenance of seed bank scheme (Note 24 other non-current liabilities) remained with the company is ₹ 5,43,17,752 (₹3,79,54,900 + ₹ 1,63,62,852). However, Independent Auditor has stated this amount as ₹ 5,47,17,752 in Annexure-B of his audit report.</p> <p>(ii) Balance in revolving fund for seed production under drought prone area (Note 24. other non-current liability) remained with the company is ₹ 300 lakh (₹ 150 lakh + ₹ 150 lakh). However, Independent Auditor has stated this amount as ₹30,00,000 (₹ 30 lakh) in Annexure-B of his audit report.</p>	<p>As replied by the statutory auditors, this is a typographical error.</p> <p>As replied by the statutory auditors, this is a typographical error.</p>

<p>x</p>	<p>vU fVli.kh</p> <p>कंपनी के पास भारत सरकार से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, इस शर्त पर कि अनुदान उसी उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाए, जिस उद्देश्य हेतु जारी हुआ है, रु. 1303.16 लाख (नोट) के पूंजीगत अनुदान की अव्ययित राशि है। कंपनी ने अव्ययित अनुदान को कैश क्रेडिट खातों में रखा है और इसका इस्तेमाल अपनी कार्यशील पूंजीगत जरूरतों के लिए किया है जोकि सरकारी अनुदान के प्रयोजित उद्देश्य के विरुद्ध है।</p>	<p>भारत सरकार से प्राप्त अनुदान को सख्ती से उसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया है जिसके लिए इसे जारी किया गया था। दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे सभी अनुदानों के लिए निर्धारित प्रारूप में उपयोगी प्रमाणपत्र, भारत सरकार के पास जमा करवाना पड़ता है, इसलिए इसे अन्य उद्देश्यों हेतु इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता और आगे, भारत सरकार ने पीएफएमएस को अनिवार्य कर दिया है और सभी उपयोगी प्रमाणपत्रों को पीएफएमएस में अपलोड करना होता है। पीएफएमएस के ईएटी मॉड्यूल में सभी व्यय विवरण को भी अपलोड करना होता है। इसलिए, यह सरकारी अनुदानों के अभीष्ट उद्देश्य के विरुद्ध नहीं है। लेखापरीक्षा के अनुसार, यह अवगत कराया जाता है कि अप्रयुक्त भाग को एक पृथक खाते में रखा जाना चाहिए। इसके बजाय, कंपनी ने अपनी वर्ष दर वर्ष की प्रथा के अनुसार हमेशा अव्ययित अनुदान को अपने कैश क्रेडिट खाते में रखा है जोकि निगमित कार्यालय में इनकमिंग व आउटकमिंग निधियों का एक सामान्य पूल है। चूंकि यह सामान्य पूल का ही एक भाग है इसलिए छोटी अवधि के लिए अप्रयुक्त हिस्से पर प्राप्त ब्याज अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से प्राप्त नहीं हुई सब्सिडी, जोकि 31.03.2019 को रु. 27.96 करोड़ थी, और जिसे प्राप्त होने में 8-9 महीने लग जाते हैं, पर हुए ब्याज के नुकसान को काउंटर करता है। चूंकि अनुदानों के कुछ हिस्से अग्रिम में जारी हो जाते हैं, कंपनी निधियों का प्रभावी रूप से प्रबंध करने के लिए भी उत्तरदायी है क्योंकि अभीष्ट प्रयोजनों का निष्पादन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इस तथ्य का खुलासा निगम द्वारा 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय आंकड़ों के नोट संख्या 55.4 में किया गया है।</p> <p>इसके अलावा, यदि यह अप्रयुक्त राशि किसी पृथक बैंक खाते में रखी गई होती, तो कंपनी को अतिरिक्त उधार का सहारा लेना पड़ता, जिसका परिणाम उच्च ब्याज लागत होता, जबकि अलग खाते से कोई ब्याज आय प्राप्त नहीं होती और अंततः लाभ बैंक को प्राप्त होता। अनुदान का वह हिस्सा जो खर्च करने के उपरांत प्राप्त हुआ, उसके लिए एक अन्य रीमार्कैबल खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है। आगे यह कहा गया है कि स्वीकृति पत्र में ऐसी कोई विशेष शर्त नहीं है कि अनुदान की अनापेक्षित राशि को अलग खाते में रखा जाए। स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार, निधि को केवल उसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जिसके लिए यह जारी हुआ है और निधि में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।</p>
----------	---	---

<p>C.</p>	<p>Other Comment</p> <p>The Company has an unspent amount of capital grant of ₹ 1303.16 lakh (Note 21) received from Government of India for implementation of various schemes with condition that grant shall be utilized only for the purpose it has been released. The Company has kept unspent grants in cash credit account and used it to meet its working capital requirements which is against the intended objective of the government grants.</p>	<p>Grant received from GOI is strictly utilized for the purpose for which it is released. As per the guidelines Utilization Certificates (UC) in prescribed format has to be submitted to the GOI for all such grants, hence it cannot be utilized for other purposes. Moreover GOI has made PFMS mandatory and all UCs to be uploaded in PFMS. In the EAT module of PFMS all expenditure details also have to be uploaded. Hence, it is not against the intended objective of Government grants. As per audit, it is conveyed that unutilized portion, should have been kept in a separate earmarked account. Instead the company as per its year on year practice has consistently parked the unspent grant in its Cash Credit Account which is a common pool for all incoming and outgoing funds at Corporate Office. Since a part of the common pool, the interest earned on the unutilized portion for a short period indirectly countered the interest loss on unrealized subsidy from government which was ₹ 227.96 crore as on 31.03.2019, which usually takes 8-9 months for realization. Since part of the grants are released in advance, it is also responsibility of the Company to effectively manage the funds as the execution of the intended purposes are being carried out in phased manner. The fact has been disclosed by the Corporation in Note number 55.4 of the Financial Statement for the year ended 31st March 2019.</p> <p>Further, if this unspent amount had been kept in a separate bank account, the company had to resort to additional borrowing resulting in higher interest cost whereas the separate account would have not fetched any interest income and ultimately the benefit will be enjoyed by the bank. The part of the Grant which is received after making the expenditure does not require creation of a separate earmarked account. It is further stated that there is no specific condition as such in the sanction letters for keeping the unspent amount of grants in a separate account. As per Sanction letter condition, the funds will only be utilized for the purpose it has been released and no diversion of fund will be allowed.</p>
------------------	--	---

LoRa ysqk ijhkdldh fjikWZ

l ok eš

jkVt; ch fuxe dsl nL; kdk

foYkt; foj. kadh ysqk ijhkd ij fjikWZ

mfpr jk

हमने राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड ("निगम") के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष का तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण तथा उक्त तारीख पर समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और उल्लेखनीय लेखा नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है। इन वित्तीय विवरणों में मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय-चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ एवं भोपाल भी सम्मिलित हैं, के लेखों की लेखा परीक्षा हमने की है तथा 6 अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों चैन्नई, बेंगलूर, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता एवं पटना तथा 05 फार्मों सूरतगढ़, सरदारगढ़, जैतसर, हिसार एवं रायचूर के लेखों की लेखा परीक्षा, भारत के महा लेखा परीक्षक एवं नियंत्रक द्वारा नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है जिस पर हमने अपनी रिपोर्ट के आधार पर विचार कर लिया है।

हमारी राय में और हमारी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी रिपोर्ट के भाग प्रसंगिक राय के आधार में उल्लेख किए गए मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय आंकड़े 31 मार्च, 2019 तक निगम के मामलों की दशा/हालात और इसके लाभ (अन्य व्यापक आय सहित) इसके नकदी प्रवाह एवं उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में बदलाव की जानकारी कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) द्वारा आवश्यक जानकारी और भारत में आम तौर पर मान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन में सत्य एवं स्पष्ट दृष्टिकोण देते हैं।

mfpr jk dk vkWkj

1. टिप्पणी संख्या 53.1-व्यापार प्राप्य, ऋण, अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ, व्यापार प्रदेय एवं अन्य वर्तमान देनदारियों के शेष पुष्टिकरण/पुनर्गणना के अध्याधीन है। लेखों पर इस तरह के पुष्टिकरण/पुनर्मिलान पर उसका परिणामी समायोजन का सटीक प्रभाव, यदि कोई हो, का पता नहीं चल सका है।
2. निगम के वित्तीय विवरणों में (शाखाओं सहित) में प्राप्त अनुदानों से संबंधित जमा शेष राशि रु. 32,45,194/- शामिल है, जिसका समाधान नहीं किया गया है, और आगे, निगम के पास इसे प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। हालांकि, जिस प्रकार निगम प्रबंधन द्वारा स्पष्ट किया गया है यह क्रेडिट शेष निगम द्वारा विगत वर्षों के दौरान प्राप्त अनुदानों से संबंधित है, जिसका उपयोग पिछले वर्षों के दौरान अपेक्षित प्रयोजन के लिए किया गया, परंतु निगम के पास इसे सत्यापित करने के लिए कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
3. राज्य सरकारों/केन्द्रीय सरकार ने निगम को खेती के उपयोग हेतु फार्मों पर अधिकार दिया है। परंतु निगम के पास इन फार्मों के मालिकाना हक के रूप में कोई कागजात/पट्टा विलेख/करार उपलब्ध नहीं है। (टिप्पणी सं. 66)
4. पूर्ववर्ती एसएफसीआई के पाँच फार्मों की निवल ऋण शेष रु. 508.60 लाख की राशि वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 16 बी के तहत 'अन्य प्राप्तियाँ' के रूप में दिखाई जा रही है। ये फार्म जैसे कि रायबरेली, बहराईच व मिजोरम क्रमशः वर्ष 2005, 2012, एवं 1970 में बंद हो चुके थे। हमारी राय में, इन फार्मों की परिसंपत्तियों एवं देयताओं को अलग से दिखाया जाना चाहिए। (टिप्पणी सं. 16बी)
5. निगम ने परिसंपत्तियों की हानि के लिए कोई मूल्यांकन नहीं किया है जैसा कि भारतीय लेखा मानक इंड एस 36 के तहत संपत्तियों की हानि को निपटान के लिए आवश्यक है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिसंपत्तियाँ उनकी वसूली योग्य राशि से अधिक नहीं है। लाभ पर इसका प्रभाव निर्धारण योग्य नहीं है। (टिप्पणी सं. 58)
6. निगम के पास लगभग 20 सालों से भूमि राजस्व व्यय परिशोधन (mortising) पॉलिसी है। हमारी राय में, लीज़ के लिए लेखों पर इंड ए एस 17 के अनुसार भूमि विकास व्यय, लीज़ अवधि में परिशोधित किया जाना चाहिए। यद्यपि, लीज़/पट्टा विलेखों के अभाव में निगम के लाभ पर इसके प्रभाव का पता नहीं चल सका। (टिप्पणी सं. 20)
7. सूरतगढ़ फार्म स्थित भूमि एवं भवन (शूटिंग लॉज) का मोटेशन होना लम्बित है।

हमने अपना लेखा परीक्षण, अधिनियम के अनुच्छेद 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के भाग, वित्तीय आंकड़ों के लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में उल्लिखित किया गया है। हम भारत के सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के साथ कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और इसके तहत नियमों के अंतर्गत वित्तीय आंकड़ों के हमारे लेखा परीक्षण से संबंधित, नैतिक आवश्यकताओं और आचार संहिता तथा अन्य आवश्यकताओं के अनुपालन में हमने अन्य सभी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि वित्तीय विवरणों पर उचित राय के लिए आधार उपलब्ध करवाने हेतु हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त व यथोचित हैं।

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To

The Members of National Seeds Corporation

Report on the Audit of Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the financial statements of National Seeds Corporation ("the Corporation), which comprise the balance sheet as at 31st March 2019, and the Statement of Profit and Loss (including other comprehensive income), and statement of cash flows and the statement of change in equity for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information Incorporated in these Ind As Financial Statement are the accounts of the Head Office and Regional offices at Chandigarh, Jaipur, Bhopal and Lucknow audited by us and six other Regional Offices at Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Pune, Kolkata and Patna and five other Farms at Suratgarh, Sardargarh, Jetsar, Hisar and Raichur audited by the Branch Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India whose reports have been considered by us in framing our report.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the *Basis for Qualified Opinion* section of our report, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 (the Act) in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Corporation as at March 31, 2019 and its profit(including other comprehensive income), its cash flows and the changes in equity for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

1. Note No. 53.1 regarding balances of trade receivables, subsidies receivables, loans, other current assets, trade payables and other current liabilities being subject to confirmation/reconciliation. The precise effect of consequential adjustment upon such confirmation/reconciliation, if any, on the financial statements is not ascertainable.
2. The Financial Statements of the corporation (including branches) contains Credit Balances related to various grants received amounting to ₹ 32.45 lacs which are not reconciled. Further, there is no document available with the corporation to verify the same. However, as explained by the management of corporation these credit balances relate to Grants received by the corporation during previous years, which have been utilized for intended purposes during earlier years but no documents are available with the Corporation to verify the same.
3. The State Governments/Central Government has given right to use of farm land for cultivation to the Corporation, however no documents/lease deed/ agreements for such right to use are available with the Corporation.(Note No 66)
4. The Net Debit Balance of ₹ 508.60 lacs of five farms of erstwhile SFCL is shown under the Note- 16(b) as "Other Receivables" in the Financial Statements. These Farms located at Raibareli, Bahraich and Mizoram were closed during the years 2005, 2012 and 1970 respectively. In our opinion, all assets and liabilities of these farms must be shown separately.(Note no. 16 (b))
5. The Corporation has not made any assessment for impairment of assets as required under the Ind AS 36 dealing with Impairment of Assets to ensure that the assets are carried at not more than their recoverable amount. The impact on the profit is unascertainable.(Note no. 58)
6. The Corporation has a policy of amortizing the Land Revenue Expenditure over 20 years. In our opinion, the Land Development Expenses should be amortized over the period of lease in accordance with Ind AS 17 on Accounting for Leases. However, in absence of Lease deeds, the amount of impact on profit of the Corporation is unascertainable.(Note no . 20)
7. Mutation of land and building (Shooting lodge) at Suratgarh farm is pending.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements* section of our report. We are independent of the Corporation in accordance with the *Code of Ethics* issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion on the financial statements.

Key Points

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- क. वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर उत्पादन सब्सिडी के लेखों के बारे में लेखों की टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 67 (ग)। इसके कारण सब्सिडी की अनुमानित राशि रु. 4358.11 लाख (विगत वर्ष रु. 5445.00 लाख) जिसके अंतर्गत उत्पादन अगले वर्ष में पूरा होगा, को भी लेखा परीक्षित वित्तीय वर्ष में रखा गया है। हमें बताया गया है कि यह भारत सरकार की सलाह के अनुसार किया गया है।
- ख. किसानों के साथ दर्ज किए गए मानक समझौते के संदर्भ में, जिनके लिए बीजों को प्रत्याशित पैदावार के लिए बाय बैक एग्रीमेंट के साथ बेचा जाता है, निगम के पास इस संबंध में प्रत्येक समझौते के उल्लंघन में राशियों के हिसाब के लिए न तो कोई व्यवस्था है और न ही वसूली/छूट के लिए ऑन रिकॉर्ड कार्रवाई की गई है। प्रबंधन इस बात पर ध्यान दिए बिना कि कोई निर्धारित प्रणाली नहीं है, ने कहा/उल्लेख किया है कि क्षेत्रीय प्रबंधकों ने बीज की अनुपलब्धता के कारणों का विश्लेषण किया है और रिकार्ड करने के लिए कोई वसूली नहीं है और यह कि इंड एस वित्तीय विवरणों में कोई छूट/वसूली योग्य प्रभाव नहीं है। हमने इस तरह के वर्णन पर विश्वास किया है और तदनुसार इस मामले पर हमारी रिपोर्ट नियमानुकूल नहीं है।
- ग. बीज की वास्तविक बुवाई तथा अनुमानित उत्पादन के आधार पर भारत सरकार से प्राप्त उत्पादन सब्सिडी की राशि का हिसाब लगाया जाता है। अनुमानित उत्पादन का आकलन बुवाई के तहत क्षेत्र के पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक पैदावार के आधार पर किया जाता है। अंतिम कटाई के बाद सब्सिडी का अंतिम दावा भारत सरकार से किया जाता है तथा दावा की गई अधिक या कम सब्सिडी का समायोजन अंतिम दावा किए गए वित्तीय वर्ष में किया जाता है। इसके कारण, पिछले वित्तीय वर्ष में 337.22 लाख रु की सब्सिडी का अंतर चालू वर्ष के लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है।
- घ. भारतीय राज्य फार्म निगम को देय राशि रु.60.44 लाख दर्शाए जा रही हैं जिसे पहले ही निगम के साथ दिनांक 01.04.2014 से विलय कर दिया गया है। यह राशि समाधानाधीन है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

Other Key Points

अन्य सूचनाओं के लिए निगम का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य सूचनाओं में निदेशकों की रिपोर्ट और अनुबंध शामिल हैं, (किन्तु इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं) इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद निदेशकों की रिपोर्ट हमें उपलब्ध करवाए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम आश्वासन के किसी भी रूप को निष्कर्ष के रूप में व्यक्त नहीं करेंगे।

वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि जब यह उपलब्ध हो जाए, तो ऊपर बताई गई अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या अन्य विवरण वित्तीय विवरणों के साथ असंगत हैं या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

निदेशकों की रिपोर्ट पढ़ते हुए अगर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई भौतिक त्रुटि है, तो आवश्यकता पड़ने पर हमें प्रशासन और उचित कार्रवाई करने वालों को मामला प्रस्तुत करना चाहिए।

Other Key Points

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के तहत इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा सही एवं उचित रूप से प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी निगम के निदेशक मंडल की है, जिसमें निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकदी प्रवाह विवरण में विनिर्दिष्ट लेखा मानक और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 भी शामिल है। इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित लेखा अभिलेख तैयार करना, कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखना और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाना एवं पता लगाना उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उन्हें लागू करना अनुमान लगाना और निर्णय करना जोकि उचित एवं विवेकपूर्ण हों और डिजाइन, कार्यान्वयन और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, लेखा अभिलेखों का उचित रखरखाव, वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति और तैयार की जाने की प्रासंगिकता शामिल हैं जिसमें लेखा अभिलेखों की पूर्णतया: और शुद्धता सुनिश्चित है तथा सच्चा एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत है जो तात्विक गलत विवरणों, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण, से मुक्त हैं।

वित्तीय आंकड़ों को बनाने में, प्रबंधन निगम को एक बढ़ते हुए फर्म के रूप में जारी रखने की क्षमता का मूल्यांकन करने, बढ़ते हुए फर्म से संबंधित मामलों का खुलासा करने, जैसा कि लागू है और बढ़ते हुए फर्म के आधार को लेखा परीक्षण के लिए इस्तेमाल करने, जब तक कि प्रबंधन या तो निगम को दिवालिया घोषित करने या प्रचालन बंद करने की मंशा रखता है या ऐसा ना करने का कोई यथार्थ विकल्प नहीं है, के लिए जिम्मेदार है।

Emphasis of Matter:

We draw attention to the following matters in the notes to the Financial Statements:

- a) Note No. 67(c) of the “Notes to Accounts, regarding the accounting of the “Production subsidy” based on the annual action plan. Due to this an estimated amount of Rs. 4358.11 lacs (Previous year ₹ 5445.00 lacs) of subsidy for which production shall be completed in the next financial year has also been considered in the financial year under audit. We were explained that this has been done as per the advice of the Government of India.
- b) In terms of the standard agreement entered into with the farmers to whom seeds are sold with a buy back agreement for the anticipated yields, the Corporation has neither has a system for computation of the amounts in the breach of each agreement in this regard nor has it taken, on records, action for recovery/waiver. The management, notwithstanding that there was no laid down system, has contended/represented that the regional managers have analyzed the causes of non-receipt of the seed and there is no recovery to be recorded and that there is no waiver/recoverable effect in the Ind AS Financial Statements. We have placed reliance on such representation and accordingly do not qualify our report on this matter.
- c) The amount of Production Subsidy from the Government of India is accounted for on the basis of estimated production based on the actual sowing of seeds. The estimated production is worked out based on the actual yields of the previous financial year of the area under sowing. Final claim of subsidy is raised on the Government of India after final harvesting and suitable adjustment for excess/short subsidy claimed is accounted for in the financial year when the final claim is raised. On account of this an amount of ₹ 337.22 lacs, being the difference of subsidy accounted for in the previous financial year, had been charged to the current year’s Profit & Loss Account.
- d) An amount of ₹ 60.44 lacs is being shown as payable to State Farms Corporation of India which has already merged with the Corporation wef 01-04-2014. This amount is under reconciliation .

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Information Other than the Financial Statements and Auditors’ Report Thereon

The Corporation’s Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Director’s Report and Annexure thereto, (but does not include the financial statements and our auditor’s report thereon). The Director’s Report is expected to be made available to us after the date of this auditor’s report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Director’s Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and appropriate action, if required.

Responsibility of Management for Financial Statements

The Corporation’s Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, change in equity and cash flows of the Corporation in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting Standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Corporation and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate implementation and maintenance of accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Corporation’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Corporation or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

निदेशक मंडल निगम की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख करने के लिए भी जिम्मेवार है।

foYkt, vldMadsyq lk ijh{k k dsfy, ys lk ijh{kldh ft Ebnjh

हमारे उद्देश्य इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय आंकड़े पूर्णरूपेण भौतिक त्रुटि, चाहे धोखाधड़ी या गलती के कारण, से मुक्त है और लेखा परीक्षकों की एक ऐसी रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है मगर यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसरण में किया गया एक लेखा परीक्षण हमेशा एक भौतिक त्रुटि जब भी हो, का हमेशा पता लगा लेगा। त्रुटियां किसी धोखाधड़ी या गलती के कारण हो सकती हैं और इसे भौतिक समझा जाएगा यदि व्यक्तिगत रूप से या सकल रूप में, यह किसी कारणवश आशातीत हो कि यह, प्रयोगकर्ता द्वारा इस वित्तीय आंकड़ों के आधार पर लिए गए वित्तीय निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

एसएएस के अनुसरण में, एक लेखा परीक्षण का हिस्सा होने पर हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षण के दौरान हम पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं।

- हम वित्तीय आंकड़ों की भौतिक त्रुटि, चाहे धोखाधड़ी या गलती के कारण, से होने वाले जोखिमों की पहचान और आंकलन, उन जोखिमों के प्रतिस्वेदी लेखापरीक्षण प्रक्रिया को डिजाइन और निष्पादित करना और हमारी राय को एक आधार उपलब्ध करने हेतु लेखा परीक्षण सबूत प्राप्त करना जो उपयुक्त और पर्याप्त हों। धोखाधड़ी के कारण होनी वाली भौतिक त्रुटि का पता नहीं लगाने का जोखिम गलती से होने वाली त्रुटि से अधिक होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, मिथ्या निरूपण या धोखाधड़ी आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने हेतु लेखा परीक्षा की परिस्थितियों में उपयुक्त प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या निगम के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का परिचालन प्रभावशील है।
- उपयोग की जाने वाली लेखाकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करना।
- क्या लेखाकन को चालू समुत्थान आधार का प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों के आधार पर, भौतिक अनिश्चितता उन घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित है जिससे एक बढ़ती हुई फर्म के रूप में निगम की क्षमता पर विशेष संदेह किया जा सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों से संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करने या, यदि इस प्रकार के खुलासे अपर्याप्त है तो आवश्यकता होने पर हमारी राय को संशोधित करना। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या परिस्थितियां निगम के चालू समुत्थान में रुकावट हो सकती हैं।
- खुलासे सहित वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना तथा क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं जिनमें निष्पक्ष प्रस्तुति है।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पहचानी गई किसी महत्वपूर्ण कमी सहित लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और लेखा परीक्षा के दौरान निष्कर्षों के बारे में हम प्रशासन प्रभारियों से संवाद करते हैं।

हम प्रशासन प्रभारी को स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुपालन से संबंधित विवरण उपलब्ध करवाते हैं तथा हमारी स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों को वहन करने के लिए सभी संबंधों और अन्य मामलों पर उचित रूप से विचार करने के लिए उनसे संवाद करना।

हमें बताए गए मामलों में से जो शासन के कारण प्रभार किए गए हैं, हम उन मामलों का पता लगाते हैं जो चालू अवधि के एकल वित्तीय आंकड़ों के लेखा परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए मुख्य लेखा परीक्षण मामले हैं। हम इस तरह के मामलों का अपने लेखा परीक्षण में वर्णन करते हैं जब तक कि कोई कानून या विनियमन इस मामले का सार्वजनिक प्रकटीकरण मना करता है या जब, बहुत ही दुर्लभ हालात में, हम निर्धारित करते हैं कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में प्रकट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से होने वाले निर्धारित परिणाम ऐसे संवाद से लोक हित लाभ से अधिक यथोचित लगता है।

vL ekeys

हमने निगम के वित्तीय आंकड़ों में शामिल 11 शाखाएं, जिनके वित्तीय आंकड़े 31.03.2019 तक कुल परिसंपत्तियां रु. 68670.26 लाख और उस तारीख तक समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व रु. 76996.81 लाख दर्शाते हैं, के वित्तीय आंकड़ों का लेखा परीक्षण नहीं किया क्योंकि जैसा कि माना गया इन शाखाओं के वित्तीय आंकड़ों का लेखा परीक्षण शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की जा चुकी है और इन पर हमारी यह राय है, क्योंकि यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशि और खुलासों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

हमारी राय को इन मामलों के संबंध में संशोधित नहीं किया गया है।

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the Corporation's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Corporation has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Corporation's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Corporation to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

We did not audit the financial statements/ information of 11 branches included in the financial statements of the corporation whose financial statements reflect total assets of ₹ 68670.26 lacs as at 31st March 2019 and the total revenue of ₹ 76996.81 lacs for the year ended on that date, as considered in the financial statements of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

वृत्तिका, आफु; लेद वक्त; द्रकवक्तिय फिलि

1. जैसा कि कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2016 (आदेश) अधिनियम के अनुच्छेद 143 की उपधारा (11) के मामले में भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा जारी, आवश्यक है, हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर और अन्य वित्तीय आंकड़ों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और शाखाओं की अन्य वित्तीय सूचना को ध्यान में लेकर, जैसे कि "अन्य मामलों" पैरा में इंगित किया गया है, हम "अनुबंध-क" में आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट किए गए मामलों पर एक विवरण जारी करते हैं।
2. निगम के खातों और रिकॉर्ड जो हमने उपर्युक्त समझ के आधार पर और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उपनिर्देशों के "अनुबंध-ख" में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम अधिनियम के अनुच्छेद 143(6) की अवधि में अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।
3. कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा 05 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार अधिनियम का अनुच्छेद 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है। तदनुसार, अधिनियम के अनुच्छेद 197(16) के प्रावधानों के अनुसरण में रिपोर्टिंग निगम पर लागू नहीं है।
4. अनुबंध क में हमारी टिप्पणी पर और जैसा कि अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) द्वारा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - (क) हमने वह सभी सूचनाएं और जानकारी मांगी और प्राप्त की हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास से हमारे लेखापरीक्षण के उद्देश्य के लिए आवश्यक थी।
 - (ख) हमारी राय में, निगम द्वारा सभी लेखा बही जैसा कि कानून आवश्यक है, रखी गई है, जैसा कि अब तक उन लेखा किताबों पर हमारे निरीक्षण से प्रतीत होता है और हमारे द्वारा जाँच नहीं की गई शाखाओं से पर्याप्त उचित विवरण जो हमारे लेखा परीक्षण के उद्देश्य हेतु आवश्यक हैं, प्राप्त किए गए हैं।
 - (ग) निगम के शाखा कार्यालयों, जिन्हें अधिनियम के अनुच्छेद 143(8) के तहत शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित किया गया था, के आंकड़ों की रिपोर्ट हमें पहुंचाई जा चुकी है और हमारे द्वारा, यह रिपोर्ट बनाए जाने के दौरान, इन्हें अच्छी तरह से निपटा लिया गया है।
 - (घ) तुलनपत्र, लाभ एवं हानि (अन्य विस्तृत आय सहित) के विवरण, नकदी प्रवाह का विवरण ओर इक्विटी में बदलाव का विवरण, जो इस रिपोर्ट द्वारा प्रकट किए गए, लेखा बहियों के साथ और हमारे द्वारा विजिट नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त विवरण के साथ अनुबंध में हैं।
 - (ङ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय आंकड़ें कंपनी(लेखा) अधिनियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ें, अधिनियम के अनुच्छेद 133 के तहत निर्धारित लेखा परीक्षक मानकों के साथ अनुपालन करते हैं।
 - (च) कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा 05 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) की अनुसूची में एक सरकारी कंपनी होने से अधिनियम के अनुच्छेद 164 के उपधारा (2) के प्रावधान निगम पर लागू नहीं है।
 - (छ) निगम की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, हमारी पृथक रिपोर्ट अनुबंध-ग से उल्लेख करें।
 - (ज) कंपनी अधिनियम (लेखा परीक्षण और लेखा परीक्षकों), 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दी गई जानकारी के अनुसार:
 - i. निगम ने अपने वित्तीय आंकड़ों में लंबित मुकदमों की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव का खुलासा किया है— वित्तीय आंकड़ों पर नोट संख्या 57 को संदर्भित करें।
 - ii. निगम का कोई दीर्घावधि अनुबंध, व्युत्पन्न अनुबंध सहित नहीं थे, जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण अनुमान्य नुकसान हो, और
 - ii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे निगम द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित किया जाना था।

दिग्गम, मदाहदस्य,
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 000952सी

साझेदार

सदस्यता सं: 082570

यूडीआईएन:19082570एएएएसी9518

एनई दिल्ली
06 सितम्बर, 2019

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, based on our audit and on the consideration of report of the other auditors on separate financial statements and the other financial information of the branches, as noted in the 'Other Matter' paragraph we give in the "Annexure A" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.
2. We are enclosing our report in terms of Section 143(5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the Corporation as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, in the "Annexure B" on the directions and sub-directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.
3. As per Notification No. GSR 463(E) dated 5 June 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, Section 197 of the Act is not applicable to the Government Companies. Accordingly, reporting in accordance with requirement of provisions of section 197(16) of the Act is not applicable on the Corporation.
4. Further to our comments in Annexure A, as required by Section 143(3) of the Act, we report that:
 - (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
 - (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Corporation so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branches not visited by us;
 - (c) The reports on the accounts of the branch offices of the Corporation audited under Section 143(8) of the Act by branch auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;
 - (d) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss (including other comprehensive income), the statement of Cash Flows and statement of change in equity dealt with by this Report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;
 - (e) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014;
 - (f) Being a Government Company pursuant to the Notification No. GSR 463(E) dated 5 June 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, provisions of sub-section (2) of Section 164 of the Act, are not applicable to the Corporation.
 - (g) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Corporation and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure C".
 - (h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. The Corporation has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer Note no 57 to the financial statements;
 - ii. the Corporation did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses; and
 - iii. there were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Corporation.

For KAPOOR TANDON & CO.,
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000952C

(Devendra S. Mathur)
PARTNER

M. No. 082570

UDIN:19082570AAAAAC9518

Place: New Delhi

Date: 6th September, 2019

लोकसचिवालय, नई दिल्ली

दिनांक 31 मार्च 2019 को जारी की गई सूची, सं. 1/2019, लोकसचिवालय, नई दिल्ली

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के संदर्भ में और इस तरह की जांचों के आधार पर जैसा कि हमने उचित समझा, हम कहते हैं कि:

- (क) निगम ने पूर्ण विवरणों को दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है, जिसमें मात्रात्मक विवरण और इसकी अचल संपत्तियों की स्थिति शामिल है। हालांकि मुख्यालय के साथ-साथ कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में इसे "एक्सेल फाईल" में रखा जाता है, यह विवरण उचित प्राधिकरण और ऑडिट के बिना संशोधन या परिवर्तन के लिए खुले हैं। इसके अलावा परिसंपत्तियों की स्थिति का विवरण उसमें वर्णित नहीं है।
- (ख) प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान सभी अचल संपत्तियों को प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित नहीं किया है लेकिन नियमित रूप से भौतिक सत्यापन का कार्य किया जाता है जोकि हमारी राय में निगम के आकार और अचल संपत्तियों की प्रकृति के संबंध में उचित है। वर्ष के दौरान संपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान कोई विशेष विसंगतियां नहीं देखी गई हैं।
- (ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलनपत्र की तारीख पर सभी भूमि, भवनों एवं अचल संपत्तियों की लीज डीड निम्नलिखित को छोड़कर, निगम के नाम पर हैं।

संपत्ति का विवरण	स्थिति	विवरण
मिदनापुर (कोलकाता) की भूमि	उपलब्ध नहीं है	1984 से 30 वर्षों के लिए भूमि लीज पर थी जोकि समाप्त हो गई है। संबंधित अधिकारियों के साथ पट्टे के नवीनकरण की प्रक्रिया चल रही है।
पटना (शेखपुरा) की पट्टे की भूमि	उपलब्ध नहीं है	02 एकड़ भूमि की लीज डीड/ किराए की रसीद का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। हालांकि, नगर पालिका को जून, 2018 तक करों का भुगतान किया गया है।
पूर्णिया (बिहार) की भूमि		03 अक्टूबर, 1983 का पट्टा विलेख, जो कृषि उपज बाजार समिति (अब भंग) के साथ 30 वर्षों के लिए थी, अब समाप्त हो गई है। कोई नवीनीकृत पट्टा उपलब्ध नहीं है।
नन्दयाल (आ.प्र) की भूमि		कृषि विभाग (आंध्र प्रदेश) से 15.10.1994 को ली गई जमीन की लीज अभी तक निष्पादित नहीं की गई है। हालांकि निगम द्वारा प्रतिवर्ष रु.0.83 लाख का पट्टा किराया का भुगतान हो रहा है।
गुंटी (आंध्र प्रदेश) की पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	उपलब्ध नहीं है	वित्तीय वर्ष 2009-10 में 46100 वर्गमीटर भूमि खरीदी गई और उस पर कब्जा भी लिया है, परंतु निगम के नाम उक्त जमीन का पंजीकरण अभी तक लंबित पड़ा है।
हेमपुर की भूमि		हेमपुर की भूमि का अधिग्रहण सरकार द्वारा किया गया, जिसमें निगम के लिए 07 एकड़ भूमि छोड़ दी गई। इस भूमि के लिए कोई लीज डीड अब तक निष्पादित नहीं हुई है।

- (ii) निगम की माल सूची को वित्तीय वर्ष के अंत में प्रबंधन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित किया गया है। हमारी राय में, सत्यापन की आवृत्ति उचित है। जैसा कि हमें बताया गया है, निगम के परिचालन के सत्यापन पर देखी गई विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं थी।
- (iii) निगम ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में, किसी भी कंपनी, फर्म अथवा अन्य पार्टियों को किसी प्रकार का ऋण, प्रत्याभूत अथवा अप्रत्याभूत ऋण नहीं दिया है।
- (iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 एवं 186 के तहत निगम ने कोई ऋण अथवा गारंटी अथवा निवेश/प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की हैं। प्रावधान का पालन किया है।
- (v) हमारी राय में, निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 73 से 76 के तहत वर्ष के दौरान किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है। इसलिए, आदेश का पैरा 3(v) लागू नहीं है।
- (vi) निगम के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए अधिनियम की धारा 148(1)के तहत केंद्र सरकार द्वारा लागत रिकॉर्ड का रख-रखाव निर्दिष्ट नहीं किया गया है। तदनुसार आदेश के अनुच्छेद 3 (vi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (vii) (क) हमें दी गई लेखा बहियों एवं रिकॉर्ड के अनुसार तथा हमारे द्वारा जांच किए गए रिकॉर्ड के अनुसार, निगम नियमित रूप से भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवाकर (जीएसटी), उपकर सहित निर्विवादित सांवाधिक देय राशि जमा कर रहा है। 31 मार्च, 2019 तक देय तारीख से छह माह से अधिक अवधि के लिए उपयुक्त सांवाधिक कोई भी निर्विवाद बकाया राशि देय नहीं थी।

Annexure - A to the Independent Auditors' Report

(Referred to in paragraph 1 of our report of even date on the Ind AS financial statements for the financial year ended March 31, 2019 of **National Seeds Corporation**)

In terms of the information and explanations given to us and also on the basis of such checks as we considered appropriate, we state that:

- (i) (a) The Corporation has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of its fixed assets. However, in the Head office as well as in few regions, the same is maintained in soft (excel files) which can be amended or changed without authorisation. Further, the details of the location of the assets are not mentioned therein.
- (b) All the fixed assets have not been physically verified by the management during the year but there is regular program of physical verification, which in our opinion is reasonable, having regard to the size of the Corporation and the nature of fixed assets. No material discrepancies have been noticed in respect of the assets physically verified during the year.
- (c) According to the information and explanations given to us and the records examined by us, we report that, the title deeds, comprising all the immovable properties of land and buildings, are held in the name of the Corporation as at the balance sheet date, except the following:

Particulars of the land /building situated at	Net Block as at the Balance Sheet date	Remarks
Land at Midnapore (Kolkatta)	Not Available	Land was under lease for 30 years from 1984 which has also expired. Renewal of the lease with the concerned authorities is under process.
Leasehold land at Patna (Shekhpura)	Not available	No record like lease deed, rent receipts available for land measuring 2 acres. However, Municipal taxes have been paid till June, 2018.
Land at Purnea (Bihar)		Lease dated 3rd October, 1983 for 30 years with the Agriculture Produce Market Committee (Now dissolved) expired. No renewed lease available.
Land at Nandyal (Andhra Pradesh)		Land taken on lease on 15.10.1994 from the Department of Agriculture (Andhra Pradesh). Lease yet to be executed. However, lease rent of ₹ 0.83 lacs per annum is finalised and being paid by the Corporation.
Freehold Land at Gooty (Andhra Pradesh)	Not available	Land measuring 46100sqmtrs of land purchased and taken possession in the financial year 2009-10. Registration of land in the name of the Corporation is still pending
Land at Hempur		Land at Hempur was acquired by the Government leaving land measuring 7 acres for the Corporation. No lease deed for this land so far been executed.

- (ii) The inventories of the Corporation have been physically verified by the management at the end of the financial year. In our opinion, the frequency of verification is reasonable. As explained to us, the discrepancies noticed on verification were not material in relation to the operations of the Corporation.
- (iii) The Corporation has not granted any loan, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties listed in the register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 (the Act).
- (iv) The Corporation has complied with the provisions of Sections 185 and 186 of the Act in respect of grant of loans, making investments and providing guarantees and securities, as applicable.
- (v) In our opinion, the Corporation has not accepted any deposit during the year within the meaning of Section 73 to Section 76 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Rules framed there under. Hence, paragraph 3(v) of the Order is not applicable.
- (vi) Having regard to the nature of the Corporation's business / activities, the maintenance of cost records has not been specified by the Central Government under section 148(1) of the Act. Accordingly reporting under clause (vi) of paragraph 3 of the Order is not applicable.
- (vii) (a) According to the books and records produced and examined by us, the Corporation is generally regular in depositing undisputed Statutory dues including Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, , Goods and Services Tax (GST), Cess and other material statutory dues as applicable with the appropriate authorities and no undisputed amount payable in respect of aforesaid statutory dues were outstanding as at March 31, 2019 for a period of more than six months from the date they become payable.

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, बिक्री कर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर के बकाए देय विवाद के कारण जमा नहीं किए गए हैं।

Ø- l a	l fof/k dk ule	ns dh iz-fr	jk'k ¼-½	vof/k ft l l s jk'k l a/kr gS	Qlj e] t glafooln yfEcr Si Mk gS
1	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	अतिरिक्त बिक्री कर	18,110 / -	1987-88	संयुक्त आयुक्त (अपील-लखनऊ)
2	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	अतिरिक्त बिक्री कर	39,202 / -	1988-89	संयुक्त आयुक्त (अपील-लखनऊ)
3	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	अतिरिक्त बिक्री कर	35,700 / -	1989-90	संयुक्त आयुक्त (अपील-लखनऊ)
4	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	78,846 / -	1989-90	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, लखनऊ
5	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	36,141 / -	1993-94	उच्च न्यायालय- लखनऊ बैंच
6	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1,28,499 / -	1998-99	संयुक्त आयुक्त (अपील-लखनऊ)
7	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1,30,150 / -	1999-2000	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, लखनऊ
8	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	16,16,006 / -	2000-01	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, लखनऊ
9	उत्तरांचल	अतिरिक्त बिक्री कर	3,47,678 / -	2000-01	उपायुक्त हल्दवानी
10	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	अतिरिक्त बिक्री कर	55,663 / -	2000-01	संयुक्त आयुक्त (अपील-लखनऊ)
11	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1,39,649 / -	2001-02	संयुक्त आयुक्त (अपील-लखनऊ)
12	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 अतिरिक्त बिक्री कर	अतिरिक्त बिक्री कर	1,40,545 / -	2002-03	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, लखनऊ
13	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1,01,664 / -	2003-04	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, लखनऊ
14	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	75,662 / -	2004-05	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, लखनऊ
15	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1,76,192 / -	2005-06	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, लखनऊ
16	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1,85,787 / -	2006-07	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, लखनऊ
17	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1,62,212 / -	01.04.2007 से 31.12.2007	आकंलन अधिकारी व्यापार कर, लखनऊ
18	बिक्री कर, बिहार	बीएसटी आकलन	1,35,205 / -	2004-05	अपलीय ट्रिब्यूनल (संयुक्त आयुक्त)
19	बिक्री कर, बिहार	सीएसटी आकलन	3,12,232 / -	2004-05	-तदैव-
20	आसाम सामान्य बिक्री कर एवं सीएसटी	बिक्री कर	19,25,730 / -	2003-04 से 2005-06	असम बिक्री कर ट्रिब्यूनल
21	वाणिज्यिक कर पटना	वाणिज्यिक कर	7,59,942 / -	2011-12	उच्च न्यायालय, पटना
22	बिक्री कर-झारखंड	बिक्री कर	20,933 / -	2014-15	विशेष सर्कल, रांची

(b) According to the information and explanations given to us, dues outstanding of Income-tax, Sales-tax, Service Tax, Duty of Customs, Duty of Excise, Value Added Tax, cess which have not been deposited on account of any dispute

Sr. No	Nature of Statute	Nature of dues	Amount (Rs.)	Period for which Amount Relate	Forum where the dispute is pending
1.	Central Sales- tax Act, 1956	Additional Sales-tax	18,100/-	1987-88	Joint Commissioner Appeal-Lucknow
2.	Central Sales- tax Act, 1956	Additional Sales-tax	39,202/-	1988-89	Joint Commissioner Appeal-Lucknow
3.	Central Sales- tax Act, 1956	Additional Sales-tax	35,700/-	1989-90	Joint Commissioner Appeal-Lucknow
4.	U.P. Trade- tax Act, 1948	----do---	78,846/-	1989-90	Trade-tax Tribunal-Lucknow
5.	U.P. Trade- tax Act, 1948	----do---	36,141/-	1993-94	High Court, Lucknow Bench
6.	U.P. Trade- tax Act, 1948	----do---	1,28,499/-	1998-99	Joint Commissioner-Appeals Lucknow
7.	U.P. Trade- tax Act, 1948	----do---	1,30,150/-	1999-00	Trade-tax Tribunal Lucknow
8.	U.P. Trade- tax Act, 1948	-----do---	16,16,006/-	2000-01	Trade-tax Tribunal, Lucknow
9	Uttranchal	----do---	3,47,678/-	2000-01	Deputy Commissioner, Haldwani
10	Central Sales- tax Act, 1956	----do---	55,663/-	2000-01	Joint Commissioner, Lucknow
11	U.P. Trade- tax Act, 1948	----do---	1,39,649/-	2001-02	Joint Commissioner, Lucknow
12	U.P. Trade- tax Act, 1948	----do---	1,40,545/-	2002-03	Trade-tax Tribunal, Lucknow
13	U.P. Trade- tax Act, 1948	----do---	1,01,664/-	2003-04	Trade-tax Tribunal, Lucknow
14	U.P. Trade- tax Act, 1948	----do---	75,662/-	2004-05	Trade-tax Tribunal, Lucknow
15	U.P. Trade- tax Act, 1948	----do---	1,76,192/-	2005-06	Trade-tax Tribunal, Lucknow
16	U.P. Trade- tax Act, 1948	----do---	1,85,787/-	2006-07	Trade-tax Tribunal, Lucknow
17	U.P. Trade- tax Act, 1948	----do---	1,62,212/-	1.04.2007 to 31.12.2007	Assessing Officer Trade-tax Lucknow
18	Sales Tax Bihar	BST Assessment	1,35,205/-	2004-05	Appellate tribunal (Joint Commissioner)
19	Sales Tax Bihar	BST Assessment	3,12,232/-	2004-05	Appellate tribunal(Joint Commissioner)
20	Assam General Sales Tax & CST	Sales Tax	19,25,730/-	2003-04 to 2005-06	Sales Tax Tribunal Assam
21	Commercial Tax Patna	Commercial Tax	7,59,942/-	2011-12	High Court Patna
22	Sales-tax Jharkhand	Sales-tax	20,933/-	2014-15	Special Circle, Ranchi

Ø- l a	l fof/k dk ule	ns dh iz-fr	jk' k ¼-½	vof/k ft l l s jk' k l af/kr gS	Qjse t glafooln yffer iMk gS
23	आयकर विभाग	आयकर	86,00,000 / -	-	आय कर ट्रिब्यूनल, असम
24	आयकर विभाग	आयकर	1,17,76,541 / -	2006-07	आईटीएटी द्वारा आयकर अपील खारिज
25	आयकर विभाग	आयकर	3,71,17,183 / -	2007-08	निगम के पक्ष में सीआईटी अपील
26	आयकर विभाग	आयकर	2,94,29,200 / -	2008-09	आईटीएटी द्वारा आयकर अपील खारिज
27	आयकर विभाग	आयकर	8,81,89,390 / -	2009-10	आईटीएटी द्वारा अपील की अनुमति
28	आयकर विभाग	आयकर	4,33,79,711 / -	2010-11	सीआईटी द्वारा आंकलन अधिकारी के पास वापस (अपील)
29	आयकर विभाग	आयकर	5,82,39,270 / -	2011-12	सीआईटी द्वारा आंकलन अधिकारी के पास वापस (अपील)
30	आयकर विभाग	आयकर	4,38,72,770 / -	2012-13	सीआईटी द्वारा आंकलन अधिकारी के पास वापस (अपील)

- (viii) निगम ने इलाहाबाद बैंक से 225.74 लाख का दीर्घावधि ऋण लिया था, जिसके विरुद्ध नाबार्ड से 45.00 लाख रुपये की सब्सिडी (जो हमें दिए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार देय है, लेकिन अभी तक नहीं मिली है) समायोज्य थी। नाबार्ड से इस सब्सिडी राशि की प्राप्ति के पूर्वोपेक्ष्य में, निगम ने दिनांक 17.08.2016 से देय किस्तों की अदायगी नहीं की है। इसलिए निगम, इलाहाबाद बैंक से लिए गए सावधि ऋण के पुनर्भुगतान में चूक गया।
- (ix) निगम ने वर्ष के दौरान, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण के साधन सहित) या टर्मलोन के माध्यम से कोई राशि एकत्र नहीं की है।
- (x) प्रस्तुत लेखा प्रक्रियाओं के आधार पर, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम द्वारा या निगम के अधिकारियों या कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को वर्ष के दौरान नहीं देखा गया है।
- (xi) कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 197, सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होता है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xi) के प्रावधान निगम पर लागू नहीं होती है।
- (xii) निगम 'निधि कंपनी' नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 3(xii) आदेश लागू नहीं है।
- (xiii) हमारी राय में संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन अधिनियम की धारा 177 और 188, जहाँ भी लागू हों, के अनुपालन में है, और इस तरह के लेन-देन का विवरण इंड एएस वित्तीय विवरण में दिया गया है जैसा कि लागू लेखाकन मानकों के अनुसार आवश्यक है।
- (xiv) निगम ने वर्ष के दौरान शेरों के अधिमान्य आबंटन या निजी प्लेसमेंट या पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं बनाया है। इसलिए पैरा 3(xiv) आदेश लागू नहीं होता है।
- (xv) हमारी राय में, निगम ने किसी भी निदेशक के साथ अथवा उनसे जुड़े किसी अन्य व्यक्ति के साथ गैर-नकदी लेन-देन नहीं किया है। इसलिए पैरा 3(xv) आदेश लागू नहीं होता है।
- (xvi) हमारी राय में निगम को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

di jv VMu , M dá uh dsfy,
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 000952सी

हस्ता, l - ekFlj ½

साझेदार

सदस्यता सं: 082570

यूडीआईएन:19082570एएएएसी9518

LFku %नई दिल्ली
fnukd %06 सितम्बर, 2019

Sr. No	Nature of Statute	Nature of dues	Amount (Rs.)	Period for which Amount Relate	Forum where the dispute is pending
23	Income Tax Department	Income Tax	86,00,000/-	_	Income Tax Tribunal-Assam
24	Income Tax Department	Income Tax	1,17,76,541/-	2006-07	Appeal of I.T. Dismissed by ITAT
25	Income Tax Department	Income Tax	3,71,17,183/-	2007-08	CIT Appeal in Favour of Corporation
26	Income Tax Department	Income Tax	2,94,29,200/-	2008-09	Appeal of I.T dismissed by ITAT
27	Income Tax Department	Income Tax	8,81,89,390/-	2009-10	Appeal allowed by ITAT in favour of
28	Income Tax Department	Income Tax	4,33,79,711/-	2010-11	Revert to AO by CIT (Appeal)
29	Income Tax Department	Income Tax	5,82,39,270/-	2011-12	Revert to AO by CIT (Appeal)
30	Income Tax Department	Income Tax	4,38,72,770/-	2012-13	Revert to AO by CIT (Appeal)

- (viii) The Corporation had taken a term loan from Allahabad Bank a term loan of Rs. 225.74 Lacs against which a subsidy of Rs. 45.00 lacs from NABARD (which as per the explanation and information to us is due but yet not received) was adjustable. In anticipation of the receipt this subsidy amount from NABARD, the corporation has not made repayment of the installment due from 17.08.2016. To that extend, the corporation in default of repayment of term loan availed from Allahabad Bank.
- (ix) The Corporation has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) or term loan during the year.
- (x) Based on the audit procedures performed and according to the information and explanations given to us, no material fraud by the Corporation or on the Corporation by its officers or employees has been noticed or reported during the year.
- (xi) As per Notification No. GSR 463(E) dated 5 June 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, Section 197 of the Act is not applicable to the Government Companies. Accordingly, provisions of clause 3 (xi) of the Order are not applicable to the Corporation.
- (xii) The Corporation is not a "Nidhi Company"; hence paragraph 3(xii) the Order is not applicable.
- (xiii) In our opinion, transactions with the related parties are in compliance with section 177 and 188 of Act where applicable and the details of such transactions have been disclosed in the Ind AS Financial Statements as required by the applicable accounting standards.
- (xiv) The Corporation has not made preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review. Hence, paragraph 3(xiv) the Order is not applicable.
- (xv) In our opinion, the Corporation has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him. Hence, paragraph 3(xv) the Order is not applicable.
- (xvi) In our opinion, the Corporation is not required to be registered under Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

For KAPOOR TANDON & CO.,
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000952C

(Devendra S. Mathur)
PARTNER

M. No. 082570

UDIN:19082570AAAAAC9518

Place: New Delhi

Date: 6th September, 2019



Lora ysk ijhkdldh fjikZdsfy, vuqak^k*

dāuh vf/kfu; e| 2013 dh /kjk 143 1/2 ds rgr o"KZ2018&19 l sykxwn' kfunZk

I. क्या कंपनी के पास सूचना तकनीक के माध्यम से सभी लेखांकन लेन-देन को संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ-साथ खातों की सत्यता पर लेखांकन लेन-देन की प्रक्रिया के बारे में बताएं, यदि कोई।

ysk ijhkdldk voykdu

- i. निगम (राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड) के पास एक लेखांकन सॉफ्टवेयर "बीज प्रबंधन" है। हालांकि बीजों की माल सूची मैनुअल रूप से भी रखी जाती है और लेखांकन सॉफ्टवेयर "बीज प्रबंधन" और मैनुअल रिकार्ड के अनुसार, इन्वेंट्री मेल नहीं खाती है। वित्तीय विवरणों में इन्वेंट्री को मैनुअल रिकार्ड के अनुसार लिया जाता है।
 - ii. मूल्यह्रास इत्यादि के कार्यों सहित अचल संपत्तियों का विवरण मुख्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों पर "एक्सेल फाईल" में रखा जाता है। ये विवरण उचित प्राधिकरण और ऑडिट ट्रॉयल के बिना परिवर्तन/संशोधन के लिए खुले हैं।
- II. क्या किसी वर्तमान ऋण के लिए पुनर्संरचना है या कंपनी को ऋण चुकाने में, कंपनी की देनदारी के कारण ऋणदाता द्वारा लिए गए कर्ज/ऋण/ब्याज आदि के लिए छूट/बट्टाखाता के मामलें हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए।

ysk ijhkdldk ds voykdu

शून्य

III. क्या केंद्रीय/राज्य एंजिसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त धनराशि का निर्धारित शर्तों के अनुसार ठीक से लेखांकित उपयोग किया गया है? अंतराल के मामलों की सूची दें।

ysk ijhkdldk ds voykdu

भारत सरकार द्वारा निगम को दिए गए "पारिक्रामी निधि" के मामले में, निगम ने लंबे समय से प्राप्त राशि का उपयोग नहीं किया है। इसके अलावा, सरकार के नियमों और शर्तों के अनुसार इस राशि को एक अलग बैंक खाते में नहीं रखा गया है।

Ø- l a	; kt uk dk uke] ft l ds fy, /kujk' k fuxe dks mi yC/k djokbZxbZkA	31-03-2019 ij 'lSk jk' k 1/4-1/2	fVli . lh
1	डीआरजीटी के तहत बीज उत्पादन के लिए पूंजीगत अनुदान	30,00,000 / -	रु.1,50,00,000 / - की राशि वर्ष 1995 में प्राप्त हुई थी तथा शेष राशि एकीकरण पर एसएफसीआई से स्थानांतरित हुई थी जिसका उपयोग नहीं हुआ है। स्वीकृति पत्र के नियमानुसार एक पृथक बैंक खाता खुलवाया जाना था तथा उत्पाद और बिक्री मूल्य को खाते में जमा करने के लिए उपयोग किया जाना था।
2	बीज बैंक का ईएसटी, एमटीसीआई के लिए पूंजीगत अनुदान	5,47,17,752 / -	केवल 31.03.2018 पर एक स्थानांतरण प्रविष्टि को छोड़कर वित्तीय वर्ष 2015-16 से कोई उपयोग नहीं है। नियम व शर्तों के अनुसार अलग बैंक खाता होना चाहिए था।
3	परिक्रामी निधि के लिए पूंजीगत अनुदान	2,07,00,000 / -	वर्ष 2000-01 के दौरान रु.1.47 करोड़ प्राप्त हुए। शेष राशि एकीकरण पर एसएफसीआई से स्थानांतरित हुए। इन निधियों का कोई उपयोग नहीं हुआ।
4	परिक्रामी निधि के लिए पूंजीगत अनुदान	26,75,000 / -	वर्ष 1995 और 2001 में राशि प्राप्त हुई। कोई उपयोग नहीं। निर्धारित शर्तानुसार इन निधियों के लिए कोई अलग से बैंक खाता नहीं खोला गया।
5	आस्थगित सरकारी अनुदान (केंद्रीय राज्य फार्म बहराईच)	85,61,484 / -	केंद्रीय राज्य फार्म 2012 में बंद कर दिया गया था।

bl ds vykok ysk ijhkd dks dāuh ds ijd ysk ijhkd sl kfk l l s x, QHM dk k; }kjk dāuh vf/kfu; e| 2013 dh /kjk 143 1/2 ds rgr t kjh fd, x, fdl h Hh vfrfj ä dāuh@l DVj fo' K'V funZk dk ikyu djuk vko'; d gA

जैसा कि निगम द्वारा सूचित किया गया है संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कंपनी के अनूपूरक लेखा-जोखा के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत ऐसी कोई अतिरिक्त कंपनी/विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किए गए थे।

Annexure - B to the Independent Auditors' Report

Directions under section 143(5) of Companies Act 2013

Applicable from the year 2018-19 and onwards

- I. Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.

Auditors' observations:

- i) The Corporation (National Seeds Corporation Limited) has an accounting software "Beej Prabhandan" . However, the inventories of seeds maintained manually also and the inventories as per the accounting software Beej Prabhandan and the manual records do not match. The Inventories in the Financial statements is taken as per the manual records.
- ii) The Fixed assets details including the working of the depreciation etc are maintained in "Excel files" at the head office as well as many of the regions. These records of open to alteration/change without proper authorisation and audit trail.

- II. Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts /loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.

Auditors' Observations:

NIL.

- III. Whether funds received/receivable for specific schemes from central/ state agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.

Auditors' Observations:

In case of the following "Revolving funds" given by the Government of India to the Corporation, the corporation has not utilised the amounts received for a long time. Further as per the terms and conditions of the Government, the funds have not been kept in a separate bank account:

Sr. No	Name of the scheme for which the funds were made available to the Corporation	Amount of balance as on 31.3.2019 (Rs.)	Remarks
1.	Capital Grant Seed Production under DRGT	30,00,000/-	The amount of ₹ 1,50,00,000/- was received in the year 1995 and the balance amount tfd from SFCI on merger. There is no utilisation. Further as per the terms of the sanction letter a separate bank account was to be maintained and utilised for production and sale proceeds of the product to be credited in the account.
2.	Capital grant for EST, MTCE of Seed Bank	5,47,17,752/-	No utilisation since the Financial Year 2015-16 except for one transfer entry as on 31.3.2018 . No separate bank account maintained as per the stipulated terms and conditons.
3.	Capital Grant for Crash Prog Rev. Fund	2,07,00,000/-	₹ 1.47 Crores received during the years 2000-01. Balance Rs. 0.60 Crores tFd from SFCI on merger. No utilisation of these funds.
4.	Cap Grant for Crash Prog Rev. Fund	26,75,000/-	Amount received in the year 1995 and 2001. No utilisation. No separate bank as per stipulated conditions has been maintained for these funds.
5.	Deferred Govt Grant (CSF (Bahraich)	85,61,484/-	The CSF was closed in 2012.

In addition the auditor is required to comply with any additional Company / Sector specific directions issued under section 143(5) of the Companies Act, 2013 by the Field office entrusted with the supplementary audit of the Company.

As informed by the Corporation, no such additional Company/Specific directions had been issued under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013 by the concerned Field Office entrusted with the supplementary audit of the Company.



LoRa yslk i jhklkls dh fj i WZdk vuqXud ^x**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के पैरा – 3(g) में संदर्भित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 का खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

jk

हमने राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड ("कंपनी") के 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के इंड एस वित्तीय आंकड़ों तथा उक्त तारीख पर समाप्त वर्ष के लिए हमने लेखा परीक्षा के साथ संयोजन के रूप में शामिल आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की है।

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली हैं और ऐसी पद्धतियां 31 मार्च, 2019 को प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थी और कंपनी के द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मापदंड के आधार पर तथा भारत के सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के दिशा-निर्देश में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया है।

vlarfjd foYkt fu; a.k dsfy, izaku dh ft Eenkj h

कंपनी का प्रबंधन, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के अनुसार आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि भारत के सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए जारी दिशा-निर्देश में इंगित है। इन जिम्मेदारियों में डिजाईन, कार्यान्वयन और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखना शामिल हैं, जोकि अपने व्यवसाय का कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे, जिसमें कंपनियों की नीतियों का अनुपालन, अपनी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम एवं पता लगाना, लेखा अभिलेखों की सम्पूर्णता एवं शुद्धता तथा वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना भी शामिल है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित है।

yslk i jhklkls dh ft Eenkj h

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग ("दिशा-निर्देश") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के अनुसार तथा सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित किया समझा। जैसा कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए लागू है, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए लागू हैं, दोनों ही भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों एवं दिशा-निर्देशों की आवश्यकता के अनुसार हमने नैतिक आवश्यकताओं एवं योजना के अनुरूप पालन किया है और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और बनाए रखा था और इस तरह के नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित थे, के अनुसार हमने लेखा परीक्षा का निष्पादन किया है।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए और उनके प्रभावी प्रचालन शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में एक समझ प्राप्त करना, जोखिम का आंकलन कि सामग्री की वर्तमान कमजोरी का आंकलन, परीक्षण और मूल्यांकन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाईन एवं प्रचालन प्रभावशीलता भी शामिल है। जोखिमों के मूल्यांकन सहित, चयनित प्रक्रियायें लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें इंड एस वित्तीय विवरणों की वस्तुगत गलत विवरण के जोखिम का आंकलन, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, करता है।

हम मानते हैं कि हमारी अंकेक्षण राय के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य उचित एवं पर्याप्त हैं।

Annexure - C to the Independent Auditors' Report

(Referred to in paragraph 3(g) of our report of even date on the financial statements for the financial year ended March 31, 2019 of **National Seeds Corporation**) **Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")**

Opinion

We have audited the internal financial controls with reference to financial statements of National Seeds Corporation ("the Corporation") as of March 31, 2019 in conjunction with our audit of the financial statements of the Corporation for the year ended on that date.

In our opinion, the Corporation has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2019, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Corporation's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Corporation's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Corporation's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Corporation's internal financial controls system over financial reporting.



वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रक्रिया, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता एवं साधारणतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार बाहरी प्रयोजन के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएँ (1) अभिलेखों का रखरखाव से संबंधित उचित विवरण, सटीकता एवं शुद्धता तथा कंपनी के सम्पत्तियों का लेनदेन एवं स्वभाव को काफी हद तक दर्शाना शामिल है (2) उचित आश्वासन उपलब्ध करवाना कि साधारणतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए लेनदेन को दर्ज किया गया है और कंपनी की प्राप्तियां एवं व्यय, कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के अनुसार किया जा रहा है और (3) उचित आश्वासन उपलब्ध करवाना कि अनधिकृत अधिग्रहण की रोकथाम अथवा उपयोग अथवा अनधिकृत अधिग्रहण का समय पर पता लगाना, कंपनी की परिसंपत्तियों की प्रकृति जिसमें इंड एस वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

क्योंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमायें जिसमें मिलीभगत की संभावना अथवा नियंत्रण का अनुचित प्रबंधन, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण गलत विवरण हो जाना और जिनका पता नहीं लग पाना भी शामिल है। इसके अलावा भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन है क्योंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थितियों में बदलाव की अपर्याप्तता हो सकती है अथवा नीतियों या प्रतिक्रियाओं के अनुपालन की उपाधि खराब हो सकती है।

संनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 000952सी

साझेदार

सदस्यता सं: 082570

यूडीआईएन:19082570एएएएसी9518

एनएसई दिल्ली
सितम्बर, 2019

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Corporation's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Corporation's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Corporation; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Corporation are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Corporation; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Corporation's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Place: New Delhi
Date: 6th September, 2019

For KAPOOR TANDON & CO.,
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000952C

(Devendra S. Mathur)
PARTNER
M. No. 082570
UDIN:19082570AAAAAC9518

संश्लेषण रिपोर्ट का अंतिम संस्करण

जुलाई, अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक के दौरान, एनएससी द्वारा संश्लेषण रिपोर्ट का अंतिम संस्करण, एनएससी द्वारा जारी किया गया है।

क्र.सं.	संश्लेषण रिपोर्ट का अंतिम संस्करण	अंतिम संस्करण
1	टिप्पणी संख्या 53.1 – व्यापार प्राप्तियाँ, सब्सिडी प्राप्तियाँ, ऋण, अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ, व्यापार प्राप्तियाँ एवं अन्य वर्तमान देनदारियों के शेष पुष्टिकरण/पुनर्गणना के अधीन है। लेखों पर इस तरह के पुष्टिकरण/पुनर्मिलान पर उसका परिणामी समायोजन का सटीक प्रभाव, यदि कोई हो, पता लगाने योग्य नहीं है।	अधिशेष की पुष्टि के लिए सभी लेनदारों और देनदारों को पत्र लिखे गए और जवाब में अभाव में अदायगी के अधीन है। टिप्पणी संख्या 53.1 के अंतर्गत तथ्यों का खुलासा किया गया है। यद्यपि पत्र में यह उल्लिखित है कि यदि देय तारीख तक पुष्टि प्राप्त नहीं होती है तो बकाया राशि की पुष्टि समझी जाएगी।
2	निगम (शाखाओं सहित) के वित्तीय विवरण में प्राप्त अनुदानों से संबंधित जमा शेष राशि रु. 32.45 लाख शामिल है, जिसका समाधान नहीं किया गया है। और निगम के पास इसे प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। हालांकि, निगम प्रबंधन द्वारा उल्लेख किया गया है कि, ये क्रेडिट शेष विगत वर्ष के दौरान निगम द्वारा प्राप्त अनुदानों से संबंधित है, जिनका उपयोग विगत वर्षों के दौरान अपेक्षित प्रयोजन के लिए किया गया, किन्तु निगम के पास इनको सत्यापित करने के लिए दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।	शेष रु. 32.45 लाख का आवश्यक समायोजन हेतु वर्ष 2019-20 के दौरान पता लगाने के प्रयास जारी हैं।
3	निगम को राज्य सरकारों/केन्द्रीय सरकार ने फार्म स्तर पर खेती के उद्देश्य से जमीन का अधिकार दिया है, परन्तु निगम के पास ऐसे अधिकार के लिए कोई दस्तावेज/पट्टानामा/करार उपलब्ध नहीं है। (टिप्पणी संख्या 66)	सूरतगढ़, सरदारगढ़, जैतसर एवं रायचूर फार्म की जमीन के मालिकाना हक से संबंधित सभी कागजात, भारत सरकार के पास हैं, क्योंकि उक्त सभी फार्मों की भूमि भारत के राष्ट्रपति के नाम पर है, इन फार्मों की डीड की प्रतियां निगम के पास हैं। हिसार फार्म के मामले में, निगम ने हरियाणा सरकार के साथ एक लीज डीड पर हस्ताक्षर किए हैं।
4	पूर्ववर्ती एसएफसीआई के पाँच फार्मों की निवल ऋण शेष रु. 508.60 लाख की राशि को बही खातों में नोट संख्या 16(ख) के तहत 'अन्य प्राप्त योग्य' के रूप में दिखाया जा रहा है। ये फार्म जैसे कि रायबरेली, बहराईच एवं मिजोरम क्रमशः वर्ष 2005, 2012 एवं 1970 में बंद हो चुके थे। हमारी राय में, उक्त फार्मों की सभी परिसंपत्तियों एवं देयताओं को अलग से दिखाया जाना चाहिए। (टिप्पणी संख्या 16 (ख))	इसमें उत्तर प्रदेश सरकार से बहराईच फार्म के बंद होने के कारण रु. 4.77 करोड़ प्राप्त योग्य शेष शामिल है। शेष बकाया काफी समय पहले बंद हो चुके दो पुराने फार्मों से संबंधित निवल नामे की शेष राशि है, राशि को परिसंपत्तियों एवं देनदारियों में अलग-अलग दिखाने हेतु अभिलेखों का पता नहीं चल सका। पता लगाने के लिए प्रयास जारी हैं।
5	निगम ने परिसंपत्तियों की हानि के लिए कोई आंकलन नहीं किया है जैसा कि परिसंपत्तियों की हानि का निपटान करने वाले इंड एस 36 जो सुनिश्चित करता है कि परिसंपत्तियाँ उनकी वसूली योग्य राशि से अधिक नहीं हैं। लाभ पर इसका प्रभाव पता लगाने योग्य नहीं है। (टिप्पणी संख्या 58)	प्रबंधन मानता है कि पुरानी परिसंपत्तियों की प्रभार राशि जैसा कि निगम के खातों में प्रतीत हो रहा है वसूली योग्य राशि से कम है। अतः वर्ष के दौरान पुरानी परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई और तदनुसार, इंड एस 36 के तहत अर्थात् परिसंपत्तियों के नुकसान के तहत कोई खुलासा नहीं किए गए। टिप्पणी संख्या 58 के तहत तथ्यों का खुलासा किया गया है।

ADDENDUM TO THE DIRECTORS REPORT - I

Management's Reply to the observations made by the Statutory Auditors on the financial statement of National Seeds Corporation Limited for the year ending 31/03/2019.

S. No.	Statutory Auditor's comments	Management Reply
1.	Note No. 53.1 regarding balances of trade receivables, subsidies receivables, loans, other current assets, trade payables and other current liabilities being subject to confirmations/ reconciliation. The precise effect of consequential adjustments upon such confirmations/reconciliation, if any, on the financial statements is not ascertainable.	Letter for confirming balances are written to all debtors and creditors and in absence of replies, balances are subject to reconciliation. The fact stands disclosed under note no. 53.1. However it is mentioned in the letter that if confirmation is not received within the due date, balance will be deemed to be confirmed.
2.	The Financial Statements of the corporation (including branches) contains Credit Balances related to various grants received amounting to ₹ 32.45 lacs which are not reconciled. Further, there is no document available with the corporation to verify the same. However, as explained by the management of corporation these credit balances relate to Grants received by corporation during previous years, which have been utilized for intended purposes during earlier years but no documents are available with the Corporation to verify the same.	Efforts are on to trace the details for necessary adjustments of ₹ 32.45 lacs during 2019-20.
3.	The State Governments/Central Government has given right to use of farm land for cultivation to the Corporation, however, no documents/lease deed/ agreements for such right to use are available with the Corporation. (Note No.66)	Original paper regarding the ownership of Land at CSF Suratgarh, Sardargarh, Jetsar and Raichur are with the Government of India as the land at these Farms are in the name of the President of India; copies of the deed are with the Corporation. In case of Hisar, the Corporation has signed a Lease deed with the Govt. of Haryana.
4.	The Net Debit Balance of ₹ 508.60 lacs of five farms of erstwhile SFCI is shown under the Note-16(b) as "other Receivables" in the Financial Statements. These Farms located at Raibareli, Bahraich and Mizoram were closed during the years 2005, 2012 and 1970 respectively. In our opinion, all assets and liabilities of these farms must be shown separately. (Note No.16(b))	This includes ₹ 4.77 crores receivable from Govt. of UP towards closure of Bahraich Farm. Remaining debit balance pertains two old farms closed long back, whose records are not traceable to bifurcate the amount separately into Assets and Liabilities. Process is on to trace them.
5.	The Corporation has not made any assessment for impairment of assets as required under the IndAS 36 dealing with Impairment of Assets to ensure that the assets are carried at not more than their recoverable amount. The impact on the profit is not ascertainable. (Note No.58)	The management perceived that the carrying amount of assets as appearing in the books of the Corporation is less than its recoverable amount. Hence, the need for revaluing old assets during the year was not felt and accordingly no disclosures were made under Ind AS 36, i.e. Impairment of Assets. Fact is disclosed under Note no. 58.

Ø-1 a	l kof/kd ysk ijh{kldh fVli . kh	i zaku dk mYkj
6	<p>निगम के पास लगभग 20 सालों से भूमि राजस्व व्यय परिशोधन (Amortising) पालिसी है। हमारी राय में, लीज के लिए लेखों पर इंड एस 17 के अनुसार भूमि विकास व्यय, लीज अवधि में परिशोधित किया जाना चाहिए। हालांकि, लीज, पट्टा विलेखों के अभाव में, निगम के लाभ पर राशि का प्रभाव पता लगाने योग्य नहीं है। (टिप्पणी संख्या 20)</p>	<p>इंड एस 17, इस विशेष मुद्दे पर विशिष्ट नहीं है। कम्पनी अपने पिछले अभ्यास के अनुसार 20 साल से अधिक के लिए भूमि राजस्व व्यय को परिशोधित कर रही है।</p>
7	<p>सूरतगढ़ फार्म स्थित भूमि एवं भवन (शूटिंग लॉज) का मोटेशन होना लम्बित है।</p>	<p>मुख्यालय द्वारा सभी इकाईयों को सम्पत्तियों के स्थानांतरण के लिए परिपत्र जारी कर दिए गए हैं। फार्मों के द्वारा शासकीय प्राधिकरणों के साथ कार्य प्रक्रियाधीन है।</p>
8	<p>dEi uh vf/kfu; e] 2013 dh/kjk 143 ½dsrgr funsk] Lora- ysk ijh{kld fjiWZdsl kfk l yXu gA</p> <p>d- (i) निगम (राष्ट्रीय बीज निगम लि) के पास “बीज प्रबंधन” नामक सॉफ्टवेयर हैं। यद्यपि, बीजों की सूची मैनुअल रूप से भी तैयार की जाती हैं और लेखाकंन सॉफ्टवेयरबीज प्रबंधन और मैनुअल रिकोर्डों की सूचियां मेल नहीं खाती हैं। वित्तीय विवरण में सूचियों मैनुअल रिकार्ड के आधार पर रिकार्ड की गई हैं।</p> <p>(ii) मूल्यहास आदि की वर्किंग सहित, अंचल संपत्ति का विवरण प्रधान कार्यालय के साथ-साथ कई क्षेत्रीय कार्यालय पर “एक्सैल फाईलों” में रखा जाता है। ये रिकार्ड उचित प्राधिकरण और लेखा परीक्षण के बिना बदलाव/परिवर्तन के लिए खुले हैं।</p> <p>[k निगम ने भारत सरकार द्वारा दी गई निम्नलिखित “परिक्रामी निधि” (रिवाल्विंग फंडस) के मामले में, निगम ने लम्बे समय से प्राप्त राशि का उपयोग नहीं किया है। इसके अलावा, सरकार के नियमों और शर्तों के अनुसार, निधि को एक अलग बैंक खाते में नहीं रखा गया है:</p>	<p>क. (i) बीज प्रबंधन सॉफ्टवेयर ईआरपी नहीं है। रिलायंस इंवेस्ट्री माड्यूल पर नहीं बना है। तदनुसार, मैनुअल रिकार्ड बनाया गया है और पान इंडिया का अनुसरण किया गया है।</p> <p>(ii) यह केवल लेखा परीक्षकों की धारणा है। इस प्रकार के कोई संशोधन नहीं किए गए हैं।</p>

S. No.	Statutory Auditor's comments	Management Reply
6	The Corporation has a policy of amortizing the Land Revenue Expenditure over 20 year. In our opinion, the Land Development Expenses should be amortized over the period of lease in accordance with Ind AS 17 on Accounting for Leases. However, in absence of Lease deeds, the amount of impact on profit of the Corporation is unascertainable. (Note No.20)	Ind AS 17 is not specific on this particular issue. The Company continues to amortize land revenue expenditure over 20 years as per its past practice.
7.	Mutation of land and building (Shooting lodge) at Suratgarh farm is pending.	Circular for transfer of assets were issued by the Head Office to all the units. The matter is being taken up by the farm with the concerned Government Authorities. Being pursued.
8.	<p>Direction under section 143(5) of the Companies Act, 2013 as an Annexure to the Independent Auditor's Report</p> <p>A. i) The Corporation (National Seeds Corporation Limited) has an accounting software "Beej Prabhandan". However, the inventories of seeds maintained manually also and the inventories as per the accounting software Beej Prabhandan and the manual records do not match. The inventories in the Financial statement is taken as per the manual records.</p> <p>ii) The Fixed assets details including the working of the depreciation etc. are maintained in "Excel files" at the head office as well as many of the regions. These records of open to alteration/change without proper authorization and audit trial.</p> <p>B. In case of the following "Revolving funds" given by the Government of India to the Corporation, the corporation has not utilized the amounts received for a long time. Further, as per the terms and conditions of the Government, the funds have not been kept in a separate bank account:</p>	<p>A. i) Beej Prabandhan software is not an ERP. Reliance is not made on the Inventory Module. Accordingly manual record is maintained and followed PAN India.</p> <p>ii) This is only an assumption by the auditors. No such alteration is made.</p>

Ø-l a ; kt uk dk uk ft l ds fy, fuxe dks fuf/k eg\$ k djokbZxbZgA	31-03-2019 ij 'kjkjk'k ¼-½	vH qa; kW	
1 डीआरजीटी के तहत बीज उत्पादन के लिए पूंजीगत अनुदान	30,00,000 / -	रु.1,50,00,000 / - की राशि वर्ष 1995 में प्राप्त हुई थी तथा शेष राशि एकीकरण पर एसएफसीआई से स्थानांतरित हुई थी जिसका उपयोग नहीं हुआ है। आगे स्वीकृति पत्र के नियमानुसार एक पृथक बैंक खाता खुलवाया जाना था तथा उत्पाद और बिक्री मूल्य को खाते में जमा करने के लिए उपयोग किया जाना था।	क) पुराना मामला होने के नाते उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त/ट्रेस होने पर ही समायोजित किया जा सकता है। ख) भारत सरकार से प्राप्त अनुदान का उपयोग उस उद्देश्य के लिए कड़ाई से किया जाता है जिसके लिए इसे जारी किया जाता है, इसलिए, यह सरकारी अनुदान के उद्देश्य के विरुद्ध नहीं है। लेखा परीक्षा के अनुसार यह अवगत करवाया जाता है कि अप्रयुक्त भाग को अलग से निर्धारित खाते में रखा जाना चाहिए। इसके बजाय कंपनी साल दर साल अभ्यास के अनुसार अपने नकदी जमा खाते में निरंतर अप्रयुक्त निधि को रखता है जो आने व जाने वाली सभी निधियों को रखने के लिए एक सामान्य पूल है। आम पूल के एक हिस्से के बाद, अप्रत्यक्ष हिस्से पर अल्पावधि के लिए अर्जित अप्रत्यक्ष ब्याज का उपयोग सरकार से अवास्ताविक सब्सिडी पर ब्याज हानि का सामना करने के लिए किया जाता है, जिसकी प्राप्ति में सामान्यतः 8-9 महीने लगते हैं। चूंकि अनुदान के कुछ हिस्सों को अग्रिम रूप में जारी किया जाता है, इसलिए यह कंपनी की भी जिम्मेदारी है कि वह प्रभावी रूप से धन का प्रबंध करें, जैसा कि अभीष्ट प्रयोजनों का निष्पादन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।
2 बीज बैंक का ईएसटी, एमटीसीआई के लिए पूंजीगत अनुदान	5,47,17,752 / -	केवल 31.03.2018 पर एक स्थानांतरण प्रविष्टि को छोड़कर वित्तीय वर्ष 2015-16 से कोई उपयोग नहीं है। निर्धारित नियम व शर्तों के अनुसार अलग बैंक खाता खुलवाया गया।	
3 परिक्रामी निधि के लिए पूंजीगत अनुदान	2,07,00,000 / -	वर्ष 2000-01 के दौरान रु.1.47 करोड़ प्राप्त हुए। शेष राशि एकीकरण पर एसएफसीआई से स्थानांतरित हुए। इन निधियों का कोई उपयोग नहीं हुआ।	
4 परिक्रामी निधि के लिए पूंजीगत अनुदान	26,75,000 / -	वर्ष 1995 और 2001 में राशि प्राप्त हुई। कोई उपयोग नहीं। निर्धारित शर्तानुसार इन निधियों के लिए कोई अलग से बैंक खाता नहीं खोला गया।	
5 आस्थगित सरकारी अनुदान केंद्रीय राज्य फार्म (बहराईच)	85,61,484 / -	केन्द्रीय राज्य फार्म 2012 में बंद कर दिया गया था।	

l h vkjvk 2016 ds } jk vi f{kr l e fnukdr vU; fof/kd , oafu; ked vko' ; drkvlaij Lor= yskkijhkd fjiWZds
iSk&l eal nEr vuqakA

पैरा तथ्यों की अभिव्यक्ति है। इसलिए उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

¼dk' kd jf{k½
वरिष्ठ महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

S.No.	Name of the Scheme for which the funds were made available to the Corporation	Amount of balance as on 31.03.2019 (Rs.)	Remarks	
1	Capital Grant Seed Production under DRGT	30,00,000/-	The amount of Rs.1,50,00,000/- was received in the year 1995 and the balance amount tfd from SFCI on merger. There is no utilization. Further as per the terms of the sanction letter a separate bank account was to be maintained and utilized for production and sale proceeds of the product to be credited in the account.	<p>B. a) Being an old case, can only be adjusted once the Utilization Certificate is received/traced.</p> <p>b) Grant received from GOI is strictly utilized for the purpose for which it is released; hence, it is not against the intended objective of Government Grants. As per audit, it is conveyed that the unutilized portion, should have been kept in a separate earmarked Account. Instead the Company as per its year on year practice has consistently kept the unspent grant in its Cash Credit Account which is a common pool for all incoming and outgoing funds. Since a part of the common pool, the indirect interest earned on the unutilized portion for a short period is used to counter the interest loss on unrealized subsidy from Government, which usually takes 8-9 months for realization. Since parts of the grants are released in advance, it is also the responsibility of the Company to effectively manage the funds as the execution of the intended purposes are being carried out in phased manner.</p>
2.	Capital grant for EST, MTCE of Seed Bank	5,47,17,752/-	No utilization since the financial year 2015-16 except for one transfer entry as on 31.03.2018. No separate bank account maintained as per the stipulated terms and conditions.	
3.	Capital Grant for Crash Prog.Rev.Fund	2,07,00,000/-	Rs.1.47 Crores received during the years 2000-01. Balance Rs.0.60 crores tfd from SFCI on merger. No utilization of these funds.	
4.	Cap Grant for Crash Prog Rev.Funds	26,75,000/-	Amount received in the year 1995 and 2001. No utilization. No separate bank as per stipulated conditions has been maintained for these funds.	
5.	Deferred Govt. Grant CSF(Bahraich)	85,61,484/-	The CSF was closed in 2012.	

Annexure A referred to in Paragraph 1 of Independent Auditors' report of even date on other legal and regulatory requirements required a CARO, 2016.

Paras being statement of facts, needs no reply.

(Kaushik Rakshit)
Sr. General Manager (F&A)

ज॒क॒व॒ह॒ च॒ह॒ फ॒उ॒खे॒ फ॒ये॒व॒म॒
31 ए॒प॒॒ 2019 र॒द॒ द॒क॒ र॒गु॒ इ॒ =

¼- yk|ke¼

fooj.k	fVli . kh l a	31&03&2019 dks	31&03&2018 dks
I. i fj l Ei fYk la			
1 x\$ pkywi fj l Ei fYk la			
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3	15,039.72	15,107.55
(ख) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	5	544.01	123.97
(ग) अन्य अगोचर संपत्तियां	4	6.85	6.69
(घ) वाहक पौधों के अलावा अन्य जैविक संपत्तियां	12	4,014.27	4,262.76
(ङ) निवेश संपत्ति	6	1.54	1.57
(च) वित्तीय संपत्तियां			
(i) निवेश	7.1	3,689.66	3,511.66
(ii) अन्य वित्तीय संपत्तियां	8	270.57	233.48
(छ) अन्य गैर वर्तमान संपत्तियां	10	4,315.90	2,839.88
(ज) अस्थगित कर संपत्तियां (निवल)	9	97.75	97.75
2 pkywi fj l Ei fYk la		27,980.27	26,185.31
(क) माल	11	23,173.61	33,026.74
(ख) वाहक पौधों के अलावा अन्य जैविक संपत्तियां	12	7,317.43	5,530.16
(ग) वित्तीय संपत्तियां			
(i) निवेश	7.2	-	-
(ii) व्यापार प्राप्तियां	13	32,126.17	24,587.85
(iii) नकदी एवं नकदी समकक्ष	14	1,859.43	990.10
(iv) उक्त (iii) के अलावा बैंक शेष	15	211.86	413.32
(v) अन्य वित्तीय संपत्तियां	16	27,178.52	23,867.99
(घ) अन्य चालू संपत्तियां	17	3,221.05	2,066.07
(ङ) गैर चालू परिसम्पत्तियां (निवल)	18	5,645.86	4,913.26
clq i fj l Ei fYk la		100,733.93	95,395.49
		128,714.20	121,580.80
II. bfDoVh , oans rk a			
1 bfDoVh			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	19	5,731.99	5,731.99
(ख) अन्य इक्विटी	20	60,047.89	56,589.36
2 ns rk a		65,779.88	62,321.35
(i) गैर चालू देयताएं			
(क) पूंजीगत अनुदान	21	9,585.47	10,864.60
(ख) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	22	78.23	71.28
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	23	3,263.93	4,036.94
(ग) अन्य गैर चालू देयताएं	24	1,121.33	1,107.08
(घ) प्रावधान	25	3,458.60	3,517.37
(ii) pkywms rk a		17,507.56	19,597.27
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	26	918.11	5,094.41
(ii) व्यापार प्रदेय	27		
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया देय		639.13	355.25
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया		25,586.08	20,630.14
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	28	11,038.92	10,467.35
(ख) अन्य चालू देयताएं	29	3,430.66	938.31
(ग) प्रावधान	30	1,763.86	1,776.72
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)	31	2,050.00	400.00
clq bfDoVh , oans rk a		45,426.76	39,662.18
		128,714.20	121,580.80

III. ns|kl g|Xu foYk| foj. hachfVli . kh l d; k1&73

ह० / -
¼ks jkde½
कंपनी सचिव

ह० / -
¼ks|kl jf{kr½
वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त)

ह० / -
¼o- ekgu½
निदेशक (वित्त)
डिन सख्या - 07296539

ह० / -
¼hdxk|½
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डिन सख्या - 03289716

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
di j VMu , M dāuh ds fufeYk
सनदी लेखाकार
एफआरएन-000952सी

ह० / - 06.09.2019
note Lo: i ek|q
साझेदार
सदस्यता सं : 082570

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 अगस्त, 2019

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Balance Sheet as at 31st March 2019

(₹ in lakhs)

Particulars	Note No.	As at 31st March 2019		As at 31st March 2018	
I. ASSETS					
1 Non-current assets					
(a) Property, Plant and equipment	3	15,039.72		15,107.55	
(b) Capital work-in-progress	5	544.01		123.97	
(c) Other Intangible assets	4	6.85		6.69	
(d) Biological Assets other than bearer plants	12	4,014.27		4,262.76	
(e) Investment Property	6	1.54		1.57	
(f) Financial Assets					
(i) Investment	7.1	3,689.66		3,511.66	
(ii) Other financial assets	8	270.57		233.48	
(g) Deferred Tax Assets (Net)	10	4,315.90		2,839.88	
(h) Other non-current assets	9	97.75	27,980.27	97.75	26,185.31
2 Current assets					
(a) Inventories	11	23,173.61		33,026.74	
(b) Biological Assets other than bearer plants	12	7,317.43		5,530.16	
(c) Financial Assets					
(i) Investment	7.2	-		-	
(ii) Trade Receivables	13	32,126.17		24,587.85	
(iii) Cash and cash equivalents	14	1,859.43		990.10	
(iv) Bank Balances other than (iii) above	15	211.86		413.32	
(v) Other financial assets	16	27,178.52		23,867.99	
(d) Current Tax Assets (Net)	17	3,221.05		2,066.07	
(e) Other current assets	18	5,645.86	100,733.93	4,913.26	95,395.49
Total Assets			128,714.20		121,580.80
II. EQUITY AND LIABILITIES					
1 Equity					
(a) Equity Share Capital	19	5,731.99		5,731.99	
(b) Other Equity	20	60,047.89	65,779.88	56,589.36	62,321.35
2 Liabilities					
(i) Non-current liabilities					
a) Capital Grant	21	9,585.47		10,864.60	
b) Financial Liabilities					
(i) Borrowings	22	78.23		71.28	
(ii) Other financial liabilities	23	3,263.93		4,036.94	
c) Other Non-Current Liabilities	24	1,121.33		1,107.08	
d) Provisions	25	3,458.60	17,507.56	3,517.37	19,597.27
(ii) Current liabilities					
(a) Financial Liabilities					
(i) Borrowings	26	918.11		5,094.41	
(ii) Trade payables	27				
Total outstanding dues of Micro and Small Enterprises		639.13		355.25	
Total outstanding dues of creditors other than Micro and Small Enterprises		25,586.08		20,630.14	
(iii) Other financial liabilities	28	11,038.92		10,467.35	
(b) Other Current Liabilities	29	3,430.66		938.31	
(c) Provisions	30	1,763.86		1,776.72	
(d) Current Tax Liabilities (Net)	31	2,050.00	45,426.76	400.00	39,662.18
TOTAL Equity and Liabilities			128,714.20		121,580.80

III. See accompanying notes to the financial statements 1 to 73

Sd/-
Mohd. Raquim
Company Secretary

Sd/-
Kaushik Rakshit
SGM(F&A)

Sd/-
V. Mohan
Director (Finance)
DIN - 07296539

Sd/-
V.K.Gaur
Chairman-cum-Managing Director
DIN- 03289716

As per our report of even date

For Kapoor Tandon & Co.
Chartered Accountants
Firm's Registration No. : 000952C

Sd/- 06.09-2019
DEVENDRA SWAROOP MATHUR
Partner
Membership No. 082570

Place : New Delhi
Dated : 31st August, 2019



31 ekpZ 2019 dks l ekr o"lZdk ykHk gfu dk fooj.k

#- yk[keaz

fooj.k	fVii . kh l d; k	31&03&2019 dks l ekr o"lZdsvkldM\$	31&03&2018 dks l ekr o"lZdsvkldM\$
I. jkt Lo परिचालन से राजस्व	32	115,850.42	81,584.04
II. अन्य आय	33	2,221.23	2,570.94
III. dgy jkt Lo % S II½		118,071.65	84,154.98
IV. Q ; उपयोग की गई सामग्रियों की लागत	34	3,073.80	2,661.92
व्यापारगत माल की खरीद	35	70,255.96	72,172.36
जैविक सम्पत्तियां एवं तैयार माल, व्यापारगत माल एवं कार्य प्रगति में परिवर्तन	36	8,862.90	(18,356.55)
कर्मचारी प्रसुविधाएं व्यय	37	13,461.38	14,077.07
वित्त लागत	38	581.45	445.50
मूल्याह्रास एवं परिशोधन व्यय	39	1,841.90	1,852.35
अन्य व्यय	40	15,530.04	9,801.52
dgy Q ; %W½		113,607.43	82,654.17
V. विशिष्ट मदों एवं कर से पूर्व लाभ/हानि %II&IV½		4,464.22	1,500.81
VI. विशिष्ट मदें(आय/व्यय)	41	315.68	1,536.20
VII. dj iwZyHk@%lfu %W-VI)		4,779.90	3,037.01
VIII. dj Q ; (1) वर्तमान कर - वर्ष के दौरान - पिछले वर्षों के लिए (निवल) (2) अस्थगित कर (निवल) कुल कर व्यय (VIII)		2,050.00 145.48 (1,547.51)	400.00 - 139.51
IX. निरंतर परिचालन अवधि हेतु लाभ/(हानि) (VII-VIII)		647.97	539.51
X. बंद परिचालन से लाभ/(हानि)		4,131.93	2,497.50
XI. बंद परिचालन से कर व्यय		-	-
XII. बंद परिचालन से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (X-XI)		-	-
XIII. अवधि के लिए लाभ/(हानि) (XI-XII)		4,131.93	2,497.50
XIV. vU Q ki d vk क. मदें जो लाभ/हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं होंगे - परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनः आकलन हानियां आयकर प्रभाव - इविचटी साधन में पुनः आकलन निवेश आयकर प्रभाव ख. मदें जो लाभ/हानि में पुनः वर्गीकृत होंगी आयकर प्रभाव vof/kdsfy, dgy Q ki d vk (XIII+XIV) %of/k dsfy, Q ki d yHk, oavU Q ki d vk ½	42	107.32 (35.91) 178.00 (35.60)	(511.45) 178.72 574.28 (114.86)
		213.81	126.69
		4,345.74	2,624.19
XV. प्रति इविचटी शेयर उपाार्जन (जारी परिचालन से) (1) बेसिक (अंकित मूल्य रु. 1000/-) (2) डिल्यूटिड (अंकित मूल्य रु. 1000/-)	43	720.85 720.85	435.71 435.71
XVI. प्रति इविचटी शेयर उपाार्जन (बंद परिचालन से) (1) बेसिक (₹) (2) डिल्यूटिड (₹)		- -	- -
XVII. प्रति इविचटी शेयर उपाार्जन (जारी एवं बंद परिचालन से) (1) बेसिक (अंकित मूल्य रु. 1000/-) (2) डिल्यूटिड (अंकित मूल्य रु. 1000/-) ns lkl yXu foYkt fooj.k %chfVli . hkl d; k1&73	43	720.85 720.85	435.71 435.71

ह0/-
%ks jkde½
कंपनी सचिव

ह0/-
%kK kl jf{k½
वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त)

ह0/-
%o- elgu½
निदेशक (वित्त)
डिन संख्या - 07296539

ह0/-
%hdsxkM½
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डिन संख्या - 03289716

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
djy VMu , M da uh ds fufeYk
सनदी लेखाकार
एफआरएन-000952सी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 अगस्त, 2019

ह0/- 06.09.2019
note Lo: i ekHj
साझेदार
सदस्यता सं : 082570

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Statement of Profit and Loss for Year ended 31st March 2019

(₹ in lakhs)

Particulars	Note No.	For the year ended 31st March 2019	For the year ended 31st March 2018
Revenue :			
I. Revenue from operations	32	115,850.42	81,584.04
II. Other income	33	2,221.23	2,570.94
III. Total Income (I + II)		118,071.65	84,154.98
Expenses:			
IV. Cost of materials consumed	34	3,073.80	2,661.92
Purchases of Stock -In-Trade	35	70,255.96	72,172.36
Changes in biological assets and inventories of finished goods, Stock-in -Trade and work-in-progress	36	8,862.90	(18,356.55)
Employee benefits expense	37	13,461.38	14,077.07
Finance Costs	38	581.45	445.50
Depreciation and amortization expenses	39	1,841.90	1,852.35
Other Expenses	40	15,530.04	9,801.52
Total Expenses (IV)		113,607.43	82,654.17
V. Profit/loss Before exceptional items and Tax (III-IV)		4,464.22	1,500.81
VI. Exceptional items (Income/(Expense))	41	315.68	1,536.20
VII. Profit/(Loss) before tax (V+VI)		4,779.90	3,037.01
VIII. Tax expense:			
(1) Current tax			
- For the year		2,050.00	400.00
- For earlier years (net)		145.48	-
(2) Deferred tax (net)		(1,547.51)	139.51
Total Tax Expense (VIII)		647.97	539.51
IX. Profit/(loss) for the period from continuing operation (VII - VIII)		4,131.93	2,497.50
X. Profit/(loss) from discontinued operations		-	-
XI. Tax Expense of discontinued operations		-	-
XII. Profit/(loss) from discontinued operations (after tax) (X-XI)		-	-
XIII. Profit/(loss) for the period (IX+XII)		4,131.93	2,497.50
XIV. Other Comprehensive Income			
A. Items that will not be reclassified to profit and loss	42		
- Re-measurement losses on defined benefit plans		107.32	(511.45)
Income Tax effect		(35.91)	178.72
- Re-measurement investment in equity instruments		178.00	574.28
Income Tax effect		(35.60)	(114.86)
B. Items that will be reclassified to profit and loss			
Income Tax effect			
Total Comprehensive Income for the period (XIII+XIV)		213.81	126.69
(Comprehensive profit and other comprehensive income for the period)		4,345.74	2,624.19
XV. Earnings Per Equity Share: (For continuing Operation)			
(1) Basic (Face Value Rs. 1000)(in ₹)	43	720.85	435.71
(2) Diluted (Face Value Rs. 1000) (in ₹)		720.85	435.71
XVI. Earnings Per Equity Share: (For discontinuing Operation)			
(1) Basic (in ₹)		-	-
(2) Diluted (in ₹)		-	-
XVII. Earnings Per Equity Share:(For discontinued and continuing Operation)			
(1) Basic (Face Value Rs. 1000)(in ₹)	43	720.85	435.71
(2) Diluted (Face Value Rs. 1000) (in ₹)		720.85	435.71
See accompanying notes to the financial statements 1 to 73			

Sd/-
Mohd. Raquim
Company Secretary

Sd/-
Kaushik Rakshit
SGM(F&A)

Sd/-
V. Mohan
Director (Finance)
DIN - 07296539

Sd/-
V.K.Gaur
Chairman-cum-Managing Director
DIN- 03289716

As per our report of even date

For Kapoor Tandon & Co.
Chartered Accountants
Firm's Registration No. : 000952C

Sd/- 06.09.2019
DEVENDRA SWAROOP MATHUR
Partner
Membership No. 082570

Place : New Delhi
Dated : 31st August, 2019



31 ekp 2019 dks l ekR o"Zdk udnh çolg foj . k

¼- yk[keaz

foj . k		31&03&2019 dks l ekR o"Zdk udnh	31&03&2018 dks l ekR o"Zdk udnh
d- ifjplyu xfrfof/k lal sudnh i nlg वर्ष के लिए लाभ dsfy, lek kt u % मूल्यहास व्याज आय लाभांश आय आयकर व्यय पूजीगत अनुदान के लिए समायोजन भूमि विकास व्यय एवं रोपण फसल बट्टा खाता सेवानिवृत्त कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान स्थायी सम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ वित्त लागत म्युचुअल निधि में शुद्ध लाभ ifjplyu ifj l Eiflk l, oans rkvlaeifjorzi iwZifjplyu ylk dsfy, lek kt u % जैविक सम्पत्तियों में कमी / (वृद्धि) माल में कमी / (वृद्धि) व्यापार एवं अन्य प्राप्य में कमी / (वृद्धि) अन्य सम्पत्तियों में कमी / (वृद्धि) व्यापार प्रदेय एवं अन्य प्रदेय में (कमी / वृद्धि) प्रावधान में (कमी / वृद्धि) परिभाषित लाभ योजना के पुनः मूल्यांकन का प्रभाव-ओसीआई अन्य देयताओं में (कमी / वृद्धि)	(1)	4,131.93 1,841.90 (22.99) (33.65) 647.97 (1,279.13) 29.25 12.26 (15.68) 581.45 (0.07) 5,893.24	2,497.50 - 1,852.35 (77.45) (67.06) 539.51 (628.77) 9.83 5.40 (13.15) 445.50 (33.59) 4,530.07
ifjplyu lsvr udnh सेवानिवृत्ति चिकित्सा प्रीमियम प्रदत्त आयकर का भुगतान परिचालन गतिविधियों से कुल नकदी ¼k%fuosk xfrfof/k lal sudnh i nlg सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एवं अन्य अगोचर संपत्तियों की बिक्री / निपटान मूल्यहास सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एवं अन्य अगोचर संपत्तियों की खरीद प्रगतिशील पूजीगत कार्य व्याज प्राप्य लाभांश आय निवेश के मूल्य में निवल लाभ निवश के मूल्य में परिवर्तन fuosk xfrfof/k laeiz lk dhxbZfuoy udnh ¼k%foYk lsk k xfrfof/k lal sudnh i nlg लाभांश का भुगतान (लाभांश पर कर सहित) वित्त लागत उधार / (वापसी) foYk lsk k xfrfof/k lal smi kE r fuoy udnh udnh, oaudnh r; : eafuoy o r f) @¼deh¼¼dS [kSx¼ वर्ष के प्रारम्भ में नकदी एवं नकदीतुल्य वर्ष के अन्त में नकदी एवं नकदीतुल्य udnh, oaudnh r; : dk feylu % हाथ में नकदी एवं नकदीतुल्य बैंकों में शेष - चालू खाते में - हाथ में चेक, डिमांड ड्राफ्ट एवं स्टैम्प - 3 माह से कम के मूल परिपक्वता जमा - प्रत्याभूत नकद क्रेडिट / एसटीएल ryu i= dsvuq kj udn , oa' lsk udnh	(2) (1+2)	107.32 2,506.60 4,477.94 10,371.18 (25.42) (1,700.46) 8,645.30 36.52 (1,795.06) (420.04) 22.99 33.65 0.07 - (2,121.87) (903.30) (581.45) (4,993.05) (6,477.80) 45.63 895.69 941.32 0.35 1,255.18 3.90 600.00 (918.11) 941.32	(19,384.34) (14,854.27) (22.77) (1,515.40) (16,392.44) 15.37 (2,359.05) 381.29 77.45 67.06 33.58 3,499.66 1,715.36 - (1,448.02) (445.50) 5,006.67 3,113.15 (11,563.93) 12,459.62 895.69 - 989.69 - - (94.41) 895.69

fVHi . lh %

- आईसीएआई द्वारा नकदी प्रवाह विवरण पर जारी लेखा मानक 7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के तहत नकदी प्रवाह विवरण तैयार किया गया है।
- पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुष्टि के लिए पुनः वर्गीकृत / पुनर्मूल्यांकन किया गया है और वर्तमान वर्ष के साथ तुलनीय बनाया गया है।

ह0 / -
¼els jkde½
कंपनी सचिव

ह0 / -
¼elk' kcl jfk½
वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त)

ह0 / -
¼o- ekgu½
निदेशक (वित्त)
डिन संख्या - 07296539

ह0 / -
¼hcdsxl¼
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डिन संख्या - 03289716

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
diy Vku , M dduh ds fufeYk
सनदी लेखाकार
एफआरएन-000952सी

ह0 / - 06.09.2019
notte Lo: i ekfj
साझेदार
सदस्यता सं : 082570

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 अगस्त, 2019

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Statement of Cash flow for the Year ended 31st March 2019

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2019	For the year ended 31st March 2018
A. Cash Flow from Operating Activities		
Profit for the year	4,131.93	2,497.50
Adjustments for :-		
Depreciation	1,841.90	1,852.35
Interest income	(22.99)	(77.45)
Dividend income	(33.65)	(67.06)
Income Tax expense	647.97	539.51
Adjustments to Capital Grant	(1,279.13)	(628.77)
Land Development Expenses and Plantation crop written off	29.25	9.83
Subscription received from retired employees	12.26	5.40
Profit on Sale of Fixed Assets	(15.68)	(13.15)
Finance Cost	581.45	445.50
Net Gain in Mutual Fund	(0.07)	(33.59)
Operating Profit before changes in operating assets & liabilities	(1) 5,893.24	4,530.07
Adjustments for :-		
Decrease / (Increase) in Biological Assets	(1,538.78)	(1,676.35)
Decrease / (Increase) in Inventories	9,853.13	(15,801.89)
Decrease/ (Increase) in Trade & Other Receivables	(10,885.94)	(8,306.74)
Decrease/ (Increase) in Other assets	(531.14)	3,179.47
(Decrease) / Increase in trade payables & Other payables	5,038.38	7,999.80
(Decrease) / Increase in provisions	(71.63)	(1,415.29)
Effect of Remeasurement of Defined benefits Plan - OCI	107.32	(511.45)
(Decrease) / Increase in Other liabilities	2,506.60	(2,851.89)
Cash generated from operation	(2) 4,477.94	(19,384.34)
Retired medical premium paid	(25.42)	(22.77)
Income Tax Paid	(1,700.46)	(1,515.40)
Total Cash generated from Operating Activities	(1+2) 8,645.30	(16,392.44)
B. Cash Flow From Investing Activities		
Sale/Disposal of Property, plant and equipment's & Other intangible assets	36.52	15.37
Depreciation		
Purchase of Property, plant and equipment's & Other intangible assets	(1,795.06)	(2,359.05)
Capital Work-in-progress	(420.04)	381.29
Interest Receivable	22.99	77.45
Dividend income	33.65	67.06
Net Gain in Value of Investment	0.07	33.58
Changes in value of investment	-	3,499.66
Net Cash used in Investing Activities	(2,121.87)	1,715.36
C. Cash Flow From Financing Activities		
Dividend Paid (including Tax on Dividend)	(903.30)	(1,448.02)
Finance Cost	(581.45)	(445.50)
Borrowings/(Repayment) of Loans	(4,993.05)	5,006.67
Net Cash generated from Financing Activities	(6,477.80)	3,113.15
Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)	45.63	(11,563.93)
Opening Cash & Cash Equivalents	895.69	12,459.62
Closing Cash & Cash Equivalents	941.32	895.69
Reconciliation of Cash & Cash Equivalents		
Cash and Cash Equivalent Comprises of		
Cash on hand	0.35	0.41
Balances with banks:		
– On current accounts	1,255.18	989.69
– Cheques, drafts and stamps on hand	3.90	-
– Deposits with original maturity of less than three months	600.00	-
– Secured, Cash Credit/STL	(918.11)	(94.41)
Cash and Cash Balances as per Balance Sheet	941.32	895.69

Notes:-

- The Statement of Cash Flow has been prepared under the Indirect method as set out in Ind AS-7 on Cash Flow Statement issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
- Previous year's figures are reclassified/regrouped to confirm and make them comparable with those of the current year.

Sd/-
Mohd. Raquim
Company Secretary

Sd/-
Kaushik Rakshit
SGM(F&A)

Sd/-
V. Mohan
Director (Finance)
DIN - 07296539

Sd/-
V.K.Gaur
Chairman-cum-Managing Director
DIN- 03289716

As per our report of even date

For Kapoor Tandon & Co.
Chartered Accountants
Firm's Registration No. : 000952C

Sd/- 06.09.2019
DEVENDRA SWAROOP MATHUR
Partner
Membership No. 082570

Place : New Delhi
Dated : 31st August, 2019



31-03-2019 dks l ekr o'kZ ds fy, bfDoVh esa ifjorZ dk fooj.k

d- bfDoVh 'ks j i w h

¼- yk[ke

	'ks j l d h l ; k	j k' k
1 vi ½] 2017 dks 'ksk	573,199	5,731.99
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31 ekr 2018 dks 'ksk	573,199	5,731.99
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में ifjorZ	-	-
31 ekr 2019 dks 'ksk	573,199	5,731.99

[k vU; bfDoVh

(रु. लाख में)

fooj.k	vU; f{kr , oavf/k'ksk				vU; Q ki d vk; dsek'; e l s_ .k l kku	vU; Q ki d vk; ds ek'; e l sbfDoVh l kku	vU; Q ki d vk; dhvU; ena	dy
	[kpZu dh xbZ l h l vU; f{kr	l o'kuo'k de'pjh dY; k k vU; f{kr	Hfe fodkl vU; f{kr	i fr/krj dekbZ				
31 ekr 2017 dks 'ksk	340.99	122.30	353.19	52,787.90	-	1,816.35	-	55,420.73
लेखा नीति अथवा पूर्वावधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-
1 vi ½] 2017 dsi kj HkesfQj l s crkusl s'ksk j k' k	340.99	122.30	353.19	52,787.90	-	1,816.35	-	55,420.73
बोनस शेयर जारी	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	2,497.50	-	-	-	2,497.50
लाभांश एवं लाभांश वितरण कर	-	-	-	(1,448.02)	-	-	-	(1,448.02)
अन्य व्यापक आय (कर का निवल)	-	-	-	(332.74)	-	459.43	-	126.69
प्रतिधारित कमाई से/को स्थानांतरण	14.66	-	-	(14.66)	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी) (निवल)	-	(17.37)	9.83	-	-	-	-	(7.54)
31 ekr 2018 dks 'ksk	355.65	104.93	363.02	53,489.98	-	2,275.78	-	56,589.36
लेखा नीति अथवा पूर्वावधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-
31 ekr 2018 dsi %o/kr 'ksk	355.65	104.93	363.02	53,489.98	-	2,275.78	-	56,589.36
बोनस शेयर जारी	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	4,131.93	-	-	-	4,131.93
लाभांश एवं लाभांश वितरण कर	-	-	-	(903.30)	-	-	-	(903.30)
अन्य व्यापक आय (कर का निवल)	-	-	-	71.41	-	142.40	-	213.81
प्रतिधारित कमाई से/को स्थानांतरण	(25.57)	-	-	25.57	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी) (निवल)	-	(13.16)	29.25	-	-	-	-	16.09
31 ekr 2019 dks 'ksk	330.08	91.77	392.27	56,815.59	-	2,418.18	-	60,047.89

ह0/-
%ks j k' de ½
कंपनी सचिव

ह0/-
%k'ks' kcl j f{kr ½
वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त)

ह0/-
%o- ekr ½
निदेशक (वित्त)
डिन संख्या - 07296539

ह0/-
%hdsx'ks ½
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डिन संख्या - 03289716

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
diy Vku , M da uh ds fufeYk
सनदी लेखाकार
एफआरएन-000952सी

ह0/- 06.09.2019
note lo: i ekr j
साझेदार
सदस्यता सं : 082570

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 अगस्त, 2019



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Statement of Changes in equity for the period ended 31st March 2019

A. Equity share capital

(₹ in lakhs)

	No. of Shares	Amount
Balance at 1st April 2017	573,199	5,731.99
Changes in equity share capital during the year		-
Balance as on 31st March 2018	573,199	5,731.99
Changes in equity share capital during the year	-	-
Balance as on 31st March 2019	573,199	5,731.99

B. Other Equity

(₹ in lakhs)

Particulars	Reserve & Surplus				Debt instruments through other comprehensive income	Equity Instruments through other comprehensive Income	Other items of Other comprehensive Income (specify nature)	Total
	Unspent CSR Reserve	Retired Employees Welfare Reserve	Land Development Reserve	Retained Earnings				
Balance as at 31st March 2017	340.99	122.30	353.19	52,787.90	-	1,816.35	-	55,420.73
Changes in accounting policy or prior period errors	-	-	-	-	-	-	-	-
Restated balance at the beginning of 1st April 2017	340.99	122.30	353.19	52,787.90	-	1,816.35	-	55,420.73
Bonus Shares Issued	-	-	-	-				-
Profit for the year	-	-	-	2,497.50				2,497.50
Dividends and Dividend Distribution Tax	-	-	-	(1,448.02)				(1,448.02)
Other Comprehensive Income (Net of Tax)	-	-	-	(332.74)		459.43		126.69
Transfer to/from retained earning	14.66	-	-	(14.66)				-
Addition/ (deletion) during the year (Net)	-	(17.37)	9.83					(7.54)
Balance as on 31st March 2018	355.65	104.93	363.02	53,489.98	-	2,275.78	-	56,589.36
Changes in accounting policy or prior period errors	-	-	-	-	-	-	-	-
Restated balance as at 31st March 2018	355.65	104.93	363.02	53,489.98	-	2,275.78	-	56,589.36
Bonus Shares Issued	-	-	-	-				-
Profit for the year	-	-	-	4,131.93				4,131.93
Dividends and Dividend Distribution Tax	-	-	-	(903.30)				(903.30)
Other Comprehensive Income (Net of Tax)	-	-	-	71.41		142.40		213.81
Transfer to/from retained earning	(25.57)	-	-	25.57				-
Addition/ (deletion) during the year (Net)	-	(13.16)	29.25					16.09
Balance as on 31st March 2019	330.08	91.77	392.27	56,815.59	-	2,418.18	-	60,047.89

Sd/-
Mohd. Raquim
 Company Secretary

Sd/-
Kaushik Rakshit
 SGM(F&A)

Sd/-
V. Mohan
 Director (Finance)
 DIN - 07296539

Sd/-
V.K.Gaur
 Chairman-cum-Managing Director
 DIN- 03289716

As per our report of even date

For Kapoor Tandon & Co.
 Chartered Accountants
 Firm's Registration No. : 000952C

Sd/- 06.09.2019
DEVENDRA SWAROOP MATHUR
 Partner
 Membership No. 082570

Place : New Delhi
 Dated : 31st August, 2019

ज॒क॒व॒ह॒ च॒ह॒ फ॒खे॒ फ॒ये॒व॒म॒

31 ए॒प॒र॒ 2019 द॒क॒ल॒ ए॒क॒र॒ ०"॒क॒ध॒ फो॒व॒ह॒, फो॒ज॒.॒क॒ी॒ ज॒ व॒ल॒ि॒.॒क॒ क॒

1- फ॒खे॒र॒ इ॒फ॒ज॒;

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (एनएससी) की स्थापना आधारीय एवं प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए 19 मार्च, 1963 में भारत में अधिवासित एवं निगमित एक सार्वजनिक उपक्रम है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम है। यह अनुसूची 'बी'—मिनीरत्न, श्रेणी—I कंपनी है।

वर्ष 1974 में राष्ट्रीय बीज परियोजना (एनएसपी) के शुभारंभ के साथ ही, देश में बीज उद्योग के समुचित विकास में मुख्य भूमिका निभाने की जिम्मेदारी एनएससी को सौंपी गई थी। यह अपने फार्मों और अपने पंजीकृत बीज उत्पादकों के माध्यम से 60 फसलों की लगभग 600 किस्मों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन कार्य करता है। पूरे देश में लगभग 8000 पंजीकृत बीज उत्पादक हैं जो विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में बीज उत्पादन करता है।

देश भर में विविध कृषि पारिस्थितिक परिस्थितियों की मांगों को पूरा करने के लिए एन.एस.सी. के पास 08 फार्म, 10 क्षेत्रीय कार्यालय, 65 प्रक्षेत्र कार्यालय, 44 बीज विधायन संयंत्र, 07 वातानुकूलित बीज भंडारण सुविधाएं, 2 सब्जी पैकिंग केन्द्र, 04 बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं, और 01 डीएनए फिंगर प्रिंटिंग प्रयोगशाला है। एन.एस.सी गुणवत्ता बीजों के उत्पादन व वितरण के अलावा केले आदि के टिशू कल्चर पौधों के उत्पादन से भी जुड़ा है। यह अपने फार्मों के बगीचों से फलों की फसलों की रोपाई/पौधे की आपूर्ति भी करता है। बीज विपणन का कार्य पांच चैनलों अर्थात् डीलरों/वितरकों, सरकार (राज्य/केन्द्र), राज्य बीज निगमों, कृषि मेलों/प्रदर्शनियों और स्वयं के बीज बिक्री केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। निगम के लगभग 3331 डीलर हैं। जिनका बिक्री कारोबार में 50% से भी अधिक का योगदान है।

एन.एस.सी. भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) और बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच) के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह राज्य बीज निगमों सहित बीज उत्पादक एजेन्सियों के बीज उत्पादन में कार्यरत कर्मिकों को बीज प्रशिक्षण प्रदान करके तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। एन.एस.सी., निजी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में प्रसंस्करण संयंत्रों एवं भंडारण गोदामों की स्थापना के लिए अवसंरचना सुविधाएं सृजित करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के कार्यान्वयन हेतु एक नोडल एजेन्सी है। निगम, भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है तथा इसका पंजीकृत कार्यालय बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली 110012 में स्थित है।

2- ए॒ग॒र॒ी॒ व॒क॒य॒क॒ उ॒ल॒र॒

2-1 य॒क॒ क॒दु॒ द॒क॒ व॒क॒/क॒

d½ वु॒क॒यु॒ द॒क॒ फो॒ज॒.॒क॒

वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड एस) एव उसके बाद जारी किए किए प्रासंगिक संशोधित नियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 का अनुपालन करते हैं। अधिनियम की अनुसूची—III में निर्धारित निर्देशानुसार, जहां भी लागू है, सभी परिसंपत्तियों एवं देयताओं को चालू अथवा गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

[k½ ए॒की॒ उ॒ द॒क॒ व॒क॒/क॒

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत सिद्धान्त के तहत व प्रोद्वन के आधार पर तैयार किया गया है, सिवाय टिप्पणी संख्या 46 में उल्लिखित मदों को छोड़ कर।

x½ वु॒क॒ ०॒ फु॒.॒क॒ द॒क॒ मि॒; क॒

इंड एस के अनुरूप वित्तीय वक्तव्यों की तैयार के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के आवेदन को प्रभावित करते हैं और वित्तीय विवरणों और आय एवं व्यय की रिपोर्ट की राशि पर संपत्ति, देनदारियों, आकस्मिक संपत्ति और देनदारियों का खुलासे की सूचना दी जाती है। ऐसे अनुमानों के उदाहरणों में कर्मचारी सेवानिवृत्त लाभ योजनाएं, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवन, कर्मचारी लाभ खर्च, प्रावधान, जैविक संपत्ति का मूल्यांकन आदि के तहत भविष्य के दायित्वों में शामिल हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

1. Corporate Information

National Seeds Corporation Limited (NSC) is a public limited company domiciled and incorporated in India on 19th March 1963 to undertake production of foundation and certified seeds. It is wholly owned by Government of India under the administrative control of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. It is a Schedule 'B'-Miniratna Category-I Company.

With the launching of the National Seed Project (NSP) in 1974, NSC was assigned the lead role to develop the seed industry in the country on sound lines. It undertakes production of certified seeds of nearly 600 varieties of 60 crops through its own farms and registered seed grower's There are 8 Farms and about 8,000 registered seed growers all over the country who are undertaking the seed production programmes in different agro-climatic conditions.

NSC has 10 Regional Offices, 65 Area Offices, 44 Seed processing plants, 7 Air-conditioned seed storage facilities, 2 vegetable seed packing centres, 4 seed testing labs and one DNA finger printing lab to meet the demands of diverse agro ecological situations across the country. Besides production and distribution of quality seeds, NSC is also involved in the production of Tissue Culture Plants like banana. It also undertakes supply of seedlings/saplings of fruits crops from Elite proprietary orchards being maintained at farms. Seed marketing is carried out through five channels namely sale through dealers/distributors, Government (State/Central) state seed corporation, kisan melas/exhibitions and through its own sales counters. There are about 3331 dealers of the Corporation who account for more than 50% of the sales turn over.

NSC plays a key role in the implementation of various schemes of the Government of India like, "National Food Security Mission (NFSM)" and "Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH)". It also provides technical support to the seed producing agencies including State Seed Corporations by imparting training of personnel engaged in the production of seeds in that organization. NSC is the nodal agency for the implementation of the Central Sector Scheme to create infrastructure facilities for establishment of processing plants and storage godowns in different states in the private sector. The company was registered under the Indian Companies Act, 1956 and the registered office of the company is located at Beej Bhavan Pusa Complex, New Delhi 110012

2. Significant Accounting policy

2.1 Basis of Preparation

a) Statement of Compliance

The financial statements have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendment rules issued thereafter.

The financial statements adhere to the relevant presentational requirement of the Companies Act 2013. All assets and liabilities are classified as current or non-current, wherever applicable as per the guidance as set out in schedule III to the Act.

b) Basis of Measurement

The financial statements have been prepared under the historical cost convention and on an accrual basis, except for the items (Refer note 46).

c) Use of estimates and judgment

The preparation of financial statements in conformity with Ind AS requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, disclosure of contingent assets and liabilities at the date of financial statements and the reported amount of income and expenses. Examples of such estimates includes future obligations under employee retirement benefit plans and estimated useful life of property, plant and equipment, Employee benefit expenses, provisions, valuation of biological assets etc. actual results may differ from these estimates.

जकवत, चत फुखे फयेवम 31 एप्रै 2019 दसल एकर ओलडह फोवत, फोज. कौज फलि. क ला

समय-समय पर अनुमान और अंतर्निहित धारणाओं की समीक्षा की जाती है। इन परिणामों में परिवर्तन और वास्तविक परिणाम के बीच अंतर के कारण भविष्य के परिणाम भिन्न हो सकते हैं और अनुमान उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें परिणाम ज्ञात या कार्यान्वित होते हैं।

1/2 सभी वित्तीय जानकारी, भारतीय रुपये में प्रस्तुत की गई है और सभी मूल्यों को निकटतम लाख में गिना जाता है, जहां अन्यथा कहा गया है।

2-2- एगबि वड्यु क उलर; कडक ल ककल

1/2 उदन्ह इ नलग दक फोज. क

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके प्रतिवेदित किया जाता है, जिससे कर पूर्व लाभ/(हानि) का गैर-नकदी प्रकृति के लेनेदेन और पिछले या भविष्य की नकदी प्राप्ति या भुगतान के किसी भी अवहेलना या अभिवृद्धि के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर निगम की परिचालन, निवेश और वित्त पोषण गतिविधियों के नकदी प्रवाह को पृथक हो जाता है।

नकदी प्रवाह के विवरणों के प्रयोजनों हेतु, नकद और हस्तांतरित रोकड़ सहित नकद समतुल्य, बैंकों पर नकद और बैंकों में डिमांड ड्राफ्ट (DD), मांग पर चुकौती के निवल बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट्स, निगम की नकदी प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा माने जाते हैं।

इंडएस-7 में संशोधन:

कंपनी ने इंड एस-7 के संशोधन को अपनाया जिसके लिए संस्थाओं को खुलासा करने की आवश्यकता है। जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्त पोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है जिसमें नकदी प्रवाह और गैर नकदी परिवर्तन, प्रकटीकरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, वित्त पोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए तुलनपत्र में प्रारंभिक एवं अंतिम शेष के बीच मिलान करने का सुझाव देते हैं। संशोधन को अपनाने में वित्तीय विवरणों में कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

1/2 दक कड वड इत वडकु एक

वित्तीय विवरणों को भारतीय रू (आईएनआर) में प्रस्तुत किया जाता है, जो निगम की प्रजेंटेशन मुद्रा के साथ-साथ कार्यात्मक भी है।

i) 1/2 विदेशी मुद्रा में लेनदेन प्रभावित होने पर प्रचलित विनिमय दर पर रिकार्ड में लिया जाता है। विदेशी मुद्रा लेनदेन के निपटान पर उत्पन्न विनिमय अंतर लाभ एवं हानि विवरणों में अभिज्ञात (recognized) हैं।

ii) 1/2 विदेशी मुद्रा में अंकित मदों को पुनः वर्णित किया जाता है और तुलन पत्र की तारीख में प्रचलित विनिमय दर पर उपयोग करके भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जाता है और परिणामी विनिमय अन्तर को लाभ और हानि के विवरण में अभिज्ञात किया जाता है।

1/2 1 अफैल ला वड मि दज. क

1- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को इसकी लागत से कम बताया गया है जिसमें मूल्यहास/परिशोधन तथा क्षति यदि कोई हो, को घटाया गया है।

2- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद के लागत में शामिल हैं:

क) व्यापार छूट एवं छूट के बाद आयात शुल्क और गैर वापसी योग्य खरीद करों सहित इसकी खरीद मूल्य।

ख) प्रबंधन द्वारा लक्षित तरीके से परिचालन करने के लिए आवश्यक स्थान एवं स्थिति में संपत्ति लाने के लिए सीधे ही कोई भी लागत जिम्मेदार है।

ग) वस्तु का प्रारंभिक अनुमान मद को हटाने और स्थान को बहाल करने के लिए जिस पर वह स्थित है, वह दायित्व जिसके लिए कोई इकाई किसी वस्तु के दौरान या मद के प्राप्त होने पर अथवा अवधि के दौरान मद के प्रयोग के माल सूची तैयार करने के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए भी एक विशेष अवधि होती है।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Estimates and underlying assumptions are reviewed on a periodic basis. Future results could differ due to changes in these estimates and difference between the actual result and the estimates are recognized in the period in which the results are known /materialized.

- d) All financial information presented in Indian rupees and all values are rounded to the nearest lakhs except where otherwise stated.

2.2 Summary of Significant Accounting Policies

(i) Cash flow statement

Cash flows are reported using the indirect method, whereby profit / (loss) before tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Corporation are segregated based on the available information.

For the purposes of the Statement of cash flow, cash and cash equivalents include cash in hand, cash at banks and demand deposits with banks, net of outstanding bank overdrafts that are repayable on demand are considered part of the Company's cash management system.

Amendment to Ind-AS 7:

The company adopted the amendment to Ind-AS 7, which require the entities to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including both changes arising from cash flows and non-cash changes, suggesting inclusion of a reconciliation between the opening and closing balances in the Balance Sheet for liabilities arising from financing activities, to meet the disclosure requirement. The adoption of amendment did not have any material effect on the financial statements.

(ii) Functional and presentation currency

The financial statements are presented in Indian Rupee (INR), which is functional as well as presentation currency of company.

- i) Transactions in foreign currency are recorded at the rate of exchange prevailing at the time the transactions are affected. Exchange differences arising on settlement of foreign currency transactions are recognized in the Statement of Profit and Loss.
- ii) Monetary items denominated in foreign currency are restated and converted into Indian rupees using the exchange rate prevailing at the date of the Balance Sheet and the resulting exchange difference is recognized in the Statement of Profit and Loss.

(iii) Property, plant and equipment

1. Property, Plant and equipment shall be carried at its cost less any accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.
2. The cost of an item of property, plant and equipment comprises:
 - (a) Its purchase price, including import duties and non-refundable purchase taxes, after deducting trade discounts and rebates.
 - (b) Any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.
 - (c) The initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

jkVh, chl fuxe fyfeVM 31 elpZ 2019 dks l ekr o"lZdh foVh, foj. k ij fVli f. k la

- 3- पट्टेदार भूमि के अधिग्रहण पर प्रीमियम के भुगतान को लागत माना जाता है।
- 4- प्रगतिशील पूंजीगत कार्य जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित आकस्मिक व्यय तथा यहां तक कि उधार पर ब्याज भी शामिल है।
- 5- परियोजना के निर्माण/कार्यान्वयन चरण के दौरान आए सभी व्यय, जैसे कि प्रधान परियोजना के तहत दिखाया गया है परियोजनाओं पर विभिन्न स्थाई परिसंपत्तियों, संयंत्रों एवं उपक्रम की लागत के आधार पर पूर्व व्यय को पूंजीकृत किया गया है।
- 6- यदि अभिज्ञात मानदंड पूरे हैं तो, प्रतिस्थापन की लागत प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण भागों की मरम्मत और दीर्घकालीन निर्माण परियोजना के लिए उधार की लागतों को पूंजीकृत किया जाता है।
- 7- संपत्ति, संयंत्रों और उपकरण के मद के अभिज्ञात से उत्पन्न लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खातों में तब शामिल किया जाएगा, जब वस्तु की पहचान की जाती है। (जब तक कि इंड एस 17 की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा बिक्री एवं लीजबैक पर)

¼½ vewZl á fYk

किसी अमूर्त संपत्ति को अभिज्ञात किया जाता है, जहाँ पर संभव है कि संपत्ति से भविष्य में होने वाले आर्थिक लाभ निगम को प्राप्त होंगे और परिसंपत्ति की लागत को विश्वासपूर्वक आंका जा सकता है। अमूर्त संपत्तियां परंपरागत लागत, न्यून संचित परिशोधन और नुकसान हानि, यदि कोई, पर वर्णित की गई है।

¼½ fuosk l á fYk

- क) निवेश संपत्ति में पूर्ण संपत्ति, निर्माणधीन संपत्ति और वित्तीय लीज के तहत संपत्ति शामिल है जिसे व्यापार के सामान्य कोर्स या उत्पादन इस्तेमाल या प्रशासनिक कार्यों में उपयोग के बजाय किराया कमाने या पूँजी बढ़ोत्तरी या दोनों हेतु रखा जाता है।
- ख) निवेश संपत्ति को लागत, संचित मूल्यहास के शुद्ध और संचित हानि का नुकसान यदि कोई, के बारे में बताया गया है।
- ग) निगम निवेश संपत्ति के निर्माण घटकों का अवमूल्यन, मूल खरीद की तारीख से 60 वर्ष से अधिक पर करता है।
- घ) निवेश संपत्ति की तब पहचान की जाती है, जब इसका निपटान किया जाता है या जब इन्हें उपयोग से पूर्णतया वापस लिया जाता है और भविष्य में इनके निपटान से कोई वित्तीय लाभ की उम्मीद न हो। शुद्ध निपटान प्रक्रिया और परिसंपत्ति की वहन राशि के अंतर को मान्यता रद्द होने की अवधि में लाभ या हानि में स्वीकार किया जाता है।

¼½ i ho/ku%

देनदारियों के संबंध में केवल उन प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जिनका निर्धारण केवल एक पर्याप्त अनुमानित डिग्री का उपयोग करके किया जाता है, जब:

1. एक अतीत की घटना के परिणामस्वरूप निगम की वर्तमान देनदारी है।
2. आर्थिक लाभों में शामिल संसाधनों के संभावित बहिर्वाह का दायित्व तय करने की आवश्यकता होगी, तथा
3. दायित्व की मात्रा का पूर्ण अनुमान लगाया जा सकता है। प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

i ho/kuadh NW%

जिन प्रावधानों का 12 महीने से अधिक समय में निपटान संभावित है उन्हें पूर्व छूट दर जो दायित्व के विशिष्ट जोखिम को दर्शाता है, का उपयोग कर वर्तमान मूल्य पर निर्धारित किया जाता है। समय बीतने के कारण प्रावधान में हुई वृद्धि को ब्याज व्यय में दिखाया जाता है।

¼½ jkt Lo

xhg dks l kfk vuçak l sjkt Lo

- क) ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व को तब अभिज्ञात किया जाता है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस विचार को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी को उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद है।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

3. Premium paid on acquisition of leasehold land, is treated as cost.
4. Capital work-in-progress is carried at cost, comprising direct cost, related incidental expenses and interest on borrowing to the extent attributed to them.
5. All expenditure incurred during construction / implementation stage of the project as shown under the head Project and Pre-operative expenditure has been capitalized on pro-rata basis to the cost of various property, plant and equipments on commissioning of the Project
6. Cost of replacement, major inspection, repair of significant parts and borrowing costs for long-term construction projects are capitalized if the recognition criteria are met.
7. The gain or loss arising from the derecognition of an item of property, plant and equipment shall be included in profit or loss when the item is derecognised (unless Ind AS 17 requires otherwise on a sale and leaseback).

(iv) Intangible Assets

An intangible Asset is recognized where it is probable that the future economic benefits attributable to the assets will flow to the company and cost of the asset can be measured reliability. Intangible assets are stated at historical cost less accumulated amortization and impairment loss, if any.

(v) Investment properties

- a) Investment property comprises completed property, property under construction and property held under finance lease that is held to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for sale in the ordinary course of business or for use in production or administrative functions.
- b) Investment Properties are stated at cost, net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any.
- c) The company depreciates building component of investment property over 60 years from the date of original purchase.
- d) Investment properties are derecognized either when they have been disposed of or when they are permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from their disposal. Difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognised in profit or loss in the period of de-recognition.

(vi) Provisions

Provisions are recognized in respect of liabilities which can be measured only by using a substantial degree of estimates when:

1. The Company has a present obligation as a result of a past event.
2. Probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; and
3. The amount of the obligation can be reliably estimated. Provisions are reviewed at each Balance Sheet date.

Discounting of Provisions

Provision which expected to be settled beyond 12 months are measured at the present value by using pretax discount rate that reflects the risks specific to the liability. The increase in the provision due to the passage of time is recognized as interest expenses.

(vii) Revenue

Revenue from Contracts with Customers

- a) Revenue from contract with customers is recognized when control of the goods or services are transferred to the customer at an amount that reflects the consideration to which the Company expects to be entitled in exchange for those goods or services.

जकवत, चत फुखे फुवेवम 31 एप्रै 2019 दसल एकर ओलडह फोवत, फोज. कौज फुलि. क. क

ख) राजस्व की मान्यता को अंतिम संग्रह की अनिश्चितताओं के प्रभाव के कारण स्थागित किया जाता है और इन अनिश्चितताओं के समाप्त होने पर राजस्व को अभिज्ञात किया जाता है।

वु; जक लो एकु, रकु%

- क) ब्याज आय, बकाया राशि और प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग कर लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए, सम अनुपात आधार पर मान्यता प्राप्त है।
- ख) लाभांश तब मान्य होगा जब इकाईयों को भुगतान का अधिकार स्थापित हो, आर्थिक लाभ इकाई को प्रवाहित होगा और राशि को पूरी तरह निर्धारण किया जा सकता है।

कुमि/कुि ए%

पट्टे जहाँ पट्टादाता प्रभावी रूप से पट्टे में दिए गए कार्यकाल के सभी जोखिमों और स्वामित्व के लाभ को पर्याप्त रूप से बरकरार रखता है, उन्हें संचालित पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑपरेटिंग लीज भुगतान या रसीद को पट्टा अवधि के आधार पर सीधी तौर पर लाभ और हानि के विवरण में एक व्यय या आय के रूप में पहचाना जाता है, सिवाय जहाँ पट्टे के भुगतान या प्राप्ति को अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के साथ बढ़ने के लिए तैयार किया जाता है ताकि अनुमानित मुद्रास्फीति क्रय वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति की जा सके।

कु/कुि एव; गकु वकु ifj' कुकु%

ल अफुलु ल अ, ओमि कु. क

- (क) संपत्ति संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर लिखित मूल्य विधि (डब्ल्यूडीवी) पर उपलब्ध कराया गया है।
- (ख) वर्ष के दौरान खरीदी गई/बेची गई संपत्तियों पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निर्धारण किया जाता है।
- (ग) सभी संपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य, जिनकी प्रयोग की अवधि, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 के अनुसार 31.03.2014 को समाप्त हो चुकी है और वहन राशि नई लागत के 5 प्रतिशत से कम है, को लागत राशि पर कैरी किया गया है। अन्य सभी संपत्तियों के मामले में अवशिष्ट मूल्य को परिसंपत्तियों की मूल लागत का 5 प्रतिशत रखा जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की महत्वपूर्ण वस्तुओं की वर्तमान और तुलनात्मक अवधि के लिए संपत्ति की अनुमानित उपयोग अवधि जीवन निम्नानुसार है

फोज. क	मि ; कुख त हु
संयंत्र और मशीनरी	10-15 वर्ष
कार्यालय भवन	60 वर्ष
गोदाम	30 वर्ष
कम्प्यूटर	3-6 वर्ष
कार्यालय उपकरण	10-15 वर्ष
जेनरेटर	15 वर्ष
विद्युत स्थापना	10 वर्ष
नलकूप	5 वर्ष
टैंक एवं रिजर्ववायर	15 वर्ष
केन्द्रीय धूसी सिंचाई	15 वर्ष
तार-बाड़	5 वर्ष
फर्नीचर और जुड़नार	10 वर्ष
वाहन	10 वर्ष

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

- b) Recognition of revenue is postponed due to the effect of uncertainties of ultimate collection, and revenue is recognized in the period when such uncertainties cease to exist.

Other Revenue Recognition

- a) Interest income is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the interest rate applicable using Effective Interest rate Method.
- b) Dividend will be recognized when the entities right to receive payment is established, economic benefit will flow to the entity and amount can be measured reliably.

(viii) Leases

Leases where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership of the leased term, are classified as operating leases. Operating lease payments or receipt are recognized as an expense or income in the statement of profit and loss on a straight-line basis over the lease term except where lease payment are structured to increase in line with expected general inflation to compensate for the expected inflationary cost increase.

(ix) Depreciation & Amortization

Property, Plant and Equipment

- (a) Depreciation on Property, plant and Equipment is provided on Written down value method (WDV) over the useful life of the assets as specified in Schedule II of the Companies Act, 2013.
- (b) Depreciation on assets purchased/ sold during the year is charged on prorata basis as per Companies Act 2013.
- (c) The residual value of all assets, whose useful life has been exhausted as on 31.3.2014 following scheduled-II of the Companies Act 2013 and the carrying amount is below 5% of the new cost, has been carried at carrying amount. In case of all other assets, the residual life is kept at 5% of the original cost of assets.

The estimated useful life of assets for current and comparative period of significant items of property plant and equipment are generally as follows:

Particulars	Useful Life
Plant and Machinery	10-15 years
Office Building	60 years
Building Godowns	30 years
Computers	3-6 years
Office Equipment's	10-15 years
Generators	15 years
Electric Installations	10 years
Tubewells	5 years
Tanks and Reserviors	15 years
Pivot Irrigation	15 years
Fencing	5 years
Furniture and fixtures	10 years
Vehicles	10 years

jkVh, ch fuxe fyfeVM
31 ekpZ 2019 dks l ekr o"Vdh foVh, foj. k ij fVli f. k la

- (घ) लीज होल्ड सुधारों को अनुसूची 2 के तहत कम्प्यूट किए गए निचले अनुमानित उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया जाता है और लीज अवधि को उस वर्ष से जब ऐसे सुधारों को पूंजीकृत किया जाता है।
- (ङ) मूल्यहास के तरीकों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों का प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है।
- (च) लीज होल्ड भूमि, जो सतत पट्टे पर है, से अतिरिक्त प्रीमियम को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

vewZl á fYk%

अमूर्त संपत्तियों को उनके संबंधित अनुमानित उपयोगी जीवन सीधे-सीधे उपयोग हेतु उपलब्धता की तारीख से परिशोधित किया जाता है। अमूर्त संपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार है:

i hr vewZl á fYk

mi ; lsh t hou

Lo ; k vkrfj d : i l smR Uk

(छ) सॉफ्टवेयर

1-5 वर्ष

अधिग्रहित

(ज) प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर परिशोधन के तरीकों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा की जाती है।

½½ xS foVh, l á fYk, kd dh gkfu%

- (क) संपत्तियों की हानि के अनुसार निगम के संपत्तियों की वहन राशियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख पर की जाती है ताकि हानि के किसी भी संकेत को पहचान सकें।
- (ख) किसी परिसंपत्ति को खराब माना जाता है जब संपत्ति की वहन लागत, इनकी वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है और उसे उस वर्ष के लाभ एवं हानि के विवरण से दिखाया जाता है।
- (ग) प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर निगम आकस्मिक नुकसान की अनुमानित राशि का मूल्यांकन करता है। पूर्व लेखा अवधियों में पहचाने गए आकस्मिक नुकसान को उत्क्रम किया जाता है यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में कोई बदलाव है और ऐसे नुकसान या तो अब हैं नहीं या कम हो चुके हैं। आकस्मिक नुकसान का उत्क्रम लाभ और हानि खातों में दर्ज होता है।

½i½ ekyl pl%

- क. माल का मूल्यांकन न्यूनतम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के आधार किया जाता है। माल के संबंध में लागत निर्धारण का आधार बीज के लिए भारित औसत लागत है।
- ख. प्रमाणीकरण, पैकिंग और उपचार सामग्री सहित स्टोर, पुर्जों और उपभोग्य सामग्रियों के लिए भारित औसत लागत।
- ग. वर्ष के दौरान नवीनतम नीलामी दर के आधार पर अनुपयोगी एवं गैर-परिवर्तनीय बीज स्टॉक का अनुमानित मूल्यांकन किया गया है। यदि वर्ष के दौरान निपटान नहीं किया गया है तो प्रचलित बाजार की स्थिति के अनुसार अनुमानित भरोसेमंद मूल्य के आधार पर किया गया है।
- घ. इस्तेमाल हो चुके गनी थैलों की खरीद लागत का 50 प्रतिशत मूल्य है।
- ङ. उपयोग की गई फ़ैबरीकेटेड सामग्री को प्रत्यक्ष लागत में लेखांकन किया जाता है।
- च. एक इकाई की जैविक संपत्ति से प्राप्त कृषि उपज को शुद्ध वसूली मूल्य पर निर्धारित किया जाता है।
- छ. खरीद माल सूची के स्थगित भुगतान में ब्याज अंश भी शामिल है जिसे वित्त लागत में अलग से अभिज्ञात किया गया है और इस माल सूची में लागत शामिल नहीं है।

½ii½ t Sod l á fYk k%

- जैविक संपत्तियाँ बढ़ते हुए पौधों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनका मापन उचित दाम रहित लागत पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बेचने के लिए किया जाता है। निगम, माल की लागत के अंतर्गत जैविक संपत्तियों के लिए उचित दाम की तुलना में जैविक संपत्तियों की पुर्नगणना से लाभ और हानि का वर्गीकरण करता है।
- (क) रबी की खड़ी फसलों और पौधशाला की इन्वेंटरी का मूल्य निर्धारण उचित दाम रहित बिक्री पर यानि फसल/पौधशाला को विपणन योग्य बनाने हेतु होने वाले खर्च के लिए एलाउन्स करने के बाद और कृषि कार्यों से जुड़े जोखिमों के लिए प्रावधान करने के बाद किया जाता है। प्रयोजन के लिए, मात्रा/उपज का अनुमान पिछले 5 वर्षों के मौसमी औसत के आधार पर लिया जाएगा।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

- (d) Leasehold improvements are amortized over the lower of estimated useful life as computed under schedule-II and lease term from the year in which such improvement are capitalized.
- (e) Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date.
- (f) Premium on leasehold land, other than on perpetual lease, is amortized over the period of the lease.

Intangible Assets

Intangible assets are amortized over their respective estimated useful lives on a straight- line basis from the date that they are available for use.

The estimated useful life of intangibles are as follows:

Intangible Assets	Useful Life	Internally generated or self-generated
(g) Software	(1 - 5 years)	Acquired
(h) Amortization methods, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date.		

(x) Impairment of non-financial assets

- (a) In accordance with Ind AS-36 Impairment of Assets, the carrying amounts of Company's assets are reviewed at each Balance Sheet date to determine whether there is any indication of impairment
- (b) An asset is treated as impaired when the carrying cost of assets exceeds its recoverable value and impairment loss is charged to the Statement of Profit & Loss in the year in which an asset is identified as impaired.
- (c) At each reporting date company assesses the estimate amount of impairment loss. The impairment loss recognized in prior accounting period(s) is reversed if there has been a change in the estimate of recoverable amount and such losses either no longer exists or has decreased. Reversal of impaired loss is recognized in the Statement of Profit & Loss.

(xi) Inventory

- a. Inventories are valued at lower of cost and net realizable value. The basis of cost determination in respect of inventories carried is the Weighted Average cost for seeds.
- b. Weighted average cost for stores, spares and consumables comprising certification, packing and treatment materials.
- c. Condemned and unserviceable seed stocks are valued at estimated realizable value on the basis of latest auction rate during the year. If not disposed off during the year then on the basis of estimated realizable value as per the prevailing market condition.
- d. The used gunny bags Are valued at 50% of the procurement cost.
- e. The fabricated material consumed is accounted for at direct cost plus related overheads.
- f. Agriculture produce harvested from an entity's biological assets are measured at Net Realizable Value.
- g. Deferred payment of inventory purchased includes the interest element which is recognized separately in finance cost, and that does not includes in the cost of inventory.

(xii) Biological Assets

- 1. Biological assets represent growing plants which are measured at the fair value less cost to sell at the end of each reporting period. Company classifies gain and losses from re-measuring biological assets to fair value for biological assets within cost of goods
- 2. (a) Rabi standing crops and inventory of nursery is valued at Net Relizable Value less allowance for the expenses yet to be incurred to make the crop/nursery marketable and after providing for risks associated with the agricultural operations. For the purpose, near estimation of the quantity/yield will be taken on the basis of previous 5 years seasonal average.

जकवत, चत फुखे फयेवम 31 एप्रै 2019 दसल एकर ओलडह फोवत, फोज. कौज फलिफ. क. ल

औसत वास्तविक उपज की अनुपलब्धता के मामले में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली मानकों के अनुसार वैज्ञानिक मूल्यांकन विधि अपनाई जाएगी।

(ख) पूर्व-खरीफ का मूल्यांकन लागत पर किया जाएगा, जब यह अपने उचित मूल्य के बराबर होता है और जैविक संपत्ति के तहत अभिज्ञात किया जाता है।

3. बंजर भूमि/सीमाओं या अन्यथा कहीं उगाए गए वाणिज्यिक पेड़ों जिनके लिए या तो उपर्युक्त प्राधिकरण से इनके डिस्पोजल हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं है या जहाँ यह आवश्यक है, वहाँ निपटान हेतु ऐसी अनुमति पहले ही हासिल की जा चुकी है, का मूल्य निर्धारण खड़े पेड़ों की उचित कीमत पर जैविक संपत्ति मद के तहत किया जाता है। खड़े पेड़ों के लिए उचित कीमत का आधार वन विभाग द्वारा घन सेंटीमीटर में पेड़ के घेरे पर निर्धारित दर हैं।

1/3iii/म/कज यकर%

1. उधार लागत चुनी गई संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण के कारण हुई है को ऐसी संपत्तियों की कीमत के एक हिस्से के रूप में पूँजीकृत किया जाता है। एक चुनी गई संपत्ति/योग्यता संपत्ति वो है जो अपने ऐच्छिक उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में काफी समय लेती है।
2. अन्य सभी उधार लागतों, को जिस अवधि में व्यय हुए उन्हें व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है।

1/3iv/ल जदकjh वुपल%

- क) प्रमोटर के योगदान की प्रकृति की सहायता में अनुदानों को इक्विटीधारकों से योगदान के रूप में समझा जाता है।
- ख) ग्रांट इन एड से संबंधित या इसके कारण अधिग्रहित की गई अचल संपत्ति की कीमत को "इस्तेमाल पूंजी ग्रांट", जिसकी प्रकृति एक रिजर्व की तरह है, में क्रेडिट किया जाता है ऐसी संपत्तियाँ मूल्यह्रास को इस रिजर्व में से काटा जाता है और लाभ एवं हानि खातों में इसे "आय" के रूप में रखा जाता है।
- ग) अनुदान की अप्रयुक्त/बिना खर्ची राशि का खुलासा पूंजी अनुदानों के तहत किया जाता है।
- घ) गैर मौद्रिक संपत्ति रूप सरकारी अनुदान को उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है और तुलनपत्र में इस अनुदान को आस्थगित आय के रूप में सेट किया जाता है।

1/3v/2 जक xkj mijkr ykk vls vU, nh?Zkfyd ykk ; kt uk %

उपदान:

पात्र कर्मचारियों (दैनिक रेटिड कामगारों सहित)को कवर कर रही ग्रेच्यूटी के लिए अपनी देयता को पूरा करने हेतु निगम ने इंड एएस-19 कर्मचारी लाभ के अनुपानल में, एक ग्रेच्यूटी ट्रस्ट का गठन किया है और ट्रस्ट के फंडों को एलआईसी एवं केनरा, एचएसबीसी, ओबीसी, लाईफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है। निगम बीमांकित मूल्यांकन पर आधारित प्रीमियम का भुगतान एलआईसी को फंड की आवश्यकता/उपलब्धता के अनुसार इस उद्देश्य हेतु प्रोजेक्ट युनिट क्रेडिट विधि लगाकर करता है।

अवकाश नकदीकरण

इंड एएस-19 के अनुसरण में अर्जित अवकाश और अर्धवैतन अवकाश के प्रति निगम के दायित्व को बीमांकित आधार पर निर्धारित एवं प्रदान किया जाता है।

भविष्य निधि:

निगम, कर्मचारी भविष्य निधियों और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार सांविधिक भविष्य निधि में योगदान देता है। निगम द्वारा स्थापित भविष्य निधि ट्रस्ट को एक निर्धारित लाभ योजना के रूप में माना जाता है चूँकि निगम को ब्याज और अन्य कमियाँ यदि कोई को पूरा करना होता है। तदनुसार, देय या किए जा चुके भुगतान और व्यय, यदि कोई, को कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के दौरान एक व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है।

सभी परिभाषित लाभ दायित्वों से संबंधित बीमांकित लाभ एवं हानि, उस अवधि में जिसमें वे होते हैं, को ओ.सी.आई के माध्यम से पूरी तरह मान्य किया जाता है।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

In case of unavailability of average actual yield, Scientific Valuation Method as per National Agriculture Research System Standards will be adopted.

(b) The pre-kharif would be valued at cost when it approximates its fair value and recognized under the head biological asset.

3. The commercial trees grown on waste land/boundaries or otherwise including out lived plantation trees for which either the permission of appropriate authority for its disposal is not required or where it is required, such permission has been obtained for disposal, are valued on fair value of standing trees under the head Biological Assets. The Fair value for standing trees is based on rates fixed by forest department applied on girth in cubic meters

(xiii) Borrowing Cost

1. Borrowing costs that are attributable to the acquisition or construction of qualifying assets are capitalized as part of the cost of such assets. A qualifying asset is one that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale.
2. All other borrowing costs are recognised as expenses in the period in which they are incurred.

(xiv) Government Grants

- a) Grants in aid of the nature of promoter's contribution are treated as contribution from equity holders.
- b) Cost of depreciable property, plant and equipments acquired out of and having nexus to grant-in-aid, is credited to "Utilized Capital Grant" which is in the nature of a reserve. Depreciation on such assets is reduced from this reserve and is recognized as 'Income' in the Statement of Profit and Loss.
- c) Unutilised/unspent amount of the grants are disclosed under Capital Grants.
- d) Government grant in the form of non-monetary asset is recognized at fair value and presented in balance sheet by setting up the grant as deferred income.

(xv) Post-employment benefits and other long term benefits plans:

Gratuity

To meet its liability towards gratuity covering eligible employees (including daily rated workers), in compliance of Ind AS 19 – Employee Benefits, the Corporation has created a Gratuity Trust and funds of the trust are managed by LIC and Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited. Corporation pays premium based on actuarial valuation applying the Project Unit Credit Method for this purpose to LIC as per requirement/availability of the funds.

Leave Encashment

The Company's obligation towards earned leave and half pay leave, are actuarially determined and provided for, as per Ind AS – 19

Provident Fund

The Corporation makes contributions to a statutory provident fund in accordance with the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952. The provident fund trust set up by the Company is treated as a defined benefit plan since the Company has to meet the interest and other shortfalls, if any. Accordingly, the contribution paid or payable and expenses, if any are recognized as an expense in the period in which services are rendered by the employee.

Actuarial gains and losses related to all defined benefit obligations are recognized in full through OCI for the period in which they occur.

जकवत, क्त फुखे फयेवम 31 एप्री 2019 दसल एर ओरिजिनल फोर्मा, फोज. कौज फलि. क. क.

वृत्त नितिवृत्त/क यक्त ; क्त उ, व

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ योजना:

सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार और निदेशक मंडल की मंजूरी से, विगत वर्ष के कर पूर्व लाभ के निर्धारित 1.5 प्रतिशत पर गणना की गई राशि को लाभ और हानि खातों में रखा जाता है और इसके लिए "सेवानिवृत्ति कर्मचारी कल्याण आरक्षित" बनाया गया है।

पेंशन निधि:

निगम, मूलवेतन का 10% +डीए के बराबर या अन्य ऐसे प्रतिशत जो नियोक्ता समय-समय पर निर्णय करता है, के बराबर योगदान देता है और ऐसे योगदान का भुगतान तब तक होगा जब तक भुगतान आयोजन हो। निगम ने एक ट्रस्ट बनाया है और इस ट्रस्ट की निधि का प्रबंधन एलआईसी द्वारा किया जाता है।

निर्धारित दर पर ट्रस्ट, बीमा कंपनी और सभी सदस्यों को तीन महीने का नोटिस देकर ऐसे योगदान को आगामी वर्ष में रोका जा सकता है यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान निगम का कर उपरांत लाभ 20 करोड़ से नीचे रहता है। हालांकि रोके गए योगदान को चरणबद्ध तरीके से ट्रस्ट को, सभी विगम संचित हानि को पूरा किया जा चुकने और कर उपरांत लाभ लाभ 20 करोड़ से अधिक होने के वर्ष से अगले वर्ष के दौरान, मासिक योगदान के ऐसे बकाया पर बिना ब्याज, जारी किया जाएगा।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना:

कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/स्पेशल के विकल्प का प्रस्ताव कर रही लागू योजना के तहत अर्जित मुआवजे को कर्मचारी द्वारा ऐसी योजना के तहत विकल्प चुनने के वर्ष में लाभ और हानि खातों में दिखाया जाता है।

वृत्त/क देप्लोय यक्त

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में उम्मीद किए गए अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के भुगतान की अघोषित राशि को कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के दौरान एक व्यय के रूप में माना जाता है।

वृत्त/क

वर्तमान आयकर:

- वर्ष के लिए कर खर्च में वर्तमान आयकर और आस्थगित कर शामिल हैं।
- वर्तमान कर का आंकलन, लागू कर दरों का प्रयोग करते हुए कर प्राधिकारियों को भुगतान की जाने वाली संभावित राशि पर किया जाता है।
- राशि की गणना हेतु इस्तेमाल कर दरें और कर कानून वो हैं जिन्हें रिपोर्टिंग तारीख पर उन देशों में जहां निगम संचालित है और कर योग्य आय उत्पन्न करता है, वहाँ अधिनियमित हैं या पर्याप्त रूप से लागू हैं।
- अन्य व्यापक मदों से संबंधित वर्तमान कर को अन्य व्यापक आय में मान्य किया जाता है।

आस्थगित कर:

भारतीय लेखा मानक (इंड एस-12) के अनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "आयकर"

- आस्थगित आयकर संपत्ति और देनदारियों को अस्थायी अंतरों/मतभेदों जिसे कर दरों और कर कानून, जो रिपोर्टिंग तारीख पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से लागू हैं, का इस्तेमाल करके मान्य किया जाता है।
- आस्थगित आयकर संपत्तियों को उस हद तक मान्य किया जाता है जहां तक कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उत्पन्न होगा, जिसके तहत छूट अस्थायी अंतर और अप्रयुक्त कर क्रेडिट और आगे बढ़ाए गए अप्रयुक्त कर हानियों का उपयोग किया जा सके।
- आस्थगित आयकर की वहन राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर समीक्षा की जाती है और उस हद तक कम की जाती है जहाँ कि यह संभावना नहीं है कि आस्थगित आयकर संपत्ति का हिस्सा या पूर्णरूप से इस्तेमाल करने पर पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।
- अन्य व्यापक आय मदों से संबंधित आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में मान्य किया जाता है।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Other Long term benefit plans:

Medical Benefit Scheme for retired employees

In accordance with the guidelines of the Department of Public Enterprises, Government of India and the approval of the Board of Directors, an amount computed at 1.5% being the prescribed percentage of the Profit before Tax of the previous year is charged to the Statement of Profit and Loss and a Reserve titled “Retired Employees Welfare Reserve” is created for the corresponding amount.

Pension Fund:-

The Corporation makes Contributions equal to 10% of Basic Pay plus DA or such other percentage as the employer may decide from time to time and such contribution shall be payable until the happening of payment events. The company has created a Trust and the funds of the Trust is managed by LIC.

Such contribution at the prescribed rate shall be withheld in subsequent year if in a particular financial year profit after tax of the Corporation dips below ₹ 20 Crore, after giving three months’ notice to the Trust, the Insurer and all the Member. However, the withheld contribution shall be released in a phased manner to the Trust from the financial year subsequent to the year when all the previous accumulated losses are wiped out and the profit after tax becomes more than Rs. 20 Crore, without any interest on such arrears of monthly contributions.

Voluntary Retirement Scheme

Compensation accruing under a scheme for the time being in force, offering option for voluntary retirement/ separation to employees is charged to the statement of profit and loss, in the year when the employees exercise option under such scheme.

Short Term Employee Benefits

The undiscounted amount of short term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by the employees, is recognized as an expense during the period when the employees rendered those services.

(xvi) Taxes

Current income tax

- i. Tax expense for the year comprises of current Income tax and deferred tax.
- ii. Current tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities using the applicable tax rates.
- iii. The tax rates and tax laws used to compute the taxable amount are those that are enacted or substantively enacted, at the reporting date in the countries where the company operates and generates taxable income.
- iv. Current tax related to OCI Items is recognized in Other Comprehensive Income (OCI).

Deferred tax

In accordance with the Indian Accounting Standard (Ind-AS 12) “Income Taxes” issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

- i. Deferred income tax assets and liabilities are recognized for temporary differences which is computed using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.
- ii. Deferred income tax asset are recognized to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilized.
- iii. The carrying amount of deferred income tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred income tax asset to be utilized.
- iv. Deferred tax related to OCI Item are recognized in Other Comprehensive Income (OCI).

जकवृत्त चित् फुखे फयेवम

31 एप्रैल 2019 दिस 1 एकर ओवर्डिफोवृत्त फोज. कौज फलि. क. क

1/7vii 1/2 i fr' ks j mi kt Z%

- 1- प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों की आर्टिब्यूटेबल अवधि के लिए शुद्ध लाभ और हानि को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को बोनस जारी करने और शेयर विभाजन के मामलों में समायोजित किया जाता है।
- 2- प्रति शेयर डिल्युटेड आय की गणना के उद्देश्य हेतु इक्विटी शेयरधारकों की आर्टिब्यूटेबल अवधि के लिए शुद्ध लाभ और हानि एवं अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी डिल्युटिव पोटेंशनल इक्विटी शेयरों के इफैक्ट के लिए समायोजित किया जाता है।

1/8viii 1/2 v k d f l e d n s r k ; , o a v k d f l e d l á f y k k %

- (क) आकस्मिक देयताओं का निम्नलिखित में से किसी भी मामले में खुलासा किया जाता है:
- i) किसी पिछली घटना से उत्पन्न वर्तमान देयता, जब यह संभावित नहीं है कि देयता को निपटाने के लिए संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक हो।
 - ii) वर्तमान देयता का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सके, या
 - iii) एक संभावित देयता, जब तक कि संसाधन के बहिर्वाह की संभावना बहुत ही कम है।
- 1/4 k 1/2 आकस्मिक संपत्तियों का खुलासा आर्थिक लाभों के प्रवाह की संभावना पर किया जाता है।
- 1/8 k 1/2 आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर की जाती है।
- 1/2 k 1/2 आकस्मिक देयता, निपटान पर संभावित बहिर्वाह को ध्यान में रखकर अनुमानित प्रावधानों का निवल है।

1/9ix 1/2 m f p r e v ; f u / k k . k %

- 1/4 d 1/2 निगम प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर कुछ वित्तीय साधनों का उचित मूल्य पर आकलन करता है। उचित मूल्य वह कीमत है जिसे निर्धारण की तारीख पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में एक संपत्ति को बेचने पर प्राप्त होगी या एक देयता को हस्तांतरण करने पर भुगतान की जाए। निष्पक्ष मूल्य निर्धारण इस अनुमान पर आधारित है कि परिसंपत्ति को बेचने या देयता हस्तांतरित करने पर लेनदेन, या तो
- परिसंपत्ति या देयता के लिए सैद्धांतिक बाजार में, या
 - प्रमुख बाजार की अनुपलब्धता में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में होता है।
- 1/4 k 1/2 निगम के लिए प्रमुख या सबसे लाभप्रद बाजार सुलभ होना चाहिए। किसी परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य उन धारणाओं का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो बाजार प्रतिभागी परिसंपत्ति या देयता के मूल्य निर्धारण में करता है, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागियों ने अपने सर्वोत्तम आर्थिक हित में कार्य किया है। निगम उन मूल्य निर्धारण तकनीकों का इस्तेमाल करता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त है और जिसके लिए उचित कीमत निर्धारण हेतु पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं, प्रासंगिक अवलोकनात्मक इनपुट का उपयोग अधिकतम है और अप्रभावी इनपुट का प्रयोग कम है।

1/10x 1/2 b f D o V h k j d k d s f y , y k H k k %

भुगतान किए जा चुके/ किए जाने वाले लाभांश को उस वर्ष में मान्य किया जाता है जिसमें संबंधित लाभांशों को शेयरधारकों या निदेशक मंडल, जो भी उचित हो, द्वारा अनुमोदित किया गया है।

1/11xi 1/2 f o v k t ; l k / k u %

प्रारंभिक पहचान:

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को तब मान्य किया जाता है जब निगम, साधन के संविदागत प्रावधानों के लिए एक पार्टी बन जाता है वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेनदेन लागतें जो अधिग्रहण या वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देयताओं के अलावा) के अधिग्रहण से हुई हैं, को वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता की प्रारंभिक मान्यता पर मापे गए उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया जाता है।

आगामी आकलन:

वित्तीय संपत्तियाँ:

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

(xvii) Earnings Per Share

1. Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. The weighted average number of equity shares outstanding during the period are adjusted for events of bonus issue and share split.
2. For the purpose of calculating diluted earnings per share, the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the period are adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares

(xviii) Contingent Liabilities and contingent Assets

- (a) Contingent Liabilities are disclosed in either of the following cases:
 - i) A present obligation arising from a past event, when it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; or
 - ii) A reliable estimate of the present obligation cannot be made; or
 - iii) A possible obligation, unless the probability of outflow of resource is remote.
- (b) Contingent assets is disclosed where an inflow of economic benefits is probable.
- (c) Contingent Liability and Contingent Assets are reviewed at each Reporting date.
- (d) Contingent Liability is net of estimated provisions considering possible outflow on settlement.

(xix) Fair Value Measurement

- a) Company measures certain financial instruments at fair value at each reporting date. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:
 - in the principal market for the asset or liability, or
 - In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.
- b) The principal or the most advantageous market must be accessible to the company. The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest. The company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

(xx) Dividend to equity holders

Dividend paid/payable is recognized in the year in which the related dividends are approved by shareholders or board of directors as appropriate.

(xxi) Financial instruments:-

Initial Recognition:

Financial Assets and Liabilities are recognized when the company becomes a party to the contractual provisions of the instrument. Financial assets and liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities (other than financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value measured on initial recognition of financial asset or financial liability.

Subsequent measurement

Financial Assets

jkVh, ch fuxe fyfeVM
31 ekpZ 2019 dks l ekr o"Vdh foVh, foj. k ij fVli. k la

वित्तीय संपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:-

d- परिशोधित लागत पर:

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर निर्धारण किया गया है यदि इन वित्तीय परिसंपत्तियों को एक ऐसे बाजार में होल्ड किया जाता है जिसका उद्देश्य इन परिसंपत्तियों को, संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने हेतु होल्ड करना है और वित्तीय परिसंपत्ति की अनुबंध शर्तें निर्धारित तारीखों पर नकदी प्रवाहों जो बकाया मूल राशि पर केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान करता है।

[k vU Q ki d vk dsek; e l smfpr eV; ij

*वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्धारण किया गया है। यदि इन वित्तीय परिसंपत्तियों के ऐसे व्यापार में रोका जाता है जिसका उद्देश्य, दोनों, संविदात्मक नकदी प्रवाह संग्रह और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर पूरा होता है और वित्तीय परिसंपत्ति की अनुबंध शर्तें निर्धारित तारीखों पर नकदी प्रवाहों जो केवल बकाया मूल राशि पर केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान है, को वृद्धि देती हैं।

*निगम ने अन्य व्यापक आय में पेश करने के लिए अनिश्चित चुनाव किए हैं जो व्यापार के लिए नहीं जुड़े इक्विटी निवेश के उचित मूल्य में बाद के बदलावों में शामिल हैं।

x- ykK , oagfu dsek; e l smfpr eV; ij

वित्तीय आस्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि यह प्रारंभिक पहचान पर परिशोधित कीमत पर या अन्य व्यापक आय के माध्यम से मापा जाता है। लेनदेन जो सीधे वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य पर लाभ या हानि के माध्यम से अधिग्रहित किया गया है, को तुरंत लाभ या हानि में मान्य किया जाता है

?k , l k l , Vl eafuoSk

एसोसियट्स में निवेश को भारतीय लेखा मानक – 27 वित्तीय विवरण के अनुसार लागत पर निर्धारित किया जाता है।

foVh, nsnkj; k%

वित्तीय देनदारियाँ निम्नानुसार वर्गीकृत हैं:

क. परिशोधित लागत पर

व्यापार और अन्य देय, सुरक्षा जमा और प्रतिधारण पैसा आदि द्वारा प्रतिनिधित्व की गई परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है और बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग कर परिशोधित लागत पर कैरी किया जाता है।

ख. लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर (एफवीटीपीएल)

निगम ने लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किसी भी वित्तीय देनदारी को नामित नहीं किया है।

3 **M&fj dkskbt ak**

foVh, i fj l a fVh

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय संपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) की मान्यता केवल तब रद्द की जाती है जब संपत्ति से नकदी प्रवाह के अनुबंध के अधिकार समाप्त हो जाते हैं या वित्तीय अनुबंधों और संपत्ति के अधिकतर सभी जोखिमों और स्वामित्व के अधिकारी स्थानांतरित हो जाते हैं।

foVh, ns rk%

एक वित्तीय देयता की मान्यता तब रद्द होती है जब देयता के तहत दायित्व पूरा हो जाता है जब देयता के तहत दायित्व पूरा हो जाता है या निरस्त हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को समान ऋणदाता से दूसरी द्वारा पूरी तरह अलग शर्तों पर बदल दिया जाता है या मौजूदा देयता की शर्तों को पूरी तरह संशोधित कर दिया जाता है, इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल देयता की रद्दता और नई देयता की मान्यता के रूप में समझा जा सकता है और संबंधित वहन राशियों के अंतर को लाभ और हानि के विवरण/लेखों में मान्य किया जाता है।

05 वर्ष से गैर ऑपरेटिव पार्टियों के सुरक्षा डिपोजिट और धरोहर राशि सहित खातों में पड़े बकाया क्रेडिट को वापस लिखा जाता है।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

financial assets are classified in following categories:

a. **At Amortised Cost**

Financial assets are subsequently measured at amortised cost if these financial assets are held within a business whose objective is to hold these assets in order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

b. **Fair Value through Other Comprehensive Income**

*Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if these financial assets are held within a business whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

*The company has made an irrevocable election to present in other comprehensive income subsequent changes in the fair value of equity investments not held for trading.

c. **At Fair Value through Profit and Loss**

Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortised cost or at fair value through other comprehensive income on initial recognition. The transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss are immediately recognised in profit or loss.

d. **Investment in Associates**

Investment in Associates are measured at cost as per IndAS-27- Separate Financial Statements.

Financial Liabilities

Financial Liabilities are classified as follow:

a) Financial liabilities at Amortized Cost

Financial liabilities at amortised cost represented by trade and other payables, security deposits and retention money etc. are initially recognized at fair value, and subsequently carried at amortized cost using the effective interest rate method.

b) Financial liabilities at FVTPL

The company has not designated any financial liabilities at FVTPL.

e. **De-recognition**

Financial Asset

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized only when the contractual rights to the cash flows from the asset expires or it transfers the financial assets and substantially all risks and rewards of the ownership of the asset.

Financial Liability

A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the statement of profit and loss.

Credit balances lying in the accounts including security and EMD for non-operative parties for more than 5 years is written back.

जकवत, चत फुखे फयेवम 31 एप्रैल 2019 दसल एकर ओवडिह फोवत, फोज. कौज फलि. क. क

p- फोवत, ल अ फुक, क च गफु%

कंपनी हानि के निर्धारण एवं अभिज्ञात के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है। व्यापार प्राप्य पर हानि की पहचान के लिए "सरलीकृत दृष्टिकोण" का पालन करती है। सरलीकृत दृष्टिकोण के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों की पहचान करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि की पहचान करता है।

कंपनी परिशोधित लागत एवं एफवीटीओसीआई ऋण पर ली गई संपत्तियों से जुड़े अपेक्षित क्रेडिट नुकसान का आंकलन आगे के आधार पर करती है। हानि पद्धति तब लागू होता है जब क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हो।

अवधि के दौरान ईसीएल हानि (या उल्टा) लाभ एवं हानि के विवरण में आय एवं व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है।

व्यापार प्राप्तियों, ऋण और अग्रिम के तहत बकाया और सरकारी विभागों/पक्षों के विरुद्ध अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों जो 06 वर्षों से कम या बराबर अवधि से बकाया हैं और निजी पार्टियों के लिए तीन वर्षों से कम या बराबर, को अच्छा माना जाता है और तदनुसार संदिग्ध ऋण के लिए अलाउन्स बनाया जाता है।

एकद त ल्ज हद; क ख; क गस्यदु फोवत, ओवडिह 2018&19 दस्य, व ह ह रद यकखुगलगा

बम , , ल 116 ऐक १/२

31 मार्च, 2019 को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (भारतीय लेखाकन मानक) संशोधन नियम, 2019 को जारी किया है जिसके द्वारा इंड एस 116 पट्टा (लीज) को अधिसूचित किया गया है। यह मानक 1 अप्रैल 2019 से कंपनी के लिए लागू है और मौजूदा इंड एस 17 (लीज) और संबंधित व्याख्याओं की जगह लेगा। यह इंड एस, पट्टादाता व पट्टेदार के लिए लीज की मान्यता, निर्धारण, प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण के लिए सिद्धांतों को निर्धारित करता है। यह पट्टादाता के लिए आवश्यक है कि वह सभी लीज लेन-देन के लिए संपत्ति और देनदारियों की पहचान दें, जब तक कि अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो, तब तक लीज अवधि अधिक हो। मौजूदा इंड एस 17 के तहत ऑपरेटिंग लीज खर्च लाभ और हानि के विवरणों में दिखाए जाते हैं। इसके अलावा, नया इंड एस को व्यापक खुलासे की आवश्यकता है। मानक इंड एस 8 के अनुसार पूर्वव्यापी दृष्टिकोण की अनुमति देता है या प्रारंभ में इस मानक को लागू करने के संचयी प्रभाव के साथ पूर्वव्यापी रूप से अनुमति देता है। (संचयी कैचअप दृष्टिकोण)।

बम , , ल 12 दस्य, ल अककु & वक द्ज

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने इंड एस 12 के लिए परिशिष्ट ग के रूप में संशोधन को अधिसूचित किया है जोकि आयकर के लिए 01 अप्रैल, 2019 से लागू है। यह कर योग्य लाभ/हानि के निर्धारण का निष्पादन करते समय आयकर पर अनिश्चितता को लागू करता है। संशोधित इंड एस 12, लाभ या हानि, ओसीआई अथवा इक्विटी जहां यह मूल रूप से अभिज्ञात किया जाता है, में लाभांश के लिए आयकर की पहचान को भी स्पष्ट करता है। समायोजन इंड एस 8 या संचयी कैच-अप दृष्टिकोण के अनुसार पूर्वव्यापी होगा।

बम , , ल 19 दस्य, ल अककु & देप्ल्ज ह यक

30 मार्च, 2019 को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने इंड एस 19 कर्मचारी लाभ के लिए संशोधन को अधिसूचित किया है, जिसमें योजना संशोधन, स्थापना अथवा निपटान के बाद अनुस्मारक अवधि के लिए शुद्ध लाभ ब्याज के रूप में पिछली सेवा लागत का निर्धारण करने के लिए अद्यतन धारणाओं का उपयोग करने की आवश्यकता थी।

कंपनी अपने वित्तीय विवरणों पर उक्त परिवर्तनों के प्रभाव की जांच और मूल्यांकन के लिए प्रक्रियाधीन है और मानकों एवं संशोधनों का प्रभावी तारीख से इसका पालन किया जाएगा। हालांकि, कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

f) Impairment of financial assets:-

Company applies expected credit loss (ECL) model for measurement and recognition of impairment loss. The Company follows 'simplified approach' for recognition of impairment loss allowance on trade receivable. The application of simplified approach does not require the Company to track changes in credit risk. Rather, it recognises impairment loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date, right from its initial recognition

Company assesses on a forward looking basis the expected credit losses associated with its assets carried at amortised cost and FVTOCI debt instruments. The impairment methodology applies on whether there has been significant increase in credit risk.

ECL impairment loss allowance (or reversal) recognised during the period is recognised as income/expense in the statement of profit and loss.

Dues under trade receivables, loans and advances and other Current Assets against the Government Departments/ parties outstanding for a period equal to or less than six years and private parties for a period of equal to or less than three years are considered good and accordingly allowance is made for doubtful debt.

Standard issued but not yet effective for the Financial Year 2018-19

IND AS 116 Leases

On March 30, 2019 the Ministry of Corporate affairs (MCA) issued the companies (Indian Accounting Standards) Amendment rules, 2019, notifying Ind AS - 116, Lease. The Standard is applicable to the Company with effect from April 1, 2019 and will replace the existing Ind AS 17 (leases) and related interpretations. This Ind AS sets out of the principles for the recognition, measurement, presentations and disclosure of Lease for the Lessee and the Lessor. It requires Lessee to recognise assets and liabilities for all lease transaction having lease term of more that 12 months unless the underlying asset is of low value. Under existing Ind AS 17 operating lease expenses are charged to statement of profit & loss. Further, new Ind AS requires extensive disclosure. The Standard permits retrospective approach in accordance with Ind AS 8 or retrospectively with cumulative effect of initially applying this Standard (cumulative catch-up approach).

Amendment to Ind AS 12 - Income Taxes

MCA has notified amendment to Ind AS 12 Appendix C Uncertainty over income tax treatment applicable from April 1, 2019. It prescribes uncertainty over income tax treatment is to be applied while performing the the determination of taxable profit/loss. Amendment to Ind AS 12 also clarifies to recognise the income-tax consequences of dividend in profit or loss, OCI or equity where it originally recognizes. The adjustment shall be retrospective in accordance with Ind AS 8 or cumulative catch-up approach.

Amendment to Ind AS 19 - Employee Benefits

On March 30, 2019 MCA notified amendment to Ind AS 19 Employee benefits requiring to use updates assumptions to determine past service cost as net interest for reminder period after a plan amendment, curtailment or settlement.

The company is in the process of examining and evaluating the impact of the said changes on the company's financial statements and will be followed from the effective date of Standards & amendments. However, no material impact is perceived.



jkVfr, ckt fuxe fyfeVM
31 epr 2019 dks l ekr o "Zch foYkr, foj. Koi j fVif. k ka

fVif. M&3

l a fVif l a e , oami dj. k

l#- yk[k e#

foj. k	Yh gVM Hfe	i es oYh Hfe	Hfe foYkr QjeZ	Hou	l a e , oami dj. k	i Hk j. k , oami dj. k	Q. plbz	Quifj@ foYkr	dk Yj	5000@& l s de jkr k dh i fVif. k ka	fdrba	olgu	frjiky , oami dj. k	I Mela	dy
Ykr v fkok ekt, Ykr	460.46	219.93	773.01	8,790.53	7,133.78	228.55	6,649.39	597.34	414.79	49.80	4.80	277.85	55.94	136.91	26,205.92
1 vifj 2017 dks	0.72	-	145.80	1,147.22	194.97	5.59	775.42	40.54	15.11	0.26	0.46	1.22	2.07	-	2,358.60
vudh nipatan / samayojan	-	-	-	2.06	34.32	0.27	-	0.04	1.76	-	-	13.34	0.23	-	52.17
31 epr 2018 dks	461.18	219.93	918.81	9,935.69	7,294.43	233.87	7,424.81	637.84	429.75	50.06	5.26	265.73	57.78	136.91	28,512.35
vudh nipatan / samayojan	17.87	32.19	78.80	279.94	660.81	0.63	658.42	30.08	24.38	0.32	0.35	-	-	-	1,794.52
-	-	-	-	19.06	56.64	1.50	-	21.60	(21.44)	-	-	23.77	1.53	-	102.66
31 epr 2019 dks	479.05	252.12	997.61	10,196.57	7,898.60	233.00	8,083.23	646.32	454.13	50.38	5.61	241.96	56.25	136.91	30,204.21
l apr eW, gdl , oami dj. k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 vifj 2017 dks	-	27.90	-	2,925.00	4,359.16	101.20	2,559.07	443.84	389.70	49.60	4.77	255.35	51.01	91.81	11,606.26
vrk ke lfr mlyhgrs prmr	-	3.40	0.42	564.57	522.46	7.83	651.54	43.99	28.22	0.11	0.42	5.51	2.38	4.96	1,848.38
haini nipatan / samayojan	-	-	-	2.35	32.72	-	(0.01)	-	1.75	-	-	12.76	0.23	-	49.84
31 epr 2018 dks	-	31.30	0.42	3,487.22	4,848.90	109.03	3,210.62	487.83	402.23	49.71	5.19	248.10	53.16	96.77	13,404.80
vrk ke lfr mlyhgrs prmr	-	10.20	1.53	588.86	465.44	10.47	667.53	42.50	30.09	0.24	0.32	3.57	1.54	9.56	1,841.49
haini nipatan / samayojan	-	-	-	1.36	54.96	1.08	-	12.53	(12.37)	-	-	22.71	1.53	-	81.80
31 epr 2019 dks	-	41.50	1.95	4,074.72	5,259.38	118.42	3,878.15	517.80	411.87	49.95	5.51	228.96	53.17	106.33	15,164.49
fuoy ogu eW,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 epr 2019 dks	479.05	210.62	995.66	6,121.85	2,639.22	114.58	4,205.08	128.52	42.26	0.43	0.10	13.00	3.08	30.58	15,039.72
31 epr 2018 dks	461.18	188.63	918.39	6,448.47	2,445.53	124.84	4,214.19	150.01	27.52	0.35	0.07	17.63	4.62	40.14	15,107.55
1 vifj 2017 dks	460.46	192.03	773.01	5,865.53	2,774.62	127.35	4,090.32	153.50	25.09	0.20	0.03	22.50	4.93	45.10	14,599.66

not: अजमेर में रिको से ली गई जमीन 2208 वर्ग मीटर सहित दो शेड एक-45 एवं एक-46 जिसकी लागत रु. 45,97,224 / - है।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019



Note: - 3 Property, Plant and equipment

Particulars	Freehold Land	Leasehold Land	Land Development farm	Building	Plant and Machinery	Plantation & Horticulture	Irrigation	Furniture & Fixtures	Office Equipment	Computers	Assets Less than ₹ 5000/-	Books	Vehicles	Tarpaulins and Fumigation cover	Roads	Total
Cost or deemed cost																
At 01 April 2017	460.46	219.93	773.01	8,790.53	7,133.78	228.55	6,649.39	597.34	412.84	414.79	49.80	4.80	277.85	55.94	136.91	26,205.92
Additions	0.72	-	145.80	1,147.22	194.97	5.59	775.42	40.54	29.22	15.11	0.26	0.46	1.22	2.07	-	2,358.60
Disposals/ Adjustments	-	-	-	2.06	34.32	0.27	-	0.04	1.76	0.15	-	-	13.34	0.23	-	52.17
At 31 March 2018	461.18	219.93	918.81	9,935.69	7,294.43	233.87	7,424.81	637.84	440.30	429.75	50.06	5.26	265.73	57.78	136.91	28,512.35
Additions	17.87	32.19	78.80	279.94	660.81	0.63	658.42	30.08	10.73	24.38	0.32	0.35	-	-	-	1,794.52
Disposals/ Adjustments	-	-	-	19.06	56.64	1.50	-	21.60	(21.44)	-	-	-	23.77	1.53	-	102.66
At 31 March 2019	479.05	252.12	997.61	10,196.57	7,898.60	233.00	8,083.23	646.32	472.47	454.13	50.38	5.61	241.96	56.25	136.91	30,204.21
Accumulated Depreciation and impairment																
At 01 April 2017	-	27.90	-	2,925.00	4,359.16	101.20	2,559.07	443.84	347.85	389.70	49.60	4.77	255.35	51.01	91.81	11,606.26
Depreciation charge for the year	-	3.40	0.42	564.57	522.46	7.83	651.54	43.99	28.22	12.57	0.11	0.42	5.51	2.38	4.96	1,848.38
Impairment	-	-	-	-	-	-	(0.01)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disposals/Adjustments	-	-	-	2.35	32.72	-	-	-	1.75	0.04	-	-	12.76	0.23	-	49.84
At 31 March 2018	-	31.30	0.42	3,487.22	4,848.90	109.03	3,210.62	487.83	374.32	402.23	49.71	5.19	248.10	53.16	96.77	13,404.80
Depreciation charge for the year	-	10.20	1.53	588.86	465.44	10.47	667.53	42.50	30.09	9.64	0.24	0.32	3.57	1.54	9.56	1,841.49
Impairment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disposals/Adjustments	-	-	-	1.36	54.96	1.08	-	12.53	(12.37)	-	-	-	22.71	1.53	-	81.80
At 31 March 2019	-	41.50	1.95	4,074.72	5,259.38	118.42	3,878.15	517.80	416.78	411.87	49.95	5.51	228.96	53.17	106.33	15,164.49
Net carrying value																
At 31 March 2019	479.05	210.62	995.66	6,121.85	2,639.22	114.58	4,205.08	128.52	55.69	42.26	0.43	0.10	13.00	3.08	30.58	15,039.72
At 31 March 2018	461.18	188.63	918.39	6,448.47	2,445.53	124.84	4,214.19	150.01	65.98	27.52	0.35	0.07	17.63	4.62	40.14	15,107.55
At 1 April 2017	460.46	192.03	773.01	5,865.53	2,774.62	127.35	4,090.32	153.50	64.99	25.09	0.20	0.03	22.50	4.93	45.10	14,599.66

Note:- Building includes 2 sheds F-45 & F-46 at Ajmer costing 45,97,224 taken from RIICO on 99years lease basis including Land Measuring 2208 Sq. Meters appurtenant thereto.

जकवत, छत फुखे फयेवम
31 एप्रील 2019 दसलेर ओरुध फोवत, फोज. कौज फलिफ. क का

फलि. क 4 % वतु वखतपुं इफल अ फल क का

1/4- यक के 2

फोज. क	ल क [os j	दुय
<u>यकर वफोक कतु, यकर</u>		
1 विसु 2017 दस	87.92	87.92
वृद्धि	0.46	0.46
निपटान / समायोजन	(0.15)	(0.15)
31 एप्रील 2018 दस	88.53	88.53
वृद्धि	0.54	0.54
निपटान / समायोजन	-	-
31 एप्रील 2019 दस	89.07	89.07
<u>ल इपर इज' ककु, ओगकु</u>		
1 विसु 2017 दस	77.86	77.86
ओरुधसु, इज' ककु	3.94	3.94
गकु	-	-
निपटान / समायोजन	(0.04)	(0.04)
31 एप्रील 2018 दस	81.84	81.84
ओरुधसु, इज' ककु	0.38	0.38
गकु	-	-
निपटान / समायोजन	-	-
31 एप्रील 2019 दस	82.22	82.22
<u>फुओय ओगु एव:</u>		
31 मार्च, 2019 को	6.85	6.85
31 मार्च, 2018 को	6.69	6.69
1 अप्रैल, 2017 को	10.06	10.06

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Note: 4 Other intangible assets

(₹ in lakhs)

Particulars	Software	Total
<u>At Cost or Deemed Cost</u>		
At 1st April 2017	87.92	87.92
Additions	0.46	0.46
Disposals/Adjustments	(0.15)	(0.15)
At 31 March 2018	88.53	88.53
Additions	0.54	0.54
Disposals/Adjustments	-	-
At 31 March 2019	89.07	89.07
<u>Accumulated Amortisation and impairment</u>		
At 1st April 2017	77.86	77.86
Amortisation for the year	3.94	3.94
Impairment	-	-
Disposals/Adjustments	(0.04)	(0.04)
At 31 March 2018	81.84	81.84
Amortisation for the year	0.38	0.38
Impairment	-	-
Disposals/Adjustments	-	-
At 31 March 2019	82.22	82.22
<u>Net carrying value</u>		
At 31 March 2019	6.85	6.85
At 31 March 2018	6.69	6.69
At 1 April 2017	10.06	10.06



jkVfr, ch fuxe fyfeVM
31 ekpZ 2019 dks l ekr o"Vdh foVfr, foj.k ij fVlif.k ka

fVli.k&5 %ixfr'khy iw lxr dk Z

¼- yk[k e½

foj.k	31 ekpZ 2019	31 ekpZ 2018
प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	544.01	123.97
dy	544.01	123.97

fVli.k&6 %fuoski fjl á fYk

¼- yk[k e½

foj.k	Hfe	Hou	dy
l dy ogu jk'k@eK, ykx			
1 vi] 2017 ds ijkEka'k	-	28.24	28.24
वृद्धि (बाद में व्यय)	-	-	-
निपटान	-	-	-
31 ekpZ 2018 dks'k	-	28.24	28.24
वृद्धि (बाद में व्यय)	-	-	-
निपटान	-	-	-
31 ekpZ 2019 dks'k	-	28.24	28.24
l apr eV; ghl , oagku			
1 vi] 2017 ds ijkEka'k	-	26.64	26.64
वर्ष के दौरान मूल्यहास प्रभार	-	0.03	0.03
निपटान	-	-	-
31 ekpZ 2018 dks'k	-	26.67	26.67
वर्ष के दौरान मूल्यहास प्रभार	-	0.03	0.03
निपटान	-	-	-
31 ekpZ 2019 dks'k	-	26.70	26.70
fuoy ogu jk'k			
31 ekpZ 2019 dks	-	1.54	1.54
31 ekpZ 2018 dks	-	1.57	1.57
1 vi] 2017 dks	-	1.60	1.60

fuoski fjl á fYk, kadh vk , oaQ ; l sl af/kr l yk

¼- yk[k e½

foj.k	31 ekpZ 2019	31 ekpZ 2018
निवेश परिसंपत्तियों से प्राप्त किराया आय	7.18	4.30
प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत एवं रखरखाव सहित) उत्पन्न किराया आय	-	(0.10)
प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत एवं रखरखाव सहित) जिससे किराया आय उत्पन्न नहीं हुआ	-	-
eV; ghl l siwZfuoski fjl á fYk, kal smRi Uk yk	7.18	4.20
घटाएं : मूल्यहास	0.03	0.03
fuoski fjl á fYk, kal smRi Uk yk	7.15	4.17

mfpr eV; dk i% feyku ¼rj&3 eavloriZeV; kduj ; fn vko'; d gk½

¼- yk[k e½

foj.k	Hfe	Hou	dy
1 vi] 2017 ds ijkEka'k	-	312.94	312.94
mfpr eV; varj	-	29.89	29.89
[kln	-	-	-
31 ekpZ 2018 ds vUr ea'k	-	342.83	342.83
mfpr eV; varj	-	52.91	52.91
[kln	-	-	-

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Note: 5 Capital work-in-progress

(₹ in lakhs)

Particulars	31-Mar-19	31-Mar-18
Capital Work in Progress	544.01	123.97
Total	544.01	123.97

Note: 6 Investment property

(₹ in lakhs)

Particulars	Land	Building	Total
<u>Gross carrying amount/Deemed cost</u>			
Opening balance at 1 April 2017	-	28.24	28.24
Additions (subsequent expenditure)	-	-	-
Disposals	-	-	-
Closing balance at 31 March 2018	-	28.24	28.24
Additions (subsequent expenditure)	-	-	-
Disposals	-	-	-
Closing balance at 31 March 2019	-	28.24	28.24
<u>Accumulated Depreciation and impairment</u>			
Opening balance at 1 April 2017	-	26.64	26.64
Depreciation charged during the year	-	0.03	0.03
Disposals	-	-	-
Closing balance 31 March 2018	-	26.67	26.67
Depreciation charged during the year	-	0.03	0.03
Disposals	-	-	-
Closing balance 31 March 2019	-	26.70	26.70
<u>Net Carrying Amount</u>			
at 31 March 2019	-	1.54	1.54
at 31 March 2018	-	1.57	1.57
at 1 April 2017	-	1.60	1.60

Information regarding income and expenditure of Investment property

(₹ in lakhs)

Particulars	31-Mar-19	31-Mar-18
Rental income derived from investment properties	7.18	4.30
Direct operating expenses (including repairs and maintenance) generating rental income	-	(0.10)
Direct operating expenses (including repairs and maintenance) that did not generate rental income	-	-
Profit arising from investment properties before depreciation	7.18	4.20
Less: Depreciation	0.03	0.03
Profit arising from investment properties	7.15	4.17

Reconciliation of fair value (Required if recurring valuation within level-3)

(₹ in lakhs)

	Land	Building	Total
Opening balance as at 01-04- 2017	-	312.94	312.94
Fair value difference	-	29.89	29.89
Purchases	-	-	-
Closing balance as at 31-03-2018	-	342.83	342.83
Fair value difference	-	52.91	52.91
Purchases	-	-	-

जि.के.ए. चि. फु.के.ए.एम
31 एप्रिल 2019 को रोज़ के लिए अंतिम कीमतें, फु.के.ए.एम

फु.के.ए.	हफ़े	हो	दर
31 एप्रिल 2019 को रोज़ के लिए अंतिम कीमतें	-	395.74	395.74
फु.के.ए. %			
निवेश सम्पत्ति अधिग्रहित	-	-	-
निवेश सम्पत्ति स्वनिर्मित	-	-	-
	-	-	-

फु.के.ए. %

निवेश सम्पत्ति की खरीद, निर्माण अथवा विकास अथवा इसके मरम्मत/रखरखाव या वृद्धि के लिए अनुबंधात्मक प्रतिबद्धता शून्य है।

म.प्र.ए. के.के.ए.एम

कम्पनी ने अपने निवेश सम्पत्तियों के लिए वार्षिक स्वतंत्र मूल्यांकन कराया है। उचित मूल्य का सबसे अच्छा प्रमाण इसी प्रकार की सम्पत्तियों के लिए सक्रिय बाजार में वर्तमान कीमत है।

निवेश पर सम्पत्तियों का उचित मूल्य पूरे देश में स्वतंत्र मूल्यांकनों द्वारा निर्धारित किया गया है। उपयोग की गई मुख्य इनपुट सम्पत्ति की सरकारी दरें हैं। निवेश सम्पत्तियों सभी परिणाम उचित मूल्य स्तर-3 में शामिल किए गए हैं।

फु.के.ए.एम 7 % फु.के.ए.एम

फु.के.ए.एम 7-1 % फु.के.ए.एम

फु.के.ए.एम

फु.के.ए.	31 एप्रिल 2018	31 एप्रिल 2017
फु.के.ए.एम		
फु.के.ए.एम & फु.के.ए.एम		
आंध्र प्रदेश राज्य बीज विकास निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 90,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2018: 90,000)	90.00	90.00
हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 1,13,312 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2018: 1,13,312)	113.31	113.31
उत्तरांचल बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 84,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2018: 84,000)	84.00	84.00
महाराष्ट्र राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 1,48,330 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2018: 1,48,330)	148.33	148.33
बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 63,829 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2018: 63,829)	63.83	63.83
घटाएं: शेयरो के मूल्यों में कमी के लिए प्रावधान	(63.83)	(63.83)
फु.के.ए.एम		
बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 3,226 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2018: 3,226)	3.23	3.23
फु.के.ए.एम शेयरो के मूल्यों में कमी के लिए प्रावधान	(3.23)	(3.23)
कुल (क) का (i)	435.64	435.64
(ii) फु.के.ए.एम & फु.के.ए.एम		
उड़ीसा राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 25,039 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2018: 25,039)	588.66	434.93
कर्नाटक राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 62,230 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2018 पिछले वर्ष 62,230)	561.94	544.51
पंजाब राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 96,151 इक्विटी शेयर (1 अप्रैल, 2018 : 96,151)	410.56	410.56
मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम में प्रत्येक 10000 रु. के पूर्णत प्रदत्त 482 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2018:482)	73.97	73.97

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

	Land	Building	Total
Closing balance as at 31-03-2019	-	395.74	395.74
Note:-			
Investment Property acquired	-	-	-
Investment Property self constructed	-	-	-
	-	-	-

Note:

Contractual commitment for purchase, construction or development of investment property or for its repair maintenance or enhancement are Nil

Estimation of Fair Value

The company obtains independent valuation for its investment properties at least annually. The best evidence of fair value is current prices in active market for similar properties.

The fair value of investment properties have been determined by Independent valuers throughout the country. The main inputs used are Government rates of Property. All resulting fair value for investment properties are included in level 3.

Note: 7 Investment

Note: 7.1 Non Current Investment

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2019	31 March 2018
a) Investment in equity instruments		
(i) Associates at cost		
90,000 [31-March-18 : 90,000] Equity Shares of ₹100 each fully paid-up of Andhra Pradesh State Seeds Development Corporation Ltd.	90.00	90.00
1,13,312 [31-March-18 : 1,13,312] Equity Shares of ₹100 each fully paid-up of Haryana Seeds Development Corporation Ltd.	113.31	113.31
84,000 [31-March-18 : 84,000] Equity Shares of ₹100 each fully paid-up of Uttarakhand Seeds & Tarai Development Corporation Ltd.	84.00	84.00
1,48,330 [31-March-18 : 1,48,330] Equity Shares of ₹ 100 each fully paid-up of Maharashtra State Seeds Corporation Ltd.	148.33	148.33
63,829 [31-March-18 : 63,829] Equity Shares of ₹100 each fully paid-up of Bihar Rajya Beej Nigam Ltd.	63.83	63.83
Less: Provision for diminution in value of shares	(63.83)	(63.83)
Share application money paid:*		
3,226 [31-March-18 : 3,226] Equity Shares of ₹100 each fully paid-up of Bihar Rajya Beej Nigam Ltd.	3.23	3.23
Less: Provision for diminution in value of shares	(3.23)	(3.23)
Total a) (i)	435.64	435.64
(ii) Others at Fair Value through Other Comprehensive Income		
25,039 [31-March-18 : 25,039] Equity Shares of ₹100 each fully paid-up of Odisha State Seeds Corporation Ltd.	588.66	434.93
62,230 [31-March-18 : 62,230] Equity Shares of ₹100 each fully paid-up of Karnataka State Seeds Corporation Ltd.	561.94	544.51
96,151 [31-March-18 : 96,151] Equity Shares of ₹100 each fully paid-up of Punjab State Seeds Corporation Ltd	410.56	410.56
482 [31-March-18 : 482] Equity Shares of ₹10000 each fully paid-up of Madhya Pradesh Rajya Beej Evam Farm Vikas Nigam	73.97	73.97

jkVfr, chl fuxe fyfeVM
31 ekpZ 2019 dks l ekr o'kZdh foVkr, fooj.k ij fVli.f.k ka

fooj.k	31 ekpZ 2018	31 ekpZ 2017
राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 1,13,930 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2018: 1,13,930)	1,599.58	1,592.74
सरस्वती किसान सहकारी शुगर मिल लिमिटेड बहराइच में प्रत्येक 200 रु. के पूर्णत प्रदत्त 2500 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2018: 2500)	5.00	5.00
को-ऑपरेटिव औद्योगिक वसाहत लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 05 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2018: 05)	0.01	0.01
dy ½dk (ii)	3,239.72	3,061.72
dy d ¾ (i) S (ii)	3,675.36	3,497.36
[k vf/lekuh 'ls jkæafuošk (i), l k'k VI & ykr ij		
बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 37,021 अधिमानी शेयर (31 मार्च, 2018: 37,021)	37.02	37.02
घटाएं: शेयरो के मूल्यों में कमी के लिए प्रावधान	(37.02)	(37.02)
शेयर आवेदन प्रदत्त राशि*		
बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 2,304 अधिमानी शेयर (31 मार्च, 2018: 2,304)	2.30	2.30
घटाएं: शेयरों के मूल्यों में कमी के लिए प्रावधान	(2.30)	(2.30)
कुल (ख) का (i)	-	-
(ii) vU, if' k/kr ykr ij		
उड़ीसा राज्य बीज निगम लिमिटेड में 14,301 अधिगामी शेयर 11% प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त (31 मार्च, 2018: 14,301)	14.30	14.30
dy ¼dk (ii)	14.30	14.30
dy [k ¾ (i) S (ii)	14.30	14.30
dy xS pkywfuosk ½ S [½	3,689.66	3,511.66

fVli. k&7-2% pkywfuosk

¼- yk[k e½

fooj.k	31 ekpZ 2019	31 ekpZ 2018
d½E, ppy QM ea ykk glfu fuosk dsek; e l s उचित मूल्य पर निवेश	-	-
dy pkywfuosk	-	-
उद्धृत निवेश एवं उसका बाजार मूल्य की कुल राशि	-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि	3,689.66	3,511.66
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि	106.38	106.38

*बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड द्वारा शेयरो के आबंटन को उनके निदेशक मंडल ने दिनांक 31.1.1998 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया है, अभी भी शेयर प्रमाण पत्र जारी किए जाने हैं, निवेश को प्रदत्त शेयर आवेदन राशि के रूप में दिखाया गया है।

fVli. k %

टिप्पणी 7.1. (ख)(i)-(ii). बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के अधिमानी शेयर में निवेश को परिशोधित लागत पर लिया गया है, यद्यपि लाभांश के प्रभाव को लेखा बहियों में नहीं लिया जाता है क्योंकि निगम ने पिछले कई वर्षों से इस कम्पनी से कोई लाभांश प्राप्त नहीं किया है। उड़ीसा राज्य बीज निगम लिमिटेड के संचयी वरीयता लाभांश का प्रभाव किताबों में नहीं लिया गया है क्योंकि पिछले वर्षों से इसे प्राप्त नहीं किया गया है।

***l aHZfVli. k l ¼; k 64**

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Particulars	31 March 2019	31 March 2018
1,13,930 (31-March-18 : 1,13,930) Equity Shares of ₹100 each fully paid-up of Rajasthan State Seeds Corporation Ltd.	1,599.58	1,592.74
2,500 (31-March-18 : 2,500) Equity Shares of ₹200 each fully paid-up in Sharavasti Kissan Sehkari Sugar Mills Ltd. Nanpura, Janpad Bahraich(U.P)	5.00	5.00
5 (31-March-18 : 5) Equity Shares of ₹ 100 each fully paid-up of Cooperative Audhyogik Vasahat Ltd.	0.01	0.01
Total a) (ii)	3,239.72	3,061.72
Total a) {(i) + (ii)}	3,675.36	3,497.36
b) Investment in Preference Shares :		
(i) Associates at Cost		
37,021 [31-March-18 : 37,021] Preference Shares of ₹100 each fully paid-up of Bihar Rajya Beej Nigam Ltd.	37.02	37.02
Less: Provision for diminution in value of shares	(37.02)	(37.02)
Share application money paid: *		
2,304 [31-March-18 : 2,304] Preference Shares of ₹100 each fully paid-up of Bihar Rajya Beej Nigam Ltd.	2.30	2.30
Less: Provision for diminution in value of shares	(2.30)	(2.30)
Total b) (i)	-	-
(ii) Others at Amortised Cost		
14,301 (31-March-18 : 14,301) 11% Preference Shares of ₹100 each fully paid-up of Odisha State Seeds Corporation Ltd.	14.30	14.30
Total b) (ii)	14.30	14.30
Total b) {(i)+(ii)}	14.30	14.30
Total of Non-Current Investments (a+b)	3,689.66	3,511.66

Note: 7.2 Current Investments

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2019	31 March 2018
a) Investment at Fair Value Through Profit and Loss		
Investment in Mutual Funds	-	-
Total of Current Investment	-	-
Aggregate amount of quoted investment and market value there of	-	-
Aggregate amount of unquoted investment	3,689.66	3,511.66
Aggregate amount of impairment in value of investment	106.38	106.38

* The allotment of shares by Bihar Rajya Beej Nigam Ltd. have been approved by their Board of Directors in its meeting held on 3.1.1998. Since the share certificates are yet to be issued, the investments are shown as Share Application Money paid.

Notes:

Note 7.1 (b) (i) & (ii) : Investment in preference shares of Bihar Rajya Beej Nigam Ltd are carried at Amortised cost, however impact of cumulation of dividend is not taken in books, since company has not recieved dividend since past serveral years. Impact of cummulative preference dividend for Odisha State Seeds Corporation Ltd. has not been taken in the books since the same has not been received for previous years.

Refer Note No. 64



jkVfr, cht fuxe fyfeVM
31 ekpZ 2019 dks l ekr o"VZdh foVfr, fooj.k ij fVli.f.k ka

fVli.k&8 %vU, foVfr, ifjl á fYk ka

¼- yk|ke½

fooj.k	31 ekpZ 2019	31 ekpZ 2018
प्रत्याभूत जमा		
वसूली वाले	270.57	233.48
संदिग्ध वसूली वाले	19.95	20.60
	290.52	254.08
घटाएं : संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए अलाउन्स	(19.95)	(20.60)
dy	270.57	233.48

fVli.k&9 %vU, x\$ pkywifjl á fYk ka

¼- yk|ke½

fooj.k	31 ekpZ 2019	31 ekpZ 2018
iw lkr vfxe*		
अप्रत्याभूत, वसूली वाले जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट	97.75	97.75
कुल	97.75	97.75

*l aHfVli.k l a4½ii½

fVli.k&10 %vLFkxr dj ifjl á fYk ka

शेष में अस्थायी अंतर शामिल है

¼- yk|ke½

fooj.k	31 ekpZ 2019	31 ekpZ 2018
vLFkxr dj ifjl á fYk ka		
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43 बी के अंतर्गत	2,146.70	2,457.58
डिसअलाउन्सज संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	2,472.52	588.70
अन्य	561.27	581.85
	-	-
dy	5,180.49	3,628.13
vLFkxr dj ns rk a		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण से संबंधित	393.60	352.86
निवेश का पुनर्मूल्यांकन	470.99	435.39
	864.59	788.25
vLFkxr dj ifjl á fYk ka ¼vLFkxr dj ns rk a dk fuoy½	4,315.90	2,839.88

fVli.k l 4; k 10-1 %vLFkxr dj ifjl á fYk ka ns rk a exrfok/k k

¼- yk|ke½

fooj.k	i hi lbZ, oavxkxj l á fYk ka	i ho/ku	fuoš k	43ch	vU	dy
1 vi\$y] 2017 dks	(381.08)	601.47	(320.53)	2,247.74	767.93	2,915.53
प्रभारित / (जमा)	-	-	-	-	-	-
लाभ हानि के लिए -	28.22	(12.77)	-	31.12	(186.08)	(139.51)
अन्य व्यापक आय के लिए	-	-	(114.86)	178.72	-	63.86
31 ekpZ 2018	(352.86)	588.70	(435.39)	2,457.58	581.85	2,839.88
प्रभारित / (जमा)	-	-	-	-	-	-

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Note:- 8: Other financial assets

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2019	31 March 2018
Security Deposit		
Considered Good:	270.57	233.48
Considered Doubtful	19.95	20.60
	290.52	254.08
Less: Allowances for Doubtful Loans & Advances	(19.95)	(20.60)
Total	270.57	233.48

Note: - 9: Other non-current assets

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2019	31 March 2018
Capital Advances*		
Unsecured, considered good unless otherwise specified	97.75	97.75
Total	97.75	97.75

*Note: Refer note no. 44(vii)

Note: 10 Deferred Tax Assets

The balance comprises temporary differences attributable to:

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2019	31 March 2018
Deferred Tax Assets		
Disallowances under section 43B of Income Tax Act, 1961	2,146.70	2,457.58
Provision for doubtful debts & advances	2,472.52	588.70
Others	561.27	581.85
	-	-
Total	5,180.49	3,628.13
Deferred Tax Liability		
Related to Property plant and equipment	393.60	352.86
Revaluation of Investment	470.99	435.39
	864.59	788.25
Deferred Tax Asset (Net of deferred tax liability)	4,315.90	2,839.88

Note: 10.1 Movement in deferred Tax assets/liabilities:

(₹ in lakhs)

Particulars	PPE and Intangible assets	Provisions	Investment	43B	Other	Total
At 1 April 2017	(381.08)	601.47	(320.53)	2,247.74	767.93	2,915.53
Charged/(credited)	-	-	-	-	-	-
To Profit & Loss	28.22	(12.77)	-	31.12	(186.08)	(139.51)
To other comprehensive income	-	-	(114.86)	178.72	-	63.86
At 31 March 2018	(352.86)	588.70	(435.39)	2,457.58	581.85	2,839.88
Charged/(credited)	-	-	-	-	-	-

जकवृत्त चतुर्मासिक वार्षिक
31 एप्रिल 2019 तक की अवधि के लिए वार्षिक आयकरी के लिए

वर्ष	लाभ हानि के लिए	अन्य व्यापक आय के लिए	31 एप्रिल 2019	अवधि	वर्ष	लाभ हानि के लिए	अन्य व्यापक आय के लिए	31 एप्रिल 2018
	(40.74)	-	(393.60)	1,883.81	-	(274.98)	(35.91)	2,050.00
	-	-	2,472.52	(470.99)	(35.91)	-	2,146.70	400.00
	(393.60)	-	2,472.52	(470.99)	2,146.70	561.27	4,315.90	400.00

वर्ष के लिए लाभ पर चालू कर
पिछले वर्ष के चालू आयकर से संबंधित समायोजन

1/4 - यकरी के लिए

वर्ष	31 एप्रिल 2019	31 एप्रिल 2018
वर्ष के लिए लाभ पर चालू कर	2,050.00	400.00
पिछले वर्ष के चालू आयकर से संबंधित समायोजन	145.48	-
द्वि-वर्षिक आयकरी के लिए	2,195.48	400.00

वर्ष के लिए लाभ पर चालू कर

वर्ष	31 एप्रिल 2019	31 एप्रिल 2018
अस्थगित कर पहचान	(1,547.51)	139.51
द्वि-वर्षिक आयकरी के लिए	(1,547.51)	139.51
जारी परिचालन के लिए आयकर व्यय के कारण	647.97	539.51

वर्ष के लिए लाभ पर चालू कर

1/4 - यकरी के लिए

वर्ष	31 एप्रिल 2019	31 एप्रिल 2018
निवेश का उचित मूल्यांकन	35.60	(114.86)
परिभाषित लाभ का पुनः निर्धारण	35.91	178.72
ओसीआई के लिए इंगित आयकर	71.51	63.86

वर्ष के लिए लाभ पर चालू कर

1/4 - यकरी के लिए

वर्ष	31 एप्रिल 2019	31 एप्रिल 2018
जारी परिचालन से कर पूर्व लेखांकन लाभ	4,779.89	3,037.01
गैर चालू परिचालन से कर पूर्व लाभ/(हानि)	-	-
वर्ष के लिए आयकरी के लिए	4,779.89	3,037.01
34.94% की भारत की सांविधिक आयकर दर (31 मार्च 2018: 34.61%)	1,670.29	1,051.14
आयकर पर ब्याज	32.86	-
वर्ष के लिए आयकरी के लिए	-	-
कृषि आय (व्यय का निवल)	(1,242.50)	(462.24)
लाभांश आय (व्यय का निवल)	(10.36)	(21.13)
घरेलू संपत्ति आय	(49.28)	(45.36)
वर्ष के लिए आयकरी के लिए	-	-
निगमित सामाजिक उत्तदायित्व	51.89	39.02
सेवानिवृत्ति कर्मचारी कल्याण	(8.88)	(7.88)
पूर्णांक (Rounding off) कर प्रावधान सहित अन्य मदें	4.64	30.10
दर एवं अन्य मदों में परिवर्तन का प्रभाव	53.83	(44.14)
	502.49	539.51
वर्ष के लिए आयकरी के लिए	10.51%	17.76%

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Particulars	PPE and Intangible assets	Provisions	Investment	43B	Other	Total
To Profit & Loss	(40.74)	1,883.81	-	(274.98)	(20.58)	1,547.51
To other comprehensive income	-	-	(35.60)	(35.91)	-	(71.51)
At 31 March 2019	(393.60)	2,472.52	(470.99)	2,146.70	561.27	4,315.90

Income Tax & Deferred Tax

a) Income Tax Expenses

(₹ in lakhs)

Particulars	As at 31st March 2019	As at 31st March 2018
Current Tax on profits for the years	2,050.00	400.00
Adjustments in respect of current income tax of previous year	145.48	-
Total Current tax Expenses	2,195.48	400.00

b) Deferred tax

Particulars	As at 31st March 2019	As at 31st March 2018
Deferred tax recognition	(1,547.51)	139.51
Total Deferred Tax Expenses (Benefits)	(1,547.51)	139.51
Income tax expense attributable to continuing operations	647.97	539.51

Note: 10.2 Tax related to items recognised in OCI during the year:

(₹ in lakhs)

Particulars	As at 31st March 2019	As at 31st March 2018
Fair valuation of Investment	35.60	(114.86)
Re-measurement of defined benefits	35.91	178.72
Income tax charged to OCI	71.51	63.86

Note: 10.3 Reconciliation of tax expense and the accounting profit multiplied by India's domestic tax rate for 31st March 2019 and 31st March 2018:

(₹ in lakhs)

Particulars	As at 31st March 2019	As at 31st March 2018
Accounting profit before tax from continuing operations	4,779.89	3,037.01
Profit/(loss) before tax from a discontinued operation	-	-
Accounting profit before income tax	4,779.89	3,037.01
At India's statutory income tax rate of 34.94 % (31st March 2018: 34.61%)	1,670.29	1,051.14
Interest on Income Tax	32.86	-
Tax Effect due to Non taxable Income / Other Deductible Expenses	-	-
Agriculture income (Net of Expenses)	(1,242.50)	(462.24)
Dividend Income (Net of Expenses)	(10.36)	(21.13)
House property Income	(49.28)	(45.36)
Tax Effect due to non Deductible Expenses	-	-
Corporate Social Responsibility	51.89	39.02
Retired Employee Welfare	(8.88)	(7.88)
Other Items including rounding off of tax provision	4.64	30.10
Impact of Change in rate and other Items	53.83	(44.14)
	502.49	539.51
At effective Income tax rate	10.51%	17.76%

जैविक चिह्नित फसल उत्पादन
31 मार्च 2019 तक की वित्तीय जानकारी का

वित्तीय तालिका 10-4: योग्य फसल उत्पादन की वित्तीय जानकारी, अंतर्गत

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
वर्ष के लिए लाभ पर चालू कर	2,050.00	400.00
अस्थगित कर	(1,547.51)	139.51
पुनर्निर्धारण के लिए ओसीआई में निर्धारित कर		
वर्तमान वर्ष में कुल कर व्यय लाभ एवं हानि	502.49	539.51

वित्तीय तालिका 11: अन्य धन संचयन

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
तैयार माल	13,154.62	22,808.16
प्रमाणित पैकेजिंग एवं उपचार सामग्रियाँ	2,080.32	1,532.86
अनुपयोगी बीज	994.52	632.39
फार्म स्टॉक	6,801.23	7,911.50
अन्य (भंडार एवं कलपुर्जे, पीओएल, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, दवाईयाँ)	142.92	141.83
	-	-
कुल	23,173.61	33,026.74

वित्तीय तालिका 12: मूल्यांकन विधि पैरा (xi) टिप्पणी 2.2 उल्लेखनीय लेखा नीतियों का सार में दी गई है

वित्तीय तालिका 12: खरीद की वृद्धि का सार में दी गई है

विवरण	कुल	वर्ष		
		2017-18	2018-19	2019-20
1 अप्रैल 2017 तक	4,040.57	4,023.66	52.34	4,076.00
खरीद के कारण वृद्धि	-	-	-	-
जैविक बदलाव के कारण उचित मूल्य में परिवर्तन	222.19	5,470.20	7.62	5,477.82
मूल्य में बदलाव के कारण उचित मूल्य में परिवर्तन	-	-	-	-
माल स्टॉक में फसल सम्पत्तियों का स्थानांतरण	-	(4,023.66)	-	(4,023.66)
	-	-	-	-
31 मार्च 2018 तक	4,262.76	5,470.20	59.96	5,530.16
खरीद के कारण वृद्धि	-	-	-	-
जैविक बदलाव के कारण उचित मूल्य में परिवर्तन	(146.10)	7,238.77	20.48	7,259.25
मूल्य में बदलाव के कारण उचित मूल्य में परिवर्तन	-	-	-	-
माल स्टॉक में फसल सम्पत्तियों का स्थानांतरण	(102.39)	(5,470.20)	(1.78)	(5,471.98)
	-	-	-	-
31 मार्च 2019 तक	4,014.27	7,238.77	78.66	7,317.43

वित्तीय तालिका 12

- जैविक सम्पत्ति में खड़ी फसल तथा खड़े पेड़ शामिल हैं जोकि कम्पनी द्वारा अपने फार्मों पर उत्पादित किए जा रहे हैं।
- कम्पनी को अपने बीज व्यवसाय में कीटनाशकों और फसल पर मौसम के प्रभाव के जोखिम का सामना करना पड़ता है। इन जोखिमों को पौधों के निरंतर पोषण से कम किया जाता है।
- अन्य इकाई की जैविक सम्पत्ति के उचित मूल्य की गणना सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य के आधार पर की गई है। इन्हें निष्पक्ष मूल्य पदानुक्रम में स्तर-3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- 31 मार्च, 2019 को निगम के पास 2,94,958 पेड़ थे (31 मार्च, 2018 को 2,95,504 पेड़ थे)।
- 31 मार्च, 2019 को निगम के पास 21,398.85 हैक्टर थी (31 मार्च, 2018 को 21,826.71 हैक्टे.) वर्ष के दौरान कम्पनी ने 19,22,823 कि. (31 मार्च, 2018 को 11,56,133) प्रमाणित बीज की बिक्री की।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Note: 10.4 Tax expense for current year reported in Statement of Profit and Loss (₹ in lakhs)

Particulars	As At 31st March 2019	As At 31st March 2018
Current Tax on profit for the year	2,050.00	400.00
Deferred Tax	(1,547.51)	139.51
Deferred Tax in OCI for re-measurement		
Total tax expense for current year charged to statement of profit and loss	502.49	539.51

Note: 11 Inventories (₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2019	31 March 2018
Finished Goods	13,154.62	22,808.16
Certification, Packing and Treatment Materials	2,080.32	1,532.86
Unserviceable Seeds	994.52	632.39
Farm Stock	6,801.23	7,911.50
Others(Stores & Spares, POL, Printing & Stationary, Medicines)	142.92	141.83
	-	-
Total	23,173.61	33,026.74

Note: Valuation method is given in para (xi) note-2.2 Summary of Significant Accounting Policies.

Note: 12 Biological Asset other than bearer plants (₹ in lakhs)

Particulars	Non Current	Current		
	Trees	Standing Crops	Nursery	Total Current
Balance At 1 April 2017	4,040.57	4,023.66	52.34	4,076.00
Increase due to purchases	-	-	-	-
Changes in fair value due to biological transformation	222.19	5,470.20	7.62	5,477.82
Changes in fair value due to price changes	-	-	-	-
Transfer of harvested assets to inventory	-	(4,023.66)	-	(4,023.66)
	-	-	-	-
Balance At 31 March 2018	4,262.76	5,470.20	59.96	5,530.16
Increase due to purchases	-	-	-	-
Changes in fair value due to biological transformation	(146.10)	7,238.77	20.48	7,259.25
Changes in fair value due to price changes	-	-	-	-
Transfer of harvested assets to inventory	(102.39)	(5,470.20)	(1.78)	(5,471.98)
	-	-	-	-
Balance At 31 March 2019	4,014.27	7,238.77	78.66	7,317.43

Note:

- (i) Biological Assets comprises of the standing crops and standing trees which is being produced by the company in its own farms
- (ii) The Company's seeds business is exposed to risks from pests and the effect of the weather on crops. These risks are mitigated by continuous nurturing of plants.
- (iii) The fair value of biological assets of other entity were calculated based on quoted price in active market that the entity can access at the measurement date. They are classified as level 3 fair values in fair value hierarchy.
- (iv) As at 31st March 2019, there were **2,94,958** No. of trees plantation (31st March 2018: **2,95,504**)
- (v) As at 31st March 2019, there were **21,398.85 hectare** of cultivation. (31st March 2018: **21,826.71 hectare of cultivation**). During the year, the company sold **19,22,823 quintals** of certified seeds (31st March 2018: 11,56,133 quintals of certified seeds).

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Note: 13 Trade Receivables

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2019		31 March 2018	
Receivables from related parties	-		-	
Receivables from Others				
Considered Good, Unsecured	32,126.17		24,587.85	
Significant increase in Credit Risk	3,087.03	35,213.20	794.31	25,382.16
Less: Allowances for bad and doubtful debts	(3,087.03)		(794.31)	
Total Trade Receivables	32,126.17		24,587.85	

Note: - 14: Cash and cash equivalents

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2019	31 March 2018
(a) Balances with banks (of the nature of cash and cash equivalents)	1,255.18	989.69
(b) Cheques, drafts and stamps on hand	3.90	-
(c) Cash on hand	0.35	0.41
(d) Others (Deposits with original maturity of less than three months)	600.00	-
Total	1,859.43	990.10
Note: Balance of unutilised grant as on 31.03.2019 is ₹1388.77 lakhs (Previous Year ₹2468.57 lakhs)		

Note: - 15: Bank Balances other than cash and cash equivalents

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2019	31 March 2018
(a) Earmarked balances with banks:	-	-
Balance with bank for Assistance for boosting seeds production in Pvt. Sector	9.52	152.74
(b) Fixed deposit held as margin money/security against bank borrowings/guarantee	202.34	260.58
Total	211.86	413.32

Note:- 16: Other financial Assets

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2019		31 March 2018	
a) Accrued				
Interest accrued on deposit	17.35		18.48	
b) Other Receivables				
- Considered good	913.60		930.58	
- Considered Doubtful	40.09		8.76	
	953.69		939.34	
Less: Allowance for Doubtful Claims	(40.09)	913.60	(8.76)	930.58
c) Claims Receivables				
- Considered good	76.01		83.86	
- Considered Doubtful	6.80		6.80	
	82.81		90.66	
Less: Allowance for Doubtful Claims	(6.80)	76.01	(6.80)	83.86

जकवत, चत फुखे फुवेवम
31 एपु 2019 दसल एरु ओरुध फुवत, फुज. कौज फुल्लि. क का

फुज. क	31 एपु 2019	31 एपु 2018
कुकुत @मरुनु वकुतु ल गक रकुतु दुसु:) कुर ल कुकु ल सुल युह ; क ; %	-	
- वसुली वाले	20,080.64	15,634.29
- सुदुगुध वसुली वाले	2,715.71	446.93
	22,796.35	16,081.22
घटुएं : सुदुगुध दुरुवु कु ललु भतुतु	(2,715.71) 20,080.64	(446.93) 15,634.29
कुकुतु @मरुनु वकुतु ल गक रकुतु दुसु:) कुकु ल कुकु ल सुल युह ; क ; %		
- वसुली वाले	6,018.43	7,146.27
- सुदुगुध वसुली वाले	1,031.93	349.67
	7,050.36	7,495.94
घटुएं : सुदुगुध दुरुवु कु ललु भतुतु	(1,031.93) 6,018.43	(349.67) 7,146.27
कुकुतु ल सुल युह ; क ; %		
अडुरतुतुतुतुतु, वसुली वाले	72.49	54.51
अडुरतुतुतुतुतु सुदुगुध वसुली वाले	4.02	4.02
	76.51	58.53
घटुएं : सुदुगुध दुरुवु कु ललु भतुतु	(4.02) 72.49	(4.02) 54.51
कुकु	27,178.52	23,867.99

*केनुदुरीतु सरकुरु/रुकुतु सरकुरु सु डुररुतु खरुकु कु अरुथुक सुरुतुतुतु/अनुदुतुनु/डुरतुडुरतुतु कु ललु कुरेडुतु सुनुडुधतु डुररुधुकुरुी सु दुरुवु डुरगुतु ररुशु कु अरुधुरु डुर ललुतु गुरुतु है, सुडुररुतुतुनु कु अडुधुनु, तदु कुकु हु, सुनुडुधतु डुररुधुकुरुीरुतुतु दुरुवु इसुकु अंतुतुतु नुडुतुनु/सुवीकुरतु कु सुडुतु कुरलुतु कुरुतु है।

फुल्लु. क ल कु ; क 17 % डुरकुतुतु ल लु लु क

कु- डुकुकु कु

फुज. क	31 एपु 2019	31 एपु 2018
अडुरतुतुतुतुतु एतु सुतुतु डुर कर व कर कटुतुतु (नुवल)	3,221.05	2,066.07
कुकु	3,221.05	2,066.07

फुल्लु. क ल कु ; क 18% वतु डुरकुतुतु अतु क

कु- डुकुकु कु

फुज. क	31 एपु 2019	31 एपु 2018
कुकुतुतु वकुतु		
उतुतुतुतुतु कु अडुरतुतुतु		
अडुरतुतुतुतुतु वसुली वाले	5,471.74	4,613.03
अडुरतुतुतुतुतु सुदुगुध वसुली वाले	199.47	52.07
	5,671.21	4,665.10
घटुएं : सुदुगुध अडुरतुतुतुतु कु ललु भतुतु	(199.47) 5,471.74	(52.07) 4,613.03
अनुतुतु कु अडुरतुतुतु		
अडुरतुतुतुतुतु वसुली वाले	(12.47)	113.71
अडुरतुतुतुतुतु सुदुगुध वसुली वाले	2.75	1.76
	(9.72)	115.47
घटुएं : सुदुगुध अडुरतुतुतुतु कु ललु भतुतु	(2.75) (12.47)	(1.76) 113.71

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Particulars	31 March 2019		31 March 2018	
d) Recoverable from Govt. of India against *				
sales/production-subsidy/Minikits:	-			
- Considered Good	20,080.64		15,634.29	
- Considered Doubtful	2,715.71		446.93	
	22,796.35		16,081.22	
Less: Allowance for Doubtful Claims	(2,715.71)	20,080.64	(446.93)	15,634.29
e) Recoverable from state government against: *				
sales/production subsidy:				
- Considered Good	6,018.43		7,146.27	
- Considered Doubtful	1,031.93		349.67	
	7,050.36		7,495.94	
Less: Allowance for Doubtful Claims	(1,031.93)	6,018.43	(349.67)	7,146.27
f) Recoverable from staff				
Unsecured, Considered Good	72.49		54.51	
Unsecured Considered Doubtful	4.02		4.02	
	76.51		58.53	
Less: Allowance for Doubtful claims	(4.02)	72.49	(4.02)	54.51
TOTAL		27,178.52		23,867.99

*Credit for subsidies/grants-in-aid/reimbursement of expenses receivable from Central/State Government have been taken on the basis of amount claimable from respective authority subject to adjustment, if any, being made at the time of final settlement/acceptance of the same by the respective authority.

Note 17 : Current Tax Assets

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2019	31 March 2018
Advance Tax & Tax Deducted At Source (Net)	3,221.05	2,066.07
Total	3,221.05	2,066.07

Note 18: Other Current Assets

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2019		31 March 2018	
a) Other Advances				
<u>Advance to Growers</u>				
Secured, Considered Good	5,471.74		4,613.03	
Unsecured, Considered Doubtful	199.47		52.07	
	5,671.21		4,665.10	
Less: Allowance for Doubtful Advances	(199.47)	5,471.74	(52.07)	4,613.03
<u>Advance to Others</u>				
Secured, Considered Good	(12.47)		113.71	
Unsecured, Considered Doubtful	2.75		1.76	
	(9.72)		115.47	
Less: Allowance for Doubtful Advances	(2.75)	(12.47)	(1.76)	113.71



jkVh, ch fuxe fyfeVM
31 ekpZ 2019 dks l ekr o"lk dh foVh, fooj.k ij fVli.f.k ka

fooj.k	31 ekpZ 2019	31 ekpZ 2018
[k/2vU] पूर्व प्रदत्त व्यय	34.20	36.51
x1/2nka वसूली योग्य दावे	80.50	80.50
?k/2LVkQ dks vfxe अप्रत्याभूत वसूली वाले	43.35	68.15
अप्रत्याभूत संदिग्ध वसूली वाले	-	-
	43.35	68.15
घटाएं : संदिग्ध दावे के लिए भत्ता	-	-
प्राप्य योग्य जीएसटी इनपुट कर	28.54	1.36
dy	5,645.86	4,913.26

*वर्ष 2017-18 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल से स्टॉक की चोरी के लिए पार्टी से रु. 80.50 लाख वसूली योग्य है। पार्टी के विरुद्ध परक्राम्य अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दायर किया हुआ है।

fVli.kh l d; k 19 %bfDoVh 'ks j iwh

1/- yk[k e2

fooj.k	31 ekpZ 2019	31 ekpZ 2018
ik/k-r 'ks j iwh प्रत्येक 1000 रु. के 17,36,100 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 17,36,100)	17,361.00	17,361.00
	17,361.00	17,361.00
fuxZer] vfHkYk , oapdrk प्रत्येक 1000 रु. के पूर्णतः प्रदत्त 5,73,199 (पिछले वर्ष 5,73,199)	5,731.99	5,731.99
	5,731.99	5,731.99

(i) bfDoVh 'ks jkh dh l d; k , oacdk jkf'k dk feyku

1/- yk[k e2

fooj.k	31 ekpZ 2019		31 ekpZ 2018	
	'ks jkh dh l d; k	jkf'k	'ks jkh dh l d; k	jkf'k
वर्ष के प्रारंभ में लंबित शेयर	5,73,199	5,731.99	5,73,199	5,731.99
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत तक जारी/अभिदत्त एवं लंबित प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	5,73,199	5,731.99	5,73,199	5,731.99

(ii) bfDoVh 'ks jkh l st Yh 'kr@vf/kdkj

कंपनी के पास रु. 1000 के सम मूल्य वाले इक्विटी शेयरों की एक ही श्रेणी है। प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। निर्देशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश, सिवाय अंतरिम लाभांश के आगामी शेयर धारकों की बैठक के अनुमोदन के अधीन होता है, परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक अपने शेयरधारिता के अनुपात में सभी अधिमानी राशि के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने का हकदार है।

(iii) dáuh ea5% l svf/kd 'ks j /kjd dk fooj.k

'ks j gMj dk ule	31 ekpZ 2019		31 ekpZ 2018	
	'ks jkh dh l d; k	Jsh ea% /kjd	'ks jkh dh l d; k	Jsh ea% /kjd
भारत सरकार	5,73,199	100%	5,73,199	100%
dy	5,73,199	100%	5,73,199	100%

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Particulars	31 March 2019		31 March 2018	
b) Others				
Prepaid Expenses		34.20		36.51
c) Claims				
Claims recoverable		80.50		80.50
d) Advance to staff				
Unsecured, Considered Good	43.35		68.15	
Unsecured Considered Doubtful	-		-	
	43.35		68.15	
Less: Allowance for Doubtful claims	-	43.35	-	68.15
GST Input Tax Receivable		28.54		1.36
T O T A L		5,645.86		4,913.26

*Claims recoverable of ₹80.50 lakhs from party for theft of stock during 2017-18, under RO Bhopal. Case has been filed against party under negotiable instrument Act.

Note: - 19: Equity Share capital

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2019	31 March 2018
Authorised share capital		
17,36,100 (previous Year 17,36,100) Equity Shares of ₹ 1000 each	17,361.00	17,361.00
	17,361.00	17,361.00
Issued/Subscribed And Paid up Capital		
5,73,199 (previous Year 5,73,199) Equity Shares of ₹ 1000 each	5,731.99	5,731.99
	5,731.99	5,731.99

(i) Reconciliation of the number of equity shares and share capital Outstanding

(₹ in lakhs)

Particulars	As at 31 March 2019		As at 31 March 2018	
	No of shares	Amount	No of shares	Amount
Shares outstanding at the beginning of the year	5,73,199	5,731.99	5,73,199	5,731.99
Add: Shares Issued during the year	-	-	-	-
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the end of the year	5,73,199	5,731.99	5,73,199	5,731.99

(ii) Terms/Rights Attached to Equity Shares

The Company has one class of equity shares having a par value of ₹1,000 per share. Each shareholder is eligible for one vote per share held. The dividend proposed/ to be proposed by the Board of Directors is subject to approval of the shareholders in the ensuing Annual General Meeting, except in case of interim dividend. In the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the Company after distribution of all preferential amounts, in proportion to their shareholding.

(iii) Details of shares held by each shareholder holding more than 5% shares in the company

Name of the shareholder	As At 31 March 2019		As At 31 March 2018	
	No. of Shares	% holding in the class	No. of Shares	% holding in the class
Government of India	5,73,199	100%	5,73,199	100%
Total	5,73,199	100%	5,73,199	100%

जि.के.ए.सी. फुल टाइम
31 एप्रिल 2019 को लागू होने वाले फुल टाइम एनएससी के लिए

- (iv) क एनएससी ने प्रत्येक पूर्णतः चुकता रु. 1000 के अंकित मूल्य के साथ ही इक्विटी शेयर जारी किए हैं।
ख एनएससी ने कोई अधिमानी शेयर जारी नहीं किए।
ग एनएससी के द्वारा जीडीपी के विरुद्ध गैर परिवर्तनीय डिबेंचर, बाण्ड, परिवर्तनीय अवधि ऋण, शेयरवॉरंट जारी नहीं किए गए।
घ एनएससी के द्वारा शेयरों की जब्ती नहीं की गई और इसके परिणामस्वरूप जब्त शेयरों में कोई पुनः निर्गम नहीं हुआ।
ङ एनएससी ने अब तक अपने शेयरों की वापसी खरीद नहीं की।
च दो शेयरों को छोड़कर शेष सभी इक्विटी शेयर एनएससी के द्वारा जारी किए हैं, जो भारत के राष्ट्रपति के नाम पर है। एक-एक शेयर क्रमशः अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएससी एवं अवर सचिव, भारत सरकार के नाम पर है।
- v **एनएससी के लिए जारी किए गए शेयरों का विवरण**

फुल टाइम	31 एप्रिल 2019	31 एप्रिल 2018	31 एप्रिल 2017	31 एप्रिल 2016	31 एप्रिल 2015
नकदी के अलावा विचारार्थ जारी इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-
बोनस शेयर के रूप में पूर्ण रूप से प्रदत्त जारी इक्विटी शेयर	-	-	-	31,490	-
वापस खरीदे गए इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-

एनएससी के लिए जारी किए गए शेयरों का विवरण

₹- करोड़

फुल टाइम	31 एप्रिल 2019	31 एप्रिल 2018
(क) प्रतिधारित उपार्जन	56,815.59	53,489.98
(ख) अन्य आरक्षित		
(i) खर्च न की गई सीएसआर आरक्षित	330.08	355.65
(ii) सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण आरक्षित	91.77	104.93
(iii) भूमि विकास आरक्षित	392.27	363.02
(iv) एफवीटीओसीआई इक्विटी निवेश	2,418.18	2,275.78
कुल	60,047.89	56,589.36

₹- करोड़

फुल टाइम	31 एप्रिल 2019	31 एप्रिल 2018
लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	53,489.98	52,787.90
घटाएं : जारी किए गए बोनस शेयर	-	-
तदनुसार वर्ष के लिए लाभ	4,131.93	2,497.50
तदनुसार परिभाषित लाभ योजना के पुन निर्धारण के लिए अन्य व्यापक आय से लाभ / (हानि) (कर प्रभाव का निवल)	71.41	(332.74)
	57,693.32	54,952.66
प्रतिफल		
लाभांश प्रदत्त	(749.25)	(1,203.10)
लाभांश वितरण कर	(154.05)	(244.92)
खर्च न की गई सीएसआर आरक्षित में स्थानांतरण	25.57	(14.66)
एनएससी के लिए जारी किए गए शेयरों का मूल्य	(877.73) 56,815.59	(1,462.68) 53,489.98

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

- (iv)a. NSC has issued only equity shares with face value of ₹1000/- each fully paid up.
- b. No preference shares have been issued by NSC.
- c. No convertible debentures, bonds, convertible term loan, share warrants against GDF has been issued by NSC.
- d. No forfeiture of shares have been done by NSC and consequently there is no reissue of forfeited shares.
- e. NSC did not buy back its own shares so far.
- f. All the equity shares except two shares as have been issued by NSC are in the name of President of India. One each in the name of CMD and US Seeds respectively.
- (v) **Aggregate number of equity shares issued for consideration other than cash, bonus shares issued and shares bought back during the Year:-**

Particulars	As At 31st March 2019	As At 31st March 2018	As At 31st March 2017	As At 31st March 2016	As At 31st March 2015
Equity Shares issued for consideration other than cash	-	-	-	-	-
Equity Shares issued as fully paid up bonus shares	-	-	-	31,490	-
Equity Shares bought back	-	-	-	-	-

Note - 20: Other Equity

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2019	31 March 2018
(a) Retained Earnings	56,815.59	53,489.98
(b) Other Reserves		
(i) Unspent CSR Reserve	330.08	355.65
(ii) Retired Employees Welfare Reserve	91.77	104.93
(iii) Land Development Reserve	392.27	363.02
(iv) FVTOCI Equity Investment	2,418.18	2,275.78
Total	60,047.89	56,589.36

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2019	31 March 2018
(a) Retained Earnings		
Surplus in Statement of Profit and Loss:		
Balance as at the beginning of the year	53,489.98	52,787.90
Less: Bonus shares issued	-	-
Add: Profit for the year	4,131.93	2,497.50
Add : Profit/(Loss) from Other comprehensive Income for Re-measurement of defined benefits plans (net of tax effect)	71.41	(332.74)
	57,693.32	54,952.66
Less:		
Dividend Paid	(749.25)	(1,203.10)
Dividend Distribution Tax	(154.05)	(244.92)
Transferred to Unspent CSR Reserve	25.57	(14.66)
Balance as at the end of the year	(877.73) 56,815.59	(1,462.68) 53,489.98

जकवत, चत फुखे फयेवम
31 एप्री 2019 दसले कर ओडिच फोवत, फोज. कौज फलिफ. क का

फोज. क	31 एप्री 2019	31 एप्री 2018
1/4 क/2 वु वकजफकर		
1/2 [कपु dh xbZl h l vj vjफकर		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	355.65	340.99
त 1/5% लाभ हानि विवरण में अधि शेष से स्थानांतरित	(25.57)	14.66
वर्ष के अंत में शेष	330.08	355.65
1/2 l ओफुओक देपुजिह दय; क क वकजफकर		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	104.93	122.30
वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान	12.26	5.40
?क/क a		
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	(25.42)	(22.77)
वर्ष के अंत में शेष	91.77	104.93
1/2 Hके फोदक वकजफकर		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	363.02	353.19
त 1/5% वर्ष के दौरान वृद्धि	29.25	32.92
?क/क a वर्ष के दौरान उपयोग	-	(23.09)
वर्ष के अंत में शेष	392.27	363.02
1/2, QoM/hvkl hvkbZbfDoVh fuosk		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	2,275.78	1,816.35
एफवीटीओसीआई इक्विटी निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन	178.00	574.28
अस्थगित कर	(35.60)	(114.85)
	2,418.18	2,275.78
	60,047.89	56,589.36

वकजफकर का धि z-fr , oamıs ;

, QoM/hvkl hvkbZbfDoVh fuosk

निगम ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से एसोशिएटस के अलावा इक्विटी में निवेश किए उचित मूल्यों में परिवर्तनों को अभिज्ञात किया है। इक्विटी में इन परिवर्तनों को एफवीटीओसीआई इक्विटी निवेश के तहत जमा किया गया है। कम्पनी इस आरक्षित से प्रतिधारित उपार्जन में तब राशि स्थानांतरण करती है जब इक्विटी प्रतिभूतियों को मान्यता नहीं दी जाती है।

[कपु dh xbZl h l vj vjफकर

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार पूर्ववर्ती वित्तीय तीन वर्षों के दौरान औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% सीएसआर गतिविधियों के लिए खर्च किया जाना चाहिए, तदनुसार सीएसआर गतिविधियों के लिए एक बजट निर्धारित किया गया था। सीएसआर बजट और सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई वास्तविक राशि का अंतर खर्च न की गई सीएसआर आरक्षित में स्थानांतरित कर दिया गया है।

l ओफुओक देपुजिह दय; क क वकजफकर

सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा निदेशक मंडल के अनुमोदन से, पिछले वर्ष के कर पूर्व लाभ को निर्धारित प्रतिशत पर गणना की गई राशि को लाभ/हानि विवरण एवं आरक्षित शीर्षक "सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण आरक्षित" पर दिखाया गया है।

Hके फोदक वकजफकर

भूमि विकास व्यय फार्मों के विकास पर किए गए व्यय का प्रतिनिधित्व करता है और वर्ष 1985-86 से स्थायी परिसंपत्तियों के रूप में माना गया है। मूल्यहास के बजाए, प्रति वर्ष डब्लू डी वी पर 5% की दर से भूमि विकास आरक्षित बनाया जा रहा है।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Particulars	31 March 2019	31 March 2018
(b) Other Reserves		
(i) Unspent CSR Reserve:		
Balance as at the beginning of the year	355.65	340.99
Add: Transferred from Surplus in Statement of Profit & Loss	(25.57)	14.66
Balance as at the end of the year	330.08	355.65
(ii) Retired Employees Welfare Reserve:		
Balance as at the beginning of the year	104.93	122.30
Add: Subscription received during the year	12.26	5.40
Less:		
Amount utilised during the year	(25.42)	(22.77)
Balance as at the end of the year	91.77	104.93
(iii) Land Development Reserve:		
Balance as at the beginning of the year	363.02	353.19
Add: Addition during the year	29.25	32.92
Less: Utilised during the year	-	(23.09)
Balance as at the end of the year	392.27	363.02
(iv) FVTOCI Equity Investment		
Opening Balance	2,275.78	1,816.35
Change in fair value of FVTOCI equity instrument	178.00	574.28
Deferred Taxes	(35.60)	(114.85)
	2,418.18	2,275.78
	60,047.89	56,589.36

Nature and purpose of Reserves

FVTOCI Equity Investment

The NSC has elected to recognize changes in fair value of investment in equity instruments other than associates through other comprehensive income. These changes are accumulated within the FVTOCI equity investments within equity. The company transfers amounts from this reserve to retained earnings when the relevant equity securities are de-recognized

Unspent CSR Reserve:

As per section 135 of the Companies Act 2013 at least 2% of the average net profit during the three immediately preceding financial years should be spent towards Corporate Social Responsibility, accordingly a budget was earmarked for the CSR activities. The difference of CSR budget and the actual amount spent on the CSR activity is transferred to unspent CSR Reserve.

Retired Employees Welfare Reserve:

In accordance with the guidelines of the Department of Public Enterprises, Government of India and approval of the Board of Directors, an amount computed at the prescribed percentage of the profit before tax of the previous year is charged to the statement of Profit and Loss and a Reserve titled "Retired Employees Welfare Reserve" is created for the corresponding amount.

Land Development Reserve:

The land development expenditure represents expenditure incurred on development of farm lands and has been treated as fixed assets from 1985-86. Instead of depreciation, land development Reserve is being created at the rate of 5% on W.D.V every year.



jk'Vh, cht fuxe fyfeVM
31 ekpZ 2019 dks l ekr o"ZdhnfoVh, foj.k ij fVli.f.k la

forfjr , oaiZrkfor

¼- yk[k e½

foj.k	31 ekpZ 2019	31 ekpZ 2018
bfDoVh 'ks j ij ?k'kr , oainYk udn ykHk		
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश: (रु.130.72 प्रति शेयर)	749.25	1,203.09
अंतिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	154.05	244.92
bfDoVh 'ks j ij iZrkfor ykHk*		
31 मार्च, 2019 समाप्त वर्ष के लिए प्रस्तावित लाभांश: (रु.216.26 प्रति शेयर)	1,239.58	749.25
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	254.86	154.05

*यह भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 07.05.2016 के अनुपालन में नहीं है क्योंकि निगम के लिए 3168 लाख रु. (निवल मूल्य का 05 प्रतिशत) का भुगतान करना संभव नहीं था जबकि वर्ष के दौरान कर पश्चात् लाभ रु. 41.32 करोड़ है। इसके अलावा निगम की नकदी प्रवाह की स्थिति बहुत गंभीर है क्योंकि निगम 7500 लाख रुपये की सीसी सीमा पर चल रहा है। इसके अलावा, निगम को अपनी सिंचाई प्रणाली में सुधार के अलावा स्वयं की चल रही पंजीकरण प्रक्रिया को वित्त पोषित करने के लिए बड़ी मात्रा में आंतरिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। उक्त दिशानिर्देशों से निगम को छूट देने के लिए पहले ही प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से छूट के लिए अनुरोध किया गया है।

fVli.kh l d; k 21 %i w hkr vuqku

¼- yk[k e½

foj.k	31 ekpZ 2019	31 ekpZ 2018
d½mi; ks fd; k x; k i w hkr vuqku		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	8,396.04	9,139.49
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रयोग किया गया	730.49	966.51
t k%eq; ky; @QeZl @dks LFkkr fjr	-	(5.00)
	9,126.53	10,101.00
?k%o"Zdhnfku l ek, kft r vuqku	-	(872.77)
?k%o"Zdhnfku dVh h w; gh ½	(929.83)	(832.19)
वर्ष के अंत में शेष	8,196.70	8,396.04
[k½ [kpZu fd; k x; k i w hkr vuqku		
(i) cht ijkk iz ks'kyk, oat hvh QeZ Zds mi dj. kadh [khn		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	58.39	219.94
मुख्यालय/फार्म से/को स्थानांतरित	-	-
जोड़े : वर्ष के दौरान वृद्धि	62.46	-
	120.85	219.94
घटाएं : उपयोग की गई राशि-पूंजीगत व्यय	(40.72)	(153.40)
घटाएं : उपयोग की गई राशि- राजस्व व्यय	(8.54)	-
घटाएं : अनउपयोगित राशि कृ.एवं कि.क. को वापस की गई	(0.56)	(8.15)
वर्ष के अंत में शेष	71.03	58.39

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Distribution made and proposed

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2019	For the year ended 31st March 2018
<u>Cash dividend on equity shares declared and paid</u>		
Final Dividend for the year ended 31st March 2018(₹ 130.72 per share)	749.25	1,203.09
Dividend distribution Tax on Final dividend	154.05	244.92
<u>Proposed Dividend on Equity shares*</u>		
Proposed Dividend at for the year ended 31.03.2019 (₹ 216.26 per share)	1,239.58	749.25
Dividend distribution Tax on Proposed Dividend	254.86	154.05

*Not in compliance of GOI OM dated 17-05-16 since it was not feasible for the corporation to pay ₹3168 lakhs (being 5% of the Net Worth) as PAT during the year is ₹41.32 Crores. Moreover the Cash Flow position is also highly precarious with the corporation thriving on a CC limit of ₹7500 lakhs. Further, a large amount of internal resources is to be ploughed back to Finance its own on-going capitalisation process including improvement of its irrigation system. Exemption request already submitted through the Administrative ministry, to exempt the Corporation from the guidelines issued.

Note : 21: Capital Grant

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2019	31 March 2018
a) Utilised capital grant:		
Balance as at the beginning of the year	8,396.04	9,139.49
Add: Utilised during the year	730.49	966.51
Add: Transferred from /to HO/Farms	-	(5.00)
	9,126.53	10,101.00
Less: Grant adjusted during the year	-	(872.77)
Less: Deductions during the year (Depreciation)	(929.83)	(832.19)
Balance as at the end of the year	8,196.70	8,396.04
(b) Unspent Capital Grant		
<u>i) For Procurement of equipment of Seed Testing Labs & For G.O.T. Farms</u>		
Balance as at the beginning of the year	58.39	219.94
Transferred from /to HO/Farms	-	-
Add: Addition during the year	62.46	-
	120.85	219.94
Less: Amount utilised -Capital Expenditure	(40.72)	(153.40)
Less: Amount utilised -Revenue Expenditure	(8.54)	-
Less: Unutilised amount refunded to MOA	(0.56)	(8.15)
Balance as at the end of the year	71.03	58.39

जकवत, चत फुखे फयेवम
31 एप्रै 2019 दसलेर ओरिध फोवत, फोज. कौज फुलि. क. का

fooj. k	31 एप्रै 2019	31 एप्रै 2018
(ii) <u>ल, ए, लिह दस्रग्र फु; कनह ल फो/कवक दक फुलक</u> वर्ष के प्रारंभ में शेष	1,370.75	874.66
जोड़े : वर्ष के दौरान वृद्धि	289.60	1,189.57
जोड़े : वर्ष के दौरान स्थानांतरित	-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	(583.04)	(693.48)
घटाएं : कृ.एवं कि.क. को स्थानांतरित	(5.00)	-
	1,072.31	1,370.75
(iii) <u>वकदोभक दस्रग्र लम दक/ख रदुहल दसविुकुसग्र</u> वर्ष के प्रारंभ में शेष	-	-
जोड़े : वर्ष के दौरान वृद्धि	225.00	-
जोड़े : वर्ष के दौरान स्थानांतरित	-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान उपयोग की गई	(87.08)	-
	137.92	-
(iv) <u>दह; वजहज. क दसफु,</u> वर्ष के प्रारंभ में शेष	-	11.76
जोड़े : वर्ष के दौरान वृद्धि	39.35	-
जोड़े : मुख्यालय/फार्म से/को स्थानांतरित	-	-
घटाएं : उपयोग की गई राशि – पूंजीगत व्यय	(19.65)	(11.76)
घटाएं : उपयोग की गई राशि – राजस्व व्यय	(4.36)	-
	15.34	-
(v) <u>ि' कक क वक क उ दसफु,</u> वर्ष के प्रारंभ में शेष	-	3.28
जोड़े : वर्ष के दौरान वृद्धि	23.48	4.72
घटाएं : प्रयोग की गई राशि	(16.92)	(8.00)
	6.56	-
(vi) <u>कखोकुह दस, दह-र फोदक दसफु, फे'कु ¼ एवकभह प½</u> वर्ष के प्रारंभ में शेष	-	178.77
जोड़े : वर्ष के दौरान प्राप्त	-	515.77
घटाएं : प्रयोग की गई राशि	-	(91.02)
घटाएं : स्थानांतरित राशि	-	(603.52)
	-	-
(vii) <u>वलेखर लजकjh वुणकु ½ दसकक cgj क ½</u> वर्ष के प्रारंभ में शेष	85.61	85.61
जोड़े : वर्ष के दौरान प्राप्त	-	-
घटाएं : प्रयोग की गई राशि	-	-
	85.61	85.61
(viii) <u>चत खो ; क उक दसफु, इ वहर वुणकु</u> वर्ष के प्रारंभ में शेष	940.81	979.87
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
घटाएं : प्रयोग की गई राशि	(940.81)	(39.06)
	-	940.81
(ix) <u>ककैज ओकै. क दसफु, फोवत, ल गक रक</u> वर्ष के प्रारंभ में शेष	3.00	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	18.95
घटाएं : प्रयोग की गई राशि	(3.00)	(15.95)
	-	3.00

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Particulars	31 March 2019	31 March 2018
<u>ii) For creation of Infrastructure Facilities under SMSP</u>		
Balance as at the beginning of the year	1,370.75	874.66
Add: Received during the year	289.60	1,189.57
Add: Transferred during the year	-	-
Less: Utilised during the year	(583.04)	(693.48)
less: Refunded to MOA	(5.00)	-
	1,072.31	1,370.75
<u>iii) For Adoption of seed coating technology under RKVY</u>		
Balance as at the beginning of the year	-	-
Add: Received during the year	225.00	-
Add: Transferred during the year	-	-
Less: Utilised during the year	(87.08)	-
	137.92	-
<u>iv) For Computerisation</u>		
Balance as at the beginning of the year	-	11.76
Add: Received during the year	39.35	-
Transferred from /to HO/Farms	-	-
Less: Amount utilised -Capital Expenditure	(19.65)	(11.76)
Less: Amount utilised -Revenue Expenditure	(4.36)	-
	15.34	-
<u>v) For conduction training</u>		
Balance as at the beginning of the year	-	3.28
Add: Received during the year	23.48	4.72
Less: Amount utilised	(16.92)	(8.00)
	6.56	-
<u>vi) For Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH)</u>		
Balance as at the beginning of the year	-	178.77
Add: Received during the year	-	515.77
Less: Amount utilised	-	(91.02)
Less: Amount Transferred	-	(603.52)
	-	-
<u>vii) Deferred Govt. Grant (CSF Bagraich)</u>		
Balance as at the beginning of the year	85.61	85.61
Add: Received during the year	-	-
Less: Amount utilised	-	-
	85.61	85.61
<u>viii) Capt. Grant for Seed Village Programme</u>		
Balance as at the beginning of the year	940.81	979.87
Additions during the year	-	-
Less: Amount utilised	(940.81)	(39.06)
	-	940.81
<u>ix) For Financial Assistance for Tree Plantation at Farms</u>		
Balance as at the beginning of the year	3.00	-
Addition during the year	-	18.95
Less: Amount utilised	(3.00)	(15.95)
	-	3.00

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Particulars	31 March 2019	31 March 2018
<u>x) Establishment of fish seeds hatchery and construction of new ponds.</u>		
Addition during the year	-	93.00
Less: Amount utilised	-	(93.00)
<u>xi) For 70th Anniversary of Indo Russian Diplomatic Relations</u>		
Addition during the year	-	20.97
Less: Amount utilised Capital Expenditure	-	(14.87)
Less: Amount utilised-Revenue Expenditure	-	(6.10)
<u>xii) Establishment of Agro residue based briquette making and gasification plant</u>		
Balance as at the beginning of the year	10.00	
Addition during the year	-	10.00
Less: Amount utilised	(10.00)	-
TOTAL (b)	1,388.77	2,468.56
Total(a)+(b)	9,585.47	10,864.60

Note: - 22 Borrowings

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2019	31 March 2018
<u>Secured Term Loan</u>		
From Bank	78.23	71.28
Total	78.23	71.28

Refer note 44(viii) for term loan from bank

Note:- 23: Other Financial liabilities

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2019	31 March 2018
Security and other Deposit	764.20	653.94
Gratuity (Refer Note: 73)*	2,499.73	3,383.00
Total	3,263.93	4,036.94

* Company provides for gratuity for employees in India as per the payment of gratuity Act, 1972. Employees who are in continuous service for a period of 5 years are eligible for gratuity. The amount of gratuity payable on retirement/termination is the employees last drawn salary (Basic + D.A) per month computed proportionately for 15 days salary per year multiplied for the number of years service. The gratuity plan is funded plan and company makes a contribution to the recognized fund in India.

jk'Vfr, chl fuxe fyfeVM
31 ekpZ 2019 dks l ekR o"Zdhd foVfr, foj.k ij fVli.f.k ka

fVli.k l d; k 24 %vU pkywns rk a

¼- yk[k e½

foj.k	31 ekpZ 2019	31 ekpZ 2018
परिक्रामी निधि के लिए		
सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत बीज उत्पादन*	150.00	150.00
सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत बीज उत्पादन-एसएफसीआई	150.00	150.00
बीज बैंक योजना की स्थापना एवं रख-रखाव**	379.55	379.55
-बीज बैंक योजना की स्थापना एवं रख-रखाव पूर्ववर्ती एसएफसीआई	163.63	163.63
	843.18	843.18
-क्रैश प्रोग्राम (तिलहन)***	147.00	147.00
	-	-
-क्रैश प्रोग्राम (तिलहन)-पूर्ववर्ती एसएफसीआई	60.00	60.00
	-	-
-क्रैश प्रोग्राम (दलहन)***	26.75	26.75
	-	-
-क्रैश प्रोग्राम (दलहन)- पूर्ववर्ती एसएफसीआई	-	-
	233.75	233.75
	-	-
उचित मूल्य समायोजन	44.40	30.15
कुल	1,121.33	1,107.08

*सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत बीज उत्पादन के लिए परिक्रामी निधि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत बीज उत्पादन के लिए परिक्रामी निधि में अनुदान राशि प्रदान की। यह निधि अलग खाते में रखी जानी थी और इसे कार्यशील पूंजी के रूप में प्रयोग किया जाना था। यह भी बताया गया कि उपयोग की गई निधि वापस जमा की गई थी। ताकि इस खाते में कोई कमी नहीं हो।

**बीज बैंक योजनाओं की स्थापना एवं रखरखाव व परिक्रामी निधि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बीज बैंक की स्थापना एवं रखरखाव के लिए परिक्रामी निधि के निर्माण हेतु निधि की मंजूरी प्रदान कर दी है। यह सहायता उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं दिशा निर्देश के अनुसार उपयोग किया जाना था तथा कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग को कार्यान्वयन योजना की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी।

***तिलहन एवं दलहन की गुणवत्ता बीज उत्पादन के लिए परिक्रामी क्रैश प्रोग्राम लागू करने के लिए परिक्रामी निधि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने दलहन की गुणवत्ता बीज उत्पादन के लिए परिक्रामी निधि के निर्माण हेतु निधि की मंजूरी प्रदान कर दी है। दलहनों के उत्पादन के लिए क्रैश प्रोग्राम की आयोजन हेतु निधि का प्रयोग किया जाना था।

fVli.k 25 % i ho/ku

¼- yk[k e½

foj.k	31 ekpZ 2019	31 ekpZ 2018
deZkjh fgrkdsfy, i ho/ku		
क्षतिपूरक अनुपस्थितियाँ*		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	2,932.37	3,508.12
वर्ष के दौरान वृद्धि	575.00	124.60
वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि	(679.33)	(700.35)
o"Zds va ea'k	2,828.04	2,932.37
सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	585.00	468.20
वर्ष के दौरान वृद्धि	45.56	116.80
o"Zds va ea'k	630.56	585.00

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Note: - 24: Other non current liabilities

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2019	31 March 2018
<u>Revolving Fund For:</u>		
Seed Production under Drought Prone Area*	150.00	150.00
Seed Production under Drought Prone Area-SFCI	150.00	150.00
For Establishment and maintenance of Seed Bank Scheme **	379.55	379.55
-For Establishment and maintenance of	163.63	163.63
<u>Seed Bank Scheme - erstwhile SFCI</u>	843.18	843.18
-Crash Programme (Oil Seeds)***	147.00	147.00
-Crash Programme (Oil Seeds)-SFCI	60.00	60.00
-Crash Programme(Pulses)***	26.75	26.75
-Crash Programme(Pulses)-SFCI	-	-
	233.75	233.75
	-	-
Fair Value Adjustment	44.40	30.15
Total	1,121.33	1,107.08

* Revolving fund for seed production under drought prone area. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare granted approval of fund for seed production under drought prone areas. This fund was to be kept in a separate account and to be used as working capital. It was also stated that the funds utilized were to be deposited back so that there should be no depletion from this account.

** Revolving fund for establishment and maintenance of Seed Bank Scheme. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare granted approval for release of funds for creation of revolving fund for the purpose of establishment and maintenance of seed bank. This assistance was to be used as per the guidelines and utilization certificate and progress of implementation scheme was to be submitted to DAC & FW.

*** Revolving fund for implementation of Crash Programme for Quality Seed Production of Oilseeds and Pulses. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare granted approval of revolving fund for the purpose of implementation of quality seed production of Oilseeds and pulses. The funds were to be used for organizing crash programs for production of Oilseeds and pulses.

Note: - 25: Provisions

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2019	31 March 2018
Provision for Employees benefits		
<u>For compensated Absences*</u>		
Balance as at the beginning of the year	2,932.37	3,508.12
Additions during the year	575.00	124.60
Amounts utilised during the year	(679.33)	(700.35)
Balance as at the end of the year	2,828.04	2,932.37
<u>For Retired Employees welfare</u>		
Balance as at the beginning of the year	585.00	468.20
Additions during the year	45.56	116.80
Balance as at the end of the year	630.56	585.00

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Particulars	31 March 2019	31 March 2018
For TTA		
Balance as at the beginning of the year	-	356.93
Additions during the year	-	-
Less: Adjusted during the year	-	(356.93)
Balance as at the end of the year	-	-
	3,458.60	3,517.37

* Refer Note No. 73

Note: - 26: Borrowings (₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2019	31 March 2018
Secured, Loan repayable on demand from bank		
Secured, Cash Credit*	918.11	94.41
Unsecured	-	5,000.00
Total	918.11	5,094.41

* Primarily secured by first charge on all present and future current assets, plant and machinery of the company and collaterally secured by equitable mortgage on 26 properties located at different parts of the country.

Note:- 27: Trade Payables (₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2019	31 March 2018
- Due to MSME*	639.13	355.25
- Others	25,586.08	20,630.14
- Payable to related parties	-	-
	26,225.21	20,985.39

*Refer note no. 51

Note:- 28: Other financial liabilities (₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2019	31 March 2018
Inspection fee, Registration fee etc.	23.36	44.12
Security Deposit	2,685.76	2,958.94
Current maturity of long term debt	-	-
Payable for fixed asset	356.51	701.33
Others	7,973.29	6,762.96
Total	11,038.92	10,467.35

Note: - 29: Other current liabilities (₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2019	31 March 2018
Statutory dues	427.97	396.54
Advances For :		
Grant in aid/Subsidy	171.97	171.97
Assistance for boosting seeds production in private Sector	9.52	152.74
Advance for National Food Security Mission Project Mission etc.	181.49	324.71
	2,807.06	205.26

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Particulars	31 March 2019	31 March 2018
Other current liabilities	-	-
Fair value Adjustment	14.14	11.80
Total	3,430.66	938.31

Note: - 30: Provisions

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2019	31 March 2018
Provision for Employees benefits		
For Compensated Absences:*		
Balance as at the beginning of the year	696.44	636.22
Additions during the year	94.21	184.82
Amounts utilised during the year	(2.62)	-
Transfer to Long-term Provision	-	(124.60)
Balance as at the end of the year	788.03	696.44
Pension		
Balance as at the beginning of the year	341.85	341.85
Additions during the year	-	-
Amounts utilised during the year	(307.01)	-
Balance as at the end of the year	34.84	341.85
Performance Related Pay		
Balance as at the beginning of the year	738.43	1,408.76
Additions during the year	205.00	69.68
Amounts utilised during the year	(2.44)	(740.01)
Balance as at the end of the year	940.99	738.43
TTA		
Balance as at the beginning of the year	-	5.65
Additions during the year	-	-
Amount utilised/adjusted	-	(5.65)
Balance as at the end of the year	-	-
Total	1,763.86	1,776.72

* Refer Note No.73

Note: 31:- Current tax liabilities

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2019	31 March 2018
Balance as at the beginning of the year	400.00	1,397.06
Additions for the year	2,050.00	400.00
Amounts utilised during the year	(400.00)	(1,397.06)
Total	2,050.00	400.00

जकवत, चत फुखे फुवेवम
31 एप्रै 2019 दस ल एकर ओकडस वकडस
फुज. कौज फुलि. क. क

फुलि. क. ल. क. 32 %ifjpkYu l sjkt Lo

1/4- yk[k e2/2

फुज. क	31 एप्रै 2019 दस ल एकर ओकडस वकडस	31 एप्रै 2018 दस ल एकर ओकडस वकडस	
ifjpkYu l sjkt Lo			
प्रमाणित – गृह बाजार	93,739.65	65,522.56	
प्रमाणित – निर्यात	-	-	
बीज बिक्री पर मूल्य अंतर की प्रतिपूर्ति	7,084.01	5,268.19	
घटाएं : व्यापार छूट	(4,562.04)	(2,743.89)	68046.86
मूल बीज	2,588.56	1,727.69	
प्रजनक बीज	277.84	454.92	
पौध सामग्री	77.86	57.61	
अनुपयोगी बीज	2,314.63	1,654.27	
विविध बिक्री	734.64	846.15	4,740.64
सेवाओं की बिक्री		44.86	50.23
अन्य परिचालन राजस्व		13,550.41	8,746.31
दु	1,15,850.42	81,584.04	

फुलि. क. ल. क. 33 %vU vk

1/4- yk[k e2/2

फुज. क	31 एप्रै 2019 दस ल एकर ओकडस वकडस	31 एप्रै 2018 दस ल एकर ओकडस वकडस	
ब्याज आय		22.99	77.45
टीडीएस रु. 0.90 लाख (पिछले वर्ष रु. 6.54 लाख)			
म्यूचल फंड में निवेश से शुद्ध लाभ		0.07	33.58
लाभांश आय			
एसोसिएट्स से लाभांश		33.65	67.06
vU xj ifjpkYu vk			
विविध प्राप्तियाँ*	282.96	565.99	
दावे	0.01	115.34	
किराया विद्युत प्रभार सहित	571.32	523.15	
वसूल किया गया निर्णीत हर्जाना	168.81	115.38	1,319.86
vykU @ iko/ku , oans rk aft udh			
vc vko' ; drk ughajgh %			
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण	4.79	18.27	
संदिग्ध अग्रिम एवं जमा	68.05	6.80	
बोनस	0.05	0.43	
वेतन एवं भत्ते	14.56	17.56	
आर्थिक सहायता	-	-	43.06
के लिए देयताएं			
सेवाएं	109.04	111.87	
माल	15.10	85.87	197.74
आर्थिक अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों पर मूल्यहास		929.83	832.19
दु	2,221.23	2,570.94	

*31 मार्च, 2019 तक जब्त किए गए धरोहर राशि एवं अन्य जमा रु. 40.78 लाख (31 मार्च, 2018 को : रु. 66.65 लाख) शामिल है।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Note 32 : Revenue from Operations

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2019		For the year ended 31st March 2018	
Revenue from operations				
Certified - Home Market	93,739.65		65,522.56	
Certified - Export	-		-	
Reimbursement of Price differential on sale of seed	7,084.01		5,268.19	
Less: Trade Discount	(4,562.04)	96,261.62	(2,743.89)	68,046.86
Foundation Seeds	2,588.56		1,727.69	
Breeder Seeds	277.84		454.92	
Sapling	77.86		57.61	
Condemned Seeds	2,314.63		1,654.27	
Miscellaneous sales	734.64	5,993.53	846.15	4,740.64
Sale of Services		44.86		50.23
Other Operating Revenues		13,550.41		8,746.31
Total		1,15,850.42		81,584.04

Note 33 : Other Income

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2019		For the year ended 31st March 2018	
Interest Income		22.99		77.45
[TDS ₹0.90 lakhs (previous year: ₹ 6.54 lakhs)]				
Net Gain in Investment in Mutual Fund		0.07		33.58
<u>Dividend Income</u>				
Dividend from Associates		33.65		67.06
<u>Other Non-Operating Income:</u>				
Miscellaneous Receipts*	282.96		565.99	
Claims	0.01		115.34	
Rent including electricity charges	571.32		523.15	
Liquidated damages recovered	168.81	1,023.10	115.38	1,319.86
<u>Allowances/Provisions & Liabilities no longer required:</u>				
<u>Allowances/Provisions for :</u>				
Bad & Doubtful Debts	4.79		18.27	
Doubtful Advances & Deposits	68.05		6.80	
Bonus	0.05		0.43	
Salary and Allowances	14.56		17.56	
Subsidy	-	87.45	-	43.06
<u>Liabilities for :</u>				
Services	109.04		111.87	
Goods	15.10	124.14	85.87	197.74
Depreciation on assets purchased out of Grant- in-Aid		929.83		832.19
Total		2,221.23		2,570.94

* Includes ₹40.78 lakhs for 31 March 2019 (31 March 2018 ₹ 66.65 lakhs) towards Security and Other Deposits Forfeited.

जकवत, चत फुखे फुवेवम
31 एप्रिल 2019 दसलेकरो वडधोवत, फुज. कौज वुलि. क. क

वुलि. क. क 34 % मि; लखे ध खेडले खेडले धेयकर

१/२- यकके

फुज. क	31 एप्रिल 2019 दसलेकरो वडधोवत		31 एप्रिल 2018 दसलेकरो वडधोवत	
इकडले वडधोवत				
प्रमाणीकरण व पैकिंग सामग्री	1,053.09		1,935.88	
उर्वरक, खाद व उपचार सामग्री	479.77	1,532.86	444.21	2,380.09
तकडे;				
प्रमाणीकरण व पैकिंग सामग्री	2,429.45		829.00	
उर्वरक, खाद व उपचार सामग्री	1,191.81	3,621.26	985.69	1,814.69
ककडे वडधोवत				
प्रमाणीकरण व पैकिंग सामग्री	1,508.41		1,053.09	
उर्वरक, खाद व उपचार सामग्री	571.91	2,080.32	479.77	1,532.86
दु		3,073.80		2,661.92

वुलि. क. क 35 % किकखर वडधोवत धेयकर

१/२- यकके

फुज. क	31 एप्रिल 2019 दसलेकरो वडधोवत		31 एप्रिल 2018 दसलेकरो वडधोवत	
प्रमाणित बीज		67,853.35		69,366.91
मूल बीज		1,721.35		1,931.22
प्रजनक बीज		615.03		819.88
पौध सामग्री		66.23		54.35
दु		70,255.96		72,172.36

वुलि. क. क 36 % रकके येकके रकके तडधोवत वडधोवत, कौज वुलि. क. क १/२- यकके

फुज. क	31 एप्रिल 2019 दसलेकरो वडधोवत		31 एप्रिल 2018 दसलेकरो वडधोवत	
बीज का प्रारंभिक स्टॉक		23,440.55		10,400.90
फार्म का स्टॉक		7,911.50		4,270.96
तकडे				
जैविक सम्पत्तियों से स्थानांतरण –फार्म स्टॉक		5,574.37		4,023.65
घटाएं : जैविक सम्पत्तियों के उचित मूल्य में अंतर		(7,113.15)		(5,700.01)
ककडे				
बीजों का अंतिम स्टॉक		14,149.14		23,440.55
फार्म स्टॉक		6,801.23		7,911.50
दु		8,862.90		(18,356.55)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Note 34 : Cost of materials consumed

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2019		For the year ended 31st March 2018	
Opening Stock				
Certification & Packing Materials	1,053.09		1,935.88	
Fertilizer, Manure & Treatment Materials	479.77	1,532.86	444.21	2,380.09
Add: Purchases				
Certification & Packing Materials	2,429.45		829.00	
Fertilizer, Manure & Treatment Materials	1,191.81	3,621.26	985.69	1,814.69
Less: Closing stock				
Certification & Packing Materials	1,508.41		1,053.09	
Fertilizer, Manure & Treatment Materials	571.91	2,080.32	479.77	1,532.86
Total		3,073.80		2,661.92

Note 35 : Purchases of stock in trade

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2019		For the year ended 31st March 2018	
Certified seeds	67,853.35		69,366.91	
Foundation seeds	1,721.35		1,931.22	
Breeder seeds	615.03		819.88	
Saplings	66.23		54.35	
Total		70,255.96		72,172.36

Note 36 : Changes in inventories and Biological assets of finished goods, Stock-in -Trade And work-in-progress.

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2019		For the year ended 31st March 2018	
Opening Stock of Seeds	23,440.55		10,400.90	
Farm Stock	7,911.50		4,270.96	
ADD :				
Transfer From Biological Assets - Farm Stock	5,574.37		4,023.65	
Less : Difference in Fair Value of Biological Assets	(7,113.15)		(5,700.01)	
LESS :				
Closing Stock of Seeds	14,149.14		23,440.55	
Farm Stock	6,801.23		7,911.50	
Total		8,862.90		(18,356.55)

जकवृत्त चित्तु फुखे फुयेवम
31 एप्रिल 2019 दिसलेखे ओळखणे फुजे. कौज फुलि. क. का

फुलि. क. ल. ३७ % देणुके इले फु/क. अ. ० ;

१/४- यकके

फुजे. क.	31 एप्रिल 2019 दिसलेखे ओळखणे	31 एप्रिल 2018 दिसलेखे ओळखणे
वेतन, मजदूरी, भत्ते, अन्य लाभ एवं बोनस	11,840.24	12,523.19
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	1,163.48	1,039.76
पेंशन योजना के लिए प्रावधान	125.12	99.35
स्टॉफ कल्याण व्यय	332.54	414.77
दु.	13,461.38	14,077.07

फुलि. क. ल. ३८ % फुके यकुर

१/४- यकके

फुजे. क.	31 एप्रिल 2019 दिसलेखे ओळखणे	31 एप्रिल 2018 दिसलेखे ओळखणे
क. क. ० ;		
बैंक से प्रतिभूति ऋण (नकद ऋण)/अल्यावधि अप्रत्याभूत ऋण	499.31	394.48
वु. म/क. यकुर		
ऋण संसाधन शुल्क	63.49	31.72
छूट	18.65	19.30
दु.	581.45	445.50

फुलि. क. ल. ३९ % एव, ग. क. , ओ. अ. फु. क. ल.

१/४- यकके

फुजे. क.	31 एप्रिल 2019 दिसलेखे ओळखणे	31 एप्रिल 2018 दिसलेखे ओळखणे
मूल्यहास	1,841.52	1,848.41
परिशोधन	0.38	3.94
दु.	1,841.90	1,852.35

फुलि. क. ल. ४० % वु. ० ;

१/४- यकके

फुजे. क.	31 एप्रिल 2019 दिसलेखे ओळखणे	31 एप्रिल 2018 दिसलेखे ओळखणे
द- अ. फु. क. ल. ० ;		
ए. ए. ओ. अ. क. ल. क. ल. %		
गोदाम व संसाधन संयंत्र भवन	42.50	19.57
संयंत्र व मशीनरी	46.56	75.92
	89.06	95.49
आवक माल भाड़ा जिसमें माल एवं अचल संपत्तियों की अंतर इकाई संचलन भाड़ा भी शामिल है।	2,234.71	1,802.49
घटाएं: परिवहन सहायता	(287.73)	(231.39)
भंडारण व संसाधन संयंत्रों का किराया	779.07	1,075.14
संसाधन, निरीक्षण व बीज परीक्षण प्रभार	1,952.39	2047.27
उपयोग में आए भंडार, कल पुर्जे इत्यादि (स्वदेशी सहित)	200.02	206.81
बिजली व ईंधन	1,114.95	1,196.88
खरीद कर	-	1.11
सिंचाई प्रभार	33.82	40.62

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Note 37 : Employee Benefits Expense

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2019	For the year ended 31st March 2018
Salary, Wages, Allowances, Other benefits and Bonus	11,840.24	12,523.19
Contribution to provident fund and other funds	1,163.48	1,039.76
Provision for Pension Scheme	125.12	99.35
Staff welfare expenses	332.54	414.77
Total	13,461.38	14,077.07

Note 38: Finance Costs

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2019	For the year ended 31st March 2018
Interest Expense:		
On Secured loans(Cash Credit)/Short term Unsecured from Bank	499.31	394.48
Other Borrowing Costs:		
Loan Processing Fees	63.49	31.72
Unwinding of discount	18.65	19.30
Total	581.45	445.50

Note 39: Depreciation and Amortization Expenses

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2019	For the year ended 31st March 2018
Depreciation	1,841.52	1,848.41
Amortisation	0.38	3.94
Total	1,841.90	1,852.35

Note 40 : Other Expenses

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2019	For the year ended 31st March 2018
A. Operational Expenses:		
Repair and Maintenance:		
Godown and Processing Plant Building	42.50	19.57
Plant and Machinery	46.56	75.92
	89.06	95.49
Carriage Inwards including freight on Inter Unit movement of goods and fixed assets	2,234.71	1,802.49
Less: Transport Subsidy	(287.73)	(231.39)
Rent for Storage and Processing Plants	779.07	1,075.14
Processing, Inspection and Seed Testing charges	1,952.39	2047.27
Stores, Spares etc. Consumed (all indigenous)	200.02	206.81
Power and Fuel	1,114.95	1,196.88
Purchase Tax	-	1.11
Irrigation charges	33.82	40.62

ज॒क॒व॒त॒ च॒त्त॒ फ॒ुखे॒ फ॒ये॒व॒म
31 ए॒प॒॒ 2019 द॒स॒ ल॒ ए॒क॒र॒ ०"॒क॒ड॒ह॒ व॒क॒र॒,॒ फ॒ो॒ज॒.॒ क॒ी॒ ज॒ व॒ल॒ि॒.॒ क॒ क॒

फ॒ो॒ज॒.॒ क॒	31 ए॒प॒॒ 2019 द॒स॒ ल॒ ए॒क॒र॒ ०"॒क॒ड॒ह॒ व॒क॒र॒		31 ए॒प॒॒ 2018 द॒स॒ ल॒ ए॒क॒र॒ ०"॒क॒ड॒ह॒ व॒क॒र॒	
प्रयोगशाला खर्च		4.32		0.30
कृषि परिचालन व्यय		163.62		111.72
अन्य विविध खर्च		109.75		173.00
द॒य॒ १/॒द॒ १/॒२		6,393.98		6,519.44
[क॒ इ॒क॒ल॒ फ॒ुद॒ ० ;				
मरम्मत एवं रखरखाव:				
कार्यालय व आवासीय भवन		38.81		31.01
अन्य		97.87	136.68	107.57
किराया: कार्यालय एवं आवासीय भवन		325.85		161.05
यात्रा एवं स्थानीय वाहन*		214.07		191.47
टेलीफोन व ट्रंक काल		37.02		48.87
डाक टिकट, तार व टेलेक्स		16.92		18.16
मुद्रण व लेखन सामग्री		94.25		83.01
बिजली व पानी प्रभार		288.75		277.96
फर्नीचर, जुड़नार, वाहन आदि का किराया भाड़ा		70.86		63.42
मुकद्दमा व्यय (कानूनी खर्च)		46.60		38.61
दर व कर		56.51		253.78
कर्मचारी भविष्य निधि, उपदान,समूह बीमा इत्यादि का प्रशासनिक प्रभार		16.16		9.82
बीमा		72.87		60.8
मनोरंजन व्यय		33.01		33.76
विज्ञापन (साधारण)		32.48		27.72
<u>लेखा परीक्षकों को मानदेय (सेवा कर सहित)</u>				
– लेखा परीक्षकों को		8.56		9.21
– कराधान मामले		2.36		1.89
– अन्य सेवाएं		0.44		1.25
– खर्चों की प्रतिपूर्ति		4.65	16.01	2.60
आंतरिक लेखा परीक्षा फीस एवं खर्चों की प्रतिपूर्ति		23.40		23.23
बैंक प्रभार		29.97		14.52
भूमि विकास व्यय बट्टे खाते		29.25		26.64
पौध रोपण फसल बट्टे खाते		2.94		(1.24)
विविध		76.92		74.09
द॒य॒ १/॒क॒ १/॒२		1,620.52		1,528.19
x- फ॒०॒ह॒ ० ;				
जावक भाड़ा		1,868.36		1,577.45
प्रचार व विज्ञापन		40.41		31.74
अनुसंधान एवं विकास व्यय		-		-
जीएसटी		12.54		18.15
बिक्री कर		4.99		0.34

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Particulars	For the year ended 31st March 2019	For the year ended 31st March 2018
Laboratory Expenses	4.32	0.30
Agriculture Operational Expenses	163.62	111.72
Other Miscellaneous Expenses	109.75	173.00
Total (A)	6,393.98	6,519.44
<u>B. Administrative Expenses</u>		
<u>Repair and Maintenance:</u>		
Office and Residential Buildings	38.81	31.01
Others	97.87	76.56
Rent : Office and Residential Buildings	325.85	161.05
Travelling and Conveyance *	214.07	191.47
Telephone and Trunk Calls	37.02	48.87
Postage, Telegrams and Telex	16.92	18.16
Printing and Stationery	94.25	83.01
Electricity and Water Charges	288.75	277.96
Hire Charges of Furniture, Fixtures, Vehicles etc.	70.86	63.42
Legal Expenses	46.60	38.61
Rates and Taxes	56.51	253.78
Admn. charges of EPF, Gratuity, Group Insurance etc.	16.16	9.82
Insurance	72.87	60.8
Entertainment Expenses	33.01	33.76
Advertisement (General)	32.48	27.72
<u>Remuneration to Auditors (including service tax):</u>		
- As Auditor	8.56	9.21
- For taxation matters	2.36	1.89
- For other services	0.44	1.25
- For reimbursement of expenses	4.65	2.60
Internal Audit Fees and reimbursement of expenses	23.40	23.23
Bank Charges	29.97	14.52
Land development expenses written off	29.25	26.64
Plantation crop written off	2.94	(1.24)
Miscellaneous	76.92	74.09
Total (B)	1,620.52	1,528.19
<u>C. Selling Expenses:</u>		
Freight Outward	1,868.36	1,577.45
Publicity and advertisement	40.41	31.74
Research and Development Expenses	-	-
Goods and Service Tax	12.54	18.15
Sales Tax	4.99	0.34

जकवत, चत फुखे फुवेवम
31 एप्रै 2019 दस लेक ओर ओरिडस वलमस, फुज. कौज फुलि. क का

फुज. क	31 एप्रै 2019 दस लेक ओर ओरिडस वलमस	31 एप्रै 2018 दस लेक ओर ओरिडस वलमस
धन वापसी गारंटी के अंतर्गत मुआवजा निर्णीत हर्जाना आदि	47.18	8.94
डायरी खर्च (निवल)	(1.03)	(1.26)
विदेशी व्यापार पर हानि	0.26	0.09
अन्य बिक्री व्यय	1.64	4.40
दुग १/२	1,974.35	1,639.85
क हलसो चवस [कस व'क; ओ ल फनक दस्यु, व्यकम		
व्यापार प्राप्य	2,320.45	0.89
अग्रिम और दावे	3,071.77	0.40
चवस [कस	-	-
क कौज इत;	0.45	-
घटाएं : संदिग्ध व्यापार प्राप्य के प्रावधान के विरुद्ध वसूली योग्य	-	-
बिक्री / उत्पादन सहायता के विरुद्ध भारत सरकार से प्राप्य	-	-
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों, दावों इत्यादि के प्रावधान के वसूली योग्य	-	-
दुग १/२	5,392.67	1.29
३ ल ह ल वकौ इज क ; %	148.52	112.75
दुग १/२ \$ [क \$ x \$?क \$ म/२	15,530.04	9,801.52

*इसमें क्रमशः अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का यात्रा व्यय रु. 11.44 लाख एवं निदेशको का रु. 2.93 लाख (पिछले वर्ष : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रु. 10.69 लाख एवं निदेशको का रु.1.29 लाख) शामिल है।

फुलि. क 41 % फोफ' क' व एना

१/२- यक क ए १/२

फुज. क	31 एप्रै 2019 दस लेक ओर ओरिडस वलमस	31 एप्रै 2018 दस लेक ओर ओरिडस वलमस
कार्यशील पूंजी के लिए सीमांत राशि का उपयोग	-	-
पुराना पूंजीगत अनुदान एवं अन्य के विरुद्ध समायोजन	-	1,009.41
रिर्टन बैंक पीआरपी का प्रावधान	-	151.05
रिर्टन बैंक (टीटीए) प्रावधान	-	362.58
रिर्टन बैंक (पेंशन) प्रावधान*	300.00	-
सम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	15.68	13.16
	315.68	1,536.20

*संदर्भ नोट संख्या 67

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Particulars	For the year ended 31st March 2019	For the year ended 31st March 2018
Compensation paid under money back guarantee, liquidated damages etc.	47.18	8.94
Diary Expenses (net)	(1.03)	(1.26)
Loss on Foreign Translation	0.26	0.09
Other selling expenses	1.64	4.40
Total (C)	1,974.35	1,639.85
<u>D. Allowances and write offs</u>		
<u>Allowance for bad and doubtful:</u>		
Trade Receivables	2,320.45	0.89
Advances and claims	3,071.77	0.40
<u>Write-offs:</u>		
Trade Receivables	0.45	-
Less: Charged against Provision for Doubt Trade Receivables	-	-
Recoverable from Government of India against sales/production subsidy	-	-
Less: Charged against Provision for Doubtful advances, Claims etc.	-	-
Total (D)	5,392.67	1.29
<u>E - Expenses on Corporate Social Responsibility</u>	148.52	112.75
Total (A+B+C+D+E)	15,530.04	9,801.52

* Includes travelling expenditure of CMD : ₹11.44 lakhs and Directors ₹2.93 lakhs respectively (Previous year : CMD ₹10.69 lakhs and Directors ₹1.29 lakhs respectively)

Note 41 : Exceptional Items

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2019	For the year ended 31st March 2018
Utilisation of Margin Money for Working Capital	-	-
Adjustment against old Capital Grant and others*	-	1,009.41
Provision of PRP written back	-	151.05
Provision(TTA) written back	-	362.58
Provision(Pension) written back*	300.00	-
Profit on sale of asset	15.68	13.16
	315.68	1,536.20

* Refer Note No.-67

jk'Vfr, chf fuxe fyfeVM
31 ekpZ 2019 dks l ekR o"lZds vkrM\$, **fooj.k ij fVlif.k ka**

fVli.kh l d; k 42 %vU; Q ki d vk; ds?kVd 1/2 vk l vkbZ

1/- yk[k e\$

fooj.k	31 ekpZ 2019 dks l ekR o"lZds vkrM\$		31 ekpZ 2018 dks l ekR o"lZds vkrM\$	
enat sykk, oagku ij iq%oxlZ-r ughgkch परिभाषित लाभ योजना का पुनः निर्धारण (उपदान)	107.32		(511.45)	
परिभाषित लाभ योजना पर आयकर का प्रभाव	(35.91)	71.41	178.72	(332.73)
निवेश का उचित मूल्यांकन	178		574.28	
अन्य व्यापक आय के माध्यम से निवेश पर आयकर का प्रभाव	(35.60)	142.40	(114.86)	459.42
dy	213.81		126.69	

fVli.kh l d; k 43

ifr 'ks j mi kt Z 1/2

प्रति शेयर उपार्जन निर्धारण करने में, कंपनी कर पश्चात निवल लाभ पर विचार करती है। प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना में प्रयोग किए गए शेयरों की संख्या, वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या है। अमिश्रित उपार्जन प्रति शेयर की गणना तब की जाती है यदि वर्ष के दौरान संभावित इक्विटी शेयर शामिल होते हैं।

fooj.k	31 ekpZ 2019 dks l ekR o"lZds vkrM\$	31 ekpZ 2019 dks l ekR o"lZds vkrM\$
मूल प्रति शेयर उपार्जन	720.85	435.71
डिल्यूटिड प्रति शेयर उपार्जन	720.85	435.71

मूल प्रति शेयर उपार्जन की गणना में आय तथा प्रयोग किए गए शेयर डाटा को दर्शाया गया है:-

1/- yk[k e\$

fooj.k	31 ekpZ 2019 dks l ekR o"lZds vkrM\$	31 ekpZ 2019 dks l ekR o"lZds vkrM\$
मूल इक्विटी शेयर धारकों के लिए लाभ जारी परिचालन	4,131.93	2,497.50
बंद परिचालन	-	-
ey ifr 'ks j mi kt Z ds fy, bfDoVh /kj dks ds fy, ykk	4,131.93	2,497.50
परिवर्तन योग्य अधिमान्य शेयरों पर ब्याज	-	-
'ks j /kj dks ds ykk det kj i hko ds fy, l ek k t r	4,131.93	2,497.50

निम्नलिखित भारित औसत शेयरों की संख्या जोकि मूल ईपीएस की संगणना में प्रयोगी की गई है।

fooj.k	31 ekpZ 2019 dks l ekR o"lZds vkrM\$	31 ekpZ 2019 dks l ekR o"lZds vkrM\$
मूल प्रति शेयर उपार्जन के लिए भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	5,73,199	5,73,199
डिल्यूशन का प्रभाव		
शेयर विकल्प	-	-
परिवर्तन योग्य अधिमान्य शेयर	-	-
fMY; wku ds i hko ds fy, l ek k t r Hkr vkr r bfDoVh 'ks j ka dh l d; k	5,73,199	5,73,199

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Note: - 42 Components of Other Comprehensive Income (OCI)

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2019		For the year ended 31st March 2018	
Items that will not be reclassified to Profit and Loss				
Remeasurement of Defined benefit plans (Gratuity)	107.32		(511.45)	
Income tax effect related to defined benefit plans	(35.91)	71.41	178.72	(332.73)
Fair Valuation of Investment	178		574.28	
Income tax effect related to Investment Through Other Comprehensive Income	(35.60)	142.40	(114.86)	459.42
Total		213.81		126.69

Note: - 43

Earnings per share (EPS)

In determining earning per share, the company considers the net profit after tax. The number of shares used in computing basic earnings per share is the weighted average number of equity shares outstanding during the year. The dilutive earning per share is computed in case there is potential equity share involved during the year.

Particulars	For the year ended 31st March 2019	For the year ended 31st March 2018
Basic EPS (in ₹)	720.85	435.71
Diluted EPS (in ₹)	720.85	435.71

The following reflects the income and share data used in the basic EPS computations:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2019	For the year ended 31st March 2018
Profit attributable to equity holders of the parent:		
Continuing operations	4,131.93	2,497.50
Discontinued operation	-	-
	4,131.93	2,497.50
Profit Attributable to equity holders for Basic Earning Per Share		
Interest on convertible preference shares	-	-
Profit Attributable to equity holders adjusted for the effect of dilution	4,131.93	2,497.50

The following reflects the weighted average No of shares used in the basic EPS Computations

Particulars	For the year ended 31st March 2019	For the year ended 31st March 2018
Weighted average number of Equity shares for basic EPS	5,73,199	5,73,199
<u>Effect of dilution:</u>		
Share Options	-	-
Convertible preference shares	-	-
Weighted Average number of Equity shares adjusted for the effect of dilution	5,73,199	5,73,199

jkVfr, chl fuxe fyfeVM
31 ekpZ 2019 dks l ekr o"lZdh foVfr, foj. koi j fVli. k la

fVli. kh l d; k 44 %l á fYk l a a , oami dj. k

- (i) कोलकाता (मिदनापुर) क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित निगम के पक्ष में भूमि का पट्टा विलेख/हक विलेख (जिस पर भवनों का निर्माण किया गया है) तथा भूमि के भुगतान का विवरण एवं उसके मूल्य हिसाब के विवरण उपलब्ध नहीं हैं। यद्यपि 1984 में प्रारंभिक तौर पर 30 वर्षों की अवधि के लिए मिदनापुर जमीन की प्राप्ति के संबंध में दस्तावेज (पट्टा विलेख पहले ही समाप्त हो चुका है) सबूतों की अवस्थिति का पता लगा लिया गया है तथा उनके आधार पर संबद्ध प्राधिकारियों से शीघ्र कार्रवाई के लिए कहा गया है।
- (ii) पटना (शेखपुरा) क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रक्षेत्र कार्यालय, पूर्णिया का पट्टा विलेख (शेखपुरा में 02 एकड़ पर भवन निर्माण किया गया है) निगम के नाम पर है तथा भुगतान का विवरण एवं लेखांकन लागत उपलब्ध नहीं है। शेखपुरा का नगर निगम कर 31.03.2019 तक भुगतान किया गया है।
- (iii) निगम द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार के कृषि विभाग से नंदयाल में 04 एकड़ भूमि पर बीज संसाधन संयंत्र तथा भंडार निर्माण के लिए 15.10.1994 को ली गई भूमि का पट्टा विलेख राशि को अंतिम रूप न दिए जा सकने के कारण इसका पट्टा विलेख निष्पादन लम्बित पड़ा हुआ है। यद्यपि कृषि विभाग ने अपने पत्र संख्या ए/242/94 दिनांक 02.04.2016 के द्वारा लीज किराए को प्रतिवर्ष रु. 0.83 लाख में दिया है, जिसका पट्टा विलेख निष्पादित किया जाना है। पट्टा किराया निरंतर भुगतान किया जा रहा है।
- (iv) गुंटी में 46100 वर्ग मी. पूर्ववर्ती एसएफसीआई ने वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान रु. 16.97 लाख की राशि के फ्री होल्ड जमीन खरीदी थी। परंतु अभी तक इस जमीन का पंजीकरण निगम के नाम पर नहीं हुआ है। इन तथ्यों के कारण की गोदाम के निर्माण एवं मशीनरी स्थापित करने के पश्चात कंपनी के नाम पर स्थानांतरित होगा। प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना के अनुसार निर्माण कार्य एवं मशीनरी स्थापित करने का कार्य माह सितम्बर, 2014 में पूर्ण हो चुका है और एपीआईआईसी के द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है तथा लीज डीड का स्थानांतरण एवं पंजीकरण प्रक्रियाधीन है।
- (v) हेमपुर (उत्तरांचल) की जमीन का पट्टा/ हक विलेख अभी निष्पादित किया जाना है। इस मामले पर राज्य सरकार के साथ बातचीत चल रही है। हेमपुर फार्म की भूमि का एक बड़ा भाग मार्च, 1987 में उत्तरप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को सौंपा गया था। एनएससी ने 07 एकड़ भूमि अपने पास रखी हुई है। निगम द्वारा आधारभूत ढांचा बनाने के लिए एवं पट्टा प्रीमियम पट्टा किराया आदि के कारण उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल सरकार से देय रु. 25.00 लाख की राशि की क्षतिपूर्ति का समायोजन नहीं किया है।
- (vi) निवाड़ी स्थित भूमि रु. 0.40 लाख के प्रीमियम एवं रु. 0.03 लाख प्रतिवर्ष के किराये पर एनएससी को स्थाई रूप से स्थानांतरित किया गया था। तथापि पट्टे की अवधि के आभाव में, निवाड़ी स्थित भूमि को 99 साल की अवधि में परिशोधित किया जा रहा है।
- (vii) निगम ने वर्ष 2011-12 के दौरान गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण से रु. 97.75 लाख के भुगतान पर भूमि अधिग्रहित की है तथा इसका पट्टा विलेख पंजीकृत किया है। यद्यपि जीआईडीए द्वारा निगम के पक्ष में मोटेशन नहीं किया गया है। भुगतान की गई राशि को पूंजीगत अग्रिम में दिखाया गया है। (टिप्पणी संख्या 9)
- (viii) निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के लिए नाबार्ड योजना के अंतर्गत इलाहबाद बैंक से रु. 225.74 लाख का टर्म लोन लिया था। निगम रु. 45.00 लाख की आर्थिक सहायता का हकदार है, जिसे निगम की ओर से पहले ही बैंक द्वारा दावा किया गया है। निगम की पात्रता के अनुसार वास्तविक राशि नाबार्ड द्वारा अभी तक वितरित की जानी है, जिसे भविष्य की किश्तों में देय के रूप में बैंक द्वारा विनियोजित किया जाएगा। यहां पर पहले वितरण की तारीख से दो वर्ष की ऋण स्थगन अवधि थी और तदनुसार ऋण की अदायगी जनवरी, 2015 से शुरू कर दी गई। ब्याज बेस दर पर किया जा रहा है, जोकि 31.03.2019 को 9.15% (पिछले वर्ष 9.15%) थी और इस तारीख को बकाया शेष रु. 78.23 लाख है। आर्थिक सहायता की शेष राशि की प्रत्याशा में दिनांक 17.08.2016 में ऋण का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है तथा बैंक से ब्याज स्वरूप लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

fVli. kh l d; k 45 %iwhizaku

निगम अपनी पूंजी का प्रबंधन सतत व्यापार जारी रखते हुए (जब बवदजपदनम वद हवपदह बवदबमतद) सही ढंग से करता है जिससे इसकी क्षमता एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, जिससे निगम अपने शेयरधारकों को अधिकतम वापसी प्रदान करना जारी रखे और अन्य हितधारकों को लाभान्वित कर सके।

इसके अलावा निगम अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन आर्थिक स्थितियों और वित्तीय करारों की आवश्यकताओं में परिवर्तन के कारण समायोजन करता है। निगम पूंजी की लागत को कम करने के लिए ऋण इक्विटी का इष्टतम पूंजी संरचना रखता है। निगम के ऋणों में दीर्घावधि ऋण, अल्पावधि ऋण, बैंकों से उधार शामिल हैं। निगम के प्रमुख क्रियाकलापों को नकदी जमा, सबसिडी तथा आंतरिक संसाधनों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Note: 44 - Property Plant and Equipment

- (i) In respect of Kolkata (Midnapore) Regional Office, the lease/title deeds (of the land on which building SA re constructed) in favour of the Corporation and details of the payment for land and accounting of the value there of are not available, although documentary proof about receipt of land in 1984 at Midnapur initially for a period of 30 years(lease deed already expired), have since been located and based thereon the concerned authorities are being asked to expedite necessary Action.
- (ii) In respect of Patna (Sheikhpura) Regional Office & Area Office Purnea, the lease/title deeds (of the land on which buildings are constructed-Sheikhpura 2acres) in favour of the Corporation and details of the payment for land and accounting of the value thereof are not available. In respect of Sheikhpura, municipal tax paid upto 31.03.2019.
- (iii) Execution of lease deed of land at Nandyal - 4 acres, obtained by the Corporation on 15.10.1994 from the Department of Agriculture, Government of Andhra Pradesh for construction of Seed Processing Plant-cum-Store Complex, is pending due to non finalization of lease amount. However now the Department of Agriculture vide their letter No A/242/94 dt.02-04-2016 finalised the lease rent as ₹0.83 Lakhs per year and the lease deed is being executed and lease rent is regularly paid.
- (iv) Freehold Land - 46100 sq. meters, at Gooty worth of ₹ 16.97 Lakhs was purchased by erstwhile SFCI during the FY 2009-10. But the land has not yet been registered in the name of the Corporation till date, due to the fact that the transfer of title will be done on completion of the construction of Godowns and installation of Machinery. The construction and installation of machinery has been completed in the month of September 2014 and inspection by APIIC has been completed and further process to transfer the title and registration is under progress.
- (v) The lease/title deed for land of Hempur (Uttrakhand), is yet to be executed. The matter is being pursued with the State Government. The major portion of the land at Hempur Farm was handed over to UP State Industrial Development Corporation in March, 1987. Balance 7 acres of land has been retained by the Corporation. No adjustment is made in respect of compensation of ₹25 lakhs due from UP / Uttrakhand Govt. towards infrastructure created by the Corporation since the final settlement of lease rent /lease premium to be paid by the Corporation is still pending.
- (vi) Land at Niwari has been transferred to corporation permanently at a premium of ₹0.40 Lakhs and at a rent of ₹0.03 Lakhs per annum. However, in absence of periodicity of lease, land at Niwari is being amortized over a period of 99 years.
- (vii) An amount of ₹97.75 lakhs had been paid to Gorakhpur Industrial Development Authority (GIDA) in the Financial year 2011-12 by the Corporation and lease deed registered. However, since neither mutation has been done in favour of Corporation nor possession handed over by the GIDA, the amount paid has been shown as a Capital advance (Note No. 9).
- (viii) The Corporation had availed a term loan of ₹225.74 Lakhs from Allahabad Bank under the NABARD scheme for funding of godowns in rural areas. The corporation is entitled to a subsidy of ₹ 45.00 Lakhs which has already been claimed by the bank on behalf of the corporation. The actual amount as per the eligibility of the Corporation is yet to be disbursed by NABARD which will be appropriated by the bank towards future installments payable. There was a two year moratorium period from the date of first disbursement, which was 17/12/12, and accordingly repayment of the loan started from January 2015 onwards. Interest is being charged at the base rate which is 9.15% (Previous Year 9.15 %) as on 31.03.2019 and the balance outstanding on that date is ₹78.23 Lakhs. No repayment of loan since 17.08.2016 has been made in anticipation of the balance amount of subsidy and benefit of interest subvention from the bank.

Notes :45 Capital management

The Corporation's objective is to manage its capital in a manner to ensure and safeguard their ability to continue as a going concern so that corporation can continue to provide maximum returns to share holders and benefit to other stake holders

Further, Corporation manages its capital structure to make adjustments in light of changes in economic conditions and the requirements of the financial covenants. The Corporation maintains an optimal capital structure of Debt and equity to reduce the cost of capital. The Corporation's debts includes long term debt and short term borrowings from banks. Major activities of Corporation are financed through Cash Credit, subsidy and internal accruals.

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

(₹ in lakhs)

Particulars	31-Mar-19	31-Mar-18
Borrowings (Note No. 26)		
Secured short term loan (Note 22 + Note 26)	996.34	165.69
Unsecured short term loan (Note No. 22)	-	5,000.00
Net debt	996.34	5,165.69
Equity Share Capital (Note No. 19)	5,731.99	5,731.99
Other equity (Note No. 20)	56,815.59	53,489.98
Total equity	62,547.58	59,221.97
Net Debt to equity ratio	0.016	0.087

No changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital during the year ended 31 March 2019.

Note 46 :Fair Value measurements

(i) Financial Instruments by Category

(₹ in lakhs)

Particulars	31 March 2019			31 March 2018		
	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost
Financial Assets						
(i) Investment	-	3,239.72	449.94	-	3,061.72	449.94
(ii) Other Non Current Financial Assets	-	-	270.57	-	-	233.48
(iii) Trade Receivables	-	-	32,126.17	-	-	24,587.85
(iv) Cash and cash Equivalents	-	-	1,859.43	-	-	990.10
(v) Bank balances other than (iv)above	-	-	211.86	-	-	413.32
(vi) Other Current financial assets	-	-	27,178.52	-	-	23,867.99
Total Financial Assets	-	3,239.72	62,096.49	-	3,061.72	50,542.68
Financial Liabilities						
(i) Borrowings	-	-	996.34	-	-	5,165.69
(ii) Other Non Current Financial Liabilities	-	-	3,263.93	-	-	4,036.94
(iii) Trade payables	-	-	26,225.21	-	-	20,985.39
(iv) Other current financial liabilities	-	-	11,038.92	-	-	10,467.35
Total Financial Liabilities	-	-	41,524.40	-	-	40,655.37

jkVh, ch fuxe fyfeVM
31 ekr 2019 dks l ekr o"Vdh foVh, foj. k ij fVli. k ka

- i) व्यापार प्राप्तियों, व्यापार दाताओं, अल्पकालिक धरोहर राशि, नकद एवं नकदी समतुल्य और अन्य अल्प अवधि प्राप्तियां तथा देनदारियों का उचित मूल्य को अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।
- ii) कंपनी द्वारा दीर्घावधि परिवर्तनीय दर उधार का मूल्यांकन ब्याज दरों, विशिष्ट देश के जोखिम कारकों तथा अन्य जोखिम कारकों जैसे मानदंडों पर मूल्यांकन किया जाता है। इस मूल्यांकन के आधार पर ऐसी देनदारियों का उचित मूल्य उनकी लाई गई राशि से भौतिक रूप से अलग नहीं है।
- iii) जैविक सम्पत्तियों का उचित मूल्य की गणना सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य के आधार पर की गई थी जिससे कि इकाईयां निर्धारण के कार्य पर उपयोग कर सकते हैं। इन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर-3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- iv) धरोहर राशि और अन्य जमाओं के उचित मूल्य अनुमानित उचित मूल्य है, इसलिए लाई गई लागत एवं उचित मूल्य की तुलना का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।
- v) कंपनी के वित्तीय साधनों के लिए लाई गई राशि एवं उचित मूल्य के श्रेणी के आधार पर तुलना उचित मूल्य पर अनुमानित है जोकि वित्तीय मूल्यों का उचित अनुमान है प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं क्योंकि रिपोर्टिंग तारीख पर सभी वित्तीय साधनों का उचित मूल्य उनके वाहक मूल्य अनुमानित करता है।

31-03-2019 dks mfr eV; vuQe

1/- yk k e 1/2

foj. k	Lrj 1	Lrj 2	Lrj 3	dy
t Sod l Ei fYk ka				
खड़ी फसलें	-	-	7,238.77	7,238.77
पेड़	-	-	4,014.27	4,014.27
पौधशाला	-	-	78.66	78.66
वित्तीय परिसंपत्तिया निवेश	-	-	3,239.72	3,239.72
	-	-	14,571.42	14,571.42

31&03&2019 dks mfr eV; vuQe

1/- yk k e 1/2

foj. k	Lrj 1	Lrj 2	Lrj 3	dy
वित्तीय देयताएं				
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
धरोहर राशि एवं अन्य जमा	-	-	764.20	764.20
	-	-	764.20	764.20

31&03&2018 dks mfr eV; vuQe

1/- yk k e 1/2

foj. k	Lrj 1	Lrj 2	Lrj 3	dy
t Sod l Ei fYk ka				
खड़ी फसलें	-	-	5,470.20	5,470.20
पेड़	-	-	4,262.76	4,262.76
पौधशाला	-	-	59.96	59.96
वित्तीय परिसंपत्तिया निवेश	-	-	3,061.72	3,061.72
	-	-	12,854.64	12,854.64

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

- i) The fair value of trade receivables, trade payables, short term security deposit, cash and cash equivalents and other short term receivables and payables are considered to be the same as their carrying amount, due to short term nature.
- ii) Long term variable rate borrowings are evaluated by corporation on parameters such as interest rates, specific country risk factors and other risk factors based on this evaluation the fair value of such payables are not materially different from their carrying amount.
- iii) The fair value of biological assets were calculated based on quoted price inactive market that the corporation can access at the relevant measurement date. They are classified as level 3 fair values in fair value hierarchy.
- (iv) Carrying value of security and other deposits approximates fair value. Therefore disclosure for comparison of carrying value and fair value is not provided.
- (v) Comparison by class of the carrying amounts and fair value of the corporation's financial instruments other than those with carrying amounts that are reasonable approximation of fair values are not presented since fair value of all financial instruments as on reporting date approximates their carrying value.

Fair Value hierarchy as on 31.3.2019

(₹ in lakhs)

Particulars	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Biological Assets				
Standing Crops	-	-	7,238.77	7,238.77
Trees	-	-	4,014.27	4,014.27
Nursery	-	-	78.66	78.66
Financial Assets				
Investment	-	-	3,239.72	3,239.72
	-	-	14,571.42	14,571.42

Fair Value hierarchy as on 31.3.2019

(₹ in lakhs)

Particulars	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Liabilities				
Financial Liabilities at Amortised Cost				
Security Deposit & other deposits	-	-	764.20	764.20
	-	-	764.20	764.20

Fair Value hierarchy as on 31.3.2018

(₹ in lakhs)

Particulars	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Biological Assets				
Standing Corps	-	-	5,470.20	5,470.20
Trees	-	-	4,262.76	4,262.76
Nursery	-	-	59.96	59.96
Financial Assets				
Investment	-	-	3,061.72	3,061.72
	-	-	12,854.64	12,854.64

जकवत, कत फुखे फयेवम
31 एप्र 2019 दसल एकर ओडध फोवत, फोज. कौज फलिक क क

31&03&2018 दसमफर एव; वुडे

1/4- यकके

fooj.k	Arj 1	Arj 2	Arj 3	dy
वित्तीय देयताएं परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं धरोहर राशि एवं अन्य जमा	-	-	653.94	653.94
	-	-	653.94	653.94

टिप्पणी संख्या 47 : उचित मूल्य के निर्धारण हेतु उपयोगित मूल्यांकन तकनीक

1/2 मफर एव; दसfy, एव; कदु वकुकु , oal एवुक

उचित मूल्य निर्धारण में उपयोगित उल्लेखनीय अप्रभावी आदानों के संबंध में गुणात्मक जानकारी का सार निम्नलिखित सारिणी के रूप में है। उचित मूल्यों को रियायती नकदी प्रभाव के आधार पर निर्धारित किया गया है।

1/4- यकके

fooj.k	मफर एव; ij		विहोह बूय	बूय जा		मफर एव; दस fy, विहोह बूय कक लक
	31 एप्र 2019	31 एप्र 2018		31 एप्र 2019	31 एप्र 2018	
गैर उद्धृत इक्विटी शेयर	3,239.72	3,061.72	निगम ने स्वतंत्र मूल्यांकन के माध्यम से समायोजित आंतरिक मूल्य के आधार पर निवेश का मूल्य निर्धारित किया है। हालांकि कुछ मामलों में नवीनतम उपलब्ध तुलनपत्र पर विचार किया गया जोकि वर्ष 2014-15 की है।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
धरोहर एवं अन्य जमा (अन्य वित्तीय संपत्तियां)	764.20	653.94	धरोहर जमा की ब्याज दर एवं संविदात्मक शर्तें	7.42% (Three year GOI bond)	7.21%	ब्याज की दर अधिक, उचित मूल्य कम
फार्म स्टॉक	7,238.77	5,470.20	उपज - प्रति हैक्टेयर टन एवं मूल्य	धान-35-40 कु./है. मूंग-3-5 कु./है. उड़द-3-5 कु./है. तिल-2-3 कु./है. भिन्डी-3-5 कु./है. गेहूं-30-35 कु./है. जौं-20-30 कु./है. सरसों-12-15 कु./है. चना-7-12 कु./है. पालक-6-10 कु./है.	अधिक उपज, अधिक उचित मूल्य	अधिक उपज, अधिक उचित मूल्य
पेड़	4,014.27	4,262.76	उपज - प्रति हैक्टेयर टन एवं मूल्य	-	-	परिधि में व्यापक, अधिक उचित मूल्य
पौधशाला	78.66	59.96	उपज - प्रति हैक्टेयर टन एवं मूल्य	धान - 35-40 कु./है.	-	उच्च बाजार मूल्य, अधिक उचित मूल्य

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Fair Value hierarchy As on 31-3-2018

(₹ in lakhs)

Particulars	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Liabilities				
Financial Liabilities At Amortised Cost				
Security Deposit & other deposits	-	-	653.94	653.94
	-	-	653.94	653.94

Note: 47 - Valuation techniques used to determine fair value:

(ii) Valuation inputs and relationships to fair value

The following table summarises the qualitative information about the significant unobservable inputs used in the fair value measurements. The fair values are determined based on discounted cash flow:

(₹ in lakhs)

Description	Fair value at		Unobservable inputs	Range of Inputs		Relationship of unobservable inputs to fair value
	31st March 2019	31st March 2018		31st March 2019	31st March 2018	
Unquoted Equity Shares	3,239.72	3,061.72	Corporation has determined value of investment based on Adjusted intrinsic value, through independent valuer. However in some cases the latest available Balance Sheet was considered for valuation which is for the year 2014-15.	Not Applicable		Not Applicable
Security and other deposits (Other financial asstes)	764.20	653.94	Interest rate and contractual terms of security deposits	7.42% (Three year GOI bond)	7.21%	The higher the rate of interest, the lower the fair value
Farm Stock	7,238.77	5,470.20	Yield- tonnes per hectare and price	Paddy - 35-40 qtl/ha Moong - 3-5 qtl/ha Urd - 3-5 qtl/ha Til - 2-3 qtl/ha Bhindi - 3-5 qtl/ha Wheat - 30-35 qtl/ha Barley - 20-30 qtl/ha Mustard - 12-15 qtl/ha Gram - 7-12 qtl/ha Palak 6-10 qtl/ha		The higher the yield, the higher the fair value
Trees	4,014.27	4,262.76	Yield- tonnes per hectare and price	-	-	The wider the girth, the higher the fair value
Nursery	78.66	59.96	Yield- tonnes per hectare and price	Paddy - 35-40 qtl/ha	-	The higher the market price, the higher the fair value

जैविक वित्त विभाग 31 अप्रैल 2019 को जारी की गई सूचना, जो निम्नलिखित

के अन्तर्गत है।

वित्त विभाग

निगम का वित्त विभाग एवं विपणन विभाग की एक टीम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए निगम की जैविक परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करती है जिसमें स्तर-3 लागत शामिल है। यह टीम वित्त प्रमुख को रिपोर्ट करती है। प्रति वर्ष कम से कम एक बार मूल्यांकन टीम एवं वित्त प्रमुख के बीच मूल्य निर्धारण की प्रक्रियाओं और परिणामों पर चर्चा होती है।

असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों एवं जैविक परिसंपत्तियों के लिए मुख्य स्तर-3 आदानों को व्युत्पन्न तथा मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है।

- (i) उपज का निर्धारण पौध की आयु, ऐतिहासिक उपज, जलवायु संबंधी विविधताओं जैसे कि गम्भीर मौसम की घटनाएं, पौध नुकसान तथा उत्पादन में आने वाली नई बाधाओं के आधार पर किया जाता है।
- (ii) संबंधित क्षेत्र के लिए मूल्यों में लागत उद्धृत हैं जैसे कि विपणन विभाग द्वारा प्रमाणित किया गया है।

निगम की मुख्य वित्तीय देनदारियों

निगम की मुख्य वित्तीय देनदारियों में बैंक उधार, व्यापार एवं अन्य देनदारियां शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य निगम का संचालन तथा इस संचालन के लिए गारंटी प्रदान करना है। निगम की प्रमुख वित्तीय संपत्ति में व्यापार और अन्य प्राप्य तथा नकद तथा नकदी समतुल्य शामिल हैं, जो इसके परिचालन से सीधे प्राप्त होते हैं।

निगम को बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम तथा तरलता जोखिम करना पड़ता है। निगम की वित्तीय जोखिम गतिविधियां विनियोजित नीतियों एवं प्रक्रियाओं द्वारा शासित होती हैं और उस वित्तीय जोखिम की पहचान निगम की नीतियों तथा जोखिम उद्देश्यों के अनुसार निर्धारित एवं प्रबंध किया गया है। निदेशक मंडल इन जोखिमों की समीक्षा करती है तथा इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए बनाई गई नीतियों से सहमत होती है, जो निम्न प्रकार से हैं :-

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में होने वाले परिवर्तन के कारण भविष्य में वित्तीय साधनों के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। ब्याज जोखिम में ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में ऋण एवं उधार, जमा एवं अन्य गैर व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं।

ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिससे बाजार की कीमतों में होने वाले परिवर्तन के कारण भविष्य में वित्तीय साधनों के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। निगम बाजार ब्याज दर में परिवर्तन के जोखिम के लिए फ्लोटिंग ब्याज दर के साथ कंपनी के दीर्घकालिक ऋण दायित्वों को प्राथमिकता देता है। निगम अपनी नीतियों और जोखिम के उद्देश्य के अनुसार अपने ब्याज जोखिम का प्रबंधन करता है।

क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम निगम के वित्तीय नुकसान के लिए जोखिम बन जाता है यदि कोई ग्राहक या किसी वित्तीय साधन का प्रतिपक्षी अपनी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है। निगम अपनी वित्तीय गतिविधियों जिसमें व्यापार प्राप्य, बैंक में जमा, वित्तीय संस्थानों एवं अन्य वित्तीय साधनों से क्रेडिट जोखिम पर निगम अपनी नीति के अनुसार प्रबंध करता है।

निगम की नीति

निगम अपनी नीति के अनुसार बैंक के पास शेष राशि के लिए क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन करता है। बैंकों से प्राप्त वित्तीय उद्धरणों के आधार पर अधिशेष का निवेश सिर्फ मान्यता प्राप्त बैंकों में किया जाता है।

भविष्य संबंधी निम्नलिखित मुख्य अवधारणाएं

भविष्य संबंधी निम्नलिखित मुख्य अवधारणाएं हैं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आकलन के मुख्य स्रोत हैं, जिनका अगले वित्तीय वर्ष के लिए संपत्तियों और देनदारियों की लाई गई राशि के लिए सामग्री समायोजन होने का एक महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

(iii) Valuation Processes

Biological Assets

The Corporation's finance, production and marketing department as a team performs the valuation of the corporations biological assets for financial reporting purposes, including level 3 values. The team reports to finance heads. Discussions of valuation processes and results are held between the valuation team and finance head at least once in every year, in line with reporting requirements.

The main level 3 inputs for unlisted equity securities and biological assets are derived and evaluated as follows:

- i) Yield is determined based on the age of the plantation, historical yields, and climate-induced variations such as severe weather events, plant losses and new areas coming into production.
- ii) Prices are quoted prices for relevant region as certified by marketing department.

Note: 48 - Financial Risk Management

The corporation's principal financial liabilities comprise bank borrowings, trade and other payables. The main purpose of these financial liabilities is to finance the corporations operations and to provide guarantees to support its operation. The corporation's principal financial assets include trade and other receivables which includes govt. Subsidy and cash and cash equivalents that derive directly from its operations. The corporation is exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The corporation's financial risk activities are governed by appropriate policies and procedures and that financial risk are identified, measured and managed in accordance with the corporation's policies and risk objectives. The Board of Directors reviews and agrees policies for managing each of these risk, which are summarised below:-

a) Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instruments will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises interest rate risk. Financial instruments affected by market risk includes loans and borrowing, deposits and other non derivative financial instruments.

b) Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of financial instruments will fluctuate because of change in market interest rate. The corporation's exposure to the risk of changes in market interest rate relates primarily to the corporate's debt obligations with floating interest rate. The corporation manages its interest risk in accordance with the corporation's policies and risk objective.

c) Credit risk

Credit risk is the risk of financial loss to the corporation IFA customer or counter party to a financial instrument fails to meet its contractual obligations and arises principally from the corporation's receivables from custome. The corporation is exposed to credit risk from its financial activities including trade receivables, deposits with banks, financial institutions and other financial instruments.

Financial instruments and cash deposits

Credit risk from balances with banks is managed in accordance with the corporations policy. Investment of surplus are made only with approved banks on the basis of the financial quotes received from the banks.

Note 49 - Key sources of estimation of uncertainty

The following are the key assumptions concerning the future, and the key sources of estimation of uncertainty at the end of the reporting period that may have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amount of assets and liabilities with next financial year.

jkVfr, chl fuxe fyfeVM
31 elpZ 2019 dks l ekr o"lZdh foVkr, fooj.k ij fVli.f.k ka

d½ mfpr eV; kdu fu/kZ.k vS eV; kdu i fO; k

वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों से निर्धारित किया जाता है। इन पद्धतियों के लिए इनपुट जहां संभव हो वहां प्रभावी बाजारों से लिया जाता है, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, वहां पर उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए एक फैसले की आवश्यकता होती है। निर्णय में नकदी का जोखिम, क्रेडिट जोखिम और उतार-चढ़ाव जैसे निवेश शामिल हैं। इन कारकों से संबंधित धारणाओं में परिवर्तन वित्तीय साधनों के बताए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

[k½ dj

अप्रयुक्त कर के नुकसान के लिए अस्थगित कर संपत्तियों की पहचान की गई है और उस हद तक अवशोषित मूल्यहास यह कि कर योग्य लाभ उपलब्ध हो जाएगा जिसके विरुद्ध हानि का उपयोग किया जा सकता है तथा भावी कर नियोजन ऋण नीतियों के साथ भविष्य में कर योग्य लाभ की संभावना समय और स्तर के आधार पर अस्थगित कर संपत्ति की राशि को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय आवश्यक है।

x½ vuqku vS fu.kZ

जैविक परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निर्धारित करने में और उद्धृत इक्विटी में निवेश में अनुमान और निर्णय में तुलन पत्र की तारीख पर जैविक संपत्ति और इक्विटी उपकरणों की परिपक्वता की मात्रा और स्तर शामिल हैं। अविश्वसनीय निविष्टियों के बारे में प्रमुख मान्यताओं और उचित मूल्य के साथ उनके संबंध के लिए टिप्पणी संख्या 47 देखें।

?k½ fuoSk dk mfpr eV; kdu

लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों का उपयोग करके संस्थाओं की निवल परिसंपत्तियों के समायोजित आंतरिक मूल्य के आधार पर निवेश का मूल्यांकन किया जाता है। हालांकि कुछ निगमों के लिए नवीनतम वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं थे, निवेश का और मूल्यांकन बाजार और आर्थिक कारकों सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। परिस्थितियों में परिवर्तन और नवीनतम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों की उपलब्धता वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्य में परिवर्तित हो सकते हैं।

fVli .lh l d; k 50 %vuqdkr, i frc) rk a

¼- yk|k e½

fooj .k	31 elpZ 2019	31 elpZ 2018
शेष ठेके की अनुमानित राशि को पूंजी खाते पर निष्पादित किया जाता है और प्रावधान नहीं किया (अग्रिमों का निवल)	604.53	555.47
dy	604.53	555.47

fVli .lh l d; k 51 %l ve| y?kq, oae/; e m| e

निगम ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के रूप में 21 विक्रेताओं की पहचान की है, जैसे कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी एक्ट) में परिभाषित है। उक्त अधिनियम के अनुसार प्रकटीकरण निम्न प्रकार से है :-

¼- yk|k e½

fooj .k	31-03-2019 dks l ekr o"lZds orZku fj i kV/x vof/k ds v k d M s	31-03-2018 dks l ekr o"lZds fi Nyh fj i kV/x vof/k ds v k d M s
एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं को देय मूल राशि	639.13	355.25
एमएसएमईडी अधिनियम के तहत उपरोक्त राशि पर आपूर्तिकर्ता के कारण अर्जित ब्याज और अप्रदत्त वर्ष के दौरान नियुक्त तारीख के बाद आपूर्तिकर्ताओं को (ब्याज के अलावा) दिया गया भुगतान।	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम (धारा 16 के अलावा) के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं को ब्याज का भुगतान।	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम (धारा 16) के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं को ब्याज का भुगतान।	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पहले से ही किए गए भुगतान के लिए आपूर्तिकर्ताओं के लिए देय/प्रदेय ब्याज	-	-

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

a) Fair valuation measurement and valuation process

The fair values of financial liabilities is measured by the valuation techniques including the DCF model. The inputs to these method are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair values. Judgments include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

b) Taxes

Deferred tax assets are recognised for unused tax losses and unabsorbed depreciation to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which losses can be utilised. Significant management judgment is required to determine the amount of deferred tax asset that can be recognised, based upon the likely timing and level of future taxable profit together with future tax planning strategies.

c) Estimates and judgment

Estimates and judgments in determining the fair value of biological assets and investment in unquoted equity instrument includes the volume and stage of maturity of biological assets and equity instruments as at balance sheet date. See note 47 for key assumptions about unobservable inputs and their relationship to fair value.

d) Fair Valuation of Investment

Investments are valued based on adjusted intrinsic value of net assets of entities, using audited financial statements. However latest financial statement for some of the corporations were not available, further valuation of investment depends on various factors including market and economic factor changes in conditions and availability of latest audited financial statements may lead to change in value of financial assets.

Note : 50 Contractual Commitments

(Amount In ₹ lakhs)

Particulars	As at 31-03-19	As at 31-03-18
Estimated Amount of contract remaining to be executed on capital Account and not provided for (Net of Advances)	604.53	555.47
Total	604.53	555.47

Note : 51 Micro Small and Medium Enterprises.

The corporation has identified 21 vendors as micro, small and medium enterprises as defined in the micro, small and medium enterprises development act, 2006 (MSMED act). The disclosures pursuant to the said act is as under:

(Amount In ₹ lakhs)

Particulars	Figures for the current reporting period ended 31.03.2019	Figures for the previous reporting period ended 31.03.2018
Principal Amount due to suppliers under MSMED Act	639.13	355.25
Interest accrued, due to suppliers under MSMED Act on the above amount and unpaid	-	-
Payment made to suppliers (other than interest) beyond the appointed day during the year	-	-
Interest paid to suppliers under MSMED Act (other than section 16)	-	-
Interest paid to suppliers under MSMED Act (section 16)	-	-
Interest due and payable towards suppliers under MSMED Act for payments already made	-	-

ज॒क॒व॒ह॒ च॒ह॒ फ॒खे॒ फ॒ये॒व॒म
31 ए॒प्र॒ 2019 द॒स॒ ल॒ ए॒क॒र॒ ०"॒क॒ड॒ह॒ फो॒व॒ह॒, फो॒ज॒.॒क॒ी॒ ज॒ फ॒व॒ल॒ि॒.॒क॒ ल॒ा

फ॒व॒ल॒ि॒.॒क॒ ल॒ १; क॒ 52 % फ॒ो॒स॒ ह॒ ए॒क॒ ०, क॒ी॒ क॒

१/४- य॒क॒ क॒ २/२

फो॒ज॒.॒क॒	31-03-2019 द॒स॒ ल॒ ए॒क॒र॒ ०"॒क॒ड॒स॒ ०२॒कु॒ फ॒ी॒ क॒/॒x॒ व॒ो॒फ॒/॒क॒ द॒स॒ व॒ह॒ल॒म॒	31-03-2018 द॒स॒ ल॒ ए॒क॒र॒ ०"॒क॒ड॒स॒ फ॒ी॒ क॒/॒x॒ व॒ो॒फ॒/॒क॒ द॒स॒ व॒ह॒ल॒म॒
फ॒ो॒स॒ ह॒ ए॒क॒ ० ए॒फ॒.॒ओ॒.॒बी॒. आ॒ध॒ार॒ प॒र॒ बी॒जो॒ं का॒ नि॒र्या॒त	-	-
फ॒ो॒स॒ ह॒ ए॒क॒ ०१० ; वि॒देश॒ भ्र॒म॒ण	3.26	1.75
स॒द॒स्य॒ता शु॒ल्क	1.17	3.43
सी॒आई॒ए॒फ आ॒ध॒ार॒ प॒र आ॒या॒त बी॒जो॒ं का॒ मू॒ल्य	-	-

फ॒व॒ल॒ि॒.॒क॒ ल॒ १; क॒ 53

फ॒व॒ल॒ि॒.॒क॒ ल॒ १; क॒ 53-1

व्यापार प्राप्तियां, ऋण एवं अग्रिम, अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ, व्यापार प्रदेय एवं अन्य वर्तमान देनदारियों के शेष पुष्टिकरण/समाधान के अध्याधीन है। सरकारी विभागों/पार्टियों के विरुद्ध 6/3 वर्ष से कम या उसके बराबर अवधि के लिए लंबित देय वसूली योग्य है। यद्यपि लखनऊ के मामले में छह वर्ष से भी अधिक बीत जाने के बाद भी संबंधित सरकार से आर्थिक सहायता की राशि रु. 4.83 करोड़ वसूली योग्य है। इसी प्रकार भोपाल के मामले में 05 साल बीत जाने के बाद भी देय राशि रु. 2.04 लाख को वापस नहीं किया गया है।

फ॒व॒ल॒ि॒.॒क॒ ल॒ १; क॒ 53-2

एनएससी कोलकाता में मैसर्स पार्क इंडीकॉम प्रा.लि. को रु. 0.83 लाख में किराये पर रखा गया था, जिसका करारनामा नवम्बर, 2011 में समाप्त हो गया था और किरायेदार द्वारा किराया नहीं देने के कारण निगम ने कानूनी कार्रवाई की थी। अधिवक्ता की सलाह के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 से अब तक लाइसेंस फीस के लिए कोई बिल नहीं दिया गया और इसे वित्त वर्ष 2018-19 के बही खातों में आय के रूप में नहीं दिखाया गया है और सांविधिक देय का भुगतान नहीं किया गया। लाइसेंस शुल्क और बिजली के कारण बकाया वसूली मार्च 2016 तक 62.72 लाख रुपये है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए रु. 92.87 लाख वसूली योग्य है जिसका लेखाकन नहीं किया गया है।

फ॒व॒ल॒ि॒.॒क॒ ल॒ १; क॒ 53-3

- (क) अनुपयोगी एवं गैर उपयोगी बीजों की माल सूची के संबंध में, वर्तमान वर्ष से पहले, स्टॉक के मूल्यांकन की गणना ऐसे शेषों की बिक्री मूल्य के भारत औसत के आधार पर की गई थी जो वास्तव में वर्ष के दौरान या पिछले वर्ष की दर से निपटाए गए थे, यदि ऐसे स्टॉक का वर्ष के दौरान निस्तारण नहीं किया गया है। वर्ष के दौरान नीति में बदलाव है और अब मूल्यांकन वर्ष के दौरान नवीनतम नीलामी दर के आधार पर किया जाता है और यदि वर्ष के दौरान निस्तारण नहीं किया जाता है तो अनुमानित साकार मूल्य के आधार पर किया गया है। इसके प्रभाव पर काम नहीं किया गया है। हालांकि प्रबंधन की राय में, इस परिवर्तन के कारण कोई भी महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (ख) स्टोर, पुर्जों और उपभोग्य सामग्रियों में प्रमाणीकरण, पैकिंग और उपचार सामग्री शामिल है, जिनका मूल्यांकन कम लागत पर किया गया है और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य है। स्टोर, पुर्जों और उपभोग्य सामग्रियों सहित प्रमाणीकरण, पैकिंग और उपचार सामग्री के लिए प्रारंभिक वर्षों में "लागत" की परिभाषा को गलत तरीके से "अनुमानित लागत/वसूली योग्य मूल्य" के रूप में उल्लेख किया गया था। इसे अब "भारत औसत लागत" के रूप में ठीक किया गया है। प्रबंधन की राय में, इस परिवर्तन के कारण कोई भी महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

फ॒व॒ल॒ि॒.॒क॒ ल॒ १; क॒ 54

१/४- १ ०॒फु॒ओ॒य॒क॒ दे॒प॒क॒; क॒ड॒स॒ फ॒ी॒ क॒/॒x॒ व॒ो॒फ॒/॒क॒ द॒स॒ व॒ह॒ल॒म॒, १ ०/॒क॒ द॒स॒ फ॒ी॒ क॒/॒x॒ व॒ो॒फ॒/॒क॒ द॒स॒ व॒ह॒ल॒म॒

वर्ष 2013-14 के दौरान कम्पनी ने अपनी लेखांकन नीति में बदलाव किया और तदनुसार लाभ-हानि विवरण में पिछले वर्ष का कर-पूर्व लाभ का 1.5% दिखाया है और गैर चालू देयताओं के अंतर्गत दीर्घावधि प्रावधान के अंतर्गत दिखाया है। वर्तमान वर्ष में रु. 45.56 लाख जोकि पिछले वर्ष के कर-पूर्व लाभ का 1.5% है, को तदनुसार लिया गया है। 31.03.2019 को उपयोग न की गई राशि रु. 330.07 लाख शेष है।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Note : 52 - FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

(Amount In ₹ lakhs)

Particulars	Figures for the current reporting period ended 31.03.2019	Figures for the previous reporting period ended 31.03.2018
Earnings in Foreign Exchange:		
Export of seeds on F.O.B. Basis	-	-
Expenditure in Foreign Currency:		
Foreign Travel	3.26	1.75
Membership fees	1.17	3.43
Value of Import of Seeds on CIF basis	-	-

Note: 53

Note: 53.1

The balances under Trade Receivables, Loans and Advances, Other Current Assets, Trade Payables and Other Current Liabilities are subject to confirmation/ reconciliation. Dues against the government departments/parties outstanding for a period of less than or equal to six/ three years are considered good. However in case of Lucknow ₹ 4.83 crores recoverable on account of subsidy from concerned government although more than 6 years old. Similarly in case of Bhopal, payable amount ₹2.04 lakhs, since in demand, was not written back even after lapse of 5 years.

Note: 53.2

NSC, Kolkata have a tenant for monthly rent of ₹0.83 lakhs in their premises at salt lake named park Indicom Pvt. Ltd. Tenantship agreement has expired in November 2011 and due to non payment by the tenant, legal action has been taken by the corporation. no bill has been raised for license fees as per Advocate advice in financial year 2016-17 onwards. So income is not booked in FY 2018-19 for the same and statutory dues not paid. Outstanding recoverable on account of license fee and electricity is ₹62.72 lakhs upto March 2016. further recoverable for the financial years 2016-17, 2017-18 and 2018-19 is ₹92.87 lakhs which has not been accounted for.

Note: 53.3

- (a) Regarding inventory of condemned and unservicable seeds, valuation of stock prior to the current year was calculated on the basis of weighted average of sale price of such stocks actually disposed off during the year or ATA previous year rate if such stocks are not disposed off during the year. There is a policy change during the year and now the valuation is done on the basis of latest auction rate during the year and if not disposed off during the year then on the basis of estimated realisable value. The impact of the same has not been worked out. However in the opinion of the management, no material impact will be there due to this change.
- (b) Stores, spares and consumables comprising of certification, packing and treatment material is valued at lower of cost and net realizable value. Initially in previous years the definition of "cost" was wrongly mentioned as "estimated cost/realizable value for stores, spares and consumables comprising certification, packing and treatment material". this has now been corrected as "weighted average cost". in the opinion of the management, no material impact will be there due to this change.

Note : 54

(i) Provision for Medical Facility for Retired Employees:

During the year 2013-14, the corporation had changed its Accounting Policy and accordingly charged 1.5% of the previous year's PBT to the Statement of Profit and Loss and showed as long term provision under Non-Current Liabilities. In the current year ₹45.56 lakhs being 1.5% of the previous year's PBT has been treated accordingly. Unutilised balance as on 31.03.2019 is ₹330.07 lakhs.



jkVh, ch fuxe fyfeVM
31 ekpZ 2019 dks l ekr o"lZ dh foVh, fooj.k ij fVli.f.k ka

½ l h, l -vkj- dk Zlyki %

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार तीन अग्रगामी वित्तीय वर्षों के दौरान औसतन कर-पूर्व लाभ का कम से कम 2% राशि निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत खर्च किया जाना चाहिए। तदनुसार सी.एस.आर. कार्यकलापों के लिए वर्ष 2018-19 के दौरान रु. 122.95 लाख की राशि का बजट निर्धारित किया गया था। वर्ष 2018-19 के दौरान सी.एस.आर. पर वास्तविक खर्च की गई राशि रु. 150 लाख है। इसमें रु. 27.05 लाख, खर्च नहीं की गई 'सी.एस.आर. आरक्षित निधि' से ली गई थी।

fVli.f.k keafufuyf[kr [kyk k fd; k x; k g%

(क) कंपनी द्वारा सकल राशि की जानी थी जैसे कि सीएसआर बजट रु. 122.95 लाख है।

(ख) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि।

¼- yk[k e½

(i) निर्माण/अधिगृहीत संपत्ति	50.74
(ii) अन्य उद्देश्य	97.78
dy	148.52

(ग) कंपनी द्वारा नियंत्रित सीएसआर व्यय के संदर्भ में सम्बद्ध पार्टी लेन-देन नहीं है।

(घ) वर्ष के दौरान सीएसआर पर कोई प्रावधान नहीं किया गया चूंकि वास्तविक खर्च, सीएसआर गतिविधियों पर की जाने वाली राशि से अधिक थी।

fVli.kh l d; k 55 %l ad/kr ikVizlVhdj.k

fVli.kh l d; k 55-1 %l lFk ds eq; izaku vf/kdkjlx.k

ule	inuke
श्री वी.के. गौड़	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री वि. मोहन	निदेशक / वित्त)
श्री कौशिक रक्षित (मुख्य वित्त अधिकारी)	व. महाप्रबंधक (वित्त)
मो. राकिम	कम्पनी सचिव

fVli.kh l d; k 55-2 %l ad/kr ikV; ka dsl lFk yu&nu dk izlVhdj.k

eq; izaku vf/kdkjlx.k ka dks lFkriV

वर्ष के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक एवं अन्य मुख्य प्रबंधन अधिकारीगणों का मानदेय निम्न प्रकार से हैं:

¼- yk[k e½

fooj.k	31-03-2019 dks l ekr o"lZ	31-03-2018 dks l ekr o"lZ
श्री वी.के. गौड़ (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	41.03	54.30
श्री एस.बी. खताल (निदेशक वाणिज्यिक)(13.10.2017 को समाप्त)	-	34.71
श्री वि. मोहन (निदेशक वित्त)	32.53	24.27
श्री कौशिक रक्षित (व. महाप्रबंधक वित्त)	21.68	18.92
श्री मो. राकिम (कम्पनी सचिव)	28.56	23.92
dy	123.80	156.12

eq; izaku vf/kdkj; ka dks ekun\$ dk fooj.k

¼- yk[k e½

fooj.k	31-03-2019 dks l ekr o"lZ	31-03-2018 dks l ekr o"lZ
अल्पावधि कर्मचारी लाभ	121.84	141.11
सेवानिवृत्ति कर्मचारी लाभ	-	8.52
अन्य दीर्घकालिक लाभ	1.96	6.49
समाप्ति लाभ	-	-
dy	123.80	156.12

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

(ii) CSR Activities:

As per section 135 of the companies act, 2013, at least 2% of the average PBT during the three immediately preceding financial years should be spent towards Corporate Social Responsibility. Accordingly a budget of ₹122.95 lakhs was earmarked during 2018-19 for CSR activities. Actual amount spent on account of CSR during 2018-19 was ₹ 150.00 lakhs. The excess amount of ₹27.05 lakhs was utilized from unspent CSR reserve.

The following information has been disclosed in the notes:

- (a) Gross amount required to be spent by the company i.e. CSR budget is ₹122.95 lakhs.
(b) Amount spent during the year.

(₹ in lakhs)

(i) Construction/Assets Acquired	50.74
(ii) Other Purpose	97.78
TOTAL	148.52

- (c) There is no related party transaction w.r.t. controlled by the company is related to CSR expenditure.
(d) No Provision is made towards CSR during the year as actual amount spent was more than the amount required to be spent on CSR activities.

Note 55 : Related Party Disclosures

55.1 Key Managerial personnel of the entity

Name	Position
V.K Gaur	Chairman cum Managing Director
V. Mohan	Director Finance
Kaushik Rakshit (Chief Financial Officer)	Sr. GM (Finance)
Mohd. Raquim	Company Secretary

55.2 Disclosure of transaction with related parties:

Compensation of Key Managerial Personnel

The remuneration of CMD, Whole Time Directors and other members of Key Managerial Personnel during the year was as follows:

(Amount In ₹lakhs)

Particulars	Year ended 31/03/2019	Year ended 31/03/2018
Shri V.K Gaur (Chairman cum Managing Director)	41.03	54.30
Shri S.B Khatal (Director Commercial) (resigned on 13.10.2017)	-	34.71
Shri. V. Mohan (Director Finance)	32.53	24.27
Shri. Kaushik Rakshit (Senior General Manager (Finance)	21.68	18.92
Shri. Mohd. Raquim (Company Secretary)	28.56	23.92
Total	123.80	156.12

Details of Remuneration to KMP

(Amount In ₹lakhs)

Particulars	Year ended 31/03/2019	Year ended 31/03/2018
Short-Term Employee Benefits	121.84	141.11
Post-Employment Benefits	-	8.52
Other Long-Term Benefits	1.96	6.49
Termination Benefits	-	-
Total	123.80	156.12



जकवत चत फुखे फयेवम
31 एप्रिल 2019 तक लेन देन के विवरण का विवरण

55-3 % लेन देन के विवरण का विवरण

ऊपरी दी गई लेन देन के अलावा, कंपनी के पास अन्य सरकारी संबंधित संस्थाओं के साथ लेन देन है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं लेकिन सीमित नहीं हैं :-

लेन देन का विवरण भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव)

लेन देन का विवरण %

₹- करोड़

विवरण	विवरण	2018&19		2017&18	
		नकद	विवरण	नकद	विवरण
भारत सरकार	मिनीक्रेडिट	10,891.97	7,664.51	7,056.07	7,141.60
भारत सरकार	बीज बैंक	493.37	287.89	542.64	1,085.28
भारत सरकार	उत्पादन सब्सिडी	12,980.48	6,421.25*	7,439.35	1,983.43*
भारत सरकार	वितरण सब्सिडी	-	-	-	-
भारत सरकार	एमआईडीएच	708.22	300.00	600.36	515.77
भारत सरकार	परिवहन सब्सिडी	287.73	290.07	231.39	184.93
भारत सरकार	अनुदान		639.91		1,197.71

लेन देन का विवरण

₹- करोड़

विवरण	विवरण	2018&19	2017&18
भारत सरकार	मिनीक्रेडिट	4,607.60	1,440.95
भारत सरकार	बीज बैंक	205.48	-
भारत सरकार	उत्पादन सब्सिडी	18,777.64	15,348.23
भारत सरकार	वितरण सब्सिडी	3,400.94	-
भारत सरकार	एमआईडीएच	226.69	265.22
भारत सरकार	परिवहन सब्सिडी	182.90	185.25
भारत सरकार	अनुदान	1,146.28	2,140.32

*वितरण सहायता सहित

विवरण का विवरण

ये लेन देन कंपनी के कारोबार में सामान्यता: आयोजित किए जाते हैं।

55-4

एनएससी द्वारा पहले से ही खर्च किए गए व्यय के विरुद्ध भारत सरकार से प्राप्त होने वाली सब्सिडी की प्राप्ति में देरी से उत्पन्न होने वाले कार्य पूंजी में घाटे की भरपाई करने के लिए उपयोग किए जाने तक अनुदान राशि, एनएससी के सामान्य नकद क्रेडिट खाते में जमा की जाती है। एनएससी को समय पर सब्सिडी और मिनीक्रेडिट की राशि जारी नहीं की जाती है तथा 31 मार्च 2019 को 6 महीने से अधिक समय तक प्रशासनिक मंत्रालय पर रु. 138.06 करोड़ बकाया है। इसलिए, अनुदान पर ब्याज आय की भरपाई कंपनी को सब्सिडी जारी करने में देरी पर किए गए ब्याज खर्च से होती है।

विवरण का विवरण

निदेशक मंडल की राय में सभी सम्पत्तियां (सिवाए संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा गैर चालू निवेश के अलावा) की लागत कम से कम उस राशि के बराबर है, जिस पर उन्हें तुलन पत्र में बताया गया है।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

55.3 Transactions with the Government Related entities

Apart from transactions reported above, the Corporation has transactions with other Government related entities, which includes but not limited to the following:-

Name of Government: Government of India, through Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Significant Influence over company)

Certain significant Transactions:- (Amount In ₹lakhs)

PARTY	NATURE OF TRANSACTION	2018-19		2017-18	
		CLAIMED	RECEIPT	CLAIMED	RECEIPT
Government of India	Minikit	10,891.97	7,664.51	7,056.07	7,141.60
Government of India	Seed Bank	493.37	287.89	542.64	1,085.28
Government of India	Production Subsidy	12,980.48	6,421.25*	7,439.35	1983.43*
Government of India	Distribution Subsidy	-	-	-	-
Government of India	MIDH	708.22	300 .00	600 .36	515.77
Government of India	Transport Subsidy	287.73	290.07	231 .39	184.93
Government of India	Grant		639.91		1,197.71

Balance with Government (Amount In ₹lakhs)

PARTY	Particulars	2018-19	2017-18
Government of India	Minikit	4,607.60	1,440.95
Government of India	Seed Bank	205.48	-
Government of India	Production Subsidy	18,777.64	15,348.23
Government of India	Distribution Subsidy	3,400.94	-
Government of India	MIDH	226.69	265.22
Government of India	Transport Subsidy	182.90	185.25
Government of India	Grant	1,146.28	2,140.32

*Includes Distribution Subsidy

Other Disclosures: (If any)

These transactions are conducted in the ordinary course of the Corporation's business.

55.4

The grant funds are pooled in the common Cash Credit Account of NSC until utilised to compensate the deficit in working capital arising out of the delay in realization of subsidy receivable from Govt. of India against the expenditure already incurred by NSC. The subsidy and Minikit amounts are not released in time to NSC and outstanding from the Administrative Ministry for more than 6 months as on 31st March 2019 is ₹138.06 crores. Hence the interest income on grant is compensated by the interest expenses to the company on delayed release of subsidy.

Note: 56

In the opinion of the Board, all the assets (other than Property, Plant & Equipment and non current investments) have a value on realisation in the ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated in the Balance Sheet.

जकवत, चत फुखे फयेवम
31 एक् 2019 दसल एकर ओलडह फोवत, फोज. कौज फलि. क. क

फलि. क. क 1 4; क 57 % वकदलेद नश रक

1/4- यककेक

वकदलेद नश रक, अ%	31 एक् 2019	31 एक् 2018
कम्पनी के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया – कर्मचारियों एवं अन्यो द्वारा	2,504.86	3,609.35
धन वापसी गारंटी योजना के अंतर्गत लम्बित जांच/स्वीकृति के लिए दाखिल किए गए दावे	39.59	39.59
विवादित बिक्री कर मांग	46.96	261.08
विवादित बिक्री कर मांग – असम	19.26	19.26
विवादित प्रवेश कर मांग – पश्चिम बंगाल	-	-
विवादित आय कर की मांग	3,206.04	3,231.33
लाईव एवं लेट लाईव (पार्टी ने साख एवं धन के लिए एनएससी के विरुद्ध मुकदमा दाखिल किया है)	47.89	47.89
विभिन्न पार्टियां (जिला उपभोक्ता फोरम बालसोर)	-	0.29
विवादित मांग – कर्मचारी राज्य बीमा निगम	6.38	6.38
टीडीएस लंबित मांग ट्रेस (TRACES) के अनुसार (समायोजन योग्य अनउपभोगित चालान)	4.37	-

फलि. क. क 1 4; क 58 % ल एि फिके कध गकु

समीक्षा के आधार पर प्रबंधन का मानना है कि कम्पनी की गैर चालू परिसम्पत्तियों का आर्थिक निष्पादन अपेक्षित से कम नहीं है और इसलिए तुलन पत्र की तारीख पर सम्पत्ति की कोई हानि नहीं है।

फलि. क. क 1 4; क 59 %

केन्द्रीय राज्य फार्म, लाहोवाल के मामले में, पूर्व भा.रा.फा.नि. से पी.एल.डी. एवं आर.सी./पी.ए.यू./पंजाब सरकार को स्थानांतरित परिसम्पत्तियों की कीमत के गैर भुगतान के कारण, भा.रा.फा.नि. ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से अपने पक्ष में आदेश/निर्णय प्राप्त कर लिए हैं! जबकी पी ए यू ने रु. 117.84 लाख का भुगतान कर दिया है तथा भा.रा.फा.नि. के देयताओं के विरुद्ध निपटान कर दिया है परन्तु पी.एल.डी. एवं आर.सी. ने उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष एल पी ए दायर किया है, जो निपटान के लिए लम्बित है। हालांकि एनएससी ने माननीय न्यायालय के खंडपीठ से एलपीए की तुरंत सुनवाई का अनुरोध किया है। खंडपीठ इस मामले पर अगले माह सुनवाई करेगी जैसे कि अधिवक्ता ने बताया है। पी.एल.डी. एवं आर.सी. से प्राप्त योग्य राशि रु. 137.16 लाख है।

फलि. क. क 1 4; क 60 %

बम , , ल & 115

जक लो दक खस ल द्यु

उपभोक्ताओं सहित अनुबंधों से कंपनी के राजस्व का गैर संकलन निम्न प्रकार से है: उत्पाद एवं सेवा के आधार पर

1/4- यककेक

एक्य वफोक ल ओक दक इडक	31-03-2019 दसल एकर ओलडहसफ्य,	31-03-2018 दसल एकर ओलडहसफ्य,
1- मरि ककध फेठ	1,02,255.15	72,787.50
2- ल ओक ध फेठ		
i) सेवाओं की बिक्री	454.86	50.23
ii) अन्य परिचालन राजस्व	13,550.41	8,746.31
3- वल, वक	2,221.23	2,5710.94
कुल	11,80,721.65	84,154.98

उपभोक्ताओं सहित अनुबंधों से कंपनी के राजस्व का गैर संकलन निम्न प्रकार से है: खंड के आधार पर

1/4- यककेक

[कम वक/कज इज	31-03-2019 दसल एकर ओलडहसफ्य,	31-03-2018 दसल एकर ओलडहसफ्य,
उत्पाद खंड	13,994.59	7,503.48
खुदरा एवं वितरण खंड	1,04,077.06	76,651.50
दु	11,80,721.65	84,154.98

कंपनी ने इंडएएस 115 'उपभोक्ताओं सहित अनुबंधों से राजस्व' के आवेदन के लिए संशोधित आवेदन पत्र दिया है और 01 अप्रैल, 2018 को उपार्जन पर शून्य प्रभाव है।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Note 57: Contingent liability

(₹ in lakhs)

Contingent Liabilities:	31 March 2019	31 March 2018
Claims against the Company not acknowledged as debt		
- By employees and others	2,504.86	3,609.35
Claims lodged under money back guarantee scheme , pending investigation / acceptance.	39.59	39.59
Disputed Sales-tax demands	46.96	261.08
Disputed Sales-tax demands -Assam	19.26	19.26
Disputed Demand for Entry Tax, West Bengal	-	-
Disputed Income tax demands	3,206.04	3,231.33
Live & Let Live (party has filed a case against NSC for loss of Goodwill & finance)	47.89	47.89
Various Parties (District Consumer Redressal Forum, Balasore)	-	0.29
Disputed Employee State Insurance Corporation demand	6.38	6.38
TDS Outstanding Demand as per TRACES(Adjustable Unconsumed Challans)	4.37	-

Note 58 : Impairment of Assets

On the basis of review, the management is of the opinion that the economic performance of non financial assets of the Corporation is not lower than expected and therefore there is no impairment of any assets as on the Balance Sheet date.

Note: 59

In case of CSF Ladhawal, due to non-payment of value of assets transferred from erstwhile SFCI to PLD & RC /PAU/ Punjab Govt., SFCI has obtained orders in its favour from P & H HC. Whereas PAU have paid ₹ 117.84 lakhs and settled SFCI's claim to the extent of their liability; PLD & RC have filed LPA before Division Bench of the same High Court which is pending for disposal. However, NSC has moved applications requesting court to make early hearing of the LPA. High Court may like to hear on this application next month, as reported by Advocate. Amount to be received from PLD and RC is ₹137.16 lakhs.

Note : 60

Ind AS-115

Disaggregation of revenue

Below is the disaggregation of the Company's revenue from contracts with customers: Type of Products and Service Wise

(₹ in lakhs)

Type of goods or service	For the year ended 31, March 2019	For the year ended 31, March 2018
1. Sale of Products	1,02,255.15	72,787.50
2. Sale of Service-		
i) Sale of services	454.86	50.23
ii) Other operating Revenue	13,550 .41	8,746.31
3. Other Income	2,221.23	2,5710.94
Total	11,80,721.65	84,154.98

Below is the disaggregation of the Company's revenue from contracts with customers: Segment Wise

(₹ in lakhs)

Segment Wise	For the year ended 31, March 2019	For the year ended 31, March 2018
Producing Segment	13,994.59	7,503.48
Retailing & Distribution segment	1,04,077.06	76,651.50
Total	11,80,721.65	84,154.98

The company has applied modified retrospective approach for the application of Ind AS-115 "Revenue from contracts with customers" and the effect is Nil lakhs on retained earnings as at April 1, 2018.

jkVfr, chl fuxe fyfeVM
31 ekr 2019 dks l ekr o"VZdh foVfr, foj. k ij fVli. k la

vuqak 'kk

¼- yk|k e½

	31-03-2019 dks	31-03-2018 dks
व्यापार प्राप्य (टिप्पणी 13)	35,213.20	25,382.16
अनुबंध परिसंपत्तियां	-	-
अनुबंध देयताएं	-	-

व्यापार प्राप्य गैर-ब्याज असर है और ग्राहक प्रोफाइल में कृषि मंत्रालय, राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम आदि शामिल हैं। कंपनी का औसतन परियोजना निष्पादन चक्र 12 महीने तक का है।

अनुबंध की संपत्ति उस अवधि में अभिज्ञात की जाती है जिसमें ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले कंपनी के अधिकार पर विचार करने के लिए सेवाओं का निष्पादन किया जाता है। पहले से अनुबंधित संपत्ति के रूप में अभिज्ञात कोई भी राशि संलग्न शर्त के संतुष्टि पर व्यापार प्राप्यों के लिए पुनर्वर्गीकृत है, अर्थात् भविष्य की सेवा में मील का पत्थर हासिल करने के लिए आवश्यक है

foj. k	31-03-2019 dks	31-03-2018 dks
वर्ष के प्रारंभ में अनुबंध परिसंपत्तियां	-	-
वर्ष के अंत में अनुबंध परिसंपत्तियां	-	-

¼- yk|k e½

foj. k	31-03-2019 dks	31-03-2018 dks
वर्ष के प्रारंभ में अनुबंध देयताएं	-	-
वर्ष के अंत में अनुबंध देयताएं	-	-

fVli. k&61

“प्रखंड रिपोर्टिंग” पर भारतीय लेखा मानक 108 के अनुपालन में, अपेक्षित सूचना संलग्न है।

Q ol k; d [kM व्यवसायिक खंड निम्न प्रकार से चिह्नित किए गए हैं :-

1. उत्पादन खंड
2. खुदरा बिक्री एवं वितरण खंड

fVli. k&62

लेखा मानक-17 के अनुसार ‘पट्टा विलेख’ पर निगम ने विभिन्न पार्टियों के साथ नई दिल्ली स्थित फार्म भवन और के.रा.फा., सूरतगढ़ के कुछ हिस्से को किराए पर देने के लिए कुछ पार्टियों के साथ लीज समझौता किया है। कुछ हद तक लीज चालू हालत में है। इसके नेहरू प्लेस स्थित फार्म भवन का तथा सूरतगढ़ की दुकानों से पट्टा किराया क्रमशः वार्षिक एवं मासिक रूप प्राप्त किया जा रहा है।

fVli. k&63

1. **dVeh jk; QleZ jk cjsyh %** पूर्ववर्ती एस.एफ.सी.आई. की भूमि, परिसंपत्तियां एवं पेड़ों का कब्जा वापस लेने के बावजूद, राज्य सरकार रु. 83.13 लाख की राशि का भुगतान नहीं कर रही है, जबकि दिनांक 11.06.2013 को हुई उच्चस्तरीय बैठक में समझौता हो गया था, जिसमें श्री वी.के. गौड़, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कम्पनी सचिव और क्षेत्रीय प्रबंधक, लखनऊ प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अनेक अनुस्मारक भेजने तथा अनेक निजी बैठकें करने के बावजूद उत्तरप्रदेश सरकार बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
2. **dVeh jk; QleZ cgjkbz %** वर्ष 2013 के दौरान उच्चतम न्यायालय, लखनऊ के निर्णय के पश्चात, **dVeh jk; QleZ cgjkbz** के पेड़ों तथा सम्पत्तियों की लागत का मूल्यांकन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल थे और उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति की गई थी। तदनुसार मूल्यांकन किया गया था और उच्च स्तरीय समिति ने मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार किया और दोनों पक्षों के दावों को सुनने के पश्चात निम्नलिखित निर्णय दिए:-
 - i. माननीय न्यायालय में पूर्व में जमा किए गए रु. 25.00 लाख की राशि की निकासी के बाद रु. 477.27 लाख की राशि प्राप्य योग्य है। उत्तरप्रदेश सरकार के रु. 198.00 लाख के बकाया राशि के समायोजन के पश्चात केन्द्रीय राज्य फार्म, बहराईच पर पेड़ों तथा सम्पत्तियों की लागत वसूली योग्य है।
 - ii. यह मामला अभी भी उच्चतम न्यायालय, लखनऊ में विचाराधीन है।
 - iii. केन्द्रीय राज्य फार्म, बहराईच से संबंधित बहुत पुरानी शेष राशि रु. 85.61 लाख खर्च न की गई पूंजीगत अनुदान के अंतर्गत दिखाई जा रही है। इस राशि को उक्त अनुदान के पता लगने पर समायोजित किया जाएगा।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Contract balances (₹ in lakhs)

	March 31, 2019	March 31, 2018
Trade receivables (Note 13)	35,213.20	25,382.16
Contract assets	-	-
Contract liabilities	-	-

Trade receivables are non-interest bearing and the customer profile include Ministry of Agriculture, State Government public sector enterprises etc. The Company's average project execution cycle is upto 12 months.

Contract assets is recognised over the period in which services are performed to represent the Company's right to consideration in exchange for goods or services transferred to the customer. Any amount previously recognised as a contract asset is reclassified to trade receivables on satisfaction of the condition attached i.e. future service which is necessary to achieve the billing milestone.

(₹ in lakhs)

Particulars	March 31, 2019	March 31, 2018
Contract Asset at the beginning of the year	-	-
Contract Asset at the end of the year	-	-

(₹ in lakhs)

Particulars	March 31, 2019	March 31, 2018
Contract Liabilities at the beginning of the year	-	-
Contract Liabilities at the end of the year	-	-

Note : 61

In compliance of Ind AS 108 on "Operating Segment", the required information is annexed

Business segments: The Business segments have been identified as:-

1. Producing Segment
2. Retailing & Distribution Segment

Note : 62

As per IndAS-17 on 'Leases' the Corporation has entered into a lease agreement with parties to let out part of its Nehru Place office building at New Delhi and shops at CSF Suratgarh on rent. The lease to some extent is operating in nature. Monthly and yearly lease rentals are received from its Nehru Place office building and shops at Suratgarh respectively.

Note : 63

1. **CSF Raebareilly:** Despite taking back the possession of land, assets and trees of erstwhile SFCEI, State govt. are not paying the amount ₹83.13 Lakhs which was settled at the high level meeting held on 11.6.2013 represented from NSC's side by Shri V.K. Gaur, CMD, CS and RM, LKO. A number of reminders sent and personal meetings held but no action by U.P. Govt. in paying the dues.
2. **CSF Bahraich:** After the decision of the Hon'ble High Court Lucknow Bench during 2013, a High power Committee comprising higher level functionaries of Central and State Government was constituted by the High Court to assess the value of trees and assets of Central State Farms, Bahraich by a valuer appointed by the U.P. Government. The valuation was done accordingly and High Power Committee considered the valuation report and after hearing the claims of both the parties decided as under:-
 - i. Net receivable amount of ₹477.27 lakhs after withdrawal of ₹25 lakhs earlier deposited in the High Court; is recoverable from UP Govt. on account of the value of trees and assets of Central State Farm Bahraich after adjustment of their outstanding dues of ₹198.00 lakhs.
 - ii. The matter is still subjudice before the High court Lucknow Bench.
 - iii. Very old balance of ₹85.61 lakhs relating to CSF Bahraich is appearing under unspent capital grant. The same will be adjusted once the detail of the asset created against the said grant is traced.

जकवत, चत फुखे फुवेवम 31 एप्रील 2019 दसल एकर ओकडिह फोवत, फोज. कौज फुलि. क. ल

फुलि. क. ल 1 ढ; क 64

राष्ट्रीय बीज निगम के पास कोई सहायक कम्पनी नहीं है। निगम का 05 राज्य बीज निगमों में 20% या अधिक शेयरहोल्डिंग है जिन्हें "एसोसियेटेड कंपनी" कहा गया है। इन निगमों के खातों को निगम के खातों के साथ समेकित करना तथा संलग्न करना जरूरी था। हालांकि एमओए और एफडब्ल्यू के संयुक्त सचिव (सीड्स) के साथ एसोसिएट राज्य बीज निगमों के प्रबंध निदेशकों की बैठक सहित सभी प्रयासों के बावजूद वे अपने बैकलाग खातों को इंड एस में तैयार करने और समय पर जमा करने में असमर्थ थे। तदनुसार, इन एसोसिएट राज्य बीज निगमों के खातों को समेकित और निगम के खातों के साथ संलग्न नहीं किया जा सका है। चूंकि राज्य बीज निगमों में निवेश की राशि भारत सरकार के एनएसपी के अधीन थी, इसलिए निगम का इन एसोसिएट कंपनियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। तदनुसार एनएससी ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ अपने पत्र दिनांक 08 नवम्बर, 2016 के द्वारा मामले को उठाया जिसे स्वीकार कर लिया है तथा इन एसोसिएट कंपनियों में हिस्सेदारी 19% तक कम करने के लिए मंजूरी दे दी है। निगम ने एसोसिएट कंपनियों से शेयरों को वापस खरीदने के लिए अनुरोध किया है। कई अनुस्मारक पत्र भेजने के बावजूद तथा कई बार दूरभाष पर बातचीत के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया। एमओए और एफडब्ल्यू के संयुक्त सचिव (बीज) की अध्यक्षता में इन सहयोगी कंपनियों के प्रबंध निदेशकों के साथ दो बार बैठक होने के बावजूद अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इन कंपनियों ने इस मामले पर अपने निधि की कमी के बारे में बताया है तथा मामलों को राज्य सरकार के साथ लेने को कहा है। एनएससी इस मामले पर निरंतर प्रयासरत है।

फुलि. क. ल 1 ढ; क 65

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने जनवरी, 2014 में एनएससी, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद का संयुक्त औचक निरीक्षण किया और वर्ष 2010-11 से 2013-14 की अवधि के दौरान बीज उत्पादन, बीज विपणन से संबंधित रिकार्डों और एनएससी के अन्य राज्यों को प्रेषित रिकार्डों को जब्त किया। सीबीआई कोर्ट में सीबीआई द्वारा दाखिल आरोप पत्र में वारांगल, नंदयाल एवं करनूल प्रक्षेत्र कार्यालय के कर्मचारियों की कुछ निजी पार्टियों के साथ मिलीभगत से भारत सरकार को रु. 255.41 लाख, रु. 697.23 एवं रु. 438.39 लाख का गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया। यद्यपि सीबीआई ने वारांगल एवं नंदयाल कार्यालयों के विरुद्ध सितम्बर, 2015 में तथा प्रक्षेत्र कार्यालय करनूल के विरुद्ध जुलाई, 2019 में मुकदमा दायर किया है।

फुलि. क. ल 1 ढ; क 66

सीएसएफ सूरतगढ़, सरदारगढ़, जैतसर और रायचूर में कब्जे वाली भूमि भारत सरकार के स्वामित्व में है और एनएससी केवल कब्जाधारक है। बलियापुर (झारखंड) का मालिकाना हक राज्य सरकार के नाम पर है, एनएससी पट्टाधारक है। नलहट्टी और सुकिंदा के मामलों में भी जमीन राज्य सरकारों के स्वामित्व में है जहां निगम पट्टेदार है। इन सभी फार्मों को कृषि उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा है तदनुसार गैर-राजस्व अनुदान के तहत इनका खुलासा नहीं किया गया है।

फुलि. क. ल 1 ढ; क 67

- (क) अप्रैल 2015 से अगस्त 2016 तक की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए उन सभी कर्मचारियों के लिए 01.04.2015 से लागू एनएससी कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में नियुक्ता शेयर की ओर 625 लाख का प्रावधान किया गया था। अब तक इस योजना में कुछ ही कर्मचारी शामिल हुए हैं जिस कारण नियुक्ता योगदान के रूप में 283.15 लाख का उपयोग किया गया है। पिछले दो वित्तीय वर्षों से रु. 341.85 लाख की शेष राशि अनुपयोगी रूप से पड़ी थी। तदनुसार वर्तमान वर्ष 2018-19 के दौरान रु. 300 लाख की राशि वापस लिखी गई है। अप्रैल 2015 से अगस्त 2016 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों में से यदि कोई हो, तो मांग को पूरा करने के उद्देश्य से रु. 41.85 लाख रुपये रखे गए हैं।
- (ख) पूर्ववर्ती एसएफसीआई के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में 10.90 करोड़ की कुल सब्सिडी में से, जोकि 6 वर्ष से अधिक पुराना है, वर्ष 2018-19 के दौरान 6.03 करोड़ का प्रावधान किया गया है और शेष रु. 4.87 करोड़ को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 मार्च 2019 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 4.87 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए लिखा गया एक पत्र के आधार पर, वसूली योग्य माना गया है। इसलिए 6 वर्ष से अधिक पुराना होने के बावजूद इसका प्रावधान नहीं किया गया है। संदर्भ: लेखांकन नीति सं 67xxi (च)।
- (ग) वित्तीय वर्ष 2013-14 से पूर्व, वित्तीय वर्ष के भीतर की गई खरीद के आधार पर उत्पादन सब्सिडी का दावा किया गया था। बाद में संयुक्त सचिव (फसल) के निर्देशों के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा उस वित्तीय वर्ष के लिए अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के आधार पर उत्पादन सब्सिडी का दावा किया गया है। वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजना मौसम पर आधारित होती है और आंशिक रूप से वित्तीय वर्ष के साथ ओवरलैप होती है। इसी तरह, वर्ष 2018-19 के दौरान खरीफ -18, के उत्पादन की वार्षिक कार्य योजना अनुमोदित नहीं की गई थी। रबी-18-19 और खरीफ-19 के उत्पादन में शामिल करने के लिए वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी गई है। तदनुसार, उत्पादन सब्सिडी के इस दावे के कारण 31 मार्च, 2018 और 2019 को वित्तीय प्रभाव क्रमशः रु. 54.45 करोड़ और रु. 43.58 करोड़ है।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Note : 64

National Seeds Corporation Limited does not have any Subsidiary Company. It is holding 20% or more shareholdings in five State Seeds Corporations which are called 'Associate Companies'. The Accounts of such corporations were required to be consolidated and separately attached with the accounts of Corporation. However inspite of all efforts including a meeting of the Managing Directors of the Associate State Seeds Corporations with the Joint Secretary (Seeds) in MOA & FW, they were unable to either complete their backlog accounts or prepare their current year accounts in IndAS and submit in time. Accordingly the accounts of these Associate State Seeds Corporations could not be consolidated and attached with the accounts of the Corporation. Since the amount invested in the State Seeds Corporation was under NSP of Government of India, corporation has no control on these Associate Companies. Accordingly NSC has taken up with the MOA & FW and Ministry vide its letter Dated 8th November 2016 has approved for reducing the stakes in these Associate Companies to 19%. Corporation has requested the Associate Companies to buy back the shares to that extent. Despite repeated letters, reminders and telephonic calls, Associate Companies are not giving positive response. Two times, meetings of MDs of Associate Companies were called and held by MOA & FW under the Chairmanship of J.S.(Seeds), but no result has come so far. They are complaining of shortage of funds as well as to take up with their State Governments. Persuasion is being continued by NSC.

Note : 65

The CBI has conducted joint surprise check at the Hyderabad Regional Office in the month of January 2014 And seized the records pertaining to the seed production, seed marketing and dispatches to other states of NSC for the period 2010-11 to 2013-14. As per the Charge sheet filed by the CBI in the CBI Court the total wrongful loss caused to Govt. of India was ₹255.41 Lakhs, ₹697.23 Lakhs and ₹438.39 Lakhs by some private parties in collusion with the officials of Warangal, Nandyal and Kurnool area offices respectively. However, the case has been filed by Hon'ble CBI Court in September 2015 in case of Nandyal and Warangal Area Offices and in April 2019 in case of Kurnool area Office.

Note : 66

Lands under possession in CSF Suratgarh, Sardargarh, Jetsar (All three in Rajasthan) and Raichur(Karnataka) are under the ownership of Government of India and NSC is only the custodian. Land at Baliapur (Jharkhand) is under the ownership of the State Governments where Corporation is the lessee. Land at Nalhati (West Bengal) and Sukinda (Odisha) Also belongs to respective State Governments and are in permissiee possession. Accordingly all these farms being utilised for Agricultural purpose have not been disclosed under Non-monetary Grant.

Note : 67

- (a) A provision of ₹ 625 lakhs was created towards employer share of NSC Employees Defined Contribution Superannuation Pension Scheme effective from 01.04.15 for all those employees retired during the period April 2015 to August 2016. Till date few employees have joined for which an amount of ₹ 283.15 lakhs has been utilised in the form of employers' contribution. The remaining amount of ₹341.85 lakhs was lying unutilised for the last two financial years. Accordingly an amount of ₹300 lakhs has been written back during the current year 2018-19. ₹41.85 lakhs has been retained for the purpose of meeting the demand if any, arising from the employees who had retired during the period April 2015 to August 2016.
- (b) Out of the total subsidy of ₹10.90 Crore in RO Lucknow of erstwhile SFCl, which is more than 6 years old, provision for ₹6.03 Crores has been made during the year 2018-19 and rest ₹4.87 Crores is considered good on the basis of a letter dated 1st March 2019 written by Govt. of Uttar Pradesh to Ministry of Agriculture and Farmers Welfare of ₹4.87 Crores for its payment; hence not provided inspite of it being more than 6 years old. Refer accounting policy no. 67 xxi (f).
- (c) Prior to the financial year 2013-14 production subsidy was claimed on the basis of procurement made within the financial year. Later as per the directions of Joint Secretary (Crops) production subsidy during a financial year is claimed on the basis of Annual Action Plan approved for that financial year by DAC. The Annual Action Plan for a year is based on seasons and partially overlaps with the financial year. Similarly, during 2018-19 Annual Action Plan was approved to cover production of Kharif-18, Rabi-18-19 and Summer-19. Accordingly, the financial impact due to this claim of production subsidy beyond 31st of March, 2018 and 2019 is ₹54.45 crores and ₹43.58 crores respectively.

jkVfr, chl fuxe fyfeVM
31 elpZ 2019 dks l ekr o"ldh foVfr, fooj.ks ij fVlif.k ka

fVli .kh l d; k 68

दिनांक 17.10.2011 के पांच बैंक डी.डी प्रत्येक रु. 2000/- के, दिनांक 12.10.2011 का रु. 0.26 लाख का एक डी.डी. और दिनांक 13.01.2012 का रु. 4.50 लाख का एक डी.डी. (मांग पत्र) भारतीय स्टेट बैंक, नेहरू प्लेस शाखा द्वारा खो गए। तदनुसार निगम की लेखा बहियों में रु. 4.86 लाख का शेष दिखाया जा रहा है। इस मामले को बैंक के समक्ष रखा गया और बैंक को कई पत्र लिखे जा चुके हैं परंतु कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ इसलिए प्रबंधन ने भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष 09.08.2017 को शिकायत दर्ज की है।

fVli .kh l d; k 69

पिछले वर्ष के आंकड़े पुनः एकत्रित/पुनःवर्गीकृत किए गए हैं जहां आवश्यक हो, ताकि वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप वर्गीकरण/प्रकटीकरण हो सके।

fVli .kh l d; k 70 %foVfr, fooj.ks dk vuqlnu

निदेशक मंडल द्वारा 31 अगस्त, 2019 को वित्तीय विवरणों का अनुमोदन किया है।

fVli .kh l d; k 71

लेखाकन नीति संख्या 2.1 (घ) के अनुसार मूल्यों को निकटतम लाख में राउंड ऑफ किया जाना चाहिए था। यद्यपि, समेकन के दौरान सटीकता के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों/फार्मों के वित्तीय जानकारी रूपों में दी गई थी और मुख्यालय स्तर पर समेकन के समय मूल्यों को निकटतम लाख पर राउंड ऑफ किया गया।

fVli .kh l d; k 72 %iwlZf/k ena

इंड एस-1 के तहत परिभाषित : महत्वपूर्ण गैर विवरणों को यदि वे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं, तो महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा परिभाषा के अनुसार सार गलत परिस्थितियों के आकार और प्रकृति पर निर्भर करती है, जो आसपास की परिस्थितियों में देखी जाती है। तदनुसार, वर्ष के दौरान अभिज्ञात रु. 350.89 लाख की कुल पूर्व अवधि की मदों को वर्तमान अवधि में कुल राजस्व का 1% से कम दर्ज किया गया है। उनका आकार सारहीन है और उनकी प्रकृति आर्थिक निर्णयों को प्रभावित नहीं करती है। यह इंड एस-8 के अनुरूप है, जहां पूर्वावधि को पूर्ववत करते हुए त्रुटि को ठीक करने के लिए पूर्ववर्ती समय की त्रुटियों से केवल सामग्री को ठीक करने का प्रावधान है।



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Note : 68

Five demand drafts dated 17.10.2011 of ₹2000/- each, one demand draft dated 12.10.2011 of ₹0.26 Lakhs and one demand draft dated 13.01.2012 of ₹4.50 Lakhs were misplaced by State Bank of India, Nehru Place Branch. Accordingly a balance of ₹4.86 Lakhs is appearing in the books of the Corporation. The matter was taken up with the bank and several letters were written to them over the years. Getting no response, the management has filed a complaint to RBI on 09.08.2017.

Note : 69

Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification / disclosure.

Note : 70 Approval of financial statement

The financial statements were approved for issue by the Board of Directors on 31st August 2019.

Note : 71

As per Accounting Policy No.2.1(d), the values had to be rounded off to the nearest lakhs. However, for more accuracy during consolidation, the financial information of Regional Offices/Farms are presented in Rupees and the values are rounded off to the nearest lakhs at the time of consolidation at HO.

Note : 72 Prior Period items

As per the definition of materiality as defined under IndAS-1; Material misstatements are considered to be material if they individually or collectively influence the economic decisions. Further as per the definition materiality depends on the size and nature of misstatement judged in the surrounding circumstances. Accordingly, the total prior period items of ₹350.89 lakhs-recognised during the year being less than 1% of the total revenue has been booked in the current period, their size being immaterial and their nature does not influence the economic decisions. This is in line with IndAS-8 where there is a provision to correct only material prior period errors retrospectively by restating the prior period in which the error has occurred.



jkVfr, chl fuxe fyfeVM
31 ekpZ 2019 dks l ekr o"ZdhorZku fji kV/x
fooj.k

fVli . k&73 %

baM&, , l 19 eaifjHk'kr **deZkjh fgrykHk** dk izdVhdj.k fuFu izlkj lsgS%

¼- yk[k e½

fooj.k	31-03-2019 dks l ekr o"ZdhorZku fji kV/x vof/k ds vkaMg	31-03-2019 dks l ekr o"ZdhorZku fji kV/x vof/k ds vkaMg
<p>कंपनी द्वारा कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए विभिन्न हितों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है :-</p> <p>¼½ifjHk'kr vanku ; kt uk</p> <p>वर्ष के दौरान कंपनी ने लाभ एवं हानि विवरण में निम्नलिखित राशि अभिज्ञात की है।</p> <p>(i) Hko"; fuf/k भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान</p> <p>(ii) jkV; ; kt uk कर्मचारी का राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में नियोक्ता का अंशदान कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में नियोक्ता का अंशदान</p> <p>¼½ifjHk'kr ykHk ; kt uk deZkjh minku fuf/k ; kt uk एक परिभाषित लाभ योजना है। देयता का वर्तमान मूल्य परियोजना एकक ऋण विधि का प्रयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है।</p>	<p>764.78</p> <p>1.73</p> <p>208.06</p>	<p>552.23</p> <p>1.71</p> <p>200.19</p>

¼- yk[k e½

	xP; Wh ¼uf/kNr½	xP; Wh ¼uf/k-r½
rkfydk 1		
<p>1 बीमांकिक धारणाएं</p> <p>मृत्यु दर तालिका</p> <p>घर्षण दर</p> <p>आरोपित ब्याज दर/ (छूट दर)</p> <p>क्षतिपूर्ति वृद्धि की दर (वेतन मुद्रास्फीति)</p> <p>आयोजना परिसम्पत्तियों पर प्रतिलाभ</p> <p>शेष कार्यशील सक्रियता</p>	<p>आईएएलएम 2006-08 अंतिम</p> <p>01.00% p.a.</p> <p>07.62% p.a.</p> <p>बेसिक-3% और डीए-4%</p> <p>9.55 वर्ष</p>	<p>आईएएलएम 2006-08 अंतिम</p> <p>01.00% p.a.</p> <p>07.55% p.a.</p> <p>बेसिक-3% और डीए-4%</p> <p>8.76 वर्ष</p>
rkfydk 2		
<p>2 nk; RoladsorZku eV; eaifjorZ ¼hohk½</p> <p>वर्ष के प्रारम्भ में पीवीओ</p> <p>ब्याज लागत</p> <p>वर्तमान सेवा लागत</p> <p>कटौती लाभ/हानि सहित आंशिक सेवा लागत</p> <p>भुगतान किए गए लाभ</p> <p>जनसांख्यिकी अवधारणा में परिवर्तन के कारण, देयताओं पर बीमांकिक (लाभ)/हानि</p>	<p>6,245.45</p> <p>471.53</p> <p>262.06</p> <p>-</p> <p>1,118.39</p> <p>5.84</p>	<p>5,387.54</p> <p>404.07</p> <p>224.42</p> <p>1,049.13</p> <p>1,298.92</p>

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Note 73:

The disclosures of Employee benefits as defined in Ind-AS 19 'Employee Benefits' are given below:

(₹ in lakhs)

Particulars	Figures for the current reporting period ended 31.03.2019	Figures for the previous reporting period ended 31.03.2018
The Company has classified the various benefits provided to employees as under :		
A) Defined Contribution Plan:		
During the year, the Company has recognised the following amounts in the statement of Profit and Loss:		
(i) Provident Fund:		
Employer's Contribution to Provident Fund	764.78	552.23
(ii) State Plans:		
Employers' Contribution to Employee's State Insurance Act, 1948	1.73	1.71
Employers' Contribution to Employee's Pension Scheme, 1995	208.06	200.19
B) Defined Benefit Plan:		
The Employee Gratuity Fund Scheme is a defined benefit plan. The present value of the obligation is based on the actuarial valuation using Projected Unit Credit Method.		

(₹ in lakhs)

	<u>Gratuity (Funded)</u>	<u>Gratuity (Funded)</u>
Table 1		
1 Actuarial Assumptions		
Mortality Table	IALM 2006-08 Ultimate	IALM 2006-08 Ultimate
Attrition Rate	01.00% p.a.	01.00% p.a.
Imputed rate of Interest/(discount rate)	07.62% p.a.	07.55% p.a.
Rate of Compensation Increase (Salary Inflation)	Basic-3% & DA-4%	Basic-3% & DA-4%
Expected Return on plan assets		
Remaining Working Life	9.55 Years	8.76 Years
Table 2		
2 Changes in the Present value of obligations (PVO)		
PVO as at beginning of year	6,245.45	5,387.54
Interest Cost	471.53	404.07
Current Service cost	262.06	224.42
Part service cost including curtailment gains/losses	-	1,049.13
Benefits Paid	1,118.39	1,298.92
Actuarial (gain)/loss on obligations due to change in demographic Assumption	5.84	-

जि.के.ए.सी. की वित्तीय प्रवृत्ति
31 मार्च 2019 तक की वित्तीय प्रवृत्ति का विवरण

	2018-19	2017-18
वित्तीय अवधारणा में परिवर्तन के कारण, देयताओं पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(17.72)	(521.43)
अप्रत्याशित अनुभव के कारण, देयताओं पर बीमांकिक (लाभ)/हानि वर्ष के अंत में पीवीओ	(100.24)	1,000.65
	5,748.53	6,245.45
रकम 3		
3 वर्ष के आरम्भ में आयोजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	2,862.45	3,426.89
ब्याज आय	216.11	257.02
नियोक्ता अंशदान	1,269.85	479.13
भुगतान किए गए लाभ	1,094.81	1,268.36
परिसम्पत्तियों पर वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि	(4.80)	(32.23)
वर्ष के अंत में आयोजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	3,248.80	2,862.45
रकम 4		
4 वित्त पोषित स्थिति	(2,499.73)	(3,383.00)
वित्त पोषित परिसम्पत्तियां	3,248.80	2,862.45
निधि देयता	5,748.53	6,245.45
रकम 5		
5 वर्तमान सेवा लागत	262.06	1,273.55
ब्याज लागत	255.42	147.05
लाभ लागत (लाभ एवं हानि खाते की विवरणिका में अभिज्ञात खर्च)½	517.48	1,420.60
रकम 6		
6 वित्तीय परिवर्तन के कारण, देयताओं पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(17.72)	(521.43)
जनसांख्यिकी धारणा के कारण, देयताओं पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	5.84	-
अप्रत्याशित अनुभव के कारण, देयताओं पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(100.24)	1,000.65
वित्त पोषित परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	(112.12)	479.22
ब्याज आय को छोड़ कर आयोजना परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ	(4.80)	(32.23)
संपत्ति सीलिंग का प्रभाव	-	-
अवधि के अंत में शेष	(107.32)	511.45
ओसीआई में अभिज्ञात अवधि के लिए शुद्ध (आय)/व्यय	(107.32)	511.45

क. निगम ने स्थाई कर्मचारियों के लिए वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान केनरा, एचएसबीसी, ओरियेंटल बैंक आफ कामर्स, जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड में उपदान निधि के रूप में रु. 150.00 लाख जमा किए थे। अंशदान, उपार्जित ब्याज एवं भुगतान किए गए लाभ के पश्चात वित्त वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान निधि लागत रु. 852.27 लाख रह गई है।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

	Gratuity (Funded)	Gratuity (Funded)
Actuarial (gain)/loss on obligations due to change in financial Assumption	(17.72)	(521.43)
Actuarial (gain)/loss on obligations due to unexpected Experience PVO as at end of year	(100.24)	1,000.65
	5,748.53	6,245.45
Table 3		
3 Changes in the fair value of Plan Assets		
Fair Value of Plan Assets at beginning of year	2,862.45	3,426.89
Interest Income	216.11	257.02
Employer Contributions	1,269.85	479.13
Benefits paid	1,094.81	1,268.36
Actuarial (gain)/loss for the year on Assets	(4.80)	(32.23)
Fair value of Plan Assets at the end of year	3,248.80	2,862.45
Table 4		
4 Table Showing Reconciliation to Balance Sheet		
Funded Status	(2,499.73)	(3,383.00)
Funded Assets	3,248.80	2,862.45
Fund Liability	5,748.53	6,245.45
Table 5		
5 Expenses recognised in Statement of Profit and Loss		
Current Service Cost	262.06	1,273.55
Interest Cost	255.42	147.05
Benefit Cost (Expense recognised in Statement of Profit and Loss)	517.48	1,420.60
Table 6		
6 Other Comprehensive Income		
Actuarial (gain)/loss on obligations due to change in financial Assumption	(17.72)	(521.43)
Actuarial (gain)/loss on obligations due to change in demographic Assumption	5.84	-
Actuarial (gain)/loss on obligations due to unexpected Experience	(100.24)	1,000.65
Total Actuarial (Gain)/Loss	(112.12)	479.22
Return on Plan Assets excluding Interest Income	(4.80)	(32.23)
The Effect of Asset ceiling	-	-
Balance at the end of the Period	(107.32)	511.45
Net (Income)/Expense for the Period Recognised in OCI	(107.32)	511.45

- a. The Corporation has deposited ₹ 150.00 Lakhs in Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited during the financial year 2011-12 towards the gratuity fund of regular staff. Fund value after taking contribution, Accrued interest and pay out benefits during the financial year 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 and 2018-19 is ₹ 852.27 lakhs.

जि.के.ए. की फुल टाइम रिपोर्ट
31 मार्च 2019 को जारी की गई रिपोर्ट, जो.के.ए. की फुल टाइम रिपोर्ट

वै. र. वोटिंग/वै. र. वोटिंग के तहत, ए.के.ए. की फुल टाइम रिपोर्ट

रिपोर्ट 1		
<p>1 ; के.के.ए. की फुल टाइम रिपोर्ट</p> <p>मृत्यु दर तालिका घर्षण दर अर्जित ब्याज दर/(छूट दर) क्षतिपूर्ति वृद्धि की दर (वेतन मुद्रास्फीति) आयोजना परिसम्पत्तियों पर प्रतिलाभ शेष कार्यशील जीवन</p>	<p>आईएलएम 2006-08 अंतिम 01.00% p.a 07.62% p.a. बेसिक-3% और डीए-4% — 9.68 वर्ष</p>	<p>आईएलएम 2006-08 अंतिम 01.00% p.a 07.55% p.a. बेसिक-3% और डीए-4% — 8.76 वर्ष</p>
<p>2 न.के.ए. की फुल टाइम रिपोर्ट</p> <p>पिछले मूल्यांकन पर पीवीओ वर्तमान सेवा लागत ब्याज लागत वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन के कारण, देयताओं पर बीमाकिक (लाभ)/हानि अप्रत्याशित अनुभव के कारण, देयताओं पर बीमाकिक (लाभ)/हानि भुगतान किए गए लाभ वर्ष के अंत में पीवीओ</p>	<p>(गैर वित्त पोषित) ₹ 3,628.80 223.13 273.97 (11.21) 180.69 679.33 3,616.05</p>	<p>(गैर वित्त पोषित) ₹ 4,144.33 225.82 310.82 (379.91) 28.09 700.35 3,628.80</p>
<p>3 के.के.ए. की फुल टाइम रिपोर्ट</p> <p>वर्ष के आरम्भ में आयोजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य ब्याज आय आयोजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिलाभ अंशदान भुगतान किए गए लाभ ब्याज आय को छोड़ कर आयोजना परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ वर्ष के अंत में आयोजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य</p>	<p>- - - - - - -</p>	<p>- - - - - - -</p>
<p>4 रिपोर्ट 4</p> <p>वित्त पोषित स्थिति वित्त पोषित परिसम्पत्तियां निधि देयता</p>	<p>लागू नहीं - 3,616.05</p>	<p>लागू नहीं - 3,628.80</p>
<p>5 रिपोर्ट 5</p> <p>वर्तमान सेवा लागत शुद्ध ब्याज लागत</p>	<p>223.13 273.97</p>	<p>225.82 310.82</p>

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Actuarial valuation in respect of EL/HPL has been given as under:

Table 1		
1 Plan Assumptions		
Mortality Table	IALM 2006-08 Ultimate	IALM 2006-08 Ultimate
Attrition Rate	01.00% p.a	01.00% p.a
Imputed rate of Interest/(discount rate)	07.62% p.a.	07.55% p.a.
Rate of Compensation Increase (Salary Inflation)	Basic-3% & DA-4%	Basic-3% & DA-4%
Return on plan Assets	-	-
Remaining Working Life	9.68 Years	8.76 Years
Table 2		
2 Changes in the Present value of obligations (PVO)		
	(Unfunded) ₹	(Unfunded) ₹
PVO as on last Valuation	3,628.80	4,144.33
Current Service cost	223.13	225.82
Interest Cost	273.97	310.82
Actuarial (gain)/loss on obligations due to change in Financial Assumption	(11.21)	(379.91)
Actuarial (gain)/loss on obligations due to unexpected experience	180.69	28.09
Benefits Paid	679.33	700.35
PVO as at end of year	3,616.05	3,628.80
Table 3		
3 Changes in the fair value of plan assets		
Fair Value of Plan assets at beginning of year	-	-
Interest Income	-	-
Expected Return on plan assets	-	-
Contributions	-	-
Benefits paid	-	-
Return on plan assets excluding Interest Income	-	-
Fair value of plan assets at the end of year	-	-
Table 4		
4 Table Showing Reconciliation to Balance Sheet		
Funded Status	N/A	N/A
Funded Assets	-	-
Fund Liability	3,616.05	3,628.80
Table 5		
5 Expenses recognised in Statement of Profit and Loss		
Current Service Cost	223.13	225.82
Net Interest Cost	273.97	310.82

जकवत, क्त फुखे फयेवम
31 एप्र 2019 दसल एर ओरुध फोवत, फोज. कौज फुलि. क का

केवल पिछले वर्ष के लिए बीमाकिक लाभ/हानि लाभ लागत (लाभ एवं हानि खाते की विवरणिका में अभिज्ञात खर्चे)	169.49 666.59	(351.82) 184.82
रफ्यदक 6		
6 वलु, Q कि द वक वित्तीय परिवर्तन के कारण, देयताओं पर बीमाकिक (लाभ)/हानि जनसांख्यिकी धारणा के कारण, देयताओं पर बीमाकिक (लाभ)/हानि अप्रत्याशित अनुभव के कारण, देयताओं पर बीमाकिक (लाभ)/हानि दु चकदुद 1/2 क्त/गकु ब्याज आय को छोड़ कर आयोजना परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ संपत्ति सीलिंग का प्रभाव अवधि के अंत में शेष ओसीआई में अभिज्ञात अवधि के लिए शुद्ध (आय)/व्यय	- - - - - - - -	- - - - - - - -

लक फुवत कौज ; कक दस्यु, ; कक क्तक लसल क्त/क चकदुद एव, ककु उल्स फन; कख; कग

रफ्यदक 1		
1 ; क्तुक वक्यु मृत्यु दर तालिका घर्षण दर अर्जित ब्याज दर/(छूट दर) क्षतिपूर्ति वृद्धि की दर (वेतन मुद्रास्फीति) शेष कार्यशील सक्रियता	आईएलएम 2006-08 अंतिम - - - -	आईएलएम 2006-08 अंतिम - - - -
रफ्यदक 2		
2 नक्त, ककुदसोरकु एव, एािफोरु 1/2 क्त/क पिछले मूल्यांकन पर पीवीओ वर्तमान सेवा लागत ब्याज लागत वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन के कारण, देयताओं पर बीमाकिक (लाभ)/हानि अप्रत्याशित अनुभव के कारण, देयताओं पर बीमाकिक (लाभ)/हानि भुगतान किए गए लाभ वर्ष के अंत में पीवीओ	(गैर वित्त पोषित) ₹ - - - - - -	(गैर वित्त पोषित) ₹ - - - - - -
रफ्यदक 3		
3 वक्तुक ल एि फुक्त, ककुदसुफुर एव, एािफोरु वर्ष के आरम्भ में आयोजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य ब्याज आय आयोजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	- - -	- - -

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Actuarial (Gain)/Loss only for last year	169.49	(351.82)
Benefit Cost (Expenses recognised in Statement of Profit and Loss)	666.59	184.82
Table 6		
6 Other Comprehensive Income		
Actuarial (gain)/loss on obligations due to change in financial assumption	-	-
Actuarial (gain)/loss on obligations due to Demographic Assumption	-	-
Actuarial (gain)/loss on obligations due to unexpected Experience	-	-
Total Actuarial (Gain)/Loss	-	-
Return on Plan assets excluding Interest Income	-	-
The Effect of asset ceiling	-	-
Balance at the end of the Period	-	-
Net (Income)/Expense for the Period recognized in OCI	-	-

Actuarial valuation in respect of Travelling Allowance for Journey on Retirement has been given as under:

Table 1		
1 Plan Assumptions		
Mortality Table	IALM 2006-08 Ultimate	IALM 2006-08 Ultimate
Attrition Rate	-	-
Imputed rate of Interest/(discount rate)	-	-
Rate of Compensation Increase (Salary Inflation)	-	-
Remaining Working Life	-	-
Table 2		
2 Changes in the Present value of obligations (PVO)		
	(Unfunded) ₹	(Unfunded) ₹
PVOs on last Valuation	-	-
Current Service cost	-	-
Interest Cost	-	-
Actuarial (gain)/loss on obligations due to change in Financial Assumption	-	-
Actuarial (gain)/loss on obligations due to Unexpected Experience	-	-
Benefits Paid	-	-
PVO as at end of year	-	-
Table 3		
3 Changes in the fair value of plan assets		
Fair Value of Plan assets at beginning of year	-	-
Interest Income	-	-
Expected Return on Plan assets	-	-

जकवत, चतु फुखे फुवेवम
31 एप्रिल 2019 दसलेक ओर ओरिडिफोवत, फुज. कौज फुलि. क. का

अंशदान भुगतान किए गए लाभ ब्याज आय को छोड़ कर आयोजना परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ वर्ष के अंत में आयोजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	-	-
रफुयडक 4		
4 रफुयडक रगु इ = एल एकेकु फु [क जगक गड वित्त पोषित स्थिति वित्त पोषित परिसम्पत्तियां निधि देयता	लागू नहीं - -	लागू नहीं - -
रफुयडक 5		
5 यक, ओगकु [कर्स चह फुज. क. का एव फुकेक [कड वर्तमान सेवा लागत शुद्ध ब्याज लागत आयोजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिलाभ केवल पिछले वर्ष के लिए बीमाकिक लाभ/हानि लाभ लागत (लाभ एवं हानि खाते की विवरणिका में अभिज्ञात खर्च 1/2	- - - - -	- - - - -
रफुयडक 6		
6 वु, किक वक वित्तीय अवधारणा परिवर्तन के कारण, देयताओं पर बीमाकिक (लाभ)/हानि जनसांख्यिकी धारणा के कारण, देयताओं पर बीमाकिक (लाभ)/हानि अप्रत्याशित अनुभव के कारण, देयताओं पर बीमाकिक (लाभ)/हानि दु चकडुद यककुगकु ब्याज आय को छोड़ कर आयोजना परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ संपत्ति सीलिंग का प्रभाव अवधि के अंत में शेष ओसीआई में अभिज्ञात अवधि के लिए शुद्ध (आय)/व्यय	- - - - - - -	- - - - - - -

फुलि. क. वर्ष 2018-19 के दौरान निगम अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से अपने नकदी ऋण सीमा एवं एसटीएल पर निर्भर था जिसके लिए पूंजीकरण प्रक्रिया को कम किया गया। तदनुसार, निगम अवकाश नकदीकरण के लिए अलग से दीर्घकालीक लाभ निधि बनाने की स्थिति में नहीं था।

1/2 1 ओनु'ह्यु फु'यस्क

31 एप्रिल 2019 दसलेक ओर ओरिडिफोवत

1/2- यककुके

	वुकु. ककु एफुओरु	मिनु नु; ओरु ओरु		वुओरु/ओरु वुकुकु ओरु	
		मिनु/ओरु) %	नु रक, अ	मिनु/ओरु) %	नु रक, अ
नु नु	+0.50%	-2.06%	(118.53)	-2.14%	(77.48)
	-0.50%	2.17%	125.01	2.27%	82.10
ओरु ओरु) नु	+0.50%	2.06%	118.58	2.27%	82.19
	-0.50%	-1.99%	(114.47)	-2.16%	(78.27)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

Contributions	-	-
Benefits paid	-	-
Return on plan assets excluding Interest Income	-	-
Fair value of Plan assets at the end of year		
Table 4		
4 Table Showing Reconciliation to Balance Sheet		
Funded Status	N/A	N/A
Funded Assets	-	-
Fund Liability	-	-
Table 5		
5 Expenses recognised in Statement of Profit and Loss		
Current Service Cost	-	-
Net Interest Cost Interest Cost	-	-
Expected Return on Plan Assets	-	-
Actuarial (Gain)/Loss only for last year	-	-
Benefit Cost (Expenses recognised in Statement of Profit and Loss)	-	-
Table 6		
6 Other Comprehensive Income		
Actuarial (gain)/loss on obligations due to change in financial Assumption	-	-
Actuarial (gain)/loss on obligations due to Demographic Assumption	-	-
Actuarial (gain)/loss on obligations due to unexpected Experience	-	-
Total Actuarial (Gain)/Loss	-	-
Return on Plan assets excluding Interest Income	-	-
The Effect of asset ceiling	-	-
Balance at the end of the Period	-	-
Net (Income)/Expense for the Period recognized in OCI	-	-

Note: During the year 18-19, the Corporation completely depended on its CC limit and STL for its working capital requirements reducing its capitalisation process to a bare minimum due to acute shortage of funds. Accordingly, the Corporation was not in a position to create a separate long-term employee benefit fund for leave encashment.

(C) Sensitivity Analysis

For the year ended March 31st 2019

(₹ in lakhs)

	Change in Assumptions	Effect on Gratuity obligation		Effect on EL/HPL	
		% Increase in DBO	Liability	% Increase in DBO	Liability
Discount Rate	+0.50%	-2.06%	(118.53)	-2.14%	(77.48)
	-0.50%	2.17%	125.01	2.27%	82.10
Salary Growth Rate	+0.50%	2.06%	118.58	2.27%	82.19
	-0.50%	-1.99%	(114.47)	-2.16%	(78.27)



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2019

(₹ in lakhs)

S.No.	SEGMENTS	Producing Segment	Retailing & Distribution segment	Consolidated
1	Revenue			
	External Sales/ Subsidy/Other Income	13,994.59	104,077.06	118,071.65
	Total Revenue	13,994.59	104,077.06	118,071.65
2	RESULTS			
	Segment Result			
	Expenditure	10,263.08	103,344.35	113,607.43
	Exceptional Items	13.74	301.94	315.68
	Total Expenditure after Exceptional Items	10,249.34	103,042.41	113,291.75
	Profit Before Tax	3,745.25	1,034.65	4,779.90
	Provision for Taxation	-	2,050.00	2,050.00
	Current Tax for earlier years	-	145.48	145.48
	Deferred Tax asset	-	-1,547.52	-1,547.52
	Net Profit / Loss	3,745.25	386.69	4,131.94
3	OTHER INFORMATION			
	Segment assets	32,018.54	96,695.64	128,714.18
	Segment Liabilities	31,626.28	31,308.04	62,934.32
	Capital Expenditure	1,296.46	498.06	1,794.52
	Depreciation	1,367.67	474.23	1,841.90

Sd/-
Mohd. Raquim
Company Secretary

Sd/-
Kaushik Rakshit
SGM(F&A)

Sd/-
V. Mohan
Director (Finance)
DIN - 07296539

Sd/-
V.K.Gaur
Chairman-cum-Managing Director
DIN- 03289716

As per our report of even date

For Kapoor Tandon & Co.
Chartered Accountants
Firm's Registration No. : 000952C

Sd/- 06.09.2019
DEVENDRA SWAROOP MATHUR
Partner
Membership No. 082570

Place : New Delhi
Dated : 31st August, 2019

पर्यावरणीय नीति

बीजों के प्रसंस्करण, जांच, भंडारण तथा विपणन, वितरण में कार्यरत एन एस सी, स्वच्छ व हरित पर्यावरण के संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। यह नीति हमारी निम्न वचनबद्धताओं की अभिपुष्टि है :

- बीज प्रसंस्करण संयंत्र के प्रचालन एवं अनुरक्षण में सुरक्षित एवं पर्यावरण के अनुकूल चलन।
- प्राकृतिक संसाधनों जैसे विद्युत, जल और ईंधन का दक्षतापूर्ण उपयोग एवं संरक्षण।
- संबंध पर्यावरण विधिक, नियमों एवं विनियमों का पालन।
- प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय मानकों, प्रचलनों एवं तकनीकी के अनुसार प्रदूषण और पर्यावरण क्षति की रोकथाम।
- पर्यावरणीय निष्पादन में निरन्तर सुधार।

पर्यावरणीय उद्देश्य

- प्रसंस्करण संयंत्र के चारों ओर हरित आवरण में सुधार करना।
- प्रसंस्करण संयंत्र का पर्यावरण के अनुकूल विधि द्वारा सहज प्रचालन सुनिश्चित करने के लिये अनुरक्षण करना।
- प्रदूषण और पर्यावरण क्षति को रोकने के लिये कचरे का पृथक्करण, संग्रहण और निपटान की प्रणालियों का पालन करना।
- जल संग्रहण के उपाय करना।
- आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों एवं स्थानीय समुदाय सहित संपूर्ण संस्थान में पर्यावरणीय पहलुओं एवं संबंधित प्रभावों पर सूचनाओं के प्रसार द्वारा जागरूकता लाना।

ENVIRONMENTAL POLICY

NSC, engaged in production, processing, marketing, testing, storage and distribution of seed, is committed to preserve clean and green environment. This policy statement is in affirmation of our commitment to:

- Safe and environmentally sound practices in operation and maintenance of seed processing plant.
- Efficient utilization and conservation of natural resources like electricity, water and fuels.
- Comply with relevant environmental legislation, rules and regulations.
- Prevention of pollution and environmental degradation in accordance with prevailing international / national standards, practices and technology.
- Continual improvement in environmental performance.

ENVIRONMENTAL OBJECTIVES

- Improving the green cover in and around the processing plant.
- To carry out maintenance of the processing plant to ensure smooth running of plant in an environmentally friendly manner.
- To adhere to the systems of segregation, collection and disposal of waste to prevent pollution and environmental degradation.
- To Undertake water harvesting measures.
- Enhance awareness by dissemination of information on environmental aspects and related impacts through out organization including suppliers, contractors and local community.



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम- "मिनी रत्न" कम्पनी)
सीआईएन: U74899DL1963GOI003913
बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली- 110012
(आईएसओ 9001:2015 एवं 14001:2015 प्रमाणित कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking- "Mini Ratna" Company)
CIN: U74899DL1963GOI003913
Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi- 110012
(An ISO 9001 : 2015 and 14001 : 2015 Certified Company)

दूरभाष (Phone No.) : +91-11-25846292, 25846295, फ़ैक्स (Fax) : +91-11 25846462, 25849216
ई-मेल/E-mail : nsc@indiaseeds.com वेबसाइट/Website : www.indiaseeds.com